(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 11] विधान सभा के ग्यारहवें सत्र का 27वां दिवस [संख्या 22

शनिवार,

3 अप्रेल, 1976

विधान सभा की बैठक म० पू० 11 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[स्वायत्त शासन, कारागृह, राजस्व, सहकारिता, खादी ग्रामोद्योग, पंचायत, वन, पुनर्वास, उपनिवेशन, नगर आयोजना, कृषि एवं नगर विकास न्यास विभाग]

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न।

श्री श्रीराम गोटेवाला।

शहरी क्षेत्र में अनधिकृत निर्माण के मामलों को निपटाने हेतु गठित कमेटी

632. **श्री श्रीराम गोटेवाला** (किशन पोल बाजार, जयपुर) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि शहरी क्षेत्र में अनधिकृत निर्माण के मामलों को निपटाने के लिये राज्य सरकार ने एक कमेटी गठित की थी ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त कमेटी ने अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को पेश कर दी ? यदि हां, तो कब एवं उसकी सिफारिशों पर सरकार ने क्या निर्णय लिया ?

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री रामनारायण चौधरी) : (1) जी नहीं।

(2) प्रश्न संख्या (1) के उत्तर के बाद यह प्रश्न भी पैदा नहीं होता है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : माननीय उपाध्यक्षजी, मैं यह जानना चाहता हूं कि अगर कोई कमेटी नहीं बनाई है तो क्या राज्य सरकार यह सोचती है कि नगरपालिकाओं के अन्दर हजारों ऐसे अनधिकृत निर्माण के केसेज पड़े हुए हैं, लोगों को परेशानी हो रही है और दूसरी तरफ राज्य सरकार को भी इससे हानि हो रही है ? क्या राज्य सरकार इन मामलों का निपटारा करने के बारे में कोई इरादा रखती है ?

श्री रामनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, कमेटी बनाने का तो इरादा नहीं है, लेकिन सरकार का यह इरादा है कि इन मामलों को जल्दी से जल्दी सुलटा दिया जाय।

श्री श्रीराम गोटेवाला : उपाध्यक्ष महोदय, आज एक ही अपराध के अन्दर दो जगह चालान किये जाते हैं और उनमें सजा होती है। एक केस में यू. आई. टी. चालान करता है, म्युनिसिपेलिटी भी उसी केस में चालान कर देती है। दोनों ही अनधिकृत निर्माण के मामलों में चालान कर देती हैं। इसलिए मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि यह कौनसा कानून है जिसमें दो बार सजा होती है और चालान होते हैं ? क्या राज्य सरकार इस सम्बन्ध में कुछ सोचती है कि यू० आई०टी० का एरिया हो वहां म्युनिसिपेलिटी हस्तक्षेप नहीं करे और म्युनिसिपेलिटी के क्षेत्र में यू०आई०टी० नहीं आवे ? क्या सरकार इस विवाद को खत्म करने का विचार रखती है ?

श्री रामनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की जो शिकायत है वह राजस्थान अर्बन इम्प्रूवमेन्ट (अमेन्डमेन्ट) एक्ट, जो पिछले दिनों पास किया गया है, के द्वारा दूर हो जायगी। जहां यू० आई०टी० का क्षेत्र है वह जुरिस्डिक्शन यू०आई०टी० का कर दिया गया है और भविष्य में अब माननीय सदस्य को यह शिकायत नहीं रहेगी।

श्री श्रीराम गोटेवाला : अनऑथोराइज्ड पजेशन के मामले बहुत बड़ी संख्या में हैं, उनको नियमित किये जाने के लिए क्या व्यवस्था की जा रही है और कब तक आप इनको नियमित कर देंगे ?

श्री रावतराम (छापर) : अनऑथोराइज्ड पजेशन को रेगुलेराइज करने के लिए आप क्या व्यवस्था कर रहे हैं ? यह प्रश्न आज का नहीं, कई सालों से चल रहा है, हजारों लोग अनऑथोराइज्ड कब्जा करके बैठे हुए हैं और जगह-जगह अव्यवस्था हो रही है। इससे गवर्नमेन्ट को भी आर्थिक नुकसान हो रहा है, और हालत बिगड़ती जा रही है। इसकी व्यवस्था आप कानूनी तरीके से ठीक तरह से करें ताकि लोगों को जमीनें मिल जायं और म्युनिसिपेलिटी को आर्थिक लाभ होवे।

श्री रामनारायण चौधरी : मान्यवर, इस प्रकार की कार्यवाही हो जाने से जमीन निकल आयेगी, प्रश्नकर्ता ने जो प्रश्न किया है, उससे उनकी मन्शा यह नहीं है। उनकी मन्शा यह थी कि जो अनऑथोराइज्ड कन्स्ट्रक्शन है, उसको रेगुलेराइज क्यों नहीं किया जा रहा है ? यही प्रश्नकर्ता की मन्शा है जहां तक मैं समझता हूं।

श्री श्रीराम गोटेवाला : हां यही है।

श्री रामनारायण चौधरी : लेकिन माननीय सदस्य की मंशा यह है कि अनऑथोराइज्ड पजेशन को हटाने से जो जमीन निकलेगी उससे, उनका मतलब है, कोई समाधान नहीं होगा। प्रश्नकर्ता का मतलब है कि जिनका 1952 से, 67 से और 72 से पजेशन है और जिन्होंने अनऑथोराइज्ड कन्स्ट्रक्शन कर रखे हैं उनको रेगुलेराइज करने के लिय कार्यवाही की जाय। यह कार्यवाही कैसे की जाय, इसका क्या सोल्यूशन होना चाहिए, इसके लिये राज्य सरकार विचार कर रही है। यह बहुत ही काम्प्लीकेटेड मामला है और इतना आसान नहीं कि मैं इसी वक्त यहां पर कोई घोषणा कर दूं।

श्री गुरदयालसिंह संधु (करणपुर) : जो पजेशन दिये गये हैं, उन्हें भी सरकार हटा रही है ?

श्री रामनारायण चौधरी : जी नहीं ।

श्री गुरदयालसिंह संधु : ऐसे मामले जयपुर में पाये जा रहे हैं और उन जमीनों के ऊपर बुलडोजरों से कार्यवाही आज भी की जा रही है ।

श्री रामनारायण चौधरी : माननीय सदस्य स्पेसिफिक इन्स्टान्सेज देंगे तो मैं ऐसे मामलों की जांच कराऊंगा ।

श्री श्रीराम गोटेवाला : यह तो आपका कहना ठीक है कि जमीनें तो नहीं मिलेंगी लेकिन इनको रेगुलेराइज करने से म्युनिसिपेलिटीज की आर्थिक स्थिति ठीक हो जायगी । करीब सात हजार ऐसे केसेज यू० आई० टी० के एरिया में हैं, उन मामलों को कम्पाउन्ड कराने की बात है। उसी प्रकार से मैं आशा करता हूं कि सारे राजस्थान में कम से कम एक लाख के करीब केसेज हैं । तो मैं निवेदन करूंगा कि कम्प्रोमाइज करके जो कुछ भी करना है, पैनल्टी लगानी है तो लगाकर उनको रेगुलेराइज किया जाय जिससे म्युनिसिपेलिटीज की आर्थिक स्थिति ठीक हो । आज वे लोग कोर्ट में जाते हैं तो दो दो रुपये देकर तारीखें बदलवाते हैं । इससे उनको इस झंझट से मुक्ति मिल जायगी । इसलिए मैं यह जानना चाहता हूं कि राज्य सरकार कब तक इसमें निर्णय लेकर शहरी क्षेत्र में जो 170 म्युनिसिपेलिटीज हैं उनके केसेज का निपटारा कर सकेगी ?

(शोरगुल : अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : श्री मोहम्मद गफ्फार अली ।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली (जौहरी बाजार) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने अभी यह फर्माया था कि जिन लोगों के पास मकान नहीं हैं उनको रेगुलेराइज करने की और छोड़ने की बात है तो क्या मंत्री महोदय इस बात पर विचार कर रहे हैं कि जिनके पास आवासीय मकानात हैं उनके मकान अवाप्त करें और उन गरीबों को आंवटन करें जिनके पास मकान नहीं हैं ? नम्बर (1)। नम्बर (2) यह, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि जरूरत के बराबर मकानात को अवाप्त नहीं किया जाय । मेरा सुझाव यह है कि जिनके पास मकान नहीं हैं उनकी जमीनों को रेगुलेराइज किया जाय, जैसा कि गोटेवालाजी ने अभी कहा था ।

श्री श्रीराम गोटेवाला : मैंने अनधिकृत कब्जे के बारे में रेगुलेराइज करने के लिये कहा है, आप मेरा गलत रेफरेन्स दे रहे हैं ।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : क्या सरकार जिनके पास मकान नहीं हैं उनको आवंटित करने का विचार कर रही है ?

श्री रामनारायण चौधरी : मान्यवर, श्री गोटेवाला, माननीय सदस्य, ने जो प्रश्न किया है....

श्री उपाध्यक्ष : श्री मीठालाल मीणा ।

श्री मीठालाल मीणा (लालसोट) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक अलग से प्रश्न पूछना चाहता हूं । यह शहरों से ही नहीं जहां नगरपालिकाएं हैं उन कस्बों से भी सम्बन्धित है । जिन भूखण्डों के ऊपर

(श्री मीठालाल मीणा)

लोगों ने 10-12 साल से कब्जा कर रखा है और वे म्युनिसिपेलिटी में नजराना भी दे चुके हैं, लेकिन उनको अभी तक रेगुलेराइज करके पट्टे नहीं दिये गये हैं, क्योंकि सरकार के पास इस सम्बन्ध में कोई कानून नहीं है। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार यह आवश्यक समझती है कि उनको पट्टे देकर रेगुलेराइज करे? इससे सम्बन्धित कानून बनाने के बारे में सरकार का क्या विचार है और उसका निर्णय कब तक ले लिया जायगा? ऐसे हजारों केसेज चल रहे हैं जिनके पट्टे नहीं मिले हैं और वे नजराना म्युनिसिपेलिटी में जमा करा चुके हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य गोटेवाला ने जो प्रश्न किया है, मान्यवर, वह शहरी क्षेत्रों में जो अनधिकृत कन्स्ट्रक्शन हैं उन मामलों से सम्बन्धित है। माननीय सदस्यों ने इस प्रश्न को दूसरी तरफ डाइवर्ट कर दिया है। माननीय सदस्य प्रश्नकर्ता की मन्शा यह थी कि भण्डारी कमेटी नियुक्त हुई थी, जहां तक मेरा खयाल है जो मामले 1952 से या 57 से या 67 से या 72 से अनधिकृत कन्स्ट्रक्शन के हैं उनको रेगुलेराइज करने से सम्बन्धित है, यह प्रश्न राज्य सरकार के सामने विचाराधीन है। एस० पी० सिंह भण्डारी की अध्यक्षता में जो कमेटी बैठी थी उसमें चार सदस्य थे, जी०एल० मेहता, पी०एन० सेठी, और गोकुल प्रसादजी प्रशासक। उस कमेटी ने रिपोर्ट दी थी। इस कमेटी का मानना है कि 1053 के पहले का कब्जा है, यह विचित्र मामला हो जाता है, 1952 के पहले जागीरें थीं, स्टेट्स थीं उस वक्त न टाइटल था, न टाइटल का नियम था। 1952 के पहले का टाइटल नहीं, पट्टा नहीं-इसमें आ जाता है। यह अहम सवाल हो गया है, 1952 के पहले तलाश करा लिये। इनको कर भी लें तो 1957 के पहले वाले कहेंगे कि हमारा रिकार्ड उपलब्ध नहीं है। पुराना पजेशन है, उसका टाइटल नहीं है। वह भी इसके परव्यू में आ जाते हैं। तो यह जन-मानस को आन्दोलित करने वाला मामला है! इसको आसानी से नहीं लिया जा सकता। माननीय सदस्य गफ्फार अली का कहना है, जिन लोगों के पास पहले की जमीन है, उन सबको कर दें। जहां तक मेरा खयाल है, नगरपालिकाओं में जिन लोगों का अनऑथोराइज्ड पजेशन है, उन लोगों के पास जरूरत से ज्यादा जमीन होने का प्रश्न पैदा नहीं होगा और होगा तो उसमें आ जायेंगे, जो अर्बन सीलिंग में किया है। यह उन लोगों का मामला है जिन लोगों के पास अनऑथोराइज्ड पजेशन 1921 से पहले का है, जितना पजेशन है, जो नीडी पर्सन हैं, उनका पजेशन है तो उनको डिस्पजेस नहीं करने का नीति सम्बन्धी निर्णय लिया हुआ है, वह उसमें आ जाते हैं। मेरा खयाल है, अनऑथोराइज्ड पजेशन में नहीं आयेंगे, जिन लोगों के कब्जे में है, वह कहीं स्केटर्ड केसेज निकलेंगे। इस समय जो नीति है सोशलिस्टक पैटर्न आफ सोसाइटी, उनको उस नजरिये से देखा जायगा।

श्री मीठालाल मीणा : मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दिया।

श्री हाजी जान मोहम्मद खां : उपाध्यक्ष महोदय, और भी बहुत से सवाल हैं।

श्री मीठालाल मीणा : मैं जयपुर जैसे शहर की बात नहीं कह रहा हूं। मैं नगरपालिकाओं की बात कह रहा हूँ . . .

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये।

श्री मीठालाल मीणा : आधा मिनिट में जवाब दे देंगे। नजराना जमा हो गया, दस बारह साल से कब्जा है, उनको पट्टा नहीं दिया है, निर्णय भी नहीं लिया। अगर ऐसा कानून नहीं है तो वैसा कानून बनायें।

श्री रामनारायण चौधरी : यह प्रश्न, जो उत्तर दिया है कि कमेटी की रिकमन्डेशन है, उसमें आता है। नजराना जमा करा दिया, लेकिन नजराना क्या है वह तय नहीं किया है।

श्री मीठालाल मीणा : कब तक तय कर लेंगे ?

श्री रामनारायण चौधरी : जल्दी कर लेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : नैक्स्ट ! (श्री योगेन्द्र नाथ हाण्डा के खड़े होने पर) Please wait.

प्रश्न संख्या 633

श्री केदारनाथ !

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखिये)

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा !

बीकानेर के भूतपूर्व महाराजा की भूमि

634. **श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा** (सूरतगढ़) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि भूतपूर्व महाराजा श्री करनी सिंह के भू-सीलिंग के केस का फैसला दिनांक 28-10-1971 को एस. डी. एम. (साउथ), बीकानेर द्वारा कर दिया गया ? यदि हां, तो बीकानेर डिविजन के चूरू, बीकानेर और गंगानगर जिले में कितनी-कितनी भूमि अवाप्त करने के आदेश दिये गये ? कृपया जिलेवार, ग्रामवार, चकवार मय मुरब्बा नम्बर खसरा नम्बर भूमि की तादाद की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) भूतपूर्व महाराजा ने उक्त भूमि के रिटर्न्स कब भरे थे ?

(3) क्या यह सही है कि उपरोक्त फैसले की प्रतियां गंगानगर, चूरू जिले के कलेक्टरों को भी कलेक्टर, बीकानेर द्वारा भेजी गईं ? यदि हां, तो कब ? क्या उपरोक्त फैसले की प्रतियां प्राप्त होने के बाद कलेक्टर, गंगानगर और चूरू ने श्री करनी सिंह की जमीन अवाप्त की ? यदि हां, तो कब-कब कितनी और कहां कहां ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि गंगानगर में भी श्री करनीसिंह ने अपनी भूमि वाके चक 1 ई. छोटी के रिटर्न्स भरे ? यदि हां, तो कब और किस-किस नाम से किस सीलिंग कानून के तहत 1963 के या 1973 के ? क्या कोई भूमि अवाप्त हुई ? यदि हां, तो कब और कितनी-कितनी ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

राज्य मंत्री, राजस्व (श्री मूलचन्द मीणा) : (1) यह सही है कि डॉक्टर करनीसिंह, भूतपूर्व महाराजा, बीकानेर के भू-सीलिंग के मामले का फैसला दिनांक 28-10-71 को उप-खण्ड अधिकारी (दक्षिण), बीकानेर द्वारा किया गया था, परन्तु उस निर्णय को राजस्व अपील अधिकारी, बीकानेर ने निरस्त कर मामले को रिमाण्ड करने का आदेश दिनांक 8-2-73 को दिया था। वर्तमान में यह मामला राजस्व मण्डल में रिवीजन में विचाराधीन है।

(2) भूतपूर्व महाराजा ने कोई रिटर्न इस जिले में नहीं भरे।

(3) इस फैसले की प्रति जिलाधीश, बीकानेर ने नवम्बर, 1971 में जिलाधीश, गंगानगर को भेजी थी। जिलाधीश, गंगानगर ने उसे उप-खण्ड अधिकारी, बीकानेर को भिजवा दिया। उप-खण्ड अधिकारी, बीकानेर के निर्णय पर राजस्व अपील अधिकारी के यहां अपील हो जाने से कोई भूमि उक्त फैसले के तहत अवाप्त नहीं की गई।

(4) श्री करनीसिंह एवं उनके परिवार के कुछ सदस्यों ने रिटर्न भरे थे। इनके विवरण की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। भूतपूर्व राजमाता सुदर्शना कुमारी जी की भूमि 3 बीघा 8 बिस्वा अवाप्त की गई है। शेष मामलों में कोई भूमि अधिग्रहण नहीं की गई है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 1 देखिये)

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : पहले तो मैंने यहां सूची प्रश्न (1) में मांगी थी कि कितनी-कितनी भूमि किस-किस स्थान के ऊपर भूतपूर्व महाराजा की अवाप्त की गई। इसकी कोई सूचना, कोई सूची मुझे सदन के अन्दर नहीं दी गई। यह ठीक है, अपीलेट ऑथोरिटी में चला गया। लेकिन किस-किस स्थान पर कितनी-कितनी भूमि अधिग्रहण की है—उस की विशेष रूप से सूची मांगी थी, कि सदन की मेज पर रखें, लेकिन आपके द्वारा वह सूची नहीं रखी गई है।

दूसरा प्रश्न इस सम्बन्ध में यह करना चाहता हूं कुछ तथ्यों के आधार पर कि 6,441 बीघा भूमि अधिगृहीत की गई है, यह जमीन किस कानून के तहत अधिगृहीत की गई है? राजस्थान भूमि सुधार एवं सम्पदा अवाप्ति अधिनियम के अन्दर अधिगृहीत की गई?

इस सम्बन्ध में तीसरा प्रश्न पूछना चाहूंगा, आपने स्वीकार किया है कि यह फैसला 28-10-71 को हो गया। 9-11-71 को इसकी सूचना बाकायदा एस० डी० एम०, गंगानगर के पास पहुंच गई कि केवल उनकी जमीन 532 बीघा बंजड़, जो गजनेर की है, छोड़ कर सारी भूमि अवाप्त कर ली जाय। इसके बाद वह अपील के अन्दर 8-2-73 को स्टे आर्डर लाता है। इस बीच के अन्दर एक साल का समय है, इस एक साल के समय में उसकी जमीन 532 बीघा है, यह क्यों अवाप्त नहीं की गई? तीन महीने सरकारी अधिकारी क्यों चुप बैठे रहे हैं? तीन महीने से अधिक महीने होते हैं।

राजस्व मंत्री (श्री परसराम मदेरणा) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्न के भाग (1) की सूची इसलिए नहीं रखी गई है कि अभी इस

Page No 7

(7)

(श्री परसराम मदेरणा)

मामले का रेवेन्यू अपीलेट ऑथोरिटी ने फैसला दिया है, वह सुओ मोटो रिवीजन में बोर्ड आफ रेवेन्यू के पास विचाराधीन है और फैसले की प्रति प्राप्त नहीं हो सकी है। इसलिए सूची नहीं दी गई। राजस्व अधिकारी ने अपने फैसले को निरस्त कर दिया और निरस्त करने के बाद में रेवेन्यू बोर्ड ने सुओ मोटो काग्नीजेंस लेकर विचाराधीन रखा है, इसकी पेशी नजदीक में रखी हुई है।

दूसरी बात यह पूछी कि यह 6,648 भूमि जो अवाप्त की गई वह किस कानून के अन्तर्गत की गई। राजस्थान लैण्ड रिफार्म्स एण्ड रिजम्प्शन ऑफ लैण्ड ओनर्स एस्टेट एक्ट के अन्तर्गत 6,648 बीघा भूमि अवाप्त की गई। एस० डी० ओ०, साउथ के फैसले की सूचना गंगानगर के क्लेक्टर के पास चली गई। जो फैसला 28-10-71 को दिया था, जब उसकी सूचना गंगानगर क्लेक्टर के पास चली गई और 8-2-73 को स्टे आर्डर लिया, तो तब तक राज्य के अधिकारी क्या कर रहे थे, 8-2-73 को उन्होंने स्टे आर्डर ले लिया। इमीजियेटली फैसला होने के बाद स्थगन आदेश भूतपूर्व महाराजा करनीसिंह ने प्राप्त कर लिया। 8-2-73 को रेवेन्यू अपीलेट ऑथोरिटी ने एस०डी०ओ० के फैसले को निरस्त किया है। स्टे आर्डर है इसलिए रिज्यूम नहीं की जा सकी। 532, आपने कहा, गंगानगर डिस्ट्रिक्ट की है, वह रिज्यूम हो जाती। जो फैसला एस० डी० ओ०, साउथ ने दिया था, रेवेन्यू अपीलेट ऑथोरिटी ने फैसला निरस्त कर दिया तो रिज्यूम होने का फैसला होने का प्रश्न नहीं है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपके पास स्टे नहीं है। मेरे पास एस० डी० ओ०, गंगानगर की ऑथोराइज्ड कापी है, जो 20 सूत्री कार्यक्रम में दी है, 16-12-71 को स्टे आर्डर लाते हैं करनीसिंह और यह फैसला गंगानगर में 9-11-71 को पहुंच गया। इस बीच में कोई कार्यवाही नहीं हुई। यह एस० डी० एम०, गंगानगर ने बाकायदा दिया है, 20 सूत्री कार्यक्रम में दिया है कि, समस्त भूमि का कब्जा लेने के आदेश दे दिये थे। इसकी पालना अभी तक नहीं करवाई गई। यह पत्रावली रिकार्ड में दाखिल करवा दी गई। इस फैसले के साथ पत्र क्रमांक इतने इतने के द्वारा 1-12 करनीसिंह पुत्र सादुलसिंह की भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही नहीं की गई। इस प्रश्न को छोड़िये। एक प्रश्न और है, 25-25 मुरब्बा जमीन, 549 मुरब्बा जमीन खुदकाश्त जमीन में बाग है, 25-25 मुरब्बा जमीन करनीसिंह की गंगानगर में है, यह बाग है चार गुना पानी लेता है। इसमें 100 मुरब्बा का मोगा एक चक के अन्दर लगा हुआ है। आपके भूमि सुधार एवं सम्पदा अवाप्ति अधिनियम के अन्तर्गत बागात की जमीन को रिज्यम करने का प्रोविजन है। अगर सीलिंग के केस में वह रेवेन्यू कोर्ट में चले गए तो इस कानून के तहत अवाप्त क्यों नहीं की गई ?

श्री दीपंकर (लाडनूं) : इससे संबंधित मेरा प्रश्न भी है। इस तरीके से

(श्री दीपंकर)
बीकानेर एस० डी० एम० के फैसले की सूचना गंगानगर पहुंची तो चूरू पहुंचने के बारे में भी प्रश्नकर्त्ता ने पूछा है, वहां पर सूचना पहुंची या नहीं ? अगर नहीं पहुंची, तो इसका क्या कारण है ? गंगानगर पहुंच गई और चूरू नहीं पहुंची। गंगानगर वाले केस का कारण तो बता दिया लेकिन चूरू का क्या कारण था ? दूसरी बात, इतने बड़े प्रभावशाली व्यक्ति द्वारा इतनी अधिक काम की भूमि अपने यहां रख छोड़ी है और इतना समय अपील में लगा दिया, रेवेन्यू बोर्ड में 5 साल लग गए। ऐसा कोई नियम है कि कब तक फैसला हो जाएगा ?

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : इस किस्म के जो केसेज हैं उनमें गैर मामूली देरी होती हैं और इस बीच कानून बदल जाता है तो आप बीच की अपील का ज्युरिस्डिक्शन समाप्त कर रेवेन्यू बोर्ड में स्पेशल बैंच क्रिएट करके इन केसेज को डिस्पोज आफ कराना उचित समझते हैं या नहीं ? और बाकी भूमि जो अवाप्त नहीं की गई, उसके लिए भी बतायें।

श्री परसराम मदेरणा : सूरतगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, 9-11-71 को फैसले की प्रति गंगानगर पहुंची जो 28-10-71 को हुआ था मतलब 12 दिन के बाद। उसके बाद उन्होंने कहा, स्टे आर्डर जो मिला है वह 16-12-71 को मिला है। स्वयं ने दो महीने की बात कही। स्वयं ने कह दिया कि 9-11-71 को फैसले की प्रति गंगानगर कलेक्टर के पास गई और 16-12-71 को स्टे आर्डर आ गया। तो एक महीने 7 दिन के समय में उन्होंने रिज्यूम क्यों नहीं की ? जैसा मैं पहले कह चुका हूं कि 1½ महीने में अपील करने का प्रावधान है। उसके साथ अपील में स्टे आर्डर मिल गया। उसके बाद पूरे का पूरा फैसला स्टे ही नहीं हुआ, निरस्त हुआ।

दूसरा प्रश्न खड़ा होता है कि 25 मुरब्बा जमीन बागात की है। वह अलग से प्रश्न है जिलाधीश, गंगानगर तमाम मामले में सीज्ड है। जैसा माननीय सदस्य जानते हैं, जैसी जमीन की हालत होगी, उन्होंने रिटर्न्स पेश किए। जो सूची आपको दी है केवल राजमाता सुदर्शना कुमारी की 3 बीघा और कुछ बिस्वा रिज्यूम की है। बाकी सीलिंग के अन्दर एस० डी० ओ०, गंगानगर ने नहीं पायी है। क्योंकि रेवेन्यू ऑथोरिटी ने फैसला निरस्त कर दिया तो सीलिंग कानून के अंतर्गत ही फैसले कर दिये हैं और फैसले करने के बाद इस मामले की कलेक्टर जांच कर रहे हैं।

लाडनूं के माननीय सदस्य ने पूछा कि चूरू प्रतिलिपि पहुंची या नहीं ? मुझे पता नहीं, जमीन ही उनकी नहीं है तो पहुंच कर क्या करती ? दूसरी बात उन्होंने पूछी है कि इस किस्म के केसेज में रेवेन्यू अपीलेट ऑथोरिटी और रेवेन्यू बोर्ड, दो अपील होने की वजह से सीलिंग के मामले में इनऑर्डिनेट देरी होती है तो जौहरी बाजार से आने वाले माननीय सदस्य पूछ रहे हैं कि क्या उचित होगा कि इस तरह से रेवेन्यू अपीलेट कोर्ट, एक को समाप्त कर दें ताकि फैसले जल्दी हो जायं ?

(श्री परसराम मदेरणा)
जहां तक इस केस का प्रश्न है, रेवेन्यू बोर्ड स्वयं ने इसमें सुओ मोटो जुरिस्डिक्शन अख्तियार करके इन केसेज को रिविजन में रखा है। ऐसी हालत में अपीलेट कोर्ट्स के जुरिस्डिक्शन को या एक स्टेज को कम करने के बाद सीलिंग के दो हजार और कुछ केसेज अभी एस०डी०ओज० के पास विचाराधीन हैं। ज्यादातर अपील्स के केसेज के फैसले हो गए इस फंग एन्ड में जब सीलिंग केसेज की समाप्ति हुई है, राज्य सरकार किसी एक कोर्ट के जुरिस्डिक्शन को या स्टेज को समाप्त करना उचित नहीं समझती।

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : जो सूची आपने दी है उस संबंध में मैंने चाहा है कि कितने केसेज 1963 के तहत कितने 1972 के तहत दाखिल हुए ? इसमें 6 रिटर्न्स भरे गए हैं जिनमें से आपने अपने 3 रिटर्न्स तो पुराने कानून के तहत बताए बाकी सारे रिटर्न्स 1973 के नए कानून के तहत भरे जाने बताये। तो यह स्पष्ट है कि खुद सुशीला करनीसिंह की श्रीमती और करनीसिंह ने अपने रिटर्न्स 1963 के कानून के तहत भरे। हेमंत कुमारी जो उनकी बच्ची है उसमें अपना रिटर्न 1963 के तहत नहीं भरा, राजमाता ने भी नहीं भरा।

दूसरा प्रश्न यह है कि करनीसिंह के पास केवल 525 बीघा जमीन है। इसमें केवल एक राजमाता सुदर्शनाकुमारी है और एक पत्नी है, बाकी सारे अविवाहित पुत्र हैं। संपूर्ण परिवार के फिर अलग अलग कैटेगरीज में डिसाइड करने का क्या कारण था ? क्यों नहीं सारी फैमिली को एक सिंगल एन्टिटी बनाकर पहले 1963 कानून के तहत डिसाइड किया, फिर 1973 के कानून में डिसाइड किया जाता ? अगर 1963 में जमीन अवाप्त होती तो की जाती, यह रियायत उनके साथ क्यों की गई ? आपने खुद ने कहा है कि अगर कोई प्रापर डेट पर रिटर्न्स फाइल नहीं करता है तो पेनल प्रोविजन्स हैं। उनका उपयोग उनके विरुद्ध क्यों नहीं किया गया ?

अंतिम प्रश्न है खुद एस०डी०एम०, गंगानगर ने 20 सूत्री कार्यक्रम में लिस्ट दी है उसके अनुसार अलग अलग यूनिट्स में नरेन्द्रकुमार करनीसिंहजी की 109 बीघा जमीन बताई। सुशीला पत्नी करनीसिंह, दो केसेज के नाम से एनाउंसमेंट हुआ है, 126, राजकुमारी पुत्री करनीसिंह विवाहित नहीं है, 100—हेमन्तकुमारी विवाहित 50, मधुलिमा 94 बीघा, राजमाता 53 बीघा। न 109 वाली, न 126, न 100, न 94, वाली भूमि रिज्यूम हुई और राजमाता की 3 बीघा रिज्यूम हो गई ?

श्री परसराम मदेरणा : इसका संबंध फेक्ट्स से है। 20 सूत्री जिला स्तर कमेटी में एस०डी०एम० ने आपको आंकड़े दिए। वही एस०डी०ओ० इस सीलिंग के अन्दर फैसला कर चुके हैं तो मेरी समझ में नहीं आता, भूमि ट्रांसफर हुई या नहीं। यह दूसरी बात है, ट्रांसफर रिकगनाइज होने के लायक हैं, या थे। तीसरी बात, यह सब कोर्ट्स के देखने की बात है कि रिटर्न्स भरे जाने चाहिए थे या नहीं। मामला जिलाधीश के एग्जामिनेशन में है इसलिये जो भी फेक्ट्स की स्थिति होगी उसके अनुसार कार्यवाही की जाएगी।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : सारे केस को रिओपन करके इन फेक्ट्स से जो वायोलेशन

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)
हुआ है कानून का, जो रिटर्न्स नहीं भरे गए, जो पेनल प्रोविजन्स लागू होते हैं, सारे लागू करके, सारे केस को रिप्रोपन करेंगे ?

श्री परसराम मदेरणा : अभी गंगानगर कलेक्टर से मैं 10।। बजे बात करके आ रहा हूं, वह जांच कर रहे हैं। उसके बाद अगर फेक्ट्स सरकार के पास आते हैं और अगर केस रिओपन होने लायक है तो निश्चित तौर से किया जाएगा लेकिन अभी हाइपोथेटीकल मामला है, फेक्ट्स आने दीजिए। पहले क्रिमिनल लाइबिलिटी से बीकानेर के भू०पू० महाराजा इन्कार करते हैं या नहीं, केस रिओपन होने योग्य है या नहीं, जब तक फेक्ट्स नहीं आते हैं मैं कैटेगरीकल आश्वासन इस समय नहीं दे सकता।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री जगमोहनसिंह।

(शोरगुल : अश्रव्य)

ऑर्डर ! ऑर्डर, प्लीज।

आप तशरीफ रखिए।

श्री जगमोहनसिंह।

केन्द्रीय सहकारी बैंकों के संचालक मण्डल में अनुसूचित जाति व जनजाति के सदस्य

635. **श्री जगमोहनसिंह (छबड़ा) :** क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:— (1) क्या राज्य सरकार ने केन्द्रीय सहकारी बैंकों के संचालक मण्डल में अनुसूचित जाति व जनजाति के 3 सदस्य होना आवश्यक कर दिया है ?

(2) यदि हां, तो दी कोटा सेन्ट्रल को ऑपरेटिव बैंक में इसके अनुसार क्या कार्यवाही की गई है ? और नहीं की गई, तो क्या कारण है और कब तक कर दी जावेगी ?

सहकारिता मंत्री (श्री रामनारायण चौधरी) : (1) यह सही है कि राज्य सरकार ने केन्द्रीय सहकारी बैंकों के संचालक मण्डल में कुल सदस्य संख्या पर 1/3 भाग कमजोर वर्ग जिसमें (अनुसूचित जाति व जनजाति भी शामिल है) के सदस्य होना आवश्यक कर दिया है।

(2) कोटा सेन्ट्रल कोऑपरेटिव बैंक में इसके अनुसार कमजोर वर्ग के सदस्यों के मनोनयन की कार्यवाही राज्य सरकार के विचाराधीन है जो शीघ्र की जायगी।

श्री जगमोहन सिंह : मान्यवर, इस प्रश्न को काफी समय हो गया है। मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि आखिर कौन सी तारीख तक कमजोर वर्ग के लोगों का मनोनयन हो जाएगा ? आखिर इसकी डेड लाइन कब तक की है ? कौनसी तारीख तक नॉमीनेट कर देंगे, और इसकी प्रक्रिया क्या है ? आज तक क्यों नहीं किया गया जब कि राज्य सरकार ने केन्द्रीय सहकारी बैंकों के अन्दर अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के तीन सदस्यों को लिया जाना आवश्यक बताया है ?

श्रीमती नगेन्द्र बाला (दीगोद) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्रश्न इसी के साथ है। कमजोर वर्ग के जो तीन सदस्य केन्द्रीय सहकारी बैंकों के संचालक

Page No 11

(11)

(श्रीमती नगेन्द्र बाला)
मंडल में लिए जायेंगे उनमें क्या आप महिलाओं को भी नोमीनेट करेंगे ?

श्री रामनारायण चौधरी : जहां तक कमजोर वर्ग के तीन सदस्यों को केन्द्रीय सहकारी बैंकों के संचालक मण्डल के सदस्यों में नोमीनेट करने का प्रश्न है, यह राज्य सरकार ने फैसला किया है, उन्हें लिया जायेगा। महिलाओं का भी उसमें नोमीनेशन होने के लिए पूरा ध्यान रखा जाएगा। उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्नकर्त्ता ने पूछा, कब तक कर दिया जायेगा। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि इसी महीने में कर दिया जायेगा। जहां तक प्रक्रिया का संबंध है, राज्य सरकार जिन्हें उचित समझेगी उन्हीं लोगों का मनोनयन करेगी।

श्री रावतराम : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि क्या सारे राजस्थान के सहकारी बैंकों के संचालक मण्डल के सदस्यों का मनोनयन हो जायगा या सिर्फ कोटा के केन्द्रीय सहकारी बैंक के संचालक मंडल में कमजोर वर्गों के सदस्यों का ही मनोनयन होगा? इसके अलावा आज तक आपने कितनी बैंकों में यह प्रक्रिया लागू कर दी है ?

श्री रामनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, करीब राजस्थान की 50 बकों में तो यह व्यवस्था कर दी गई है। दो तीन का कल किया है और जहां तक मेरा विश्वास है इसी महीने में पूरा कर दिया जायेगा।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट। श्रीमती निर्मला कुमारी।

गिलुन्ड ग्राम (चित्तौड़गढ़) की रैयत कृषि सहकारी समिति

636. **श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत** (चित्तौड़गढ) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : (1) क्या यह सही है कि चित्तौड़गढ़ तहसील में गिलुन्ड ग्राम की रैयत कृषि सहकारी समिति के भंग होने के बाद उस भूमि का आवंटन भूमिहीन समिति के सदस्यों को ही किया गया ?

(2) क्या यह भी सही है कि उन्हीं व्यक्तियों को आवन्टन होने पर भी कब्जा देते समय लगान से कई गुना जुर्माना उन सदस्यों से लिया गया ?

(3) क्या उपरोक्त समिति के सदस्यों में कुछ बेवा महिलाएं भी थीं ? यदि हां, तो उनके क्या नाम थे और उनमें से कितनी महिलाओं को भूमि आवंटित की गई ?

राज्य मन्त्री, राजस्व (श्री मूलचन्द मीणा) : (1) समिति के भंग होने पर भूमि का आवन्टन समिति के भूमिहीन सदस्यों व अन्य भूमिहीनों को किया गया ?

(2) कृषि सहकारी समिति के भंग होने पर भूमि जिलानाम दर्ज कर दी गई थी। इसके बाद पुरानी समिति के जिन सदस्यों का इस भूमि पर अतिक्रमण रहा उनके खिलाफ बेदखली की कार्यवाही चालू कर दी गई एवं उन पर पैनल्टी भी कायम कर दी गई। इस मामले में जब अपील अतिरिक्त जिलाधीश के यहां प्रस्तुत हुई तो उन्होंने समिति के सब सदस्यों का मामला पुनः सुनवाई हेतु रिमाण्ड कर दिया क्योंकि भूतपूर्व सदस्यों को कब्जे से हटाने का कोई प्रमाण पत्रावली पर नहीं था।

(**श्रीमूलचन्द मीणा**)

(3) जी हां, महिलाओं के नाम व आवंटित भूमि का ब्यौरा संलग्न परिशिष्ट में अंकित है।

(ब्यौरे के लिए कृपया परिशिष्ट 2 देखिये)

श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत : मान्यवर, मैं यह पूछना चाहती हूं कि रैयत सहकारी समिति का निर्माण कब हुआ? दूसरे जब यह रैयत सहकारी समिति भंग हुई उसके बाद में जिन लोगों के कब्जे में वह जमीन थी क्या वह जमीन उन्हीं भूमिहीन लोगों को दी गयी थी जिनके कब्जे में वह जमीन थी? जब उन्हीं को वह भूमि आवंटित की गयी तो फिर उन पर पैनल्टी क्यों लगायी गयी? क्या सरकार उस पैनल्टी को माफ करने का इरादा रखती है?

श्री मीठालाल मीणा : (श्री परसराम मदेरणा के खड़े होने पर) उपाध्यक्ष महोदय, यह क्या बात है राजस्व मन्त्रीजी प्रश्न का जवाब पढ़ने को तो मूलचन्दजी को दिलाते हैं और बाकी जवाब खुद देते हैं। आप मूलचन्दजी से जवाब दिलावें।

राजस्व मंत्री (श्री परसराम मदेरणा) : उपाध्यक्ष महोदय, इस सहकारी समिति का निर्माण 26-8-49 को हुआ था। बाद में किन्हीं कारणों से यह सहकारी समिति लिक्वीडेशन में आ गयी। लेकिन बाद में जब भूमिहीनों को जमीन अलॉट की गयी थी तब उन्हीं लोगों को ही वह जमीन अलॉट कर दी गयी। इस पैनल्टी को वापिस करने का रिमान्ड कर दि उसको निरस्त करने की कार्यवाही की जा रही है।

श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत : अगर उन लोगों की पैनल्टी निरस्त होती है तो धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री ओंकारलाल चौहान।

कोटा नगर में हरिजनों के लिये क्वार्टर्स की योजना

637. **श्री ओंकारलाल चौहान** (डग) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-(1) क्या यह सही है कि कोटा नगर में गान्धी जयन्ती वर्ष के समय हरिजनों (मेहतरों) के लिये क्वार्टर्स बनाने की योजना थी?

(2) यदि हां, तो अब तक कितने क्वार्टर्स बना कर उनके सुपुर्द कर दिये गये हैं?

(3) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं? कृपया इसका विवरण सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री रामनारायण चौधरी) : (1) जी हां।

(2) भीमगन्ज मण्डी में नगरपालिका द्वारा 29 क्वार्टर्स निर्माण कराये जाकर हरिजनों को आवंटित किये जा चुके हैं और वे उनमें निवास कर रहे हैं। छोटा तालाब में 24 क्वार्टर्स के निर्माण का कार्य अभी अपूर्ण है और उसको पूरा कराये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

(श्री रामनारायण चौधरी)

(3) भाग (2) के उत्तर के बाद यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

श्री ओंकारलाल चौहान : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहूंगा, जैसा कि मन्त्री महोदय ने अभी प्रश्न के जवाब में कहा, यह सही है कि हरिजनों के लिये क्वार्टर्स बनाये जा रहे हैं। मेरा निवेदन यह है कि यह निर्माण कार्य कब से चालू है, कितने मकान कुल बनने थे, कितने मकान बन चुके और कितने मकान बनने बाकी हैं ?

श्री रामनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के कल ही मुझे 36 प्रश्न प्राप्त हुए थे। जो टेलीफोन से तत्परतापूर्वक सूचना उपलब्ध हो सकी मैंने दे दी। बाकी की जानकारी मेरे पास नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट। श्रीमती जमुना सोलंकी।

ओसवाल आॅयल मिल, केकड़ी के विरुद्ध दर्ज मामला

638. **श्रीमती जमुना सोलंकी** (केकड़ी): क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—(1) केकड़ी में स्थित ओसवाल आयल मिल के मालिक व मैनेजर कौन कौन हैं ?

(2) क्या यह सही है कि मिल मालिकों व मैनेजर के विरुद्ध केकड़ी के खाद्य निरीक्षक ने जुडिशियल मजिस्ट्रेट केकड़ी की अदालत में चालान पेश किया था ?

(3) क्या यह सही है कि अदालत ने चेयरमैन, नगरपालिका की स्वीकृति के अभाव में मिल मालिकों के विरुद्ध सम्मन जारी नहीं किये ?

(4) क्या चेयरमैन, नगरपालिका को मिलावट जैसे जघन्य अपराध करने वाले अपराधियों को बचाने का अधिकार है ? यदि नहीं, तो राज्य सरकार इस संबंध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री रामनारायण चौधरी) : (1) केकड़ी मे स्थित ओसवाल आॅयल मिल के मालिक श्री रमेशकुमार व लालचन्द हैं एवं इसका मैनेजर श्री बालचन्द हैं।

(2) जी हां।

(3) जी हां।

(4) जी नहीं। इस संबंध में एक शिकायत भी प्राप्त हुई है जो एस०डी०ओ०, केकड़ी के पास जांच हेतु भेजी गई है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

श्रीमती जमुना सोलंकी : उपाध्यक्ष महोदय, क्या कारण है कि आयल मिल के श्री रमेशकुमार व लालचन्द को बचाना चाहते हैं ? चैयरमैन, नगरपालिका, केकड़ी ने ऐसे जघन्य अपराध करने वालों को क्यों बचाया तथा उसके मैनेजर बालचन्द का ही चालान क्यों करने दिया जा रहा है ?

श्री माणकचन्द सौगानी (अजमेर पश्चिम): उपाध्यक्ष महोदय, इसी के साथ में मेरा प्रश्न है कि ऐसे सभी लोग, जो

(श्री माणकचन्द सोगानी)
खाने पीने की चीजों में मिलावट करते हैं, का चालान क्यों नहीं किया जाता है ? इसमें सिर्फ मैनेजर को ही क्यों लपेट में लिया जाता है जब कि मिल मालिक खुद इसमें शामिल होते हैं ? क्या राज्य सरकार इस सबकी वापिस जांच करके जो इसमें दोषी व्यक्ति हैं उन सभी क चालान करने का विचार रखती है ?

श्री मीठालाल मीणा : इसमें मालिक कौनसा सब दिन काम करता है ।

श्री रामनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने प्रश्न के उत्तर में बताया है कि इस मामले में एक शिकायत प्राप्त हुई है वह जांच के लिए एस० डी० ओ०, केकड़ी के पास भेजी गयी है । इसके अलावा चेयरमैन, नगरपालिका ने किन परिस्थितियों में क्या एक्शन लिया है, उसके बारे में माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये कुछ तथ्य पढ़ कर निवेदन करना चाहता हूं । अध्यक्ष का यह मानना है ।

"इस केस में एक्ट की धारा 17 (1) के मुताबिक लालचन्द एवं रमेशचन्द के खिलाफ कोई शहादत या तथ्य रिकार्ड से उपलब्ध नहीं है ।

उपरोक्त टिप्पण को ध्यान में रखते हुए मेरी राय में श्री लालचन्द व रमेशचन्द के खिलाफ प्रोसीक्यूशन की सैंक्शन दिये जाने के लिये कोई आधार नहीं है । अलबत्ता बालचन्द के खिलाफ में प्राइमा फेसी केस नजर आया है ।

इस पर अध्यक्ष, नगरपालिका, केकड़ी ने निम्न राय दी :

"मैंने पत्रावली देखी, फूड इन्सपेक्टर ने रिपोर्ट के अनुसार सैम्पल श्री बालचन्द से लिया है । स्वीकृति पत्र में इन्होंने श्री रमेशकुमार, लालचन्द व श्री बालचन्द तीनों के विरुद्ध स्वीकृति चाही है । श्री रमेशकुमार व श्री लालचन्द को पार्टनर व मालिक प्रदर्शित किया है परन्तु पत्रावली में ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि श्री रमेशकुमार व लालचन्द इस मिल के मालिक या पार्टनर हों तथा बालचन्द से इनका क्या संबंध है । इसलिये श्री रमेशकुमार व श्री लालचन्द के विरुद्ध चालान प्रस्तुत किये जाने की स्वीकृति नहीं दी जा सकती । केवल बालचन्द के विरुद्ध न्यायालय में चालान प्रस्तुत किये जाने की स्वीकृति दी जाती है ।"

इस संबंध में जो शिकायत प्राप्त हुई है वह दिनांक 30-3-76 को जिलाधीश को जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु भेजी गई है । जांच के पश्चात् ही इस मामले में यह देखना होगा कि अध्यक्ष, नगरपालिका ने अपनी शक्तियों व कर्त्तव्यों की अवहेलना की है अथवा नहीं ? यदि अध्यक्ष दोषी पाये गये तो उनके विरुद्ध राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 1959 की धारा 63 या 75 के अनुसार कार्यवाही की जावेगी ।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट । श्री मूलचन्द सामरिया ।

जयपुर जिले की सहकारी समितियां

639. श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) : क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जयपुर जिले में कितनी सहकारी समितियां है ? क्या इनकी संख्या अन्य जिलों की तुलना में अधिक है ? कृपया

(श्री **मूलचन्द सामरिया**)
जिलेवार सहकारी समितियों की संख्या दर्शाते हुए सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उप-जिला दौसा के मुख्यालय कस्बा दौसा में सहायक रजिस्ट्रार का कार्यालय खोलने का मामला विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक खोल दिया जावेगा ?

सहकारिता मन्त्री (श्री रामनारायण चौधरी : (1) जयपुर में 2,534 सहकारी समितियां हैं । इनकी संख्या अन्य जिलों की अपेक्षा अधिक है। जिलेवार सहकारी समितियों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(2) कस्बा दौसा में सहायक रजिस्ट्रार का कार्यालय खोला जाना विचाराधीन नहीं है । जयपुर जिले में दो सहायक रजिस्ट्रार कार्य कर रहे हैं । सहायक रजिस्ट्रार (पूर्व) उप-जिला दौसा के कार्य को देख रहे हैं ।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 3 देखिये)

श्री **मूलचन्द सामरिया :** उपाध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं जैसा कि मन्त्री महोदय ने अपने उत्तर में बताया, कस्बा दौसा की सहकारी समितियां सहायक रजिस्ट्रार (पूर्व) द्वारा देखी जाती हैं और उनका कार्यालय जयपुर में है। तो सहायक रजिस्ट्रार (पूर्व) अपने मुख्यालय जयपुर में बैठकर दौसा की सहकारी समितियों को अच्छी तरह देख पा सकते हैं या दौसा में रह कर ? दौसा की जनता को लाभ उनके यहां रहने में हैं या उनका मुख्यालय दौसा में रहने से ज्यादा लाभ होगा ?

श्री **रामनारायण चौधरी :** दौसा सब-डिवीजन के लोगों का लगाव जयपुर से ज्यादा है । ट्रांसपोर्ट फेसिलिटी में भी कमी नहीं है । इस सब को देखने से दौसा के लोगों को कोई असुविधा नजर नहीं आती है ।

श्री **मूलचन्द सामरिया :** दौसा की जितनी सहकारी समितियां हैं, ग्राम पंचायत स्तर पर या ग्राम सभा स्तर पर ये सब किसानों से ताल्लुक रखती हैं । उनको जयपुर आने-जाने में काफी असुविधा रहती है इसलिये दौसा में सहायक रजिस्ट्रार का कार्यालय खुल जावेगा तो यह असुविधा उनकी मिट जावेगी ।

श्री **रामनारायण चौधरी :** सुविधा में तो कोई फर्क नहीं पड़ता है ।

श्री मीठालाल मीणा : सुविधा और असुविधा के अन्दर मत जाइये । दौसा क्षेत्र के जो केसेज हैं वे पांच सौ से ज्यादा हैं जब कि दूसरी जगह कम हैं । जोधपुर, भरतपुर आदि जगह शामिल हैं उनमें भी 1,000/1,100 से ज्यादा नहीं हैं । 2,534 सहकारी समितियां हैं; उनका वाजिब निवेदन है । आपको मान लेना चाहिये । इससे सहकारिता का विकास होगा और सम्बन्धित लोगों को सुविधा होगी । इस मामले में विचार करके दौसा में स्थापित किया जाय ।

श्री **रामनारायण चौधरी :** दौसा नेशनल हाई-वे पर है । 30 मील के फासले पर है जयपुर से । आवागमन के काफी साधन हैं ।

Page No 16

(16)

श्री मीठालाल मीणा : आपको क्या असुविधा है वहां खोलने में ?

श्री रामनारायण चौधरी : आप यों खुलवायेंगे क्या ? आप सुन भी नहीं रहे हैं। इतने एग्रेसिव हो रहे हैं।

श्री मूलचन्द सामरिया : दौसा में आप खोल दीजियेगा।

श्री मीठालाल मीणा : नहीं साहब, बिल्कुल नम्रता से कह रहे हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : दौसा जयपुर के बिल्कुल करीब है और इन्सपेक्टर्स ऑफ स्कूल भी दो हैं, एक इधर का और एक उधर का। जयपुर राजधानी है। आपने जैसा कहा कि असुविधा होगी, मुझे कोई असुविधा नजर नहीं आती है। फिर भी माननीय सदस्य कहते हैं कि असुविधा होती है तो मैं इसकी जानकारी कर लूंगा।

श्री मीठालाल मीणा : असुविधा के बारे में जांच करेंगे या खोलने के बारे में ?

श्री रामनारायण चौधरी : खोलने के बारे में नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया।

बीकानेर जिले की कताई-बुनाई सहकारी समितियां

640. **श्री चुन्नीलाल इन्दलिया** (नोखा) : क्या खादी ग्रामोद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि बीकानेर जिले में ग्राम उदासर, देशनोक एवं किलचू व देसलसर में खादी ऊन कताई-बुनाई सहकारी समितियां सहायक रजिस्ट्रार, बीकानेर एवं सचिव, खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, राजस्थान की उपेक्षा वृत्ति के कारण बन्द हो गई हैं ? अगर हां, तो क्या सरकार इन सहकारी समितियों को पुनः प्रारम्भ करने का इरादा रखती है ? अगर हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

राज्य मंत्री, खादी ग्रामोद्योग (श्री मूलचन्द मीणा) : जी नहीं।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : क्या यह सही है कि ये सहकारी समितियां अभी उत्पादन नहीं कर रही हैं ?

श्री मूलचन्द मीणा : यदि ये उत्पादन करती होतीं, तो शायद माननीय सदस्य का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री भीमसेन : इस सम्बन्ध में आप क्या कर रहे हैं ? आपने उनको आर्थिक सुविधा आदि देने के लिये क्या कार्यवाही की ?

श्री मूलचन्द मीणा : किसी संस्था विशेष के बारे में जानकारी चाहें तो मैं दे सकता हूं।

श्री भीमसेन : क्या यह सही है कि ये सहकारी समितियां घाटे में चल रही थीं ? यदि खादी ग्रामोद्योग बोर्ड उन संस्थाओं के उत्पादन का सेल करवाता और उनको आर्थिक सहयोग देता तो ये

(श्री भीमसेन)
बन्द नहीं होतीं । इसके लिये आपने क्या कार्यवाही की ?

श्री मूलचन्द मीणा : हमारा उद्देश्य यह रहता है कि ज्यादा से ज्यादा उत्पादन के आधार पर उनको अधिक से अधिक काम दें। जो भी समितियां कुछ की बर्नी बोर्ड की देख रेख में चलीं। वे स्वयं काम करती रहीं। उनमें घाटा हुआ, अनियमिततायें हुईं और उसके कारण से वे अपने आप बन्द हो गईं।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट ।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : प्रश्न संख्या 641 ।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : उपाध्यक्ष महोदय,......

श्री उपाध्यक्ष : No, No.

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : मैंने एक भी सप्लीमेण्ट्री नहीं पूछा ।

श्री उपाध्यक्ष : Now I can't, allow you. आप तशरीफ रखिये । Yes, श्री जनार्दनसिंह गहलोतर्।

जयपुर जिले में भवन निर्माण सहकारी समितियों का निर्माण

641. श्री जनार्दनसिंह गहलोत (गांधीनगर, जयपुर): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जयपुर जिले में अनुसूचित जाति एवं जनजाति की कितनी और कहां कहां भवन निर्माण सहकारी समितियों का निर्माण किया गया ?

(2) जिन भवन निर्माण सहकारी समितियों का निर्माण किया गया क्या उन्हें पट्टे दे दिये गये हैं ? यदि हां, तो कौन कौनसी समितियों को व कितना कितना ऋण प्राप्त हो गया और कितने भवन तैयार हो गये ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(3) जिन भवन निर्माण सहकारी समितियों को पट्टे नहीं दिये गये उन्हें अब कब तक पट्टे दे दिये जायेंगे ?

सहकारी मंत्री (श्री रामनारायण चौधरी) : (1) जयपुर जिले में अनुसूचित जाति एवं जनजाति की 204 गृह निर्माण सहकारी समितियों का पंजीयन हुआ है। गृह निर्माण सहकारी समितियों की पंचायत समितिवार सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(2) पट्टे इकजाई तौर पर गृह निर्माण सहकारी समितियों को नहीं दिये जाते हैं अपितु पृथक् पृथक् व्यक्तियों को दिये जाते हैं। अब तक 224 व्यक्तियों को पट्टे दिये गये हैं। 68 गृह निर्माण सहकारी समितियों को 4,588.00 रुपये का ऋण दिया गया है। 684 भवनों का निर्माण हो चुका है तथा 1,540 निर्माणाधीन हैं। सूची सदन के पटल पर रख दी गयी है।

(3) पट्टे गृह निर्माण सहकारी समितियों को जारी नहीं किये जाते हैं अपितु सदस्यों को दिये जाते हैं।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 4 देखिये)

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : माननीय मंत्री महोदय से यह जानकारी करना चाहूंगा कि कितनी सोसाइटीज के लिये अभी अभी जवाब में बताया गया है ?

श्री रामनारायण चौधरी : 68 के लिये।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : 294 क्या बोला है आपने ?

श्री रामनारायण चौधरी : गठित कीं।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : मेरी सूची में तो 204 अंकित है।

श्री रामनारायण चौधरी : 204 ही है। Sorry, शून्य को मैं 9 पढ़ गया।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : जो सूची सदन की मेज पर रखी गयी है क्या उसमें आज भी ऐसी सोसाइटीज हैं अनुसूचित जाति और जनजाति की जिनको अब तक ऋण प्राप्त नहीं हुआ है ? नगर विकास न्यास ने पट्टे भी नहीं दिये है। सहकारी समितियों का काम अधूरा पड़ा हुआ है। मैं आपका इस ओर ध्यान दिलाऊंगा कि आप उनको पट्टे जल्दी दिलवायें।

श्री रामनारायण चौधरी : मान्यवर, प्रश्नकर्त्ता के सुझाव से मैं सहमत हूं कि जयपुर में कच्ची बस्तियां और स्लम क्लीयरेन्स के अन्तर्गत गृह निर्माण समितियों का गठन हुआ है उनको अर्थाभाव के कारण भुगतान नहीं हो रहा है मकान बनाने के लिये और पट्टे जारी न होने के कारण उनको धनराशि उपलब्ध नहीं हुई है। जयपुर एक इम्पोर्टेन्ट सिटी रहा है। राजस्थान सरकार यह विचार कर रही है कि स्लम क्लीयरेन्स प्रोग्राम के अन्तर्गत एल०आई०सी० से निवेदन किया जाय और दूसरों को साथ न मिला कर इनको अलग से फण्ड्स उपलब्ध कराये जायं ताकि इन लोगों को सुविधा मिल सके।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री हाजी जान मोहम्मद खां।

ग्राम पंचायत औसाव के सरपंच के विरुद्ध कार्यवाही

642. **श्री हाजी जान मोहम्मद खां** (पिड़ावा) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत औसाव के सरपंच को धारा 91 नाजायज कब्जे के मामले में तहसीलदार, पिड़ावा ने एक महीने की कैद और जुर्माने की सजा दी है ? अगर हां, तो क्या राज्य सरकार इस आधार पर उक्त सरपंच को हटायेगी ? अगर हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पंचायत मंत्री (श्री रामनारायण चौधरी) : जी हां। तहसीलदार, पिड़ावा के निर्णय के विरुद्ध सरपंच औसाव ने जिलाधीश, झालावाड़ के यहां अपील पेश की जिस पर जिलाधीश, झालावाड़ ने दिनांक 5·3 को सरपंच औसाव द्वारा 5,000 रु० की जमानत व 5,000) रु० के मुचलके दाखिल करने पर सिविल जेल की सजा को अपील के निर्णय तक स्थगित कर दिया है।

चूंकि मामला अपील में न्यायालय के निर्णयाधीन (सब जुडिस) है और सजा भी स्थगित कर दी गयी है ऐसी अवस्था में सरपंच के विरुद्ध अन्य कार्यवाही करने का अभी प्रश्न नहीं उठता।

श्री हाजी जान मोहम्मद खां : उस व्यक्ति ने जमीन पर कब्जा किया, चरागाह की जमीन पर कब्जा किया। कम से कम उसको उस पद से तो हटा दिया जाय और दूसरे का चुनाव किया जाय।

श्री राजेन्द्रसिंह (उनियारा) : चरागाह की जमीन है। सिविल जेल का प्रावधान रखा गया है। क्या सरपंच या पदाधिकारियों के लिये काग्नीजेबल ओफेन्स माना गया है ?

श्री रामनारायण चौधरी : चुनाव तो राजस्थान में सब ग्राम पंचायतों के होंगे उस समय ही उसके भी हो सकेंगे। उससे पहले विचार करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। सरपंच के खिलाफ कार्यवाही करने का प्रश्न है, मामला सब जुडिस है और अदालत की क्या कार्यवाही होगी उस पर ही निर्भर करेगा। यदि अदालत में फिर इसकी पहल रह जाती है तो, मान्यवर, सरपंच जैसा व्यक्ति यदि चरागाह पर कब्जा करे, अदालत से सजा हो जाये तो मैं समझता हूं कि मोस्ट डिसग्रेसफुल उसके पार्ट पर और सरकार इस पर निश्चित रूप से कार्यवाही करेगी।

श्री हाजी जान मोहम्मद खां : क्या आप सरपंच के खिलाफ कार्यवाही करेंगे ?

श्री रामनारायण चौधरी : कलेक्टर से निर्णय होने के बाद ही चार्ज-शीट देने पर विचार किया जा सकेगा।

श्री हाजी जान मोहम्मद खां : साल दो साल लग जायेंगे। आपकी अदालतों में देर लगती है। आपने चुनाव नहीं कराये और सरपंचों को एक तरह से पट्टे दे दिये। ऐसे सरपंच को आपने सस्पेण्ड किया है क्या ?

श्री राजेन्द्रसिंह : क्या माननीय मंत्री महोदय बतायेंगे कि प्र.इमा फेसी प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी उसके खिलाफ हो चुकी है ? अगर साबित हो चुकी है तो क्या उसको सस्पेण्ड कर दिया गया है ?

श्री रामनारायण चौधरी : यह तो मामला अभी अदालत में विचाराधीन है।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री मोहरसिंह।

श्री भुवनेश चतुर्वेदी : उपाध्यक्षजी, मेरा सवाल आ गया।

श्री उपाध्यक्ष : मोहरसिंह।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 26-3-76)

मरू वाले जिलों में पशु चराने की जमीन

394. **श्री मोहरसिंह** (सादूलपुर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान के मरू वाले जिलों में कितनी जमीन वन विभाग को दी गई है ? कृपया जिलेवाइज सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि वन विभाग ने कांटेदार तार लगाकर इस जमीन को पशु चराने से प्रतिबंधित कर दिया ?

(3) क्या इस जमीन में कितने ही ग्रामों में जोहड़ व बड़ी बड़ी वणियां, जिन पर गांवाई जनता का कदीमी अधिकार चला आता था, शामिल नहीं हैं ?

(4) अगर हां, तो क्या उपरोक्त जमीन को तारों से घेर लेने से किसानों को भारी असुविधा नहीं हो गई है ?

(श्री मोहरसिंह)

(5) अगर हां, तो सरकार किसान की इस असुविधा को मिटाने के लिये क्या प्रयत्न करने जा रही है ? अगर नहीं, तो क्यों ?

राजस्व मंत्री, राजस्व (श्री मूलचन्द मीणा): (1) मरू वाले जिलों की जो राजस्व भूमि वन विभाग को दी गई है उसकी सूची संलग्न है ।

(2) उक्त क्षेत्र के कुछ भाग घास एवं वन विकास हेतु वन विभाग द्वारा तार लगाकर चराई से प्रतिबंधित किये गये हैं ।

(3) साधारणतया राजस्व विभाग द्वारा ऐसी भूमि नहीं दी गई जहां पर गांवाई जनता का अधिकार था ।

(4) उपरोक्त जमीन को तारों से घेर लेने अथवा अन्य किसी प्रकार की फैंसिंग से घेर लेने से गांव वालों को कुछ अवधि के लिये असुविधा जरूर हुई होगी लेकिन अब करीब करीब सभी क्षेत्रों में से गांव वालों को मवेशी चराई हेतु उन्नत किस्म की घास मिल रही है तथा इन सभी क्षेत्रों में घास का उत्पादन कई गुना बढ़ गया है ।

(5) इस संबंध में विशेष असुविधा की जानकारी प्राप्त होने पर तकनीकी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए निवारण किया जाता है ।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 5 देखिये)

श्री मोहरसिंह : क्या यह सही नहीं है कि जैसा आपने प्रश्न के भाग 3 के उत्तर में बतलाया राजगढ़ तहसील के साखूं और नीलखी के किसानों के पशुओं को वहां नहीं चरने दिया जा रहा है और कई दिनों से लोगों को बड़ी परेशानी है ?

श्री मूलचन्द मीणा : जैसा मैंने प्रश्न के चौथे भाग में उत्तर दिया है कि फैंसिंग करने से निश्चित रूप से उनको असुविधा होती है लेकिन कुछ रुकावट करने से ही घास अच्छी तरह से पैदा होती है । वह फिर मवेशियों के ही चरने के काम आती है तो मैं समझता हूं कि इसमें कोई नुकसान नहीं है ।

श्री मोहरसिंह : उसके अन्दर जाने ही नहीं देते हैं फिर वह घास किस के काम आयेगी ? वहां के लोगों के काम तो आयेगी नहीं ।

श्री मूलचन्द मीणा : उसमें रोटेशनल ग्रेजिंग का प्रावधान फोरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से किया जाता है । अगर आपके गांव वालों को दिक्कत है तो आप पर्टीकूलर केस दे दीजिए मैं एग्जामिन करवा लूंगा ।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : क्या यह सही है कि फोरेस्ट एक्ट के तहत जो किसानों के राइट्स वहां पर पहले थे उनको आप एक्सटिंग्विश नहीं कर सकते ?

श्री मूलचन्द मीणा : जो सार्वजनिक उपयोग में भूमि आ रही है उसका विशेष रूप से फैंसिंग नहीं किया गया है । फैन्सिंग जो जमीन की की गयी है उसमें ऐसा क्षेत्र, जो मेरी जानकारी में है, नहीं है लेकिन मैं तो उसका दूसरा दृष्टि-

(श्री मूलचन्द मीणा)
कोण सामने रख रहा हूं । अगर मान लें कि वह फैंसिंग कर ली गई है और उसमें जानवरों को रोटेशनल तरीके से चरने की इजाजत दे दी जाती है तो क्या नुकसान है ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : जानवरों को इजाजत नहीं दी जा सकती । घास का ठेका देकर दूसरी जगह भी भेज सकते हैं । इसलिए गांव के लोगों के जो राइट्स थे वह तो समाप्त होते हैं । या तो फिर गांव वालों को कहें कि आपके लिए ही है और गांव वालों के पशुओं के इस्तेमाल करने के लिए ही छोड़ेंगे फिर आप राइट्स एक्सटिंग्शि नहीं कर रहे हैं, राइट्स रेगुलेट कर रहे हैं ।

राजस्व मंत्री (श्री परसराम मदेरणा) : जिलाधीशों की सूचना के अनुसार हमें यह बताया गया कि गांव वालों का कोई अधिकार उस भूमि पर नहीं था । हो सकता है हो और हमने लैटर भी लिखा था कि कोई अधिकार पुराना है तो उसको देखा जाये । इसका उत्तर 3 कलेक्टर्स से ही आया है कि कोई अधिकार नहीं है लेकिन यह जरूर बात है कि गांव के लोगों की मवेशियों की चराई के लिए जमीन हो । अगर इसे एन्क्लोज किया जाय तो उसी गांव के लोगों को दी जाये । आप साखू और नीलखी का ही प्रश्न पूछ लेते । अगर स्पेसिफिक पूछ लेते तो आपको फेक्ट्स लेकर उत्तर दे सकता था । आपने जनरल क्वेश्चन पूछा । कहीं पर अब असुविधा हो गयी है तो यह जरूर है कि हमने जहां फैन्सिग कर दिया है वहां इसलिए किया है कि राजस्थान के मरू इलाके में, जहां वेलोसिटी के हिसाब से विन्ड्स चलती है, पास्चर को डवलप करने के लिए यह एन्क्लोजर्स बनाये गये हैं । वहां अच्छी घास को उगाया जाता है और फिर जमीन को स्टेबलाइज किया जाता है । फिर बाद में उनको चराई के ऊपर छोड़ा जाता है । अब प्रश्न रहता है कि चराई के पैसे लिये जाने चाहिए या नहीं । अगर आप सार्वजनिक रूप में उसको खुला रखें और फैन्सिग नहीं लगायें तो पूरे गांव की मवेशी आ जाती है और फिर चरागाह डवलप नहीं हो सकता । आज जरूरत इस बात की है कि हमें चरागाहों को प्लान्ड वे में डवलप करना पड़ेगा । इसलिए यह काम हाथ में लिया गया है और प्लान की योजना के अनुसार और स्थानों पर डी० पी० ए० पी० के जिलों में इसको हाथ में लिया जायगा । यह बहुत बड़ी स्कीम है ।

श्री रावतराम : उपाध्यक्ष महोदय, यह डेजर्ट एरिया से संबंधित है और आप कहते हैं कि जो आपने चरागाह बनाने के लिए लैण्ड दी है वह या तो चरागाह की है या गवर्नमेन्ट की है । तो वहां किस तरह की घास का आप उत्पादन करना चाहते हैं ? वहां एक दो बरसात होती है तो घास होती है और उसके बाद में होती नहीं है । आप किस तरह से घास पनपायेंगे और कब मवेशी चरायेंगे ? आपने फैन्सिग कर दी है और वहां तारों की कर दी जिससे सैकड़ों की तादाद में मवेशियां उसमें घुसती हैं और वह उससे घायल हो जाती हैं । ग्राम॰

Page No 22

(22)

(श्री रावतराम)

रास्तों को भी रोक दिया गया है। तो कुल मिलाकर आपको फायदा हुआ नहीं है। फायदा एक हो सकता है कि आप एक पर्टीकुलर जगह लें और उसमें पानी की व्यवस्था हो और सिंचाई की व्यवस्था हो। उससे फायदा हो सकता है। बाकी अभी जो सिलसिला आपका चल रहा है उससे तो कोई फायदा नहीं है।

श्री परसराम मदेरणा : इसमें विचारों में अलग अलग राय हो सकती है। पुराने चरागाह क्षेत्र सिंचित एरिया होने के बाद ही डवलप हो सकेंगे यह रेगिस्तान में सम्भव नहीं है। आप कहते हैं कि बिना फेंन्सिग के तो घास उग जाती है और जब फारेस्ट डिपार्टमेन्ट की फेंन्सिग हो जाती है तो घास नहीं उगेगी, उसको सिंचित करना पड़ेगा। जो मुझे राय दी गयी है उसके हिसाब से मैं आपकी राय से सहमत नहीं हूं। आपने देखा होगा कि एन्क्लोजर होगा तो निश्चित रूप से घास का योजनाबद्ध तरीके से उत्पादन होगा। सवाल यह रहा कि ग्राम रास्ते थे और बहुत बड़ा एन्क्लोजर कर दिया और लोगों को असुविधा है तो उसको देख लिया जायेगा। अगर चरागाहों को डवलप नहीं करेंगे, जैसे आप सार्वजनिक भूमि पर एन्क्लोजर नहीं करना चाहते हैं तो वहां ज्यों ही पहले दिन घास उगती है, लोग भेड़-बकरी लाकर खड़ी कर देते हैं। तो फिर घास कहां से उगेगी। गांवों में मवेशी की संख्या बढ़ गयी है और दूसरी जमीन नहीं रही है इसलिए सार्वजनिक चरागाहों को डवलप करना चाहिए जो मवेशियों के कन्जर्वेशन के लिए और घास उपलब्ध कराने के लिए बहुत आवश्यक है।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री मोहनराज।

(व्यवधान : अश्रव्य)

I have closed it. **श्री मोहनराज**।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 26-3-76)

ग्रामीण क्षेत्रों में कमजोर वर्गों के व्यक्तियों को ऋण

597. श्री **मोहनराज** (पाली) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीनों, छोटे काश्तकारों व मजदूर पेशा लोगों को अथवा कार्य व जीवन चलाने हेतु आवश्यक कर्ज न मिलने से बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है?

(2) क्या यह सही है कि यदि निकट भविष्य में समाज के इन कमजोर वर्गों को आसान शर्तों पर कर्ज उपलब्ध कराने की स्थानीय सुविधायें मुहैया न कराई गई तो पुनः ये लोग शोषक ब्याजखोरों के चंगुल में जाने को बाध्य हो जायेंगे?

(3) राज्य सरकार इस हेतु क्या कदम उठा रही है? क्या ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों की संख्या बढ़ाने की कोई योजना विचाराधीन है? क्या बैंकों से ऋण प्राप्त करने के नियमों में व प्रणाली में सरलीकरण पर विचार किया जा रहा है?

(विराम)

श्री रामनारायण चौधरी : आज उनका (कृषि मंत्रीजी) है नहीं है।

श्री मोहनराज : उपाध्यक्ष महोदय, यह तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न था इसीलिए इसको स्थगित करने के बाद आज फिर रखा है। इसका जवाब भी कहीं से नहीं आना है। यह प्रश्न सर्वसाधारण से संबंध रखता है। कोई भी मन्त्री महोदय इसका जवाब दे सकते हैं। आखिर वे चले गए हैं तो किसी को तो काम सौंप कर गये होंगे।

श्री उपाध्यक्ष : स्थगित ।

श्री मोहनराज : उपाध्यक्ष महोदय, इस मामले में आपकी व्यवस्था आवश्यक है। आज यह प्रश्न रखा हुआ है और कोई भी मंत्री जवाब देने को तैयार नहीं है, इससे ज्यादा क्या अव्यवस्था हो सकती है। इस मामले में आप व्यवस्था दें।

श्री मीठालाल मीणा : राज्य मन्त्रीजी यहां पर मौजूद हैं, वे भी कह सकते हैं कि सूचना उपलब्ध नहीं है।

श्री दीपंकर : उपाध्यक्ष महोदय, यह अधिकारों का हनन है। सदस्यों के प्रिविलेज का प्रश्न है।

श्रीमती सुमित्रासिंह : उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न सूची में जो ऊपर टेबुलेशन लगा हुआ है उसमें कृषि मन्त्रीजी का नाम नहीं है इसलिए नहीं आये होंगे।

श्री मोहनराज : प्रश्नों की सूची में तो प्रश्न है उनको आना चाहिए था।

(व्यवधान : अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : आप सुन लीजिए।

श्री दीपंकर : उपाध्यक्ष महोदय, यह सदस्यों के अधिकारों का प्रश्न है आप व्यवस्था दीजिए।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : (श्रीमती सुमित्रा की ओर मुखापेक्ष) : अब आप अगर शान्त रहें तो अच्छा है।

राज्य मन्त्री, कृषि (श्री मुंशीलाल महावर) : माननीय उपाध्यक्षजी, इस प्रश्न का जवाब नहीं आया है सरकार की तरफ से, इसको स्थगित कर दिया जावे।

श्री मोहनराज : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न ऐसा है कि कहीं से जवाब मंगाने की आवश्यकता ही नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : स्थगित प्रश्न काल समाप्त हुआ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट 6 देखिये)

अनुपस्थित सदस्य का तारांकित प्रश्नोत्तर

जोधपुर सेन्ट्रल जेल में बंदी बच्चे

633. **श्री केदारनाथ** (गंगानगर) : क्या कारागृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जोधपुर सेन्ट्रल जेल में इस समय 18 वर्ष से कम उम्र के कितने बच्चे अन्डर ट्रायल और कनविक्ट्स हैं ?

(2) उनके स्वास्थ्य, पढ़ाई व भोजन की क्या व्यवस्था की जाती है और उक्त मद में प्रति व्यक्ति कितनी राशि खर्च होती है ?

(श्री केदारनाथ)

(3) क्या यह सही है कि राज्य में चिल्ड्रन एक्ट लागू होने के बावजूद भी उक्त बंदी बच्चों पर उसे लागू नहीं किया जा रहा है ?

उत्तर

(1) इस समय केन्द्रीय कारागार, जोधपुर में 18 वर्ष से कम आयु के 13 बन्दी हैं जिनमें 11 विचाराधीन हैं तथा 2 को सजा हो चुकी है ।

(2) कारागार के अन्य बन्दियों की भांति इन बाल अपराधियों के स्वास्थ्य की देख-रेख कारागारों के चिकित्सा अधिकारी द्वारा की जाती है और उनकी श्रेणी के अनुसार निर्धारित स्केल का भोजन दिया जाता है । जिन बाल अपराधियों को एक माह से अधिक का दण्ड दिया जाता है उन्हें बाल सुधार गृह, उदयपुर में भेज दिया जाता है, जहां उनकी शिक्षा और औद्योगिक प्रशिक्षण की व्यवस्था है। साधारण श्रेणी के प्रत्येक बाल अपराधी पर सजा होने पर 2.09 पै० और हवालाती स्थिति में 1.81 पै० भोजन पर प्रतिदिन व्यय होता है ।

(3) राजस्थान बाल अधिनियम, 1970 की धारा 2(घ) के अन्तर्गत बालक की परिभाषा में 16 वर्ष से कम की आयु का बालक आता है । जोधपुर कारागार के बाल बन्दियों में कुल ही 16 वर्ष से कम आयु के हैं, किन्तु ये अभी अन्डर ट्रायल हैं । अतएव उन पर बालक अधिनियम लागू होने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

आयोग द्वारा चयनित ग्राम सेवक

354. श्री रामसिंह कुड़ी (जायल) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान पंचायत समिति एवं जिलापरिषद् सेवा आयोग ने अपने विज्ञापन सं० 44 (1973) के अन्तर्गत प्रत्याशियों का चयन कर चयनित ग्राम सेवकों की सूची निदेशक, प्रशिक्षण (पंचायत एवं सामुदायिक विकास) को तारीख 1-8-75 को भेज दी ? यदि हां, तो प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) आयोग द्वारा चयनित ग्राम सेवकों का प्रशिक्षण कब तक शुरू हो जायेगा ?

(3) क्या यह सही है कि प्रत्येक जिले में ग्राम सेवकों के स्थान रिक्त हैं ? यदि हां, तो किस किस जिले में कितने कितने स्थान रिक्त हैं ?

(4) क्या आयोग ने विज्ञापन सं. 44 (1973) राज्य सरकार की मांग पर ही जारी कर चयन किया था ?

(5) ऐसे चयनित ग्राम सेवकों की उम्र किस तारीख से सेवा में लगाने हेतु मान्य होगी एवं चयन के बाद अधिक उम्र हो जाने वालों के सम्बन्ध में सरकार क्या प्रावधान रखेगी ?

उत्तर

(1) जी हां। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(पंचायत मंत्री)

(2) यह मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है ।

(3) जी नहीं । किसी भी पंचायत समिति में ग्राम सेवकों के स्पष्ट पद रिक्त नहीं हैं ।

(4) जी हां ।

(5) चयनित ग्राम सेवक की आयु चयन से पूर्व आयोग से प्रसारित विज्ञापन की शर्त के अनुसार आयु सीमा में होती है तो चयन के बाद वह अधिक आयु का नहीं माना जाता है ।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 7 देखिये)

पंचायत समिति, नोखा की स्थायी समिति

355. **श्री भोमाराम चौधरी** (डीडवाना): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि दिनांक 9-2-70 को पंचायत समिति, नोखा, जिला बीकानेर के अधीन प्रशासन वित्त, कराधान तथा दुर्बल वर्गों व पिछड़े क्षेत्रों के कल्याण (विषयक) स्थाई समिति के सात सदस्यों का चुनाव हुआ था ? यदि हां, तो रिटायरमेंट कब कब कराया गया ?

(2) क्या यह सही है कि राजस्थान पंचायत समिति (स्थाई समिति के सदस्यों का रिटायरमेंट) रू [illegible] 1962 के विशेष प्रावधान अनुसा[illegible] [illegible]मेंट रूल 3 के तहत प्रथम वर्ष [illegible] तथा रूल 7 के तहत द्वितीय [illegible] दो सदस्य रिटायर होते है परन्तु [illegible] के तहत शेष रहे तीनों सदस्य स्वत: सेवा निवृत्त हो जाते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इस प्रशासन वित्त कराधान तथा दुर्बल वर्गों व पिछड़े क्षेत्रों के कल्याण (विषयक) स्थाई समिति, पंचायत समिति, नोखा, जिला बीकानेर को भंग करने तथा नये चुनाव कराने का इरादा रखती है यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां, रिटायरमेंट अभी तक नहीं कराये गये हैं ।

(2) जी हां । राजस्थान पंचायत समिति (स्थाई समितियों के सदस्यों का निवृत्तिकरण) नियम, 1962 के नियम 6, 7 व 8 के अन्तर्गत सदस्यों का रिटायरमेंट करने का प्रावधान है । रिटायरमेंट नियमानुसार करने के लिए पंचायत समिति को आदेश प्रसारित किए जा रहे हैं ।

जयपुर नगर विकास न्यास द्वारा अनधिकृत निर्माण के विरुद्ध कार्यवाही

356. **श्री जनार्दनसिंह गहलोत** (गांधी नगर, जयपुर) क्या नगर विकास न्यास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि डा० पारीक नामक व्यक्ति से वर्ष 1975 में नगर विकास न्यास, जयपुर को इस बात की शिकायत प्राप्त हुई कि 016 होस्पिटल रोड में श्री रिखबचन्द्र बोहरा नामक व्यक्ति द्वारा अनधिकृत रूप से निर्माण करवाया जा रहा है ?

(2) यदि हां, तो उक्त शिकायत न्यास को किस तिथि को प्राप्त हुई

(श्री जनार्दनसिंह गहलोत)
वे न्यास द्वारा उक्त अनधिकृत निर्माण के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त अधिकृत निर्माण के सम्बन्ध में पड़ौस के अन्य व्यक्तियों ने जिलाधीश को कार्यवाही करने हेतु ज्ञापन दिया ? यदि हां, तो जिलाधीश (अध्यक्ष न्यास) ने क्या अपने स्तर पर कोई जांच करवाई ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) जी हां, शिकायत उनके किराए-दार श्री सूरजमल बोहरा के सम्बन्ध में प्रस्तुत हुई थी कि डा० गणपतलाल पारीक को बिना इजाजत के श्री बोहरा ने दो टीनशेड गाय-भैंस बांधने के लिये लगा लिए हैं।

(2) शिकायत दिनांक 6-5-75 को प्राप्त हुई। शिकायत प्राप्त होने से पूर्व ही अवैध तामीरात को हटाने के लिए दिनांक 29-3-74 को राजस्थान नगर विकास अधिनियम, 1959 की धारा 90 व 91 का नोटिस दिया गया था व तामीरात को न हटाने पर अदालत में इस्तगासा प्रस्तुत कर दिया गया।

(3) जी नहीं। न्यास को बिना इजाजत तामीरात करवाये जाने के कारण तामीरात को हटाने के लिए पहले नोटिस दिया गया तथा बाद में अदालत में इस्तगासा प्रस्तुत कर दिया गया है। जो अभी भी न्यायालय के विचाराधीन है।

जयपुर जिले की पंचायत समितियों में आवंटित आवासीय भू-खण्ड

337. श्री सुरेशचन्द्र शर्मा (कोटपूतली): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

जयपुर जिले में किस किस पंचायत समिति में कितने व्यक्तियों को आवासीय भू-खण्ड आवन्टित किये गये ? सूची ग्राम व व्यक्ति के नाम सहित सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जयपुर जिले की पंचायत समितियों में आवंटित आवासीय भू-खण्डों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। ग्रामवाईज व व्यक्तिवाईज सूचना अधिक लम्बी होने से सदन की मेज पर अल्प समय में रखा जाना संभव नहीं है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 8 देखिये)

कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसायटी लि०, ब्यावर के विरुद्ध शिकायतें

353. श्री केशरीमल (ब्यावर): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ब्यावर कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसायटी लि० में श्री केदारमल गुप्ता को डेपूटेशन पर भेजे गए करीब 6 वर्ष हो गए ?

(2) क्या यह भी सही है कि वे समिति का खरीदा हुआ सभी प्रकार का सामान अपने निजी कार्य में लगा रहे हैं इस प्रकार की शिकायत श्री शंकरसिंह एवं श्री रामस्वरूपजी आदि की आपके पास आई है ? यदि हां, तो इस पर अभी तक क्या कार्यवाही की गई ?

(श्री केशरीमल)

(3) क्या यह सही है कि उक्त समिति के हजारों रुपयों का बेजा उपयोग किया गया व कुछ लोगों को खुश करने के लिए बेजा भत्ते दिये गये ? यदि हां, तो ये भत्ते किन किन को कब कब दिये गये ? क्या इन शिकायतों के संबंध में कोई जांच की गई ? यदि हां, तो कब और क्या नतीजे निकले ? क्या ऐसे लोगों के विरुद्ध राज्य सरकार कोई कार्यवाही करने जा रही है ?

उत्तर

(1) श्री केदारलाल गुप्ता को, व्यावर कोआँपरेटिव मार्केटिंग सोसायटी लि० में प्रतिनियुक्ति पर लगाये करीब 6 वर्ष हो गये हैं।

(2) जी नहीं । श्री शंकरसिंह एवं श्री रामस्वरूप की इस संबंध में शिकायत विभाग में प्राप्त हुई थीं जिनके आधार पर सहकारी विभाग ने अपने एक अधिकारी के माध्यम से जांच कराई और श्री गुप्ता को निर्दोष पाया गया ।

(3) यह सही नहीं है कि समिति में हजारों रुपयों का बेजा उपयोग किया गया। समिति के प्रबंधकारिणी समिति के केवल निम्न दो सदस्यों को ता० 29-3-75 को अनियमित रूप से 270.76 रु० यात्रा भत्ता दिये गये हैं:—

1. श्री कालूखां	135.38 रु०
2. श्री हेमराज	135.38 रु०

इस बाबत शिकायत होने पर विभाग द्वारा जांच करवाई गई । जांच दिनांक 4-3-76 को कराई गई और इस जांच से यात्रा भत्ते अनियमित पाये गये। इस बाबत समिति के संचालक मण्डल द्वारा इसकी वसूली के लिये निर्णय ले लिया गया है । इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा कोई कार्यवाही करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि समिति की प्रबन्धकारिणी समिति द्वारा यात्रा भत्ते की वसूली के लिये निर्णय ले लिया गया है ।

ग्राम नगला हरचन्द को नगरपालिका क्षेत्र कामां की सामा में सम्मिलित करने की मांग

359. **श्री मनोहरलाल** (कामां) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सच है कि कामां कस्बे की रेवेन्यू सीमा में बसा हुआ नगला हरचन्द, जिसकी जनसंख्या लगभग 500 है, अभी तक किसी नगरपालिका व पंचायत क्षेत्र में नहीं है ?

(2) यदि हां, तो क्या सरकार ग्राम नगला हरचन्द को इस वर्ष कस्बा कामां में सम्मिलित करके उसे नगरपालिका क्षेत्र कामां की सीमा में लेने की घोषणा करेगी ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) इस बारे में नगरपालिका से रिपोर्ट मंगवाई जा रही है रिपोर्ट प्राप्त होने पर विचार किया जा सकेगा ।

कमजोर वर्ग के लोगों को नगरपालिका क्षेत्रों में आवासीय भू-खण्ड

360. **श्री गिरधारीलाल भार्गव** (हवा महल, जयपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या राज्य सरकार भूमिहीनो तथा समाज के कमजोर वर्ग के लोगों को नगरपालिका क्षेत्रों में आवासीय भू-खण्ड देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(2) क्या पालिका क्षेत्र में दिये जाने वाले आवासीय भू-खण्ड वालों को मकान बनाने के लिये कर्जा या अनुदान दिये जाने का प्रस्ताव है ? यदि हां, तो कितना और कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) राजस्थान सरकार द्वारा समाज के कमजोर वर्ग के लोगों को, जो नगर-पालिका क्षेत्रों में रहते हैं तथा जिनके पास आवासीय व्यवस्था नहीं है, आवासीय भू-खण्ड देने की योजना को दिनांक 19-11-75 से क्रियान्वित किया जा रहा है।

(2) जी नहीं। वित्तीय दृष्टि से ऐसा संभव नहीं है ?

जयपुर नगर विकास न्यास द्वारा राज्य कर्मचारियों को भूमि के पट्टे

361. **श्री गिरधारीलाल भार्गव** (हवामहल, जयपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जयपुर नगर विकास न्यास द्वारा रामन रंगाशास्त्री नगर, सेठी कालोनी, शैतानसिंह कालोनी में आवंटित भू-खण्डों पर पासशुदा नक्शों के अनुसार आवश्यक निर्माण पूरा कर लेने के बावजूद भी अभी तक पट्टे जारी नहीं किये हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या राज्य सरकार ने राज्य कर्मचारियों को भूमि का पट्टा बिना राज्य सरकार की स्वीकृति के देने पर पाबंदी लगादी है ? यदि हां, तो क्यों और किन नियमों के आधार पर ? कृपया नियमों या आदेश की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) जी हां। कुछ योजनाओं के आवंटियों के सम्बन्ध में राज्यादेश की वजह से कार्यवाही रोक दी गई थी।

(2) जी हां। निर्धारित अवधि में भवन निर्माण नहीं करवाने की वजह से जांच हेतु आदेश दिए गए हैं। राज्य सरकार द्वारा स्थगन आदेश निरस्त कर दिए गए हैं।

चौकड़ी पुरानी बस्ती, जयपुर स्थित 'नदी क्षेत्र' में आवंटित भू-खण्डों में सुविधायें

362. **श्री गिरधारीलाल भार्गव** (हवामहल, जयपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या चौकड़ी पुरानी बस्ती में नदी क्षेत्र नाम की कोई बस्ती बसी हुई है ? यदि हां, तो इसमें कितने परिवार निवास करते हैं ?

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

(2) इस बस्ती में जयपुर नगर-परिषद् ने कितने भू-खण्ड आवंटित किए हैं और जनसुविधा नल, बिजली, पार्क तथा सड़क की क्या व्यवस्था की गई है?

(3) क्या यह है कि जो भी जन-सुविधा अभी तक दी गई है वह अपर्याप्त और अधूरी अवस्था में पड़ी है?

(4) जयपुर नगर परिषद् भू-खण्ड आवंटन देने और समस्त जनसुविधाओं को पूरा करने का विचार रखती है? कृपया निश्चित समय बताने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) चौकड़ी पुरानी बस्ती में नदी क्षेत्र नाम की कच्ची बस्ती बसी हुई है। 21 अगस्त, 1971 के सर्वे अनुसार इस बस्ती में 692 परिवार निवास करते हैं।

(2) इस बस्ती में नगरपरिषद् द्वारा 443 भू-खण्ड आवंटित किये गये हैं। इस बस्ती में नल व बिजली की पर्याप्त सुविधायें उपलब्ध हैं। स्थानीय योजनानुसार पार्क तथा सड़क की व्यवस्था वातावरण सुधार योजना के अन्तर्गत नगर विकास न्यास द्वारा करवाई जा रही है।

(3) नल, बिजली के अतिरिक्त सड़कों, नालियों तथा पार्क आदि का भी निर्माण कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है। वातावरण सुधार योजना के अन्तर्गत इसका उत्तरदायित्व नगर विकास न्यास, जयपुर का है।

(4) जी हां। राजकीय स्वीकृति के अनुसार इस बस्ती में निवास कर रहे 443 व्यक्तियों को भू-खण्ड की सूचनायें बाबत जमा कराने रकम दी जा चुकी है। इनमें से 175 लोगों ने रकम जमा करादी है। बाकी लोगों के रकम जमा कराने पर भू-खण्ड का कार्य तथा निर्माण की स्वीकृतियां देने की कार्यवाही की जावेगी। नल, बिजली के अतिरिक्त सड़क आदि की सुविधाओं को पूरा करने के लिये नगर विकास न्यास से निवेदन किया जा रहा है।

जयपुर नगर में अनाधिकृत निर्माण कार्यों के न्यायालयों से स्थगन आदेश

363. श्री रणजीतसिंह (ओसियां): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) जयपुर नगर में 'अनधिकृत निर्माण कार्य हटाओ' अभियान के अन्तर्गत तोड़े गए मकानों में कितने ऐसे निर्माण कार्य थे जिनके सम्बन्ध में विभिन्न न्यायालयों से स्थगन आदेश दिए गए थे तथा तोड़े जाने के सम्बन्ध में सरकार को जानकारी प्राप्त हुई है?

(2) इन मामलों में राज्य सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है?

उत्तर

(1) नगरपरिषद्, जयपुर द्वारा नगर में 'अनधिकृत निर्माण कार्य हटाओ' अभियान के अन्तर्गत ऐसे निर्माण कार्य नहीं हटाये गये थे जिनके कि सम्बन्ध में किसी न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश जारी किया गया हो।

(स्वायत्त शासन मंत्री)

(2) प्रश्न भाग 1 के उत्तर के बाद यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

ग्राम नरवर, तहसील अजमेर की भूमि का मामला

364. **श्री शंकरसिंह रावत** (नसीराबाद) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम नरवर, तहसील अजमेर में खसरा नं० 736, 737, 738, 739, 766, 767, 768, 770, 771, 772, 773 का कुल रकबा 77 बीघा के करीब है ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त भूमि की गिरदावरी श्री सुखा पुत्र श्री रुगनाथ जाट व श्री नारायण व श्री सुखा पुत्र श्री भागीरथ जाट के नाम वर्षों से चली आ रही थी ?

(3) क्या यह भी सही है कि नायब-तहसीलदार, अजमेर तहसील श्री बाघसिंह द्वारा दिनांक 25-11-75 को गिरदावरी काट कर अन्य व्यक्ति के नाम कर दी गई जो गलत है ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) क्या यह भी सही है कि इसकी अपील अब उप-जिलाधिकारी, अजमेर के न्यायालय में चल रही है ?

उत्तर

(1) खसरा नम्बर 736, 737, 738, 739, 766, 767, 768, 770, 771, 772, 773 का कुल रकबा 70 बीघा है।

(2) मुताबिक गिरदावरी सम्वत् 2031 व 2032 में गिरदावरी नारायण व सुखा पिता भागीरथ व सुखा वल्द रूघा जाट के नाम दर्ज है । इससे पूर्व राज्य सरकार के आदेशानुसार गिरदावरी में कृषक का नाम अंकित करना बंद था।

(3) यह सही है कि दिनांक 25-11-75 को नायब-तहसीलदार, श्री बाघसिंह ने एक सैनिक की विधवा की उक्त भूमि होने से राजस्थान टीनेन्सी एक्ट, सन् 1955 की धारा 46 के तहत वाद की सुनवाई कर सैनिक की विधवा के नाम गिरदावरी अंकित करने के आदेश पारित किये थे ।

(4) जी हां ।

तहसील कोलायत के गांवों के काश्तकारों को खातेदारी हक

365. श्री **चुन्नीलाल इन्दलिया** (नोखा): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि बीकानेर जिले की तहसील कोलायत में जैसलमेर जिले के छियालीस आये हुए गांवों के रकबे के खातेदारान को, जिनकी भूमि कब्जे व काश्त में सदियों से है, अभी तक खातेदारी हक नहीं दिए गये हैं ?

(2) क्या यह सही है कि मुख्य मंत्री महोदय ने कोलायत की पंचायत समिति की मीटिंग्स में घोषणा भी की थी कि सरकार इन गांवों के काश्तकारों को खातेदारी हक शीघ्र दे देगी ? यदि हां, तो क्या खातेदारी हक देने के आदेश राज्य सरकार द्वारा जारी कर दिए गये हैं ? अगर हां, तो कब ? नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) भूतपूर्व जैसलमेर रियासत में सेटलमेन्ट रिकार्ड के न बनने से जैसलमेर से तहसील कोलायत में आए इन 46 ग्रामों के काश्तकारों को गैरखातेदार अंकित किया गया है। राजस्थान टीनेन्सी एक्ट की धारा 15-ए के अन्तर्गत राजस्थान नहर क्षेत्र में आये ग्रामों के काश्तकारों को खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते।

(2) यह सही नहीं है।

गौशाला, जोधपुर को गोचर हेतु कृषि भूमि का आवंटन

366. **श्री अमृतलाल गहलोत** (सरदारपुरा, जोधपुर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जिलाधीश, जोधपुर ने सिवांची गेट गौशाला, जोधपुर को गोचर के प्रयोजन हेतु कितनी कृषि भूमि किस गांव में और कब आवंटन की थी जिसे राजस्व (ख) विभाग के उप-सचिव ने अपने पत्र क्रमांक प० 2 (2) राज/ख/70, दिनांक 20-7-70 द्वारा निरस्त कर दिया ?

(2) क्या यह सही है कि सिवांची गेट गौशाला ने उपरोक्त भूमि के चारों ओर पत्थर की दीवार का निर्माण कर लिया है ?

(3) उपरोक्त भूमि के आवंटन को निरस्त करने के पश्चात् राज्य सरकार एवं जिलाधीश, जोधपुर के मध्य कितने पत्रों का आदान प्रदान हुआ ? उनकी प्रतिलिपियों की सूची सदन के पटल पर रखने का कष्ट करें।

(4) क्या यह राज्य सरकार के लिए अत्यन्त कठोर कदम नहीं हैं कि गौशाला जैसी धर्मार्थ संस्था को कृषि अयोग्य गोचर भूमि का आवंटन निरस्त करने के लगभग छः वर्ष पश्चात् भी उपरोक्त मामले को अभी तक निपटाया नहीं गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(5) राज्य सरकार द्वारा उपरोक्त गौशाला को यह भूमि कब तक विधिवत आवंटित कर दी जायेगी ?

उत्तर

(1) इस गौशाला के लिए जिलाधीश, जोधपुर द्वारा ग्राम गेंवा, तहसील जोधपुर में दिनांक 22-1-70 को 118-02 बीघा भूमि आवंटन की गई थी।

(2) जी हां।

(3) पत्रों की प्रतिलिपियां सदन के पटल पर रख दी गई हैं।

(4) जिलाधीश द्वारा किया गया आवंटन नियम सम्पन्न न होने के कारण वन विभाग को इस भूमि के आवंटन के बारे में कुछ आपत्तियां होने के कारण यह मामला अभी तक निपटाया नहीं जा सका है।

(5) यह मामला अभी राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

मैसर्स मान इण्डस्ट्रीज तथा मान स्ट्रक्चुरल लि०, जयपुर से वसूली

367. **श्री केशरीमल** (ब्यावर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या यह सही है कि जिलाधीश, जयपुर (पी० डी० आर०) शाखा में मैसर्स मान इन्डस्ट्रीज कार्पोरेशन लि० तथा मैसर्स मान स्ट्रक्चुरल लि०, जयपुर के खिलाफ वसूली स्थगित कर दी गई है ? यदि हां, तो वसूलियां किस कानून के तहत रोकी गई हैं ?

उत्तर

जी नहीं ।

राज्य में काबिल काश्त खाली भूमि

368. **श्री मोहरसिंह** (सादुलपुर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(क) राज्य में कितनी कितनी भूमि सीलिंग से ऊपर की अब तक प्राप्त की जा चुकी है ? जिलेवाइज सूची सदन की मेज पर रखें ।

(ख) ऐसी कितनी भूमि पर सरकार ने कब्जे ले लिए हैं ?

(ग) क्या यह सही है कि इस प्रकार की फालतू समझी गई जमीन पर कई जगह शिकमी काश्तकारों का वर्षों से वास्तव में कब्जा है ? अगर हां, तो क्या वे खातेदारी के हकूक पाने के मुश्तहक नहीं हैं ? अगर हां, तो उन्हें खातेदारी हकूक कब तक दे दिये जावेंगे ?

(घ) सारे राजस्थान में काबिले काश्त खाली जमीन (सीलिंग भूमि के अलावा) और कितनी पड़ी है ? कृपया जिलेवाइज सूची सदन की मेज पर रखें।

(ड़) राजस्थान बनने के बाद से प्रत्येक जिले में कितनी कितनी भूमि अब तक हर साल एलॉट की गई ? कृपया मय तादाद, एकड़ जिलेवाइज सूची सदन की मेज पर रखें ।

(च) अब तक इतनी भूमि बगैर काश्त पड़े रखने में सरकार का क्या प्रयोजन था ?

(स्थगित किया गया)

कृषि भूमि पर सीलिंग के नोटिसेज

369. **श्री रामानन्द अग्रवाल** (अलवर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान में जिलेवार कृषि भूमि पर सीलिंग लगाने के नये और पुराने कानून के तहत अलग अलग कितने कितने नोटिस जारी किये गये ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) उक्त जारी किये गये नोटिसों के फलस्वरूप अथवा स्वत: ही कितने रिटर्न या सप्लीमेन्ट्री रिटर्न या जिलेवार दाखिल किये गये ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) इन नोटिसों अथवा रिटर्नों के आधार पर कितनी कितनी कृषि भूमि जिलेवार सीलिंग कानून के तहत सरप्लस मिलने की अपेक्षा की गई थी ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(4) इन रिटर्नों के आधार पर तय किये गये केसों में जिलेवार कितने कितने ऐसे केस हैं जिनमें सरप्लस भूमि मिली

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
है ? जिलेवार कितनी कितनी भूमि सरप्लस मिली है ? जिलेवार आंकड़े सदन की मेज पर रखें ।

(5) जिलेवार कितने कितने केस तय हो गये हैं और कितने कितने तय होने बाकी हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(स्थगित किया गया)

भू-सीलिंग कानून के अन्तर्गत आवंटित भूमि

370. **श्री वृद्धिचन्द्र जैन** (बाड़मेर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) भू-सीलिंग कानून के अन्तर्गत राज्य सरकार ने विभिन्न जिलों में अबतक कितनी जमीन प्राप्त की, आवंटित की, और कब्जे दे दिये ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) आवंटित और कब्जे दिये जाने वालों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कितने भूमिहीन किसान हैं उनकी सूची जिलेवार सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(3) आवंटित और कब्जे दिये जाने वालों में भूतपूर्व सैनिक कितने हैं ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

उत्तर

(1) वांछित सूचना अंकित कर जिलेवार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(2) वांछित सूचना अंकित कर जिलेवार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(3) वांछित सूचना अंकित कर जिलेवार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 9 देखिये)

दौसा में अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय स्थापित करने की मांग

371. **श्री मूलचन्द सामरिया** (दौसा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान में जनसंख्या की दृष्टि से जयपुर जिला सब से बड़ा जिला है ?

(2) उक्त जिले की वर्तमान आबादी कितनी है ?

(3) राज्य के दस सबसे कम आबादी वाले जिलों का नाम व जनसंख्या का विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(4) क्या यह सही है कि प्रश्न के भाग (3) व भाग (1) में पूछे गये जिलों की जनसंख्या में बहुत बड़ा अन्तर है ?

(5) क्या प्रभावशाली व अत्यन्त लाभदायक यूनिट के रूप में प्रश्न के भाग (1) में पूछे गये जयपुर जिले को दो भागों में बांटना आवश्यक है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(6) क्या सरकार यह मानती है कि बड़े जिलों की तुलना में छोटे जिलों में सरकारी मशीनरी से जनसम्पर्क शीघ्र व आसान होना सम्भव है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(7) क्या राज्य सरकार जनहित में गरीबों, कृषकों व श्रमिकों की जिला

Page No 34

(३४)

(श्री मूलचन्द सामरिया)
प्रशासन तक आसान पहुंच बनाने के लिए प्रश्न के भाग (1) में पूछे गये जयपुर जिले को बड़ा नहीं मानती ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो क्या सरकार इसके दो जिले (1) जयपुर व (2) दौसा बनाने पर विचार कर सकती है ?

(8) क्या यह सही है कि दौसा में मुकदमात (राजस्व) की संख्या काफी है और अपीलेट कोर्ट मात्र जयपुर में है ?

(9) क्या सरकार इसको दृष्टिगत रखते हुए फिलहाल एक अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट का न्यायालय दौसा में स्थापित करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) जनगणना 1971 के अनुसार जयपुर जिले की आबादी 24,82,385 है ।

(3) जनगणना 1971 के अनुसार राज्य के सबसे कम आबादी वाले दस जिलों की आबादी की सूचना संलग्न है ।

(4) जी हां ।

(5) ऐसा कोई मामला वर्तमान में राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

(6) ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है ।

(7) ऐसा कोई मामला वर्तमान में राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

(8) जी नहीं ।

(9) प्रश्न नहीं उठता ।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 10 देखें)

बारां क्षेत्र में भूमिहीनों एवं मजदूरों को मकानों की भूमि के पट्टे

372. **श्री शिवनारायण** (बारां) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) बारां क्षेत्र में तहसीलों एवं पंचायतों द्वारा कितने भूमिहीनों और खेतीहर मजदूरों को बसाने के लिए मकानों की जमीन के पट्टे दिये गये ?

(2) अब तक कितने मकान पंचायतों में दिये गये प्लाटों में बन गये हैं ? पंचायतवार ब्यौरा देने का कष्ट करें ।

(3) यदि नहीं बने, तो क्या कारण है ?

(स्थगित किया गया)

लगान पर सरचार्ज

373. **श्री शंकरलाल** (पाली) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि खातेदारी में अलग अलग हिस्सेदारों की हिस्सेदारी पृथक् पृथक् होने पर अथवा बंटवारा होने पर यदि लगान पर सरचार्ज देय नहीं होता है तो यह हिस्सेदारी पृथक् पृथक् होने अथवा बंटवारा होने की तारीख से देय नहीं मानी जायेगी ?

(श्री शंकरलाल)

(2) हिस्सेदारी पृथक पृथक् होने अथवा बंटवारा होने के बाद रेवेन्यू रिकार्ड में म्युटेशन अथवा इन्द्राज होने में जो समय लगता है उस समय के बीच का सरचार्ज लिया जाना उचित है अथवा नहीं ? इस सम्बन्ध में कानून और नियमों की एक प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

खातेदारी में अलग अलग हिस्सेदारों की हिस्सेदारी पृथक पृथक होने पर अथवा बंटवारा होने पर यदि लगान पर सरचार्ज देय नहीं होता है तो यह नामान्तरकरण तस्दीक होने के दिनांक से देय नहीं माना जायेगा।

(2) नामान्तरकरण तस्दीक होने के पश्चात् की स्थिति के अनुसार सरचार्ज कायम किया जाता है अतः नामान्तरकरण के पूर्व के समय का देय सरचार्ज लिया जाना उचित है। राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू (सरचार्ज) एक्ट, 1960, राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू (सरचार्ज) रूल्स, 1960 तथा परिपत्र संख्या एफ० (25) राज/अ/64, दिनांक 24-2-68 की एक प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(प्रतियां विस्तृत होने के कारण विधानसभा पुस्तकालय में रखी गई।)

तहसील चौहटन (बाड़मेर) के पटवारी के वेतन एवं यात्रा भत्ता की बकाया का भुगतान

374. **श्री रतीराम यादव (तिजारा)** : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि श्री कुशलचन्द बाड़मेरा (गौतम) जो कि पटवार सर्किल वेतराड तहसील चोहटन जिला बाड़मेर में पटवारी के पद पर सन् 1951 से 1953 तक कार्य करते थे और उन्होंने अपने फरवरी, मार्च व अप्रेल सन् 1952 का 135.75 पैसे का पशुगणना विषयक यात्रा बिल व मंथली अटेन्डेन्स माह जून व जुलाई सन् 1952 का 31 रुपये 50 पैसे का बिल तथा माह अगस्त व सितम्बर सन् 1952 का 30.00 का बिल अगस्त, 1958 का वेतन का बिल समय पर अपने उच्च अधिकारी के पास भुगतान हेतु दे दिया था ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त पटवारी द्वारा बार बार आवेदन करने पर भी जब भुगतान नहीं किया गया तो तत्कालीन राज्यपाल महोदय ने उक्त बिलों की अदायगी की स्वीकृति सन् 1956 में दी जो कि राजस्व सचिव के पत्र संख्या डी/497/आई. डी./56 एफ. 23 (651)/राजस्व/ए/56, दिनांक 20-12-56 द्वारा कमिश्नर, जोधपुर को भेज दी गई ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त पटवारी को दो वर्ष तक जिलाधीश, बाड़मेर और तहसीलदार, सिवाना के बार बार चक्कर लगाने के बाद पुनः राज्यपाल महोदय के पास अपना आवेदन-पत्र भेजने के लिये विवश होना पड़ा जिसके फलस्वरूप तत्कालीन राज्यपाल महोदय ने उक्त बिलों की अदायगी के लिये स्वीकृति प्रदान की जो कि अनुभागाधिकारी राजस्व विभाग (ग) द्वारा अपने पत्र सं.ए. 9 (730)

(श्री रतीराम यादव)

राज. ग खंड-2/65, दिनांक 27-12-65 द्वारा जिलाधीश, बाड़मेर को भेज दिया गया ?

(4) क्या यह सही है कि उक्त पटवारी से सन् 1966 में क्षतिपूर्ति बंधक भरा लिये गये और उन्हें उचित अधिकारी से अधिप्रमाणित भी करा दिया गया तथा जिलाधीश ने उक्त पटवारी को अपने पत्र संख्या 3231, दिनांक 31-7-68 द्वारा सूचित भी किया कि उसके बिल तहसीलदार, बाड़मेर के पास भुगतान हेतु भेज दिये गये हैं ?

(5) क्या यह सही है कि उक्त पटवारी के बिलों की अदायगी अभी तक नहीं की गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। परन्तु अगस्त, 1958 का वेतन बकाया नहीं है।

(2) जी हां।

(3) जी हां।

(4) जी हां।

(5) जी हां। बिल महालेखाकार, जयपुर की स्वीकृति के लिये भेजे हुए हैं।

स्थगित प्रश्न

(दि० 22-3-76 तथा 25-3-76)

ग्राम पंचायत चांदसेन द्वारा नई मण्डी के लिये खरीदी गई भूमि

126. **श्री मोठालाल मीणा** (लालसोट) : क्या पंचायत एवं सामुदायिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि लालसोट पंचायत समिति, जयपुर की ग्राम पंचायत चांदसेन ने नई मंडी के निर्माण हेतु जो भूमि कृषकों से खरीदी थी उसका नामान्तरकरण अभी तक नहीं हुआ है ? क्या कुछ भूमि ऐसी भी है जिसे पंचायत ने खरीद तो ली लेकिन उसकी रजिस्ट्री नहीं हुई है ? कृपया पंचायत द्वारा खरीदी गई कुल भूमि को बेचने वाले के नाम सहित ब्यौरा देने का कष्ट करें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त मंडी हेतु खरीदी गई भूमि में से सरपंच, ग्राम पंचायत चांदसेन ने बिना अन्य लोगों को सूचित किए तथा बिना निलामी कार्यवाही किए अन्य लोगों के एडवान्स लेकर देने का वायदा किया है, जिसके बदले में सरपंच द्वारा रुपयों की रसीद व स्टाम्प लिखकर दिए हैं ? यदि हां, तो किस-किस को ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें ?

(3) क्या पंचायत इस प्रकार एडवान्स लेकर भूमि का सौदा कर सकती है ? यदि हां, तो किस नियम के अन्तर्गत ? यदि नहीं, तो सौदा करने वाले सरपंच के विरुद्ध अभी तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या यह भी सही है कि कुछ लोगों को सरपंच ग्राम पंचायत ने उक्त एडवान्स ली हुई धनराशि वापिस की है ? यदि हां, तो किस किस को तथा कितनी ?

(5) क्या सरकार सारे मामले की शीघ्र जांच करवाएगी ? यदि हां, तो कब

(37)

(श्री मीठालाल मीणा)

है ? यदि जांच प्रारम्भ हो गई तो, अब तक क्या परिणाम निकले हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(6) क्या उक्त एडवान्स बेचान की कुछ रसीदें विभागाधिकारियों को प्राप्त भी हो गई हैं ? यदि हां, तो कितनी ?

(7) क्या यह सही है कि बेचान की रसीद व स्टाम्प जिला अधिकारियों को प्राप्त होने पर भी उक्त सरपंच को आज तक मुअत्तिल नहीं किया ? यदि हां, तो क्यों तथा भविष्य में कब तक कर दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) जी नहीं। ग्राम पंचायत चांदसेन द्वारा कृषि मण्डी हेतु भूमि श्री चुनियां आत्मज श्री बलदेवा, निवासी लालसोट से खसरा नं० 127 से 130 की कुल 5 बीघा 13 बिस्वा भूमि खरीदी है जिसकी रजिस्ट्री हेतु दि० 23-2-74 को सब-रजिस्ट्रार के यहां मामला दर्ज हो चुका है।

(2) जी हां। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) जी नहीं। सरपंच के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिये जांच अधिकारी नियुक्त किया जा चुका है।

(4) जी नहीं। भाग (3) के अनुसार कार्यवाही की जा रही है।

(5) जी हां। जांच अधिकारी नियुक्त किया जा चुका है। जांच परिणाम आने पर ही अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

(6) जी हां। इस संबंध में जिलाधीश द्वारा जांच की जा रही है।

(7) अभी तक जांच पूरी नहीं हुई है। जांच की कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात् ही सरपंच के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 11 देखें)

स्थगित प्रश्न

(दि० 25-3-76)

तहसील अनूपगढ़ में भूमि का आवंटन

194. श्री गुरदयालसिंह सन्धु (करणपुर) : क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सच है कि राजस्थान नहर क्षेत्र में बिना किसी कारण सिक्खों के भूमि आवंटन सम्बन्धी प्रार्थना-पत्र खारिज किये जा रहे हैं ? श्री रणजीतसिंह पुत्र श्री शेरसिंह जिसे चक 11 बी. डी. जी. उपनिवेशन तहसील अनूपगढ़ में अस्थायी भूमि का आवंटन था उसको खारिज कर दिया गया। श्री रणजीतसिंह ने सबूत में 1947 से राजस्थान में आने का रिफ्यूजी कार्ड 71 जी. बी. में 1950 तक की गिरदावरी 1951-52 की माल-गुजारी चक फतहसिंह वाला, 1951-52 का राशन कार्ड, सम्वत् 2008 से 2011 तक की गिरदावरी, 1955 का आबादी भूमि का पट्टा, 1970 उपनिवेशन तहसील नोरंगदेसर द्वारा भूमिहीन प्रमाणित किये जाने का पत्र पेश किया तो भी वह भूमि पाने में असमर्थ रहा। इसी तरह श्री कोरसिंह पुत्र श्री सुन्दरसिंह तथा श्री मिलखीसिंह ने अपने सबूत पेश किये

(श्री गुरदयालसिंह सन्धु)
किन्तु उन्हें सिक्ख होने के नाते भूमि नहीं मिली ? क्या सरकार इस मामले की जांच करायेगी ? यदि हां, और कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

यह सही नहीं है कि राजस्थान नहर क्षेत्र में बिना किसी कारण सिक्खों के भूमि आवंटन सम्बन्धी प्रार्थना-पत्र खारिज किये जा रहे हैं। श्री रणजीतसिंह पुत्र शेरसिंह जाट सिक्ख सरेलिया के आवंटन की पत्रावली सहायक उपनिवेशन आयुक्त, रायसिंहनगर के विचाराधीन है ।

श्री केरसिंह, डा० सुन्दरसिंह एवं मिलखीसिंह के पूर्ण विवरण एवं उपनिवेशन तहसील, जहां के लिये आवेदन-पत्र प्रस्तुत किये, की सूचना प्रश्न में नहीं दिये जाने के कारण जानकारी नहीं दी जा सकती है ।

स्थगित प्रश्न

(दि० 20-3-76)

पंचायत समिति, टौंक को अनुदान की राशि

232. अजीतसिंह (टौंक) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) टौंक पंचायत समिति को सन् 1965 से 1975 तक अनुदान के रूप में कुल कितनी राशि प्राप्त हुई और किस किस स्रोत से ?

(2) समिति द्वारा किस किस को कितना कितना अनुदान दिया गया ?

(3) समिति की कुल कितनी राशि किन किन में और कब कब से बकाया है ? कृपया पांच वर्षों से अधिक समय से बकाया राशि के बारे में निम्न तालिका मय सूचना के सदन की मेज पर रखें:–

क्र० सं०/नाम/राशि दिये जाने की तिथि/उद्देश्य/कितनी राशि का उपयोग हुआ/बकाया

(स्थगित किया गया)

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 29-3-76)

ग्राम पंचायत, चांदसेन (लालसोट) को मंडी निर्माण हेतु दी गई धनराशि

233. श्री मोठालाल मीणा (लालसोट) : क्या पंचायत एवं सामुदायिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) गत विधान सभा सत्र के दिनांक 15 जनवरी, 1976 के तारांकित प्रश्न संख्या 128 ग्राम पंचायत चांदसेन (लालसोट) को मण्डी निर्माण हेतु दी गई धनराशि के सम्बन्ध में क्या यह सही है कि जिस फाइल पर 6,000/– रुपये की स्वीकृति प्रशासन वित्त कर स्थायी समिति ने दी थी उससे पहले भी एक फाइल इस सम्बन्ध में और चली थी जिसे अतिरिक्त जिला विकास अधिकारी, जयपुर द्वारा सम्बन्धित जिला तकनीकी से जांच कराने पर सही नहीं पाने से अस्वीकृत कर दी गई तथा तकनीकी कमी के कारण तत्कालीन विकास अधिकारी, श्री बलवानसिंह ने उस फाइल पर अस्वीकृति प्रदान कर दी और वह फाइल आज भी समिति के कार्यालय में सुरक्षित है? यदि हां, तो दूसरी फाइल चला कर स्वीकृत करना गैर कानूनी नहीं है?

(श्री मीठालाल मीणा)

(2) क्या यह सही है कि उक्त भूमि आज तक आबादी में परिवर्तित नहीं हुई तथा उसका नामान्तरकरण नहीं खुला है ? यदि हां, तो क्या ऐसी स्थिति में समिति किसी को ऋण (लोन) स्वीकृत कर सकती है ?

(3) क्या भूमि का सर्वे करने वाले सिंचाई विभाग के जे. ई. एन. ने उक्त सर्वे करने के लिये पहले या बाद में अपने सम्बन्धित अधिकारियों से स्वीकृति ली थी जो अति आवश्यक थी ? क्या उक्त जे. ई. एन. उच्च अधिकारियों की स्वीकृति के बिना सर्वे करने को अधिकृत था ? यदि नहीं, तो उक्त रिपोर्ट प्रमाणित है अथवा नहीं ?

(4) क्या यह सही है कि उक्त सर्वेयर ने एक ही भू-खण्ड के टुकड़े कर अलग अलग सर्वे किया तथा भूमि को असमतल बता कर मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान पर डालना बतलाया जब कि भूमि पहले से ही समतल है और समतल कार्य उक्त भूमि पर है ही नहीं ? यदि हां, तो उक्त सर्वेयर द्वारा गलत कार्यवाही करने पर उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(5) क्या यह सही है कि पहले वाली सर्वेरिपोर्ट व बाद में श्री मिट्ठनलाल जैन, जे. ई. एन. द्वारा की गई सर्वे रिपोर्ट में भारी अन्तर है ? यदि हां, तो क्या? कृपया दोनों रिपोर्ट की मूल सर्वे रिपोर्ट सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(6) क्या उक्त स्वीकृत 6,000/- रुपये की धनराशि जांच चलने के पश्चात् पंचायत रोकड़ में हेरा फेरी कर जमा की गई ?

(7) क्या यह सही है कि उक्त पंचायत समिति ने एक ही दिन में 3,000/- 3,000 रुपये के दो चेक उक्त पंचायत के सरपंच को दिये ? यदि हां, तो क्या यह नियमानुसार उचित है ? यदि नहीं, तो सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(8) क्या यह सही है कि उक्त 6,000/- रुपये की धनराशि आज भी सरपंच के पास ही है, और किसी बैंक अथवा पोस्ट आफिस में जमा नहीं हुई है ? यदि हां, तो क्यों ?

(9) क्या यह सही है कि उक्त सरपंच द्वारा उक्त धनराशि प्राप्त करने के कुछ दिन पश्चात् ही एक प्रार्थना-पत्र उक्त भूमि पर समतल कार्य करने के लिए 8,000/- रुपये की अन्य मांग की थी जो विकास अधिकारी द्वारा अस्वीकृत कर दी गई ?

(10) क्या यह सही है कि विभाग ने अभी तक रुपयों की वसूली व सम्पूर्ण भ्रष्ट काण्ड की जांच कर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) इस मामले की जांच की जा रही है।

(2) इस मामले की जांच की जा रही है।

(पंचायत एवं सामुदायिक विकास मंत्री)

(3) सूचना एकत्रित की जा रही है।

(4) जे० ई० एन० की रिपोर्ट के अनुसार भूमि असमतल है।

(5) सूचना एकत्रित की जा रही है।

(6) जी नहीं।

(7) जी नहीं। पंचायत समिति ने दिनांक 15-9-75 को 3,000/- नकद एवं 3,000/- का चेक श्री मोहन लाल, ग्राम सेवक को दिया है। इस संदर्भ में जांच जारी है।

(8) जी हां। सरपंच के विरुद्ध जिला-स्तर पर कार्यवाही जारी है।

(9) जी नहीं।

(10) सरपंच के विरुद्ध जिलाधीश, जयपुर द्वारा कार्यवाही की जा रही है तथा राज्य सरकार द्वारा भी इस पूरे मामले की जांच हेतु आदेश दिये जा चुके हैं।

सदन की मेज पर रखे गये पत्रादि

अधिसूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष : सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि। राजस्व मंत्रीजी।

श्री परसराम मदेरणा (राजस्व मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्व (उपनिवेशन) विभाग की निम्नांकित अधिसूचनायें सदन की मेज पर रखता हूं।

(1) अधिसूचना संख्या प० 4(8) राज/उप/76, दिनांक 10 मार्च, 1976।

(2) अधिसूचना संख्या एफ. 4 (8) राज/उप/76, दिनांक 10 मार्च, 1976।

(3) अधिसूचना संख्या एफ. 4 (8) राज/उप/76, दिनांक 10 मार्च, 1976।

(4) अधिसूचना संख्या प० 4 (8) राज/उप/76, दिनांक 10 मार्च, 1976।

(5) अधिसूचना संख्या प० 4 (5) राज/उप/75 दिनांक 21 मार्च, 1976 एवं

(6) अधिसूचना संख्या एफ. 21 (1) राज/उप/75, दिनांक 30 मार्च, 1976।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

कस्बा भुसावर, जिला भरतपुर में डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति का खण्डन

श्री उपाध्यक्ष : ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। श्री नत्थासिंह।

श्री नत्थासिंह (नदबई) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 131 के अन्तर्गत कस्बा भुसावर, जिला भरतपुर में डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति को कुछ उपद्रवी तत्वों द्वारा खंडित कर देने से उत्पन्न स्थिति की ओर मुख्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत (राज्य मंत्री, गृह) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ग्राम भुसावर, जिला भरतपुर के निवासियों ने दिनांक 29-3-76 को पुलिस थाना

(श्री गुलाबसिंह शक्तावत)

भुसावर पर इस प्रकार की रिपोर्ट प्रस्तुत की कि रघुनाथ सेठ के बाग के पास डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति को किसी ने क्षति पहुंचाई है। इस मौके की जांच की गई तो पाया गया कि मूर्ति के केवल नाक पर थोड़ा सा कोलतार लगा था और पास में एक छोटा खड्डा था। इस घटना का केस नम्बर 34/76, धारा 295, 427 (427) 153, ता० हि० के अन्तर्गत दर्ज कर जांच की जा रही है। गांव में इस घटना से कोई उत्तेजना नहीं है और सद्भावपूर्ण वातावरण है।

श्री ओंकारलाल चौहान : माननीय उपाध्यक्ष महोदय,........

(व्यवधान-अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : श्री नत्थासिंह। आप ने काल अटेंशन नहीं रखा है।

श्री ओंकारलाल चौहान : है साहब।

श्री नत्थासिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे पास तारीख 29 को......

श्री उपाध्यक्ष : मेरी भी अर्ज सुन लीजिए। मेरी प्रार्थना है कि शोर्ट में कहिए।

श्री नत्थासिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे पास तारीख 29-3-76 को ब्लाक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, ठाकुर धरमसिंह की एक चिट्ठी आई है। उस चिट्ठी में यह लिखा है कि कस्बा भुसावर में डॉक्टर अम्बेडकर भीमराव की मूर्ति को क्षति पहुंचा दी है और वह खण्डित कर दी गई है। अभी अभी माननीय मंत्री ने जो रिपोर्ट दी है उसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा लेकिन, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूं कि जिन स्वर्गीय डॉक्टर अम्बेडकरजी ने देश का संविधान बनाया, स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू के सहयोग से इस देश के प्रजातन्त्र का संविधान बनाया, उन्हीं डाक्टर अम्बेडकर की मूर्ति को आज भुसावर में खंडित कर दिया गया है। यही नहीं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कुछ दिन पहले ऐसी घटना हुई थी बयाना के अन्दर जहां एक मूर्ति डॉक्टर अम्बेडकर भीमराव की स्थापित थी जिसका उद्घाटन हमारे मंत्री ओंकारलाल चौहान ने किया और जगन्नाथ पहाड़िया भारत सरकार के उप-मंत्री ने सभापतित्व किया था। 14 अप्रेल को उस मूर्ति की स्थापना की थी और 15 को उसको खंडित कर दिया। कोलतार पोत दिया था। तो इस तरह की घटना है, भरतपुर जिले में यह दर्दनाक घटना हो रही है। तो, माननीय उपाध्यक्षजी, मैं तो मंत्रीजी को यह बताऊंगा कि मंत्रीजी ने अपने जवाब में यह बताया है कि नाक पर थोड़ा सा कोलतार पोता है और छोटा सा सुराख हो गया है। नाक पर काफी चोट पहुंची है और यही नहीं डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति पर जो चश्मा लगा हुआ था उस चश्मे को भी तोड़ मरोड़ कर फेंक दिया है। यह जो रिपोर्ट आपके पास आई है यह गलत आई है। उस क्षेत्र में, भरतपुर जिले में, उस इलाके में निर्धनों में, पिछड़े हुए जो लोग हैं या दूसरे जो लोग हैं सब में सनसनी फैल रही है यह बड़े खेद का विषय हो रहा है। मैं तो यही कहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, कि राज्य सरकार इसके लिए अगर व्यवस्था नहीं करेगी, इन उपद्रवियों

(श्री नत्थासिंह)

को पकड़कर, इन ऐसे काम करने वालों को पकड़ कर कठोर से कठोर सजा नहीं दी जायगी तब तक उस इलाके में शांति नहीं होगी। राष्ट्र के, देश के लोकतंत्र का जिसने संविधान बनाया है उन डॉक्टर अम्बेडकर भीमराव की मूर्ति को जिसने क्षति पहुंचायी है उसको जब तक ज्यादा से ज्यादा सजा नहीं दी जायगी तब तक कुछ नहीं हो सकेगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक तो रामदयाल सेठ की बगीची बगल में है, जहां डॉक्टर अम्बेडकर भीमराव की मूर्ति है उससे दस गज की दूरी पर सेठ रामदयाल की बगीची के अन्दर दस गज के फासले पर ही लक्ष्मी-बाई की मूर्ति लगी हुई है और दूसरी दुर्गाबाई की मूर्ति लगी हुई है, उनको क्षति नहीं पहुंचाई। क्षति केवल डॉक्टर अम्बेडकर भीमराव, जिसने देश के प्रजातंत्र का संविधान बनाया, जिसे आज बड़े बड़े राजे-महाराजे, बादशाह, वकील, बैरिस्टर, सेठ साहूकार सभी मानते हैं, उन डाक्टर अम्बेडकर भीमराव की मूर्ति को क्षति पहुंचायी है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया समाप्त कीजिए।

श्री नत्थासिंह : हमारे देश की प्राइम मिनिस्टर, इन्दिरा गांधी आज बीस सूत्री प्रोग्राम बनाकर के देश के अन्दर से अमीरी को काट काट कर जिस

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

तेजी से अमीर गरीब की खाई को पाटना चाहती हैं लेकिन भरतपुर जिले में हिन्दुस्तान के अन्दर ऐसा वाकया होता है। यह वाकया होता है कि एक राष्ट्र का नेता, देश का संविधान बनाने वाला नेता जो है उसकी मूर्ति को खंडित कर दिया जाता है। अगर राज्य सरकार द्वारा इसके लिए व्यवस्था नहीं की तो देश के अन्दर बहुत बुरा वाता-वरण हो जायेगा और जो डॉ० अम्बेडकर के भक्त हैं इस देश के अन्दर उनमें सनसनी फैल जाएगी। तो मैं ज्यादा समय न लेकर यही कहूंगा कि माननीय मंत्रीजी ने जो सदन को बताया है सही बात छिपा करके कुछ ऐसे तथ्यों को बताया है। इसलिए आज यह भरत-पुर जिले की व्यवस्था है। डाक्टर अम्बेडकर भीमराव की मूर्ति को क्षति पहुंची है, पहले नम्बर में बयाना में और दूसरे नम्बर में वैर पंचायत समिति के कस्बा भुसावर में, इसलिए तो इन दोषियों को दंड दिया जावे और....

श्री उपाध्यक्ष : कृपया समाप्त कीजिए।

श्री नत्थासिंह : इनको मीसा में बन्द किया जावे और इनकी जमानत नहीं ली जाय तभी जाकर ठीक होगा। इतना ही कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री ओंकारलाल चौहान !

श्री ओंकारलाल चौहान (डग) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज इस सदन में डॉ० अम्बेडकर की मूर्ति को भुसावर में खंडित किये जाने के सम्बन्ध में मंत्री महोदय ने सदन को जानकारी दी है।

उपाध्यक्ष महोदय, सवाल यह है कि आज के इस युग में एक ऐसे महान व्यक्ति, जिसने देश के लिए कान्स्टीटयूशन बनाया की मूर्ति को खंडित किया गया है

(श्री ओंकारलाल चौहान)

जिसका आधार लोकतन्त्र था। मुझे अफसोस होता है कि 27-28 साल की आजादी के बाद भी हिन्दुस्तान के लोगों का हृदय परिवर्तन नहीं हुआ है। एक व्यक्ति जो जाति से अछूत था, पिछड़ा हुआ था, उसने ऐसा महान काम किया और आगे आने वाले लोगों के लिए एक कानून बनाया उसकी मूर्ति के साथ अगर इस प्रकार की हरकत होती है, उसको तोड़ा जाता है, उसकी दुर्गति की जाती है तो आज हमें यह देखना पड़ेगा कि हम इस देश को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं, कौनसी चीज को अपनाना चाहते हैं। आज इस समय जब कि हम समानता का वातावरण पैदा करना चाहते हैं तो मैं नम्र शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं कि हमको देखना पड़ेगा कि हमारी क्या दिशा हो? सवाल प्रजातन्त्र का है। आज जो यह वर्ण व्यवस्था हमारे हिन्दुस्तान में फैली हुई है और आज जिस प्रकार से हिन्दुस्तान चल रहा है क्या हम उस दिशा से हट गये हैं। क्या हमने यह प्रगति का रास्ता छोड़ दिया है? उन्होंने जो समानता और समता पाठ दिया था क्या हम उस रास्ते से अलग हो गये हैं? एक मूर्ति को तोड़ दिया गया, यह सवाल नहीं है। सवाल यह भावना है, इस बात का है कि वास्तव में जिस चीज को हम प्राप्त करना चाहते हैं, क्या उन चीजों को हम इस तरीके से प्राप्त कर सकेंगे? देश में लोकतन्त्र और समानता कायम कर सकते हैं जिसमें सभी धर्मों के लोग, मजहब के लोग समान रूप से रह सकें?

(12.10 म० प०)

(श्री मीठालाल, सभापति, पीठासीन)

एक मूर्ति को बनाने में एक मूर्तिकार कितना श्रम करता है। मूर्ति बनाते वक्त उसको वह अपने मन में गढ़ता है और वह पत्थर उसके हाथ के नीचे आता है ऊपर जाता है तो वह पत्थर, मूर्ति उसके पैरों के नीचे भी आती है। जब वह मूर्ति तैयार हो जाती है तो उसको पूजकर मन्दिर में स्थापित कर देते हैं। उस मूर्ति के दर्शन लाखों-करोड़ों लोग करते हैं। तो मैं निवेदन यह करना चाहता हूं, यह बात मैं नहीं चाहता कि हम भावना को भड़कावें परन्तु मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमें आज एक ऐसा वातावरण बनाने की जरूरत है, उच्च लोगों के लिए, उच्च ब्राह्मणवाद समाज के लिए जो इस बात के दोषी हैं, जिन्होंने अपने ब्राह्मण धर्म के नाम पर अपने को समाज में उच्च बना लिया है। सभापति जी, मैं निवेदन करना चाहूंगा, पाकिस्तान का क्वेश्चन भी इसी भावना से अराइज हुआ। यह नफरत, घृणा, हिकारत ऐसी चीज है जो देश के टुकड़े टुकड़े कर सकती है, जो राष्ट्र के टुकड़े कर सकती है, समाज के टुकड़े कर सकती है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि स्वर्ण भाई इस प्रश्न को देखें, समझें और अहसास करें। वास्तव में इस प्रकार की घटना दुखद है। यह घटना समाज को आगे नहीं ले जा सकती है। समाज की प्रगति में बाधक है और जो सामाजिक लक्ष्य हम प्राप्त करना चाहते हैं, वह प्राप्त नहीं कर सकेंगे। यह विचारणीय है:—

For every action there is an equal and opposite reaction.

ऐसी चीजों के नतीजे होते हैं। आप देखेंगे, बयाना में 1971 में ऐसी घटना हुई थी और

(श्री ओंकारलाल चौहान)

आज फिर इस प्रकार की घटना की पुनरावृति भुसावर में हुई है ? इस घटना ने हमारे समाज में सनसनी पैदा की है, इसका यह रिएक्शन हुआ है साउथ में जब वहां पर रामचन्द्रजी की सवारी निकलती है तो उसकी दुर्गति की जाती है । तो क्या हम इस प्रकार के एक्शन से नार्थ, साउथ के टुकड़े करना चाहते हैं ? आज क्या हम इस तरह की हवा को फैलने दें जो देश के टुकड़े कर सकती है ? आज देश में असामाजिक तत्व फैल गये हैं जो आगे जाकर डेमोक्रेसी को भी खराब करेंगे। मैं निवेदन करूंगा, जिसने कि देश का संविधान बनाया, जिसको बीसवीं शताब्दी का मनु कहा जाता है, वह सबसे बड़ा व्यक्ति अम्बेडकर है, जिसके बनाये हुए संविधान के आधार पर आज हम इस हाल में बैठे हुए हैं, उसकी मूर्ति की यह दुर्गति होती है तो हमें इसको देखना होगा । सवर्णों के मन में भी ऐसी भावना पैदा नहीं होती है। मान्यवर, मैं यह बात निवेदन करना चाहूंगा कि आज इस की आवश्यकता है कि मिलजुल कर हृदय का परिवर्तन किया जाये, न किसी से नफरत करें, न किसी से घृणा करें, यह एक छोटी सी बात है ? इन मुद्दों पर हमें विचार करना चाहिये । हम कहां जा रहे हैं ? क्या हम उस व्यवस्था से अलग होना चाहते हैं, जो सामाजिक क्रान्ति हम लाना चाहते हैं? देश के अन्दर पोलिटिकल रिवोल्यूशन आया, इन्डीपेन्डेस आयी और आज भी आवश्यकता है कि सोशल रिवोल्यूशन होना चाहिये, सामाजिक क्रान्ति देश में होनी चाहिये और जब तक यह पूर्ण क्रान्ति नहीं होती है, देश सही मायने में स्वतंत्र नहीं होगा। इसके लिए सब से प्रथम आवश्यकता है, हमारा परम कर्तव्य है, राजस्थान निवासियों का, सवर्ण भाइयों का और दूसरे लोगों का कि हम मिल कर देश में एक ऐसी फिजा, वातावरण बनायें जिससे हमारा राजस्थान प्रान्त प्रगति कर सके और हम सब एक साथ मिलकर, बैठ कर देश को, प्रान्त को इमोशनल एन्टीग्रेशन के रास्ते पर ले जावें। इस प्रकार की घटनाएं होती हैं तो यह दुखद है। उनके खिलाफ, कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिये, जांच जारी है, जांच होनी चाहिये । वास्तव में ऐसे दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी सजा, की कार्यवाही होनी चाहिये जिससे लोगों को सबक मिले । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री सभापति : श्री रावतराम ।

श्री रावतराम (छापर) : सभापति महोदय, यह बड़े खेद का विषय है कि माननीय डॉ० अम्बेडकर की मूर्ती पर, उनकी नाक पर कालिख पोत दिया गया। हम लोगों को इससे बड़ा दुख: हुआ है और मैं समझता हूं कि सारे जो इस सदन के माननीय सदस्य हैं, उनको भी अफसोस हुआ है । लेकिन यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है । इस हिन्दुस्तान की धरती पर जो भी बड़े आदमी हुए हैं और जिन्होंने प्राणीमात्र के लिए अपना जीवन अर्पित किया है, उन लोगों के साथ ऐसा व्यवहार हुआ है । इस देश में महात्मा गांधी हुए और इस देश के ही कुछ ऐसे तत्वों ने उनकी छाती पर गोली बरसाई। यहीं पर दयानन्द सरस्वती हुए, जिन्होंने छुआछूत का विरोध किया, जिन्होंने सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया और एक नयी रोशनी इस देश को दी। उनको

(श्री रावतराम)

भी जहर पिलाया गया। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि डॉ० अम्बेडकर जो जाति से हरिजन थे, शिड्यूल्ड कास्ट के थे, इसलिए उनकी मूर्ति पर कालिख पोत दी गयी, ऐसी बात मैं नहीं समझता हूं।

इस देश में कुछ ऐसे तत्व हैं जो यह नहीं चाहते हैं कि इस देश में कुछ अच्छी चीजें हों। उनका हमेशा दिमाग जो है वह खुराफाती दिमाग रहता है कि देश में इस तरह की गड़बड़ हो जिससे कि एक जाति और दूसरी जाति में मतभेद पैदा हों, गड़बड़ी पैदा हो। इस तरह के लोग समाज में काम करते हैं।

माननीय सभापति जी, डॉ० अम्बेडकर के बारे में आप सब लोग जानते हैं, सारा देश जानता है कि वह क्या थे। डॉक्टर अम्बेडकर एक शिड्यूल्ड कास्ट के परिवार में पैदा हुए, पर मैं यह नहीं समझता कि शिड्यूल्ड कास्ट क्या है और दूसरी कास्ट क्या है, जब कि हम यह समझते हैं कि जाति और धर्म ठीक नहीं, किसी तरह का कोई फर्क नहीं किया जा सकता, तो आज हमारे देश में जाति-प्रथा को कोई स्थान नहीं है। हम मन में लेकर चलें कि यह चल नहीं सकता, और इसका नाश होगा और निश्चित तौर से नाश होगा। तो मैं उस भावना को इस चीज में नहीं लाना चाहता कि डॉक्टर अम्बेडकर हरिजन थे इसलिए उनकी मूर्ति के साथ यह हुआ। यहां तो सब के साथ ऐसा हुआ है। जो भी महान् पुरुष हैं एक क्या सैंकड़ों नाम यहां पर गिनाये जा सकते हैं जिन्होंने इन्सानियत का नारा दिया उनके खिलाफ भी ऐसे लोग यहां रहते हैं जो उनके पीछे पड़ जाते हैं और गड़बड़ पैदा करते हैं। माननीय सभापतिजी, आज यह प्रश्न नहीं है। प्रश्न यह है कि हमारे देश में साम्प्रदायिकता को कोई स्थान नहीं है। हमारे देश में धर्म और जाति को कोई स्थान नहीं है। इसमें सब तरह के धर्म पनपे, सब तरह की जातियां यहां पर पनपे, लेकिन एक देश के रूप में। सबसे पहले हिन्दुस्तानी के रूप में हमको यहां पर रहना पड़ेगा।

माननीय सभापतिजी, डॉक्टर अम्बेडकर एक महान व्यक्ति थे जिन्होंने इस देश का कान्स्टीट्यूशन बनाया, एक छोटे परिवार में पैदा होकर जीवन भर वह संघर्ष करते रहे गरीब लोगों के लिए, पिछड़े लोगों के लिए। इसलिए वह आज भी इस देश के गरीब और शोषित और पीड़ित लोगों के और खास तौर से बैकवर्ड क्लासेज के लोगों के लिए एक प्रेरणास्वरूप हैं, और रहेंगे। इसलिए इसके साथ यह प्रश्न जुड़ा है तो निश्चित तौर से उन गरीब लोगों के, निश्चत तौर से पिछड़े हुए लोगों के दिलों में इस बात की एक टीस है, और उन लोगों के दिलों में एक तड़फन रहेगी कि जिनको वे एक मसीहा मानते हैं उनकी मूर्ति, उनके रचे हुए ग्रन्थों को नुकसान पहुंचाते हैं। जहां उनका प्रभाव है उनका विरोध करते हैं तो निश्चित तौर से यह भावना स्वभाविक है। तो मैं समझता हूं कि जो कुछ किया गया है गलत किया गया है। हमारे देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है। इस तरह के अनशोसल एलिमेंट्स इस देश में काम करते हैं, एक जगह नहीं अनेकों जगह, किसी एक धर्म में नहीं। आज जैन धर्म को लेकर सनातन धर्म वालों को भड़काया

(श्री रातवराम)

जाता है, आज मुस्लिम धर्म के लिए कुछ चीज कही जाती हैं। आज जब इस तरह चीजें की जाती हैं तो गवर्नमेंट के लिए इस प्रकार से सोचने का प्रश्न है कि आगे इस तरह की चीजों को पनपने नहीं दिया जाय। यह एक मूर्ति का प्रश्न नहीं है। मूर्ति तो ठीक करवाई जा सकती है। माननीय सभापति महोदय, गये साल भी ऐसा प्रश्न आया था वह बयाने का था। वहां पर भी डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति को नुकसान पहुंचाया गया था और कालिख पोती गई थी। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने उसका पुनर्निर्माण करने के लिए कुछ धनराशि की घोषणा की थी। आप नई मूर्ति खड़ी कर सकते हैं। पर प्रश्न यह नहीं है। प्रश्न यह है कि इस तरह की प्रवृत्तियां हैं और आज हमारे बीच में ऐसे आदमी हैं जो आये दिन इस तरह की चीज करते रहते हैं उन लोगों के साथ में सख्ती से पेश नहीं आ सकते तो यह प्रवृत्ति जैसा कि मेरे से पहिले जो माननीय सदस्य बोल रहे थे उन्होंने बताया था और जिक्र किया था कि क्योंकि उत्तर में रामलीला होती है तो साउथ में रावण-लीला जैसी चीजें। प्रतिशोध इस तरह की भूमिका में पैदा होती हैं, इस रूप में प्रकट होता है। तो आगे इस तरह की प्रतिशोध की भावना जो कि नहीं होनी चाहिए वह न हो और गलत रास्ता अख्तियार न करे और किसी भी मूर्ति पर कालिख न पोती जाय। आज डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति पर कालिख पोता गया कुछ लोगों के जरिये, तो कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो कि दूसरी मूर्तियों पर कालिख पोत देंगे। तो इसकी सख्ती से जांच की जानी चाहिए। मैं, माननीय सभापतिजी, आपके द्वारा राज्य सरकार से एक ही निवेदन करना चाहता हूं और वह निवेदन यह है कि चाहे चोर न पकड़ा जाय, चाहे डकैत न पकड़ा जाय, लेकिन यह बहुत ही सामाजिक, धार्मिक और राष्ट्रीय प्रश्न है कि हमारे राज्य के महान् नेता, हमारे राष्ट्रीय पुरुष, चाहे वे किसी जाति के हों, चाहे किसी धर्म के हों, मैं यहां पर डॉक्टर अम्बेडकर की ही वकालत नहीं करता, उनकी मूर्तियों के साथ जो लोग गड़बड़ करते हैं उनको सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए ताकि भविष्य में इस तरह की प्रवृत्ति न हो।

श्री सभापति : श्री रामलाल बाड़ी।

श्री रामलाल (बाड़ी) : सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि यह हमारे पूरे राष्ट्र के हैं हमारे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हैं, गांधीजी हैं, नेहरूजी हैं तो इनकी मूर्तियां पधराई जाती हैं तो किसलिए पधराई जाती है कि उनकी हमें जानकारी हो और हम उनकी सेवा-पूजा कर सकें। उन्होंने हमारे देश को आगे बढ़ाया है। इसलिए इनकी मूर्ति पधराई जाती है कि उनकी यादगार रहे। कई घटनाएं हमारे देश में घटती हैं। कोई मूर्ति पधराये तो उसको खंडित कर देते हैं चाहे वह बाबा साहब की पधराई जाय, चाहे गांधीजी की पधराई जाय, और चाहे नेहरूजी की पधराई जाय। हमारे भुसावर में जो घटना घटी है उसके पहले बयाना में घटना घटी है। हमारे बाड़ी में गांधीजी की मूर्ति पधराई थी तो उसको भी तोड़ दिया था। और भी ऐसी कई जगह

Page No 47

(47)

(श्री रामलाल)

घटनाएं घटी हैं। ऐसी मूर्तियों को खंडित करना हमारे राष्ट्र और धन का नुकसान करना है। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ज्यादा सख्त कदम उठायें ताकि हमारे देश में ऐसे महान् आदमियों की मूर्तियों को कोई न तोड़े।

श्री सभापति : श्री चेतराम।

(अनुपस्थित)

श्री नन्दलाल बैरवा।

(अनुपस्थित)

श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा

(अनुपस्थित)

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल।

(अनुपस्थित)

माननीय मंत्रीजी।

श्री रामानन्द अग्रवाल : सभापति महोदय, मुझे....

श्री मूलचन्द सामरिया : माननीय सभापतिजी ...

श्री सभापति : माननीय श्री रामानन्द अग्रवाल।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : सभापति महोदय, जिस विषय पर ध्यान आकर्षण के प्रस्ताव के द्वारा राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है, मैं मानता हूं कि वास्तव में वह विषय बहुत ही गम्भीर है, विशेष तौर से उस समय जब कि हमारे देश की एकता को तोड़ने के लिए, हमारे देश की सार्वभौमिकता को खतरे में डालने के लिये विदेशी शक्तियों की ओर से और देश के अन्दरूनी दक्षिण पंथियों की ओर से लगातार प्रयास किये जा रहे हैं। सभापति महोदय, हम ही नहीं बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियां भी डॉक्टर अम्बेडकर की मानवता और उनकी योग्यता से इन्कार नहीं कर सकतीं। हमारे इस नवनिर्मित राष्ट्र को जो उनकी देन है उसके लिए जो अनुसूचित जातियां हैं वे ही उनका गुणगान करें, कि यह उनकी देन है, सारे राष्ट्र की सभी जातियों, चाहे वह सवर्ण हों, चाहे दूसरे हों, के लिए वह महान् है और उनकी देन देश में चिरस्मरणीय रहेगी।

सभापति महोदय, जो घटना यहां पर भुसावर में हुई है, यह सही है कि जिस तरह से माननीय ओंकारलालजी चौहान ने कहा कि प्रश्न केवल यह नहीं है कि कोई छोटा है या बड़ा है प्रश्न भावनाओं का है। महात्मा गांधी और पंडित जवाहर लाल नेहरू हम सभी लोगों के, हमारे देश के नेता रहे हैं, जिनको सभी लोग, चाहे उनके विचारों से किसी मात्रा में सहमत न हों, मानते हैं, और उनकी महानता और उनके नेतृत्व से इन्कार नहीं किया जा सकता। उसी श्रेणी में, डॉक्टर अम्बेडकर, राष्ट्रीय नेताओं की श्रेणी में आते हैं। इसलिए मैं यह कहना चाहूंगा कि राज्य सरकार द्वारा इस प्रकार के लोगों को, जो इस प्रकार की अनुचित हरकतें करते हैं, राष्ट्रविरोधी हरकतें करते हैं, के खिलाफ सख्ती से कार्यवाहीकी जानी चाहिये। मैं समझता हूं कि राष्ट्रीय इन्टीग्रेशन कौंसिल में यह निर्णय

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
लिया गया है कि यदि किसी जगह साम्प्रदायिक झगड़ा होता है तो वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारी निजी तौर से जिम्मेदार समझे जायेंगे । मैं समझता हूं कि यह चीज यहां भी लागू होती है । यह चिनगारी अपने आप में काफी बड़ी हो सकती है । आज हम पिछड़े तबके को आर्थिक रूप में मदद देकर समानता के स्तर पर लाने की कोशिश कर रहे हैं । यह इस प्रकार की घटना उसके विरोध में है जो निश्चित रूप से उन तत्वों के द्वारा की जा रही है जो कि 20 सूत्रीय कार्यक्रम में विश्वास नहीं रखते हैं । वे इस प्रकार की कोशिश कर रहे हैं । मैं अपनी पार्टी की ओर से इस प्रकार की कार्यवाहियों के प्रति रोष प्रकट करता हूं और सरकार से यह चाहूंगा कि वह प्रभावी कदम उठाये । जिन लोगों ने ऐसा किया है, उनको पकड़ कर उनके खिलाफ कार्यवाही करें ।

अनेक माननीय सदस्य : माननीय सभापति जी, माननीय सभापति जी......

श्री सभापति : यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है ।

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) : माननीय सभापतिजी, मैं भी अपनी भावनाएं इस विषय पर प्रकट करना चाहता हूं । जब कि इसे पूर्व और पश्चिम से जोड़ा गया है ।

श्री सभापति : माननीय सदस्य ।

(व्यवस्था-सूचक घण्टी)

श्रीमती उषा प्रकाश माननीय सभापति जी, ...

श्री मूलचन्द सामरिया : माननीय सभापति महोदय, मैं कुछ शब्द बोलना चाहता हूं......

(व्यवधान अश्रव्य)

श्री रामानन्द अग्रवाल : समय देना चाहिए ।

एक माननीय सदस्य : अब तक तो बात भी खत्म हो जाती ।

श्री सभापति : संक्षेप में कहें ।

श्री मूलचन्द सामरिया : माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा।

श्री दीपंकर : सभापति महोदय, यह तो प्रकिया के विपरीत बात है । जिन माननीय सदस्य ने ध्यान आकर्षण प्रस्ताव दिया है, उनको बोलना चाहिए । उस पर मिनिस्टर का रिप्लाई होना चाहिए । यह क्या नयी व्यवस्था कायम कर रहे हैं । प्रक्रिया और कार्य संचालन ...

(व्यवस्था-सूचक घंटी)

उन्होंने सारी बात मान ली है...

(व्यवधान-अश्रव्य)

श्री मूलचन्द सामरिया : नहीं, नहीं । मैं इस पर अवश्य बोलूंगा ।

(व्यवस्था-सूचक घन्टी)

श्रीराम गोटेवाला : जब सभापति महोदय समय दे रहे हैं तो इसमें प्रक्रिया की कौन सी बात है ?

श्री दीपंकर : मैं यह जानना चाहता हूं कि यह कौन सी प्रक्रिया है ?

श्री सभापति: परम्परा के अन्तर्गत ही अनुमति दी गई है।

श्री दीपंकर : आप उसका हवाला दीजिए।

श्री सभापति : श्री मूलचन्द सामरिया।

श्री दीपंकर : यह कोई व्यवस्था नहीं है। प्रक्रिया तथा कार्य संचालन की कौन सी व्यवस्था है ?

श्री सभापति : मैं व्यवस्था दे रहा हूं किन्हीं परिस्थितियों में ऐसी परम्परा रही है।

श्री ओंकारलाल चौहान : अब तक तो समाप्त भी हो जाता।

श्री मूलचन्द सामरिया : माननीय सभापतिजी, माननीय स्वर्गीय डॉ० अम्बेडकर अपने समय के एक माने हुए विद्वान और महान् पुरुष थे। उत्पीड़ित और पिछड़े वर्ग के एकमात्र नेता थे। उनका जन्म एक शूद्र घर में हुआ था किन्तु उनका स्वाभिमान जिन परिस्थितियों में रहा. . . .

श्री सभापति : भूमिका नहीं बनायें। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर बोलें।

श्री मूलचन्द सामरिया : उत्पीड़ित और कमजोर वर्ग के लोगों के लिए वह एक महान् पुरुष थे। जिस प्रकार से अवतार होते हैं वह एक तरह से अवतार ही माने जाते हैं। माननीय सभापतिजी, किसी की मूर्ति को खण्डित किया जाता है तो जो उनमें विश्वास रखते हैं, उनको दुःख होता है, होना चाहिये। माननीय मन्त्री महोदय ने जो स्टेटमेन्ट दिया है कि वहां पर पूर्ण रूप से शान्ति है तो उसके पीछे एक ही बात हो सकती है कि वहां के उन लोगों की ओर से यह विश्वास हो सकता है कि सरकार की ओर से उन लोगों को पकड़ कर कठोर दण्ड दिया जायेगा। यह घटना उन साम्प्रदायिक तत्वों की हो सकती है जो छूआछूत में विश्वास रखते हैं, जो डॉ० अम्बेडकर की भावनाओं में विश्वास नहीं रखते हैं। यह वामपन्थी वाली बात मुझे नहीं जंचती है। जो कोई भी ऐसी हरकत करता है तो मैं समझता हूं कि गवर्नमेन्ट ऐसे तत्वों के साथ सख्ती बरत सकती है। पहले भी ऐसी घटना हुई है। उन लोगों के साथ में कोई सख्ती की गई है, या उन्हें सजा दी गई है, ऐसा स्टेटमेन्ट से कोई पता नहीं चला है। किन किन के खिलाफ कदम उठाया गया है ? कौन कौन आदमी हैं ? उनको क्या सजा दी गई ? जिला प्रशासन ने क्या कार्यवाही की है—इन सब बातों को विस्तार से बताया जाना चाहिए था।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

माननीय सभापति महोदय, यह एक मूर्ति का मामला नहीं है। मूर्ति तो प्रतीक स्वरूप है। जिन्होंने उनको अपमानित किया है, जो कमजोर और पिछड़े वर्ग के हैं, उनमें उनका अपमान प्रतिबिम्बित है। इसमें उनमें रिएक्शन है। उन पद-दलितों के अधिकारों और उनके नेताओं की मूर्तियों को अपमानित किया जाता है। मैं समझता हूं कि करोड़ों आदिवासी और

(श्री मूलचन्द मामरिया)

भूखे नंगों का अपमान किया गया है। यह बात मामूली तरीके से एक मूर्ति को तोड़ने की नहीं है। सरकार इस पर सख्ती से कदम उठाये। अन्यथा तो यह वैसा ही होगा जैसा राम का पुतला लोग जलाते हैं और रावण का जलाते हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : सभापति महोदय, भरतपुर से आनेवाले माननीय सदस्य...

श्री मोहरसिंह (सादुलपुर) : सभापति महोदय, जो प्रस्ताव रखा गया है, वह बहुत महत्व रखता है। भारतवर्ष बहुत से राज्य बहुत सी राजनैतिक पार्टियों का एक सम्मिलित संघ है। कोई किसी मूर्ति का पूजक है। कोई मूर्ति का अपूजक है। कोई मानने वाला है और कोई नहीं भी मानने वाला है। किसी की भी तस्वीर है या मूर्ति है, वह उसके किये गये कार्यों का स्मरण दिलाती है। इसलिए अगर किसी महापुरुष की मूर्ति को कोई खण्डित करता है तो उसके खिलाफ सख्ती से कार्यवाही होनी ही चाहिए।

सभापति महोदय, जहां तक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का प्रश्न है, उन्होंने एक बहुत ही गरीब तबके में पैदा होकर देश के लिये कई अच्छे काम किये, उन्होंने कितने ही जबरदस्त काम किये, वे संविधान समिति के सदस्य की हैसियत के रूप में भी काम करते रहे और उन्होंने एक अच्छी मिसाल देश के सामने कायम की। उन्होंने लोगों को लोकतन्त्र को आगे बढ़ाने के लिये प्रेरणा दी। माननीय सभापति महोदय, यह सही बात है कि जो भी क्रांति देने वाले पुरुष किसी भी युग में हुए, जो भी महापुरुष पैदा हुए उन्होंने हमेशा पिछड़े हुए लोगों को ऊंचा उठाने के लिये देश में महान् काम किया, चाहे वह धार्मिक क्षेत्र में हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में हो, उनके सामने कई प्रकार की दिक्कतें भी आईं। उनको जिन्दगी के टाइम में कई प्रकार के दुःख दिये गये, जहर के प्याले पिलाये गये, कांच पीस कर दिया गया, गोलियां उनके सीने पर चलाई गईं, गन्दी जगहों में उनको रखा गया और कई प्रकार से उनको दुःख पहुंचाया गया फिर भी वे महापुरुष अपने विचारों से नहीं हटे और उनके नाम अमर हो गये, जब यह भावनाएं आती हैं, इस प्रकार की चीजें आती हैं तो हमारा सिर झुक जाता है। पुराने आदमी थे। पुराने आदमी नवीनता नहीं जानते। इस तरह की घटनाएं तो होती आई हैं। लेकिन जहां तक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का सवाल है, इस प्रकार की एक कौम में पैदा होकर देश के लिये उन्होंने बड़े-बड़े काम किये। हम भी नारा लगाते हैं कि गरीबों का उत्थान करना है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उनकी मूर्ति पर इस प्रकार का प्रहार करने से लोगों में रोष का होना स्वाभाविक है। ऐसी सूरत में जिन्होंने भी इस प्रकार की कार्यवाही की है, उनका विवरण हमारे सामने आना चाहिए। अगर उनको पहले से रोक दिया जाता और सरकार सजग होती तो उनको इसमें कामयाबी नहीं मिल सकती थी। इसलिए मेरा निवेदन है कि वे कौन लोग थे, इसके लिये सरकार और मिनिस्टर साहब भी दोष के भागी हैं। आयन्दा यह नहीं होने पावे और इसकी जांच कराकर जो लोग इसमें एन्टेन्गल्ड हैं, जिन्होंने इस प्रकार के प्रयत्न किये हैं।

(श्री मोहरसिंह)
उनको सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए । मैं मेरी पार्टी की तरफ से यह प्रार्थना करता हूं कि इसकी एन्कवायरी कराकर दोषी व्यक्तियों को सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए ।

श्री सभापति : माननीय मन्त्रीजी ।

श्री श्रीराम गोटेवाला : माननीय सभापतिजी, हमको भी दो मिनिट का टाइम देने की कृपा करें ।

श्री सभापति : आपकी पार्टी का समय समाप्त हो चुका है । माननीय मन्त्रीजी ।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत (राज्य मंत्री, गृह): माननीय सभापतिजी, माननीय सदस्यों ने डॉ. अम्बेडकर के सम्बन्ध में जो विचार व्यक्त किये, इसमें किसी भी प्रकार से दो राय नहीं हो सकती कि वे देश के एक महान् व्यक्ति थे । उन्होंने हमारे देश में कई महान् कार्य किये चाहे किसी भी क्षेत्र में हो । इस सम्बन्ध में अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने, राजगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने, अकलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने, जो भी भावनाएं व्यक्त कीं, मैं उनकी कद्र करता हूं और उनकी भावनाओं का स्वागत करता हूं ।

श्री ओंकारलाल चौहान : अकलेरा से नहीं डग से आने वाले माननीय सदस्य ने ।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : Sorry, डग से आने वाले माननीय सदस्य ने । प्रश्न यह है कि भुसावर में डाक्टर अम्बेडकर की मूर्ति को खंडित कर देने की जो घटना घटित हुई, यह किन व्यक्तियों के द्वारा की गई, और कैसे वातावरण में हुई ? मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि भुसावर में न तो कोई घृणा का वातावरण है, न असमानता का या ऊंच-नीच का वातावरण है और न ऐसा वातावरण वहां पैदा हुआ था । इसलिए यह निश्चित तौर से नहीं कहा जा सकता है कि मूर्ति को तोड़ने के सम्बन्ध में किसी ऊंचे वर्ग का हाथ है या उच्च वर्ग में और नीचे वर्ग में कोई बात हुई थी । वहां पर कोई घृणा का वातावरण नहीं हुआ बल्कि जैसा कि आप और हम सभी माननीय सदस्य जानते हैं कि समाज में कुछ उपद्रवकारी तत्व हुआ करते हैं, वे उच्च वर्ग में भी हो सकते हैं और छोटे वर्ग में भी हो सकते हैं । लेकिन इस प्रकार की घटना कोई भी समझदार व्यक्ति नहीं कर सकता चाहे वह उच्च वर्ग में हो या छोटे वर्ग में हो । इसलिए उसके साथ यह जोड़ना जैसा कि डग से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि उसको इस तरह का रूप देना चाहिये जिससे कि घृणा और रंजिश का या तनाव का वातावरण पैदा हो जाय । मैं उसको वाजिब नहीं मानता हूं ।

श्री ओंकारलाल चौहान : सभापति महोदय, मैंने यह नहीं कहा था कि वातावरण पैदा हो गया, मैंने कहा था कि ऐसा वातावरण बन सकता है ।

श्री मूलचन्द सामरिया : सभापति महोदय, इस तरह से बीच में बोलने का कौनसा कायदा है ?

Page No 52

(52)

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : मैंने ध्यानपूर्वक आपको सुना था और इसलिए मैं स्थिति स्पष्ट कर रहा हूं न तो वहां पर सवर्ण और दूसरी जातियों में कोई तनाव का वातावरण था और न कोई घृणा का वातावरण था जिसकी वजह से यह घटना घटित हुई।

श्रीमती उषा प्रकाश : सबसे मूल बात तो मूर्ति के बारे में है।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : न तो वहां पर घृणा का वातावरण पहले था और न अभी है। मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि कोई भी हो जिसने भी यह दूषित कार्य किया है ठीक नहीं है। इस मूर्ति का नाक का आधा इंच के करीब हिस्सा खंडित किया गया है, इस तथ्य को मैंने स्वीकार किया है। माननीय सदस्य नत्थासिंहजी ने यह बात कही है कि चश्मे को भी तोड़ फोड़ दिया गया है, यह मेरे ध्यान में नहीं है। मैं इस बात को भी ध्यान में रखूंगा और जो घटना हुई है उसकी जांच करवाऊंगा माननीय सदस्य नत्थासिंहजी ने एक बात और कही कि ऐसी घटना कुछ समय पूर्व बयाना में हुई थी ?

श्री ओंकारलाल चौहान : किसने की ?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि जो भी तत्व इसमें सम्मिलित थे, उन सबको पुलिस द्वारा गिरफ्तार करके उनके चालान पेश कर दिये गये हैं और उनके मामले अदालत में विचाराधीन हैं। 29 तारीख की यह घटना है, राज्य सरकार ने भी इस घटना को बहुत गम्भीरता से लिया है और राज्य सरकार यह चाहती है कि चाहे वह डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति हो, चाहे महात्मा गांधी की मूर्ति हो, चाहे कोई तस्वीर हो किसी को भी तोड़ने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। हम इसको बहुत महत्वपूर्ण घटना मानते हैं। मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि कोई भी व्यक्ति हो चाहे वह पागल हो या किसी असामाजिक तत्व का काम हो राज्य सरकार उनका पता लगायेगी और इस बात के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहेगी कि इस तरह की घटनाओं की किसी तरह से भी पुनरावृत्ति नहीं हो। किसी भी व्यक्ति को चाहे वह बड़े से बड़ा भी क्यों न हो, उसको बख्शा नहीं जायगा।

श्री नत्थासिंह : मैंने आपको 29 तारीख को सूचना दी थी।

अलवर जिले में हरिजन एवं अन्य भूमिहीनों को आवंटित कस्टोडियन की कृषि भूमि की ऊंची कीमत

श्री सभापति : श्री रतीराम यादव।

श्री रतीराम यादव (तिजारा) : माननीय सभापति महोदय, मैं प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 131 के अन्तर्गत अलवर जिले में हरिजन एवं अन्य भूमिहीनों को आवंटित कस्टोडियन की कृषि भूमि की सरकार द्वारा ऊंची कीमत वसूल करने से उत्पन्न स्थिति की ओर पुनर्वास मंत्री का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री परसराम मदेरणा (पुनर्वास मंत्री) : जिलाधीश, अलवर ने दिनांक 6-7 सितम्बर, 1972 की क्षेत्रीय बैठक में यह सूचित किया

(श्री परसराम मदेरणा)

कि उनके जिले में लगभग 35,070 बीघा भूमि पर अतिक्रमण किया हुआ है क्योंकि कस्टोडियन बंजड़ भूमि का स्थायी रूप से कोई प्रबंध नहीं किया गया है और यह सुझाव दिया कि यह भूमि अतिक्रमणियों को 1,000) रु० प्रति बीघा पर बेच दी जावे जिससे इसका स्थाई समाधान हो सके। किन्तु इस भूमि का स्वामित्व केन्द्रीय सरकार व राज्य सरकार के बीच विवाद का विषय था, अतः इस भूमि का स्थाई समाधान नहीं किया जा सका।

राज्य सरकार ने इस समस्या को ध्यान में रखते हुए भूमि को वार्षिक पट्टे पर उठाने के आदेश प्रदान किए। फिर भी, भूमि पर अधिक दबाव होने के कारण कस्टोडियन बंजड़ भूमि पर, अतिक्रमण इतनी ज्यादा संख्या में होते रहते थे कि उन्हें प्रति वर्ष हटाना व वार्षिक पट्टे पर उठाना राज्य सरकार के लिए एक समस्या बनने लगी। अतिक्रमण के फलस्वरूप, अनावश्यक वाद-विवाद में मुकद्दमे बाजी बढ़ती थी तथा गांव के प्रभावशाली व्यक्ति इसका नाजायज फायदा उठा रहे थे।

भारत सरकार से भी, इस सम्बन्ध में विचार किया गया और गत वर्ष उनसे यह तय किया गया कि भारत सरकार अपने मुआवजे के क्लेम राज्य सरकार को भेज दे।

अतिक्रमण रोकने व इस समस्या का स्थायी समाधान करने हेतु विचार विमर्श के उपरान्त, यह तय किया गया कि इस जिले में जमीन की मांग, वर्तमान मूल्य व भारत सरकार को दिये जाने वाले मुआवजे को दृष्टि में रखते हुए इस जमीन को 1,000) रु० प्रति एकड़ के हिसाब से निम्न वरीयता के आधार पर आवंटित किया जावे।

(1) सर्वप्रथम, उस मूल मुसलमान निष्क्रान्त को दी जावे, जो कि वापिस अपने ग्राम में आ गया परन्तु उसे अपनी खुदकाश्त की भूमि के बदले भूमि नहीं मिली हो।

(2) गैर दावेदार विस्थापितों को कीमत पर दी जावे।

(3) स्थानीय भूमिहीन काश्तकारों को, जो उसी ग्राम के हों, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति को प्राथमिकता देते हुए राज्य सरकार की नीति के अनुसार आवंटित की जावे।

(4) स्थानीय भूमिहीन काश्तकारों को, जो उसी तहसील व जिले के हों (अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति को प्राथमिकता देते हुए) कीमत पर आवंटित की जावे।

इस निर्णय के अनुसार अलवर जिले में इस भूमि में से करीब 19,500 बीघा भूमि आवंटित की गई है जिसकी एक किश्त के 12,08,056) रुपयों में से 6,38,415) रु० वसूल हो चुके हैं।

भूमि की दरों के बारे में माननीय सदस्य द्वारा दिए गये आंकड़े उचित प्रतीत नहीं होते। स्टैण्डर्ड एकड़ से तात्पर्य उस एकड़ भूमि से है, जिसमें दस मन गेहूं पैदा हो सके। वर्तमान स्थितियों में एक एकड़ भूमि में 10 मन गेहूं पैदा हो जाता है। अतः इसको बीघा की पुरानी परिवर्तन दर से गणना करना अनुचित होगा क्योंकि यह परिवर्तन दरें, भारत सरकार ने उस समय

Page No 54

(54)

(श्री परसराम मदेरणा)

निर्धारित की थीं जब प्रति बीघा पैदावार बहुत कम थी। उक्त भूमि के लिए जो कीमत निश्चित की गई है वह आज के बाजार भाव से काफी नीची है। यह कीमत वसूल करना इसलिए आवश्यक है कि राज्य सरकार को इस जमीन के मुआवजे का भुगतान अपने कोष से करना होगा। यहां यह बताना उचित है कि भारत सरकार देश के विभाजन के उपरान्त स्थानीय काश्तकारों से कस्टोडियन भूमि वापिस लेना चाहती थी किन्तु न तो काश्तकार ही जमीन छोड़ना चाहते थे और राज्य सरकार भी भूमि सुधार नीति को ध्यान में रखते हुए उनसे भूमि वापिस लेना नहीं चाहती थी अतः राज्य सरकार ने भारत सरकार से नेगोसियेशन करके इन स्थानीय काश्तकारों के कब्जों को 450) रुपये प्रति स्टेन्डर्ड एकड़ की दर से नियमित कराया। इसी प्रकार जो भूमि 1957 के पट्टेदारों के कब्जे में थी वह भी भारत सरकार वापिस चाहती थी किन्तु उनको भी भूमिहीन होने से बचाने के लिए राज्य सरकार ने भारत सरकार से लम्बे विचार विमर्श के बाद इन कब्जों को भी 900) रुपया प्रति स्टेन्डर्ड एकड़ की दर से कीमत वसूल कर नियमित कराया। उपरोक्त परिस्थितियों से स्पष्ट है कि दरों में वास्तविक वृद्धि सिर्फ 100) रुपये प्रति एकड़ की है किन्तु यह भी वर्तमान में इस जिले की भूमि के बाजार भावों से कम है।

श्री सभापति : श्री रतीराम यादव।

श्री रतीराम यादव (तिजारा) : सभापति महोदय, मेरे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर जो माननीय पुनर्वास मंत्रीजी ने वक्तव्य दिया है, मैं उससे सन्तुष्ट नहीं हूं। पहली बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि माननीय मंत्रीजी ने अपने वक्तव्य में यह कहा कि इस तरह की जमीनों पर अतिक्रमण के काफी मामले सामने आये और इस वजह से सरकार को यह नीति बनानी पड़ी, उसके आवंटन के लिए यह कदम लेने पड़े हैं। दूसरी बात जो उन्होंने कही है वह यह कही है कि यह जो हमने कीमत निर्धारित की है यह पहले जो हमने स्टैन्डर्ड एकड़ माना था उसी के मुताबिक है। पहले जिस जमीन के अन्दर 10 मन गेहूं पैदा होता था वह स्टैण्डर्ड एकड़ था और आज 10 मन गेहूं साधारणतया पैदा हो जाता है।

सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह बात सही नहीं है कि अतिक्रमण के मामले कस्टोडियन लैण्ड पर ही इस जिले के अन्दर अत्यधिक रहे हैं। अतिक्रमण का जहां तक प्रश्न है वह तो जो कस्टोडियन लैण्ड नहीं है उसके ऊपर भी उसी तरह से होते रहे हैं जिस तरह से कस्टोडियन लैण्ड पर हुए हैं लेकिन फिर भी जो कस्टोडियन लैण्ड नहीं है अगर रिकार्ड देखा जाय तो उस पर अतिक्रमण ज्यादा मिलेंगे और कस्टोडियन लैण्ड पर नहीं मिलेंगे, क्योंकि कस्टोडियन लैण्ड जिले के अन्दर ऐसे स्थान पर स्थित है जहां बड़े भारी नाले हैं, जहां जमीन ऊबड़-खाबड़ है और जो जमीन निश्चित रूप से बारानी है, मूल्य के अन्दर वह बहुत कम है, और जैसा कि मंत्रीजी ने कहा है कि 10 मन गेहूं मानकर स्टैण्डर्ड एकड़ की कीमत पहले

(श्री रतीराम यादव)

निर्धारित की थी और आज 10 मन तो साधारणतया हो जाता है, तो सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि आज भी अगर मंत्रीजी वहां का यह सारा सर्वेक्षण कराकर देखें तो जो कस्टोडियन लैण्ड उस जिले के अन्दर है वह ऊबड़-खाबड़, नदी-नाले के अन्दर है उसमें 10 मन तो क्या मैं कहता हूं कि दो मन एक बीघा में होता है और कहीं कहीं तो अगर किसान बीज उसमें डाले तो बीज को भी वह ढूंढता फिरता है। ऐसी जमीन वह है। वहां पर हरिजनों को और भूमिहीनों को आवंटन किया गया है। इसलिए यह तर्क माननीय मंत्रीजी का है उसको मैं उचित नहीं मानता। इस आधार पर यह साबित करना चाहते हैं कि जो सरकार ने वहां की जमीन की कीमत 1000 रुपया एकड़ तय की है अथवा 625 रुपया बीघा जो वसूल की है वह न्याय संगत है, उचित है। सभापति महोदय, मैं इसके पीछे जो वस्तुस्थिति है, जो फैक्ट्स हैं, वह सदन की नालेज में लाना चाहता हूं।

सभापति महोदय, 20 सूत्री प्रोग्राम आने के बाद अलवर जिले के अन्दर कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस और दूसरी प्रगतिशील शक्तियों ने मिलकर यह निर्णय लिया था कि हमारे जिले के अन्दर भूमिहीनों की काफी बड़ी संख्या है, और इस तरह की जमीनें हमारे जिले में हैं वह चाहे सिवाय चक हो, चाहे गोचर हो अथवा कस्टोडियन की बेकार पड़ी जमीन हो अथवा वह जंगलात की रूंध की बेकार जमीन हो जिसमें एक भी पेड़ नहीं है, ऐसी ज़मीनों को भूमिहीनों को बांट दिया जाय। इसके बाद राज्य सरकार ने एक निर्णय लिया और हमारे जिले में सितम्बर और अगस्त के महीनों में गत वर्ष एक भूमि आवंटन का विशेष अभियान चलाया गया (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)।

श्री सभापति : समाप्त करिये।

श्री रतीराम यादव : सभापति जी, यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। 88 हजार बीघा जमीन हमारे जिले में बंटी है और उसमें जहां 19,500 बीघा जमीन का ताल्लुक इस प्रश्न से है, ऐसी जमीन को गरीबों के अन्दर बांटा गया है जिनकी जिन्दगी हम सुधारना चाहते हैं। हमने 20-सूत्री प्रोग्राम ऐसे वर्ग के लोगों के लिए बनाया है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रश्न के ऊपर और विशेष रूप से कुछ ज्यादा समय दिया जाय। मेरे अलावा और दूसरे भी माननीय सदस्य इस पर बोलना चाहते हैं····

श्री सभापति : माननीय सदस्य विषय पर ही बोलें।

श्री रतीराम यादव : मैं आपसे निवेदन करूंगा कि उनके लिए भी आप समय निकालें। विशेषरूप से मैंने प्रस्ताव रखा है इसलिए मुझ पर विशेष कृपा होनी चाहिए। मुझे विशेष समय दें।

सभापति महोदय, इस आधार पर वहां जो आवंटन किया गया वहां जो सिवाय चक जमीन अथवा गोचर जमीन या जो कि नान-कस्टोडियन थी उसको तो आपने हरिजनों या भूमिहीनों को

(श्री रतीराम यादव)
मुफ्त में दे दिया और दूसरी तरफ जो कस्टोडियन लैण्ड थी जिसकी परिभाषा मैंने आपके सामने रखी है कि वह अधिकतर नदी-नालों के अन्दर, ऊबड़-खाबड़ और बुरी हालत के अन्दर, बारानी से भी बुरी हालत में जमीन है। ऐसी भूमि भूमिहीनों को दी गई है जिनसे और सवा छः सौ रुपये के हिसाब से कीमत वसूल की गई है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह कहां तक न्यायसंगत बात है? हरिजन उस जमीन को लेने वाले हैं। जो जमीन मुफ्त मिली है, उस श्रेणी के अन्दर आयी है, हरिजन उस जमीन पर बस गये हैं, या आवंटित की गई है—उनसे इतनी ऊंची कीमत ली गई है। परिणाम क्या निकला है, जो फैक्ट्स सर्वेक्षण करके दिये हैं, उनके अनुसार 50 पर्सेन्ट लोगों ने एक किश्त जमा कराई है, पैसा कर्ज लेकर जमीन की किश्त जमा कराई है, 50 पर्सेन्ट बेकार पड़ी रह गई है। जिनको आवंटित हुई जमीन आवंटियों ने उसका कब्जा नहीं लेना चाहा, क्योंकि इतनी ऊंची कीमत नहीं दे सकते। मैं निवेदन करना चाहता हूं, कस्टोडियन जमीन है, जैसा कि माननीय मंत्रीजी ने स्वीकार किया है, 1957 से पहले पट्टे पर दी जाती रही 450 रुपये फी स्टेण्डर्ड एकड़, 436 रुपये बीघा के हिसाब से अलाट होती रही है। 1957 के बाद वह जमीन को पट्टे पर दी गई 900 रुपये फी स्टेण्डर्ड एकड़ अथवा 22 फी बीघा के हिसाब से दी गई। मान्यवर, विचार करके देखें कि 1957 के बाद आज तक कोई विशेष परिवर्तन आ गया है। मैं नहीं समझता, महंगाई में खास फर्क पड़ गया है, 1965 और 1972 के अन्दर। मैं इस बात को निवेदन करना चाहता हूं (समय-समाप्ति-सूचक घण्टी) माननीय मंत्री का यह तर्क है कि पहले यह भाव थे, अब यह भाव हो गये हैं, वह मैं वाजिब नहीं मानता। मान्यवर, अब तो जमीन की कीमत वसूल की जा रही है, वह स्टैण्डर्ड एकड़ है वह नया हो गया है एकड़, 1 हजार रुपये एकड़ या कहिये 625 रुपये बीघा से—जिसे किसी सूरत में न्यायसंगत नहीं कहा जा सकता। यह एक विडम्बना है। बीस सूत्री प्रोग्राम चलाया गया है उसका लक्ष्य यह है कि कमजोर वर्ग, भूमिहीन, हरिजनों को कृषि योग्य भूमि देकर उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारा जाय। उनका आर्थिक विकास करना चाहते हैं; उत्थान करना चाहते हैं, मदद करना चाहते हैं—यह राज्य सरकार की नीति है, यह राष्ट्रीय नीति निर्धारित हो चुकी है। दूसरी तरफ अलवर जिले के अन्दर राज्य सरकार ने इस तरह की नीति अपनाई है, जिसका कुप्रभाव पड़ा है। उनकी आर्थिक स्थिति सुधरे, उनको राहत मिले उसके बजाय यह दुर्व्यवहार, यह अन्याय भू-आवंटन के अन्दर हो रहा है। यह जो राज्य सरकार ने नीति अपनाई है उसमें यह देखने को मिला है। मैं निवेदन करना चाहता हूं माननीय मंत्रीजी से, आप इस बात पर पुनर्विचार करें, आप गम्भीरता से इस बात को सोचें। मैं कहता हूं कि भूमि का सर्वेक्षण करा लीजिये, वह जमीन ऊबड़-खाबड़ है, नदी-नालों में है, बेकार जमीन है (समय-समाप्ति-सूचक घन्टी) कोई व्यक्ति नहीं कह सकता—यह कीमत लगाई है, यह न्यायोचित है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, आपको चाहिए यह था, दूसरे स्थान पर हरिजन और भूमिहीनों को

(श्री रतीराम यादव)
जमीन मुफ्त में दी है, उसी तरह इनको मुफ्त में देते (समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)...

श्री सभापति : समाप्त करें। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है।

श्री रतीराम यादव : एक मिनिट।

व्यवहारिक दिक्कत क्या आ रही है? सरकार से जमीन ली है इसमें कोई दिक्कत हो–यह भी मैं नहीं मानता। क्या दिक्कत हो सकती है राज्य सरकार के सामने? अगर है भी दिक्कत तो करेन्ट रेट कम करके जो जमीन है, उस आधार पर गरीबों को आवंटित कर देते तो ज्यादा अच्छा होता। मैं यह निवेदन करके अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं, आपको गम्भीरता से इस प्रश्न पर पुर्नविचार करना चाहिए। वहां के स्थानीय अधिकारियों से भी वस्तुस्थिति का सर्वेक्षण करा कर रिपोर्ट लेनी चाहिए। आपको जन प्रतिनिधियों ने, कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी के सारे प्रतिनिधियों ने और जन नेताओं ने इस आवंटन में पूरा सहयोग दिया है, इसलिए, आपका यह भी कर्तव्य होता जाता है कि उनकी एक कमेटी बना कर उस कमेटी की सलाह लीजिये और उसके बाद उस कमेटी की जो भी सिफारिश आपके पास आयें, मैं समझता हूं, उस पर विचार करके कोई नीति निर्धारित करनी चाहिए।

श्री सभापति : मंत्रीजी।

श्री रामानन्द अग्रवाल : सभापति महोदय, यह मेरे जिले से सम्बन्धित प्रश्न है।

श्री सभापति : मंत्रीजी।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मुझे आप बोलने का मौका दें।

श्री सभापति : मंत्री जी।

श्री परसराम मदेरणा (राजस्व मंत्री) : माननीय सभापतिजी, तिजारा से आने वाले माननीय सदस्य ने कुछ मुद्दे उठाये हैं, मेरे वक्तव्य के बाद। यह बात सही है और मैं उनसे सहमत हूं कि अलवर जिले में भूमि आवंटन का एक अभियान चलाया गया था, उस अभियान के फलस्वरूप 26,074 मौरी 88,583 भूमि आवंटित की गई, 88,583 बीघा दी गई। इसमें से करीब साढ़े उन्नीस हजार बीघा भूमि कस्टोडियन बंजड़ थी, उसकी कस्टोडियन भूमि की कीमत ली जा रही है और जो भूमि सिवाय चक, या चरागाह से कन्वर्ट की गई है, उसकी कीमत नहीं ली जा रही है। भूमि आवंटन का अभियान चलाने के पूर्व मुख्य मंत्री के यहां एक मीटिंग हुई उसमें यह निर्णय लिया गया था, कस्टोडियन की भूमि मुफ्त में आवंटित नहीं की जा सकती, इसलिए इसे कीमत पर दी जाय। उस वक्त तिजारा से आने वाले माननीय सदस्य उपस्थित नहीं थे। अलवर से आने वाले माननीय सदस्य भी उपस्थित नहीं थे। दूसरे जन प्रतिनिधि मौजूद थे, उनकी भावना थी, उनका कहना था कि कस्टोडियन की बंजड़ भूमि आवंटित की जाय तो निश्चित तौर पर आवंटी कीमत दे सकेंगे। प्रश्न यह खड़ा होता है कि आज परिस्थितियों में जबकि 1957 के

(श्री परसराम मदेरणा)

बाद पट्टेदार से 900 रुपये स्टेन्डर्ड एकड़ वसूल कर रहे हैं, इनसे एक हजार वसूल कर रहे हैं, जैसी मैंने दलील की, क्या परिस्थितियां खड़ी हो गईं कि अब यह चीज करना चाहते हैं। सभापति महोदय, जैसा कि यह सदन जानता है, 1957 के बाद इस देश में हरित क्रांति आई है। 1957 के बाद से सबसे अच्छे बीज किसानों के पास पहुंचे हैं और जैसा कृषि मंत्री यहां पर कह रहे थे कि कई लाख हेक्टर भूमि सुधरी हुई एग्रीकल्चर प्रेक्टिस के अन्तर्गत आयी है, सुधरे हुए बीज वितरित किये गये हैं – ऐसी सूरत में यह कहना कि भूमि की पैदावार वही रही है जिसमें भारत सरकार ने स्टेण्डर्ड एकड़ उसको माना था जिस एकड़ में दस मन गेहूं पैदा होता था। जैसा कि आप जानते हैं कि पुराने सीलिंग कानून में स्टेण्डर्ड एकड़ की यह परिभाषा थी, पुराने सीलिंग कानून के अन्तर्गत 30 स्टेण्डर्ड एकड़ अधिकतम सीमा थी। कई जिलो में, कई हिस्सों में सीलिंग की निर्धारित सीमा 26 एकड़ थी, जब कि 30 स्टेण्डर्ड एकड़ की हाइएस्ट लिमिट थी। इसका मतलब यह है कि एक स्टेण्डर्ड एकड़ में उस स्टेण्डर्ड एकड़ से ज्यादा पैदावार हो रही थी। पैदावार भूमि पर मुनहसर करती है। माननीय सदस्य जानते हैं कि अलवर की जमीन उपजाऊ है, ऊबड़-खाबड़ है उसका आवंटन नहीं चाहते हैं। खेती करने लायक है, कल्चरेबल है वह सब चाहते हैं कि आवंटित की जाय। जिलाधीश ने जैसा बताया, उनके पास कस्टोडियन और सिवाय चक दोनों मिलाकर 19,140 भूमि आवंटन होने के लिए शेष बची है, जिसे अगले जून में आवंटन करना चाहते हैं। इसका मतलब यह है कि अभी कस्टोडियन बंजड़ भूमि को भी लोग लेने के लिए तत्पर हैं। यहां पर यह बात कही गई, जो भी किश्त चार्ज की है, दस किश्तों में कीमत को वसूल करना है। पहली है 12,00,856 रुपये, इसमें से 6,38,432 वसूल हो चुके हैं....

श्री रतीराम यादव : 50 पर्सेन्ट माना है।

श्री परसराम मदेरणा : तिजारा से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे, इस अभियान के अन्तगर्त जिन लोगों को भूमि आवंटित की गई है, वह कमजोर वर्ग के हैं। इसमें दो राय नहीं है, मैं खुद आपसे इत्तिफाक करता हूं क्योंकि वे कमजोर वर्ग के लोग हैं इसलिए वे एक हजार रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से कीमत देने में असमर्थ हैं, यह सोचने का विषय है। क्योंकि भारत सरकार को इसका मुआवजा देना है, पहले भारत सरकार इस भूमि को लेना चाहती थी। यह तय किय गया कि वह अपना क्लेम राज्य सरकार के जागीर कमिश्नर के पास प्रस्तुत करें और उस क्लेम का पेमेंट हमें राज के कोष से करना है, इसलिए बंजड़ भूमि को दूसरी भूमि की तरह एलॉट करना हमारे लिए संभव नहीं है और न इस अंडरस्टेंडिंग के साथ एलाट की गई। उस समय अलवर जिले के सभी माननीय सदस्यों की राय थी कि लोग यह कीमत देंगे और जब 19,500 बीघा जमीन एलाट की गई, उसके बाद तर्क दिया जा रहा है कि भूमि बिलकुल बेकार है, ऊबड़-खाबड़ है, उसमें बड़े बड़े खड्डे पड़े ..

(श्री परसराम मदेरणा)

हुए हैं, 10 मन गेहूं पैदा नहीं हो सकता। दो मन प्रति बीघा भी मुश्किल है, मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूं। अतिक्रमण के मामले में डिस्प्यूट इसलिए नहीं करता कि जो भी स्थिति थी, आप कह रहे थे कि बंजड़ भूमि में जहां हम प्रति वर्ष पट्टे पर दे रहे थे, वहां अतिक्रमण कम हो रहा था और सिवाय चक और चरागाह पर ज्यादा हो रहा है, यह फैक्ट का मामला है। प्रश्न यह है कि जो भूमिहीनों को भूमि आवंटित की गई है, जमींदारी बिस्वेदारी एबोलिशन एक्ट के तहत उसके लिए हम इस समझौते पर पहुंचे हैं कि उनके क्लेम के अगेन्स्ट में हम भुगतान करेंगे। ऐसी हालत में राज्य में उसका भुगतान नहीं किया जा सकता। पहले परिस्थिति यह थी कि राजस्थान में 80 प्रतिशत इलाका ग्रामीण था। राजस्थान सरकार ने उस समय निर्णय लिया कि किसानों को मुआवजा जागीरदारों को नहीं देना है, राज के कन्सोलीडेटेड फंड से देना है। कुल मिलाकर 60 करोड़ रुपये का भुगतान राज्य सरकार ने किया लेकिन आज की परिस्थिति में राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति को देखते हुए हम इतना बड़ा बोझ अपने सर पर नहीं ले सकते जो एक करोड़ से ऊपर होने वाला है। ऐसी हालत में माननीय सदस्य ने यह बात कही कि 1957 के बाद के पट्टेदारों से जो कीमत वसूल की जा रही है और यह जो कीमत निर्धारित की है उसके लिए जो भी कारण मैंने अपने वक्तव्य में प्रस्तुत किये है, उस वक्तव्य के ऊपर आपने जो मुद्दे उठाए हैं, इन सब के संदर्भ में एलाटी पिछड़े वर्ग के हैं और भूमि की पैदावार हरित क्रांति के बाद में और अभी व्हाइट रिवोल्यूशन के संदर्भ में जब वहां डेयरी और दूसरी चीजें लगाने जा रहे हैं, तो ऐसी हालत मे आज क्या कीमत लेनी चाहिए, आया वह अदा कर सकेंगे या नहीं, इन सब मुद्दों पर राज्य सरकार विचार करेगी।

विधायी कार्य : विधेयक पर विचार

राजस्थान सरकारी मतालबा वसूली (संशोधन) विधेयक, 1976

श्री सभापति : विधायी कार्य। वित्त मंत्री।

श्री चंदनमल बैद (वित्त मंत्री) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान सरकारी मतालबा वसूली (संशोधन) विधेयक, 1976 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री सभापति : श्री दीपंकर।

श्री जगमोहन सिंह : मेरा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव था। कल मैंने दिया था, उस पर व्यवस्था दें।

श्री सभापति : चेम्बर में आकर बात करें।

श्री जगमोहन सिंह : आपका चेम्बर कहां है ?

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का प्रस्ताव

[निम्नांकित प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया "राजस्थान सरकारी मतालबा वसूली (संशोधन) विधेयक, 1976 को एक सप्ताह/एक माह के लिये जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाये।"

श्री दीपंकर (लाडनूं): सभापति महोदय, जो राजस्थान सरकारी मतालबा वसूली (संशोधन) विधेयक, 1976 पेश हुआ है उस सिलसिले में मुख्य रूप से निवेदन करना चाहता हूं कि जो पुराना कानून 1952 का था उसमें अब 1976 में जो 20 सूत्री प्रोग्राम माननीय प्रधान मंत्री ने दिया, मैं समझता हूं वही मंत्री महोदय के ध्यान में रहा है और पिछड़े वर्ग के लोगों से वसूलियां बड़ी संख्या में होती हैं, उनको ध्यान में रखते हुए किश्तें बांधने का प्रावधान किया है ताकि किश्तों को अदा कर सकें। किश्तें बांधने का अधिकार जिलाधीश को दिया है। साथ ही साथ जो बकाया है उसको नहीं दे सके, उसके लिए पहले 6।। प्रतिशत ब्याज की दर थी अब 13 प्रतिशत करने जा रहे हैं। मूल्यों में वृद्धि और सामाजिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए ऐसा मंत्री महोदय ने किया है। जो दोनों बातें हैं उनका विरोध नहीं करना है परंतु उसके साथ साथ मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस पी० डी० आर० एक्ट, 1976 को अगर जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाए तो आज की आवश्यकताओं को मद्देनजर रखते हुए और जो दो बातें कही हैं और उन्होंने समझा कि बकाया राशि किस्तों में ली जाए और ब्याज दर बढ़ाई जाए तो और भी कुछ बातें हैं जिनके लिए मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जरूरी बातें जो नहीं लाई गई हैं, उनको सम्मिलित कर लिया जाए और लोगों की जानकारी में आ जाय तो बढ़िया बात है। यह एक ऐसा एक्ट है जिसमें छोटे से बड़े आयेंगे। एक ढाणी में रहने वाला, जंगल में रहने वाला, शहर में रहने वाला है, जिसमें सरकारी बकाया है, किसी विभाग की बकाया तो उससे वसूली करने के लिए यह कानून है। यह एक ऐसा काला कानून है जिसके तहत हर तरह के लोग तकलीफ उठाते हैं। इसमें ऐसी कोई व्यवस्था नहीं रखी है कि वह डिमांड सही है या नहीं। कभी कभी कुछ विभागों की तरफ से जो डिमांड कलेक्टर के पास भेजी जाती है वसूली के लिए, लोग रसीद लिए घूमते हैं और कहते हैं कि अमुक साल में, अमुक महीने में, मैंने चुका दिया था। सरकार बकाया निकालती है तो ऐसे लोगों से फिर वसूली हो रही है तो उनको परेशानी होती है। इस डेमोक्रेसी के जमाने में हम समाजवाद की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, नए युग का सूत्रपात करने जा रही हैं प्रधान मंत्री तो वहां पर किसी आदमी, चाहे अनुसूचित जाति का हो, को नहीं सताया जाना चाहिए, उसके पास झूठी रिकवरी की डिमांड नहीं पहुंचनी चाहिए।

उदाहरण के लिए इस तरह की डिमांड पंचायत समितियों से की जाती हैं अक्सर उनमें 25-30 परसेंट इस तरह की होती हैं। उनके पास न सही तरीके से लेखा अधिकारी हैं न लेखापाल हैं न कैशियर हैं। इस तरह से दूसरे विभागों के जरिए इस तरह की वसूलियां जबर्दस्ती की जाती हैं। जो काबिल आदमी होता है, वह स्टे आर्डर भी ले आता है लेकिन हर व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं होता। उसकी दुबारा वसूली की जाती है, उसमें भी बेरहमी काम में ली जाती है, उनके बर्तन, जो बकरी पाल रखी है जिसके दूध बिना उनके बच्चे नहीं पल सकते, वह ले जाते हैं, पहनने की

(श्री दीपंकर)

छोटी मोटी कड़ियां होती हैं, बेइज्जत करके वह ले जाते हैं । यह समाजवाद के बढ़ते हुए कदमों को पीछे धकेलने का तरीका है । इसलिए इस एक्ट में जो केवल एक कलेक्टर को आप अधिकार देना चाहते हैं कि किस्त कर दें और ब्याज 13 प्रतिशत कर दें, इससे काम नहीं चलने वाला है और न हर व्यक्ति जिला मुख्यालय पर पहुंच सकता है तो बजाय कलेक्टर को अधिकार देने के आप तहसीलदार को दे दें या एस० डी० ओ० को दे दें । जिला मुख्यालय ऐसा स्थान है जहां पर दरख्वास्त देने के लिए हर काश्तकार नहीं पहुंच पायेगा जिसकी आर्थिक स्थिति खराब है उसी में ही बकाया होगी, समर्थ व्यक्ति में कभी बकाया नहीं होगी ।

सभापति महोदय, जो लोग असमर्थ हैं, गरीब हैं और जिनकी मजबूरी है, जिनकी आर्थिक हालत ठीक नहीं है उन्हीं के खिलाफ में तो पैसा नहीं दे पाने के कारण पब्लिक डिमांड्स रिकवरी एक्ट के तहत कार्यवाही होती है । इसके लिये एक बात का आप जरूर ध्यान रखें कि आपने तो ऐसी स्थिति कर दी है कि वह व्यक्ति कलेक्टर के पास जावे और वहां से किश्तें करा कर आये । मेरा यह निवेदन है कि उस गरीब आदमी की हालत को देखते हुए, उसका ज्यादा खर्चा नहीं हो इसलिये आप ऐसी व्यवस्था कर दें कि कलेक्टर के बजाय एस०डी०ओ० और तहसीलदार के पास जावे, वहां से किस्त करने के आदेश करा लेवे । अगर आप इस प्रकार की सुविधा गांवों के गरीब लोगों को दे दें तो मैं समझता हूं कि कोई उपलब्धि आप कर सकेंगे । इसके अलावा मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि जब कभी किसी के खिलाफ मे रिकवरी करने कोई आफिसर जावे तो उसके पास पहले प्रपत्र होना चाहिये कि आपमें इतनी बकाया इस साल की बाकी है । डिमाण्ड नोटिस भेजने वाला उस प्रपत्र में लिखे कि यह बात सही है, मैंने जांच कर ली है । उसके बाद में जाना चाहिये वरना ऐसा भी होता है कि लोग पैसा जमा करा देते हैं और फिर बाद में भी लोग पी० डी० आर० के तहत कार्यवाही करने चले जाते हैं । जब वहां पर पहुंचते हैं तो लोग रसीदें बताते हैं । लेकिन वह लोग उनको नहीं मानते हैं और यह कहते हैं कि यह रसीदें आप वहां ले जाकर दिखावें जिन्होंने आदेश दिया है और फिर उन लोगों के मवेशी कुर्क कर लेते हैं, उनके खाने पीने के बर्तन, सामान तक कुर्क करके ले जाते हैं और उन लोगों का अपमान भी बुरी तरह से करते हैं । तो मेरा निवेदन यह है कि इस प्रकार का अपमान नहीं होना चाहिये । एक तरफ तो आप इस कमजोर वर्ग को रियायतें दे रहे हैं दूसरी तरफ आप इन लोगों के नन्हे मुन्ने बच्चों के मुंह की रोटी छीनकर ले जाते हैं और उनके मवेशी भी कुर्क करके ले जाते हैं । उनके खाने पीने को कुछ नहीं रहता है । इस प्रकार गरीब लोग और खराब स्थिति में आ जाते हैं । इसके अलावा मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि इन गरीब लोगों का अपमान नहीं हो आप ऐसी व्यवस्था जरूर करें । उनको जो नाम लेकर पुकारते हैं उसमें उनको कन्जर कहते हैं । इसलिये ऐसा खराब शब्द काम में नहीं लाकर आप अधिकारियों को कहें कि इनके आगे भी लगाकर बात करें ।

(श्री दीपंकर)

इसके अलावा उनके साथ किसी प्रकार की बेजाब्तगी नहीं करें। उनके खाने पीने के सामान नहीं उठायें। उनके नन्हे मुन्नों के मुंह की रोटी नहीं छीने। अन्यथा आप जो इन गरीब तबके के लोगों को ऊपर लाने की बात कर रहे हैं वह लोग ऊपर नहीं आकर वापिस नीचे के स्तर में गिर जायेंगे। इसलिये मेरा निवेदन है कि आप चाहे रिकवरी करें, बकाया वसूली करें लेकिन आप ऑफिसरों को यह कह दें कि वह पुलिस को वहां पर ले जाकर उनका अपमान नहीं करें। आप चाहें रिकवरी करें, पी. डी. आर. के तहत कार्यवाही करना आपको जरूरी है उसको भी मैं सही मानता हूं, सरकार की वसूली होनी चाहिये लेकिन इसके लिये आप यह व्यवस्था तो जरूर कर दें कि जब कभी आप पी.डी. आर. के तहत कार्यवाही करें तो चाहे वह पंचायत समिति की हो, चाहे किसी अन्य विभाग की बकाया हो उसके लिये पहले कन्सर्निंग विभाग को चाहिये कि वह डिक्लेरेशन दे कि इस आदमी में हमारी इतनी बकाया इस साल की है। चाहे वह आपके पशुपालन विभाग की हो, चाहे और किसी विभाग की हो लेकिन वहां के बाबू को चाहिये कि पूरी जानकारी दे। उनकी बकाया कितनी बाकी है कितनी दे दी है। रसीदों को देखें और उन पर दण्डनीय ब्याज नहीं लगायें, क्योंकि यह तो अन्याय हो जायेगा। इसलिये, सभापति महोदय, मैं इस कानून में दो बातें आपके सामने रखना चाहता हूं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक तो प्रपत्र दिखायें, दूसरे उन लोगों पर आप पीनल ब्याज नहीं लगायें। इसके अलावा मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि मैंने प्रस्ताव रखा है कि इस राजस्थान पब्लिक डिमान्ड्स रिकवरी (अमेन्डमेंट) बिल, 1976 को जनमत जानने हेतु प्रसारित किया जावे ताकि आम जनता को यह पता पड़े कि सरकार इस तरह का कानून में संशोधन करने जा रही है। दूसरे सरकार की जो बकाया है वह हमें जल्दी से जल्दी देनी चाहिये और अगर हम उसे समय पर अदा नहीं करेंगे तो सरकार हम पर पीनल ब्याज लगा सकती है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले ही निवेदन किया कि आप इन गरीब लोगों पर पीनल ब्याज नहीं लगायें तो अच्छा है क्योंकि जो भी पब्लिक डिमाण्ड रिकवरी एक्ट के तहत रिकवरीज होंगी वह हमेशा गरीब लोगों के ऊपर होंगी और चूंकि उनकी आर्थिक हालत ठीक नहीं थी इसलिये वह सरकार को बकाया नहीं दे सके थे। इसके अलावा आपने जो किस्त करने के लिये जिलाधीश के पास जाने की बात कही है उसमें मेरा निवेदन यह है कि आप इसके लिये नजदीक के एस. डी. ओ. या तहसीलदार को ही राइट दे दें ताकि वह लोग कम खर्चे में अपना काम करवा लें। नहीं तो वह बेचारे गांवों के लोग, जो ढाणियों में रहते हैं, गांवों में रहते हैं, जिलाधीश का दफ्तर उनके गांवों से मीलों दूर रहता है, वहां आवेंगे तो अपने बच्चों को छोड़कर आयेंगे, अपने मवेशी व खेती को छोड़कर आयेंगे, 2-3 दिन का समय लग जायेगा और वहां पर उनको बहुत ही तकलीफ होगी और फिर किस्तें की जायेंगी। अब कब तो बेचारे आयेंगे, कहां अपने मवेशी को छोड़कर आयेंगे। इसलिए आप नजदीक ही तहसीलदार या एस. डी. ओ. लेवल आफिसर को यह पावर्स दे दें

Page No 63

(63)

(श्री दीपंकर)

ताकि उनको जिलाधीश तक जाने की जरूरत नहीं पड़े। वैसे भी आपने तहसीलदारों को और एस. डी. ओ. को काफी पावर्स दे रखी है। इसलिये मेरा आपसे निवेदन है कि आप तहसीलदार या एस. डी. ओ. को यह पावर्स दे दें ताकि लोगों को राहत मिले।

श्री सभापति : श्री विजयसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री गिरधारीलाल भार्गव।

(अनुपस्थित)

श्री अजीतसिंह।

श्री अजीतसिंह (टोंक) : सभापति महोदय, आज सदन में पब्लिक डिमान्ड्स रिकवरी अमेन्डमेंट बिल, 1976 पेश हुआ है उसका तो मैं स्वागत करता हूं लेकिन उसके अन्दर कुछ बातें आपने ऐसी रख दी हैं कि जिसमें संशोधन कराना अत्यन्त आवश्यक है। आज, सभापति महोदय, पब्लिक डिमान्ड्स रिकवरी एक्ट के तहत जब लोग रिकवरी करने जाते हैं तो सबसे बड़ी तकलीफ जनता को यह होती है कि जिन जिन विभागों की डिमाण्ड जाती है तो तहसीलदार के पास कुर्की भेज दी जाती है वह कुर्की लेकर जाता है और उनका सब सामान उठाकर ले आता है। मेरा यह निवेदन है कि इसमें पहले जिस व्यक्ति के खिलाफ में डिमाण्ड हो, उसको पहले नोटिस दिया जाना चाहिये कि आपके खिलाफ में इतनी रिकवरी निकल रही है आपको इसके बारे में क्या कहना है। वह उसका जवाब दे उसके बाद में पूरी जानकारी करके ही उसके खिलाफ में कार्यवाही की जानी चाहिये। आज यह होता है कि उन बेचारे लोगों ने पैसा जमा भी करवा दिया हो तो वह जब रसीदें बताते हैं तो भी उनकी कोई नहीं सुनता है। इसलिये मेरा निवेदन है कि उनकी पूरी तरह से सुनवायी की जाय। पहले उन्हें नोटिस दिया जाय। इसके अलावा किश्त करने का जो अधिकार आपने कलेक्टर को दे रखा है वह अधिकार आप एस. डी. ओ. और तहसीलदार को न दें तो कोई बात नहीं लेकिन उनकी रिकमन्डेशन पर कलेक्टर किस्त कर दे— ऐसी व्यवस्था हो जानी चाहिये ताकि उन लोगों को राहत मिले। क्योंकि कुर्की करने वाला अधिकारी तहसीलदार होता है, वह अगर पहले ही नोटिस देकर पूरी जानकारी कर लेगा तो बाद में दोनों को ही उपयोगिता रहेगी। आज, सभापति महोदय, यह कुर्की किसी के खिलाफ जाती है तो वह कौन है, वह है गरीब आदमी जो कि पैसा नहीं दे सकता है उसके खिलाफ में कुर्की जाती है। उसकी आर्थिक हालत पहले ही खराब है। अगर वह कुर्की कराने कलेक्टर के ऑफिस में जायेगा तो उसका खर्चा और लगेगा, वह और गरीब हो जायेगा, वह क्या किस्त देगा। दूसरे आपने इसमें कालावधि तीन साल रखी है। इस अवधि को बढ़ाया जाना चाहिये। तीन साल से बढ़ा कर और अधिक करनी चाहिये। नहीं तो चाहे आपके पंचायत समितियों की बकाया हो, चाहे किसी भी विभाग की बकाया हो अगर आप इस पाबन्दी को नहीं हटायेंगे तो वह लोग नहीं दे पायेंगे तीन

(श्री प्रभीतसिंह)

साल में, यह बात तो आप निश्चित मान लें। इसमें आपको संशोधन करना पड़ेगा। इसके अलावा आपने व्याज सवा छः पर्सेन्ट से 13 पर्सेन्ट कर दिया है। यह तो आपने और अधिक बढ़ोतरी कर दी है। वह लोग कैसे दे पायेंगे। इसलिए आज जब आप गरीबों को लाभ पहुंचाने की बात कर रहे हैं तो कम से कम आप 13 पर्सेन्ट पीनल व्याज को कम करके दस पर्सेन्ट तक कर दें तो उन लोगों को राहत मिलेगी और ज्यादा उपयुक्त होगा उन गरीबों के लिए। इन सब बातों को देखते हुए मेरा यह प्रस्ताव है कि इसको जनमत जानने के लिए आप भेज दें तो जनता से जानकारी करके अनेक सुझाव आपको दिये जा सकते हैं, वह ज्यादा उपयुक्त होगा।

श्री सभापति : श्री झाबरमल सूंडा।

(अनुपस्थित)

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : रतीरामजी का भाषण पहले हो जाय।

श्री सभापति : श्री रतीरामजी।

विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द करने का प्रस्ताव

[निम्नांकित प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया : "राजस्थान सरकारी मतालबा वसूली (संशोधन) विधेयक, 1976 को एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जावे जो अपना प्रतिवेदन एक सप्ताह/तीन दिन/एक माह में प्रस्तुत करे (समिति के सदस्यों की नामावली बाद में प्रस्तुत कर दी जायेगी।"]

श्री रतीराम यादव (तिजारा) : सभापति महोदय, मैंने राजस्थान सरकारी मतालबा वसूली के बिल को एक प्रवर समिति के सुपुर्द करने का प्रस्ताव रखा है।

सभापति महोदय, इस बिल को लाने का जो उद्देश्य है वह यह है कि अभी तक सरकारी जो बकाया रह जाती है उसको हम किस तरह से आसानी के साथ वसूल कर पायें उसमें कुछ सहूलियत देने के लिए, उसमें किश्त बन्दी का प्रावधान किया गया है जो लक्ष्य है वह यही सामने रखा है कि किसी भी तरीके से जो पैसा अब तक वसूल नहीं होता था, रुका रहता था, राज्य की इनकम को घाटा होता था, वह वसूल हो सकें, आमदनी बढ़ायी जा सकें, साधन विकास के लिए जुटाये जा सकें। इस दृष्टि से, मैं समझता हूं, उद्देश्य बिल के लाने का है, वह तो स्वागत योग्य है।

लेकिन, सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस बिल के अन्दर बड़ी खामियां भी रखी गयी हैं। इस बिल के अन्दर गरीब को, अमीर को, बड़े धनपति और भूपति को, बड़े मालदार को और भूतपूर्व राजा महाराजाओं को रखा है। आज का जो बीस सूत्री प्रोग्राम है वह हम कमजोर वर्ग के लिए क्रियान्वित कर रहे हैं लेकिन इसमें सब को हमने एक ही श्रेणी में रख दिया है। कमजोर वर्ग को हम कर्जा दे रहे हैं, सहायता दे रहे हैं और उससे वसूली भी कर रहे हैं लेकिन वसूली के तरीके के अन्दर हमने कोई कैटेगराईजेशन उनकी आमदनी के हिसाब से नहीं किया है। इस रूप में हमने सबको एक ही कैटेगरी में रख दिया है। मैं समझता हूं, इस बिल का जो उद्देश्य है वही समाप्त हो जाता है अथवा 20 सूत्री

(श्री रतीराम यादव)

प्रोग्राम के अन्तर्गत जो हम गरीब आदमी को राहत देकर उठाना चाहते हैं, सस्ते ब्याज पर पैसा देकर मदद करना चाहते हैं और यह भी उम्मीद करके चलते हैं कि उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो, ये पैसे का रिटर्न आसानी से कर पायें, इन दोनों बातों में यह बिल विसंगति पैदा करता है। इस बिल में कहीं यह प्रावधान नहीं है कि किस तरह की आमदनी के लोग, किस इनकम केटेगरी के लोग किस प्रकार से अदायगी करेंगे। सब के साथ किश्तबन्दी और तीन साल से ज्यादा उसकी मयाद न हो यह प्रावधान रखने का साफ मतलब क्या है? एक तरफ दो सौ रुपया कमाने वाला व्यक्ति है, उससे कर्जा वसूल करें उसकी भी किश्तबन्दी तीन साल की और दूसरी तरफ जिसकी तरफ करोड़ों रुपये बकाया हैं उसकी किश्तबन्दी भी उसी तरीके से, जिसकी इनकम बहुत बड़ी है तीन साल पहले भी चुका सकता है उसको भी 3 साल की छूट दे रहे हैं—यह न्यायोचित नहीं है और बिल के मूल उद्देश्य की भावना के विपरीत है। करोड़ों रुपया बड़े राजा-महाराजाओं मालदारों की तरफ बकाया पड़ा है। पांच करोड़ रुपया तो बिजली विभाग का है बड़े मालदारों में, बिड़ला बन्धुओं की तरफ पड़ा है जिसको वसूल करने के लिये हमने कोई सख्त कदम बिल में उठाया हो, कोई हमने इसमें ऐसा सख्त प्रावधान रखा हो, मैं समझता हूं, इसमें कहीं भी दिखायी नहीं पड़ता है। इसलिये, सभापति महोदय, मैं समझता हूं कि इस बिल में जहां किश्त बन्दी की बात कह कर....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : माननीय सभापति महोदय, ××× कि सदन में केवल चार ही राज्य सरकार के लोग बिराजमान हैं ?

एक माननीय सदस्य : कोरम नहीं है।

श्री चन्दनमल बैद : डिवीजन क्लेम कर रहे हैं ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : वह भी जरूरत पड़ने पर हो सकता है।

श्री किशोरीलाल : कोरम नहीं है।

(गणपूरक घंटी)

(गणपूर्ति के पश्चात्)

श्री सभापति : यस। माननीय सदस्य!

श्री रतीराम यादव : सभापति महोदय, इस बिल में ऐसा भी कोई प्रावधान दिखायी नहीं पड़ता वसूली के सिलसिले में कि जहां पर राज्य सरकार के अधिकारी अगर कमजोर वर्ग के साथ, छोटे किसानों के साथ, या हरिजनों के साथ वसूली के अन्दर कोई ज्यादती करें, कोई गलत बात करें तो उनको कैसे राहत मिल सकती है। अभी जब जनवरी के महीने में यह सदन चला इस तरीके के प्रश्न बहुत से हाउस में आये थे। जब राज्य सरकार की तरफ से पुरानी बकाया की वसूलियों का डंडा तेजी से घूम रहा था, जगह, जगह किसानों, गरीब लोगों के बैल, इंजन तक नीलाम किये जा रहे थे, उस वक्त गंभीर रूप से यह प्रश्न राज्य सरकार के नोटिस में लाया

××× अभिव्यक्ति अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार निकाली गई।

(श्री रतीराम यादव)

गया था और आज भी मेरे पास ऐसी रिपोर्टें हैं सरकार के द्वारा आश्वासन देने के बावजूद भी कि गरीब लोग, जिनकी आमदनी कम है, के साथ फसल आने तक कोई ज्यादती नहीं होगी । अभी मुझे रिपोर्ट मिली है कि ब्यावर के पास विश्नुपुरा गांव है, वहां बिरदाराम का मामला इसी हाउस में जनवरी में लाया गया था. आज मुझे यह कहते हुए काफी अफसोस होता है जिस व्यक्ति का मामला इस हाउस में लाया गया था, उसको संरक्षण देने की बात कही गई थी, आज उसके खलिहान में पड़ी हुई फसल को कुर्क कर लिया गया ।

मान्यवर, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस बिल का केटेगोराइजेशन इस आधार पर नहीं करेंगे कि कमजोर वर्ग से किस तरह वसूली होगी और बड़े आदमियों से किस रूप में वसूली होगी तब तक इस बिल का जो मूल उद्देश्य है वह पूरा नहीं होगा । दूसरी बात जो कलेक्टर साहब को किश्तों के अधिकार दिये गये हैं उस सिलसिले में यह निवेदन करना चाहता हूं कि कलेक्टर साहब को अधिकार तो दे दिए लेकिन आपने उनके डिस्क्रिशन पर छोड़ा है कि जैसा वह उचित समझें वह एक साल की किश्त बांध सकते हैं, दो साल की किश्त बांध सकते हैं और तीन पर आपने लिमिट कायम कर दी है लेकिन जब तक आप यह प्रावधान नहीं करेंगे कि इनकम को देखकर, किस वर्ग का आदमी है, उसकी कितनी आमदनी है, कितनी किश्त वह दे सकता है ......।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

कितने दिनों में वह दे सकगा—इस बात का जब तक प्रावधान नहीं होगा तब तक कलेक्टर साहब अपने खुद के डिस्क्रिशन पर अच्छा इन्तजाम कर सकेंगे इसमें भी शक है । जिस तरह के कलेक्टर जिस स्थान पर होंगे, जिस तरह की भावनायें उनकी होंगी, जैसी विचारधारा उनकी होगी, हमारी विचारधारा के साथ राष्ट्रीय प्रोग्राम के साथ और इस बीस सूत्री कार्यक्रम के साथ उनकी विचारधारा मेल खायेगी तब तो गरीब और कमजोर तबके को भरसक मदद देने का प्रयत्न कर सकते हैं और अगर इस विचारधारा के खिलाफ कोई जिलाधीश हुआ तो निश्चित रूप से जो पैसे वाले बड़े लोग हैं जिनके ऊपर हमको कुछ अंकुश लगाने की आवश्यकता है उन को राहत मिलेगी और जो गरीब लोग हैं उनको राहत नहीं मिल पायेगी । इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस बिल के अन्दर यह प्रावधान होना चाहिए ।

दूसरी बात इन्ट्रेस्ट की कही गयी है इसमें कहा है कि पहले का जो मूल एक्ट है उसमें सवा छः पर्सेन्ट उसके ऊपर लिया जाता था और अब उसको बढ़ाकर 13 पर्सेन्ट कर दिया गया । मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि आपने जो यह तर्क दिया है कि अब रेट्स बहुत बढ़ गये हैं और इसमें पुराने जमाने की रेट्स कायम हैं—मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपकी बात किसी सीमा तक यह सही भी हो सकती है लेकिन आप दूसरी तरफ भी नजर डालिये कि आप जो लोन देते हैं, कोआपरेटिव को लोन देते हैं, हाउसिंग

(श्री रतीराम यादव)
कोपरेटिव सोसाइटीज को लोन देते हैं, दूसरी चीजों के लिए लोन देते हैं, कारखानों को लोन देते हैं उसमें आप की रेट आफ इन्ट्रेस्ट क्या है ? क्या आप 13 पर्सेन्ट रेट आफ इन्ट्रेस्ट ले रहे हैं ? जहां तक मेरी जानकारी में है, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि 9 पर्सेन्ट से ज्यादा आज कहीं पर भी नहीं ले रहे हैं। इसलिए मेरा यह निवेदन है कि इसमें जो आपने 12 पर्सेन्ट रेट रखा है उसको हटाकर नीचे लाना चाहिए।

इसके अलावा मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें भी आपको वही नजरिया रखने की जरूरत है। अगर कोई तो इन-कम की आमदनी है, और कोई कमजोर तबके का आदमी है तो आप वसूली करते समय जब आखिरी किश्त डिमाण्ड करें तो आप कुछ रियायत दे सकते हैं जिससे उसके ऊपर व्याज का बोझ कम पड़े और जो बड़े लोग हैं उनसे पूरी तरह से इन्ट्रेस्ट की वसूली हो। इन्हीं शब्दों के साथ निवेदन करूंगा कि जो सुझाव रखे हैं उनको इसमें समाविष्ट करने के लिए और जो इसमें कमियां हैं और जो इसका उद्देश्य है जिसके लिए आपने अभी सदन में प्रस्तुत किया है उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए इसमें और सुधारों की आवश्यकता है इसलिए एक प्रवर समिति को इस बिल को सुपुर्द किया जाना आवश्यक है।

श्री सभापति : बनवारीलाल।

(अनुपस्थित)

श्री श्रीराम गोटेवाला।

(अनुपस्थित)

श्री मोहम्मद गफ्फार अली।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली (जौहरी बाजार) : सभापति महोदय, माननीय सदस्य श्री रतीरामजी ने तफसील के साथ सुझाव दिये। मेरा निवेदन यह है एक बुनियादी सवाल जो मुझे सदन के सामने रखना है वह यह है कि आज जो रकम बाकी है उसका लेखा-जोखा किया जाये तो यह पता चलेगा कि वह रकम ऐसे सक्षम वर्ग में बाकी है कि जो सक्षम वर्ग उस रकम को देने के लिए तैयार नहीं है। जैसा अभी माननीय सदस्य ने ध्यान आकर्षित किया है, बहुत सी रकम चाहे वह बिजली की हो, चाहे पानी की हो या और लेवी की हो, ऐसे वर्ग पर है जो या तो इन्डस्ट्रियलिस्ट्स हैं या राजा-महाराजा हैं या जिनका बड़ा व्यापार है उनके जिम्मे है। वह रुपया उनसे वसूल नहीं हो रहा है। अभी पिछले दिनों से सीमेन्ट फैक्ट्री, जो कि सवाई माधोपुर में है, के बारे में प्रश्न उठाया गया था और कहा गया था कि उनके जिम्मे कई लाख रुपये बिजली और पानी के बाकी हैं। वह रकम वसूल नहीं होती है क्योंकि वह कई तरह के तरीके निकालते हैं उस रकम को वसूल नहीं होने देने के लिए असल में होता यह है कि ऐसे इन्डस्ट्रियलिस्ट्स हैं वह रकम उनसे इसलिए वसूल नहीं होती कि वह गैर-मामूल रेमेडी सीक कर लेते हैं और उस महकमे से पाबन्द करा देते हैं या कलेक्टर से पाबन्द करा देते हैं कि यह रुपया वसूल नहीं किया जाये। तो जो हमें देखना है वह यह है कि जो बड़ी बड़ी इन्डस्ट्रियलिस्ट्स और राजा-महाराजाओं में रकम बाकी है उसकी वसूली करने

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

में तो कठिनाइयां होती हैं । उनके ऊपर काबू किस तरह से पाया जाये उसके बारे में मेरा निवेदन यह था कि कुछ ऐसे प्रावधान इसमें होने चाहिए थे कि इसमें जितनी रकम है उसका जुरिस्डिक्शन किसी सिविल कोर्ट को सुनने का अधिकार नहीं होगा या रकम वह पहले जमा करा देगा उसके बाद उसको सिविल कोर्ट में जाने का अधिकार होगा। यह असम्भव चीज नहीं है। अगर इन्कम टैक्स के बारे में भी किसी को आपत्ति होती है तो वह पहले इन्कम टैक्स की रकम पूरी या जितनी आफिसर कहता है जमा करा देता है और फिर अपील करने का अधिकार उसको होता है और फिर उसकी अपील सुनी जाती है । उसी तरह से प्रावधान पब्लिक डिमाण्ड रिकवरी एक्ट में होना चाहिए कि जिन लोगों के पास एक सीमा से ज्यादा, जैसे एक सीमा बांधा दी कि पांच हजार, दस हजार या बीस हजार तक सख्ती नहीं होगी और इस सीमा से ज्यादा कोई रकम होगी तो पहले वह रकम जमा करा दे, उसके बाद किसी कोर्ट की सहायता मिलेगी । इस तरह का प्रावधान होना चाहिए जो कि इसमें नहीं है।

जो इसमें प्रावधान हैं वह इस उद्देश्य से लाये गये हैं कि जो छोटी छोटी इन्डस्ट्रीज या छोटे छोटे लोग हैं जिनको कर्जा दिया गया है वह देने की स्थिति में नहीं तो उनकी किश्तें मुकर्रर कर दी जायें और उनकी रकम की वसूली की भी कोई सूरत पैदा हो जाये। तो यह उद्देश्य तो बहुत ही सराहनीय है । इस बिल के उद्देश्य से मुखालफत नहीं है लेकिन हमारा निवेदन यह है कि जो रकम बड़ी बड़ी हैं जो बड़े बड़े लोगों के अन्दर है उनके बारे में आप इन कठिनाइयों को किस तरह से दूर करना चाहते हैं ?

मुझे मालूम है कि एक सिर्फ सीमेन्ट फैक्ट्री में नहीं बल्कि बिड़ला के जिम्मे भी लाखों रुपयों का मतालबा बाकी है । वह इसलिए वसूल नहीं होता कि उनके साथ लोग हैं और वह किसी भी अदालत में जाकर स्थगित करा लाते हैं और वह मामला पड़ा रहता है। हमारे अधिकारी जिस समय वसूली करनी चाहिए उसके लिए तुरन्त कार्यवाही नहीं करते और ढील दे देते हैं और ढिलाई रहने के बाद कोई न कोई साधन से उस चीज को ड्राप कर देते हैं । मेरा इस सिलसिले में यह निवेदन है कि आप इस विषय में गौर कीजिए कि इस किस्म का कोई प्रावधान हो जिससे बड़ी बड़ी रकमों की वसूली हो सके और वसूली होने के बाद आप अपने कामों में ला सकें । ऐसा कोई प्रावधान इसमें सम्भव है या नहीं ? आप यह कानून तो ले आये उसके बावजूद भी जो कार्यवाहियां रुकी हुई हैं या जो रकम कानूनी अड़चन की वजह से वसूल नहीं हो रही है वह अब भी नहीं होगी । इस प्रावधान से सबको सहूलियत मिल जायेगी । जो सक्षम वर्ग है उनको मिल जायगी और जो गरीब हैं उनको भी मिल जायेगी । तो यह अन्तर तो करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए इस किस्म का कोई प्रावधान हो एक ऐसे सक्षम वर्ग के लिए कि जिससे आप रुपया वसूल नहीं कर पाते हैं उससे आप वसूल करने की स्थिति में हों । तो एक तो निवेदन यह है कि इस

Page No 69

(69)

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)
बारे में आप सोचें कि इस किस्म का कोई प्रावधान हो सकता है और किस हद तक हम इस चीज को सफल बना सकते हैं।

दूसरी चीज जो मैं निवेदन करना चाहता हूं वह यह है कि पुराने मतालबों में एक चीज आम तौर से देखी है मैंने और मुझे जो तजुर्बा इन दिनों में हुआ है वह यह है कि अटेचमेंट भेजते हैं कुर्की का, कुर्की करने का आर्डर भेजते हैं कलेक्टर और कुर्की करने वाले अफसर जाते नहीं हैं, पहुंचते नहीं हैं। तीन सौ रुपये की कुर्की के इन्तजाम के सिलसिले में अधिकारी जो भेजा गया है उनका खर्चा उस पर बढ़ा दिया जाता है और इसका असर छोटे छोटे लोगों पर होता है। किसी बड़े इण्डस्ट्रियलिस्ट पर इसका असर नहीं होता है लेकिन जिन लघु उद्योगों को आपने कर्जा दिया है उनके कर्जे की अदायगी का सवाल पैदा होता है या मकान के लिऐ कर्जा दिया है उसकी वसूली का सवाल पैदा होता है तो ऐसे लोगों पर बहुत सा रुपया चढ़ा दिया जाता है जब कि न वहां अफसर जाता है और न उसमें कोई कार्यवाही होती है, न नीलामी होती है। उस पर लिख देते हैं नीलामी करने के लिए दो फलां आदमी गए और डेढ़ सौ रुपया उनका और लगा दिया। तो यह जो कर्जा गरीबों के ऊपर होता है, वैसे ही छोटे गरीबों पर बोझा होता है उसके बाद यह एडीशनल बोझा जो कलेक्टर द्वारा ऐसी एजेंसीज, जो इस रकम को वसूल करती हैं, के द्वारा बढ़ाया जाता है किसी काश्तकार पर या छोटे छोटे मकान वालों पर तो उसको बड़ी कठिनाई पैदा करता है। तो अब यह तो सहूलियत हो रही है कि इन्स्टालमेंट कर दें। यह अब कर रहे हैं लेकिन पहले इन्स्टालमेंट नहीं होता था तो वह कह देते थे कि हम तो डिले नहीं कर सकते साहब, फ्रेश नोटिस देना पड़ेगा इसलिए हमें तो नीलामी करनी है। फिर झूठा फार्म तैयार करते हैं कि नीलामी करने के लिए बोली पुकारी गई लेकिन कोई बोली बोलने वाला नहीं आया इसलिए दो सौ रुपये और बढ़ा दिए गए। इस किस्म की कठिनाई पब्लिक डिमाण्ड रिकवरी एक्ट में होती है, वह दूर होनी चाहिए।

तीसरा निवेदन करना यह है कि कुछ अगर इस तरह की लिमिट हम कायम करते कि इस किस्म के लोगों पर यह सूद वसूल किया जाएगा और छोटे काश्तकार या छोटे मकान के मालिक हैं उनसे यह सूद वसूल किया जाएगा तो वह डिस्क्रिमिनेशन कानून के लिहाज से रखा गया होता तो कोई आपत्ति नहीं होती। अब चूंकि आपने यूनिफार्म लॉ बनाने की तजवीज की है इसलिये हमारी पार्टी का यह कहना है कि यह छः पर्सेन्ट जो आज है उसको 13 पर्सेन्ट करते हैं तो वह फिर बहुत बड़ा भार हो जाता है। दूसरा मेरा निवेदन करना था वह यह था कि वह कुछ उचित भी मालूम नहीं होता। यानी कानूनन जो मतालबा किसी रकम का है उससे ज्यादा दुगुनी रकम वसूल आप करते हैं तो जो पैनल्टी है वह असल सूद से भी ज्यादा हो जाती है। असल सूद छः पर्सेन्ट है और 12 पर्सेन्ट उसका दुगुना करें और

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)
फिर लें 13 पर्सेन्ट। तो फिर हमारी पार्टी का कहना यह है कि आप इस सूद को छः पर्सेन्ट से 13 पर्सेन्ट कर रहे हैं उसके बजाय 9 पर्सेन्ट कर दें ताकि पैनल्टी भी हो जाय और वह भी डेढ़ गुनी हो जाय और दुगुनी से ज्यादा करें तो मुनासिब मालूम नहीं होता। इसलिए मेरा निवेदन है कि मैंने सुझाव रखे हैं उन सुझावों के साथ में सही मालूमात करने के लिए प्रवर समिति को सुपुर्द किए जाने मैंने तजवीज की है।

श्री सभापति : श्री मोहरसिंह।

श्री मोहरसिंह (सादुलपुर) : माननीय सभापति महोदय, जो संशोधन विधेयक माननीय वित्त मंत्री द्वारा हाउस में पेश किया गया है, इसके ऊपर और भी ज्यादा विचार की आवश्यकता है। संजीदगी से सोचने की आवश्यकता है पास करने से पहले इसलिए इसको प्रवर समिति को सुपुर्द किया जावे, इसलिए मैंने इसमें यह संशोधन रखा है। माननीय सभापति महोदय, जिस तरह कि हमने आगे बढ़ने का रास्ता समाजवाद का अपनाया है और विशेष करके अब जो हम एक नए आर्थिक ढांचे को देश के अन्दर बनाने की आवाज दे रहे हैं, गरीबों को ऊंचा ऊठाने का नारा दे रहे हैं, तो हमें कानून बनाते समय इस बात का नजरिया जरूर रखना चाहिए कि उसमें गरीब आदमी को कितनी राहत पहुंचती है। जिस तरह से चूरू क्षेत्र के बारे में आज तक कहता आया हूं कि वहां पर जो इस तबके के आदमी हैं, जो गरीब हैं और ज्यादातर वे पिजेंट्री से ताल्लुक रखते हैं, शुरू से आखिर तक वे आपके कुछ कानूनों के कारण से, कुछ हमारी सरकार का चलने का जो रास्ता है उससे ज्यादा से ज्यादा दबाव ही महसूस करते आ रहे हैं। सभापति महोदय, इसलिए मैं अब भी महसूस करता हूं कि वास्तव में जिनका ज्यादा वास्ता पड़ेगा इन चीजों से, यह कानून कहीं उन लोगों के लिए अभिशाप बन कर तो नहीं आ जायगा। इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा सोचने की आवश्यकता है। जिस प्रकार से कि अभी मतालबे गवर्नमेंट की तरफ से रात दिन ज्यादा बढ़ाए जा रहे हैं, अभी थोड़े दिनों पहले ही हमने जमीन की कीमत मुकर्रर की उसमें किश्तें भी बांधी हैं, उसकी भी वसूली का सवाल सामने आएगा। जिस तरह से टैक्स सरकार के द्वारा रात दिन, दिन दूना रात चौगुना बढ़ाया जाता है, जिनका असर गरीबों पर रात दिन ज्यादा से ज्यादा पड़ता है। इस प्रकार का जो कानून है वह वसूलियां करने के अन्दर किसी प्रकार गरीबों पर ज्यादा जोर तो नहीं डाल देगा, ज्यादा से ज्यादा दिक्कतें और परेशानियां तो नहीं डाल देगा इस बात का भी हमें ख्याल रखना चाहिए। सभापति महोदय, आज जो संशोधन विधेयक लाया गया है उसके लिए मैं साफ तौर से कह देना चाह रहा हूं कि देश के अन्दर असल में जितने बड़े बड़े लोग हैं, लखपति, करोड़पति जिनके अन्दर लाखों करोड़ों रुपया बकाया पड़ा है ऐसे करोड़पति लोगों पर इसका असर पड़ने वाला नहीं है बल्कि इसका असर तो गरीबों पर ही पड़ेगा। इसलिए उन गरीबों की तरफ देखें, यानी इन गरीबों को ज्यादा से ज्यादा राहत पहुंचाने के

(श्री मोहरसिंह)
लिए हर तरह से कोशिश करनी चाहिए। उनको किसी प्रकार की तकलीफ न आवे, और वसूलियां इस किस्म की हों कि जिससे आराम से जिन्दा रह सकें, बसे रह सकें, अपने काम को ठीक तरह से कर सकें। रोजाना कभी कलेक्टर के पास, कभी तहसीलदार के पास और कभी नाजिम के पास न जाना पड़े, कभी किश्तें बंधाने के लिए पचास पचास, साठ साठ, सत्तर सत्तर कोस से जाकर कलेक्टर को दरख्वास्त न देनी पड़े, टाईम का वेस्ट न करना पड़े, अपने एग्रीमेंट के कारण दूसरों का मुंह न देखना पड़े और खर्चा बरदाश्त न करना पड़े इसलिए इसके अन्दर प्रावधान रख कर हमें ज्यादा से ज्यादा सोच विचार कर इस प्रकार से व्यवस्था करनी चाहिए जिससे कि गरीबों को कम से कम तकलीफ उठानी पड़े यह सरकारी मतालबा चुकाने में।

माननीय सभापति महोदय, इसी प्रकार से आज प्रमाणीकरण किए बिना मतालबा भेज दिया जाता है जब कि कोई नहीं देखता कि इतना रुपया किसान के ऊपर निकलता है या नहीं। उसके पास रसीद पड़ी है, उसने सारा पैसा दे दिया है, उसकी किश्तें बंधी हैं, किश्तों का यह पूरा पैसा दे दिया है। इसके लिए सबसे पहले यह सख्त पाबन्दी हो कि बहुत सोच विचार करने के बाद रकम वसूल की जावे। उसमें किसानों को ज्यादा से ज्यादा परेशान न होना पड़े, उसे भाग दौड़ नहीं करनी पड़े। इसके साथ साथ, सभापति महोदय, इसी तरीके से आज बराबर अकाल का समय हमारे यहां आता है उसमें किस प्रकार किसान कर्जे को चुका सकेगा। किस प्रकार से मतालबा दे सकेगा, इसके ऊपर रोजाना चर्चा होती है। इसलिए उनके अन्दर जो किश्तों का प्रावधान रखा है मैं इतना तो स्वागत करता हूं कि तीन किश्तें बना दी लेकिन इससे भी कुछ आगे बढ़ने की जरूरत है। दूसरी इसमें सहूलियत दी जानी चाहिए कानून के जरिये कि जो पास में छोटे से छोटा नजदीक से नजदीक रेवेन्यू अफसर है, तहसीलदार है उसको पावर्स दी जावें तो किसानों को कुछ राहत मिल सकती है।

इसके साथ साथ, सभापति महोदय, जिस प्रकार हमारा यह नजरिया है, रोजाना गरीबों को दिखाने के लिए, लोगों को भ्रम में डालने के लिए, प्रचार ज्यादा और असल में राहत कम, थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ा कर और दुबारा दो कदम पीछे रख दिया जाता है। राहत कम और उससे रिकवरी ज्यादा करने की कोशिश की जाती है, यह हमारा नजरिया रहा है। ऐसी सूरत में हमें इस बात का विचार ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए, इसके अन्दर प्रावधान करना चाहिए कि उसको किसी न किसी तरह से परेशानियों से बचाया जावे और सहूलियत के अनुसार उससे सरकारी कर्जा लिया जावे। ऐसा न कर दें कि उसकी गायें, उसकी बकरियां या इस तरह की चीजें कुर्की करके ले जावें। मैंने देखा है चूरू जिले में जो वसूलियां होती हैं, और जिलों में भी इस तरह की वसूलियां होती हैं कि इस प्रकार से उनकी गायों को, भैंसों को ले जाते हैं। गरीब आदमियों के साथ तो इस प्रकार का बर्ताव होता है और उधर करोड़पति लोग हैं जिनके ऊपर पन्द्रह पन्द्रह

(श्री मोहरसिंह)

वर्ष का कर्जा बकाया पड़ा है, उनको कोई नहीं पूछता। या तो हमारा समाजवाद का नारा सारा का सारा तथाकथित है, यह कल्याणकारी राज्य का नारा वह करोड़पतियों के लिए, ऐसे बड़े लोगों के लिए है, गरीबों के लिए नहीं है। ऐसी स्थिति में जब हम थोड़ी थोड़ी राहत देने की बात करते हैं, एक कदम आगे चलते हैं और दो कदम पीछे हट जाते हैं जैसे अभी कुछ जमीनें देने की बात की, आवासीय भूखण्ड देने और दूसरी राहत देने की बात की, यह एक कदम आगे बढ़ा। अब यह कानून इस प्रकार का नहीं बन जाना चाहिए एक आना की राहत देकर उल्टे 15 आना किसानों से आप छीन लें। इस प्रकार का कोई प्रावधान किसी भी कानून में बनेगा तो वह कल्याणकारी नहीं हो सकता है। ऐसी सूरत में, सभापति महोदय, यह जो हमारी टैक्सेशन की पॉलिसी है, उसका विरोध करता हूं। वसूली का जो तरीका है, उसके अन्दर राहत देनी है, सहूलियत देनी है, तीन किश्तों से ज्यादा किश्तें हों, यह ठीक है। किन्तु किश्त करने का अधिकार कलेक्टर के पास न रह कर तहसीलदार के पास हो तो उचित होगा।

एक विषय की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। उसका इसमें समावेश नहीं होता है। मैं यह कहना चाहता हूं कि बहुत तकलीफ उठा कर हम खजाने में पैसा इकट्ठा करते हैं परन्तु यहां पर उसका मिसयूज होता है। अनाप-शनाप पैसा खर्च होता है। किसानों पर जुल्म कर पैसा लिया जाता है, बीस साल की नौकरी वालों को आपने रिटायर कर दिया, उनको घर बिठा दिया और यहां पर लाखों रुपया अनाप-शनाप खर्च होता है। यह गरीबों की कमाई है उसको आप यहां पर इस प्रकार ऐशो-आराम में खर्च करते हैं तो यह डेमोक्रेसी और बीस सूत्री प्रोग्राम का क्या होगा? यह गवर्नमेंट होस्टल में जो पारितोषिक वितरण का समारोह था, उसमें जन-प्रतिनिधियों के हर कदम पर बैण्ड-बाजे बजाये गये। हम राजा-महाराजाओं का विरोध किया करते थे और आज हम उन्हीं के रास्ते पर चल रहे हैं। इमरजेन्सी का यह मतलब नहीं है कि हम किसानों के पसीने की कमाई इस तरह खर्च कर दें,

(2.00 म०प०)

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष, पीठासीन)

श्री दीपंकर: वहां तो जनप्रतिनिधियों का सम्मान था?

श्री मोहरसिंह: मैं भी यही कह रहा हूं। अगर जनप्रतिनिधि इस तरह की गलत मिसाल कायम करेंगे तो जनता का क्या होगा? आज हमारे ऊपर हजारों रुपया खर्च हो रहा है, यह सब किसानों की गाढ़ी कमाई है। क्या आपकी यह इमर्जेन्सी है कि गरीब लोगों को बेकार बनाते जायें, उनको परेशान करें, यह आपको सोचना है। यह बड़ी गाढ़ी कमाई है इसको सोच समझ कर खर्च किया जावे। मुझे शर्म आती है, एक तरफ हम कानून बनाते हैं सौ आदमी से ज्यादा की पार्टी नहीं हो और हम अपनी ही पार्टी में 300-300 आदमियों को बुलाते हैं। आप खुद यहां पर बैठ कर कानून बनाते हैं और खुद ही कानून तोड़ते हैं। हम कहां पर जा रहे हैं, सोचियेगा, हम

(श्री मोहरसिंह)

किसानों की गाढ़ी कमाई को उड़ा रहे हैं—किसानों को और सहूलियतें देनी चाहियें और खजाने के पैसों को सही ढंग से खर्च करना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही संशोधन लाया गया है, उसके अन्दर जो व्यवस्था की गयी है, वह सराहनीय है। मैंने यही उसूल नहीं बनाया है कि विरोध करूं, आपकी हर बात का विरोध करूं। यह जो तीन किश्तें की गयी हैं, मैं उसकी सराहना करता हूं लेकिन इसके अन्दर केटेगेराइजेशन होना चाहियें। किसानों को और सहूलियतें होनी चाहिये। उनकी गाय, भैंस, बकरी कुर्क होने का मौका नहीं आना चाहिये। परन्तु आपने ब्याज की रकम जो पहले सवा छः प्रतिशत थी, को बढ़ा कर तेरह प्रतिशत कर दिया है। इस प्रकार आपने सूई का फायदा दे कर ऐरन से खिंचाव कर लिया। थोड़ा सा फायदा दे दिया तो उसका दुनियां भर में ढोल बजा दिया कि गरीबों के लिए यह कर दिया और यह तेरह प्रतिशत ब्याज क्या सीधा उन पर असर नहीं डालेगा? सेठ बिड़ला पर सरकार के करोड़ों रुपये बकाया हैं, डालमिया में बकाया हैं, साहू जैन में बकाया है किन्तु उन पर आपकी कुर्कियां नहीं होती हैं। उनको तो आप रोजाना सहूलियतें दे रहे हैं। करोड़ों रुपयों की वसूली उनसे नहीं कर रहे हैं। गरीब के ऊपर कुर्की कर देते हैं। इस तेरह प्रतिशत ब्याज का असर सीधा ही किसानों पर पड़ेगा। समाजवाद की आप बात करते हैं तो उसको लाने के लिये आपको हर कदम पर सोचना होगा, कानून में प्रावधान करना होगा। गरीब आदमियों पर इसका असर हो, इस प्रकार की व्यवस्था हो कि वे गरीब अपनी जिन्दगी सहूलियत के साथ जी सकें। इस बात का ख्याल करना होगा और इसके अन्दर जो खामियां हैं, उन पर सोचा जाय। इसके लिए इसको एक माह या सात दिन के लिए यह प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जावे, यह सेशन तो आज एडजोर्न हो रहा है, प्रवर समिति इस पर विचार करे इसके अन्दर जो खामियां हैं उन खामियों को दूर करे ताकि इलाके के गरीब यह कह सकें कि एम. एल. एज. हमें राहत देने के लिए भी कुछ सोचते हैं। उनको जिन्दा रखने के लिए, उनको सहूलियत देने के लिए कानून में यह होना चाहिए ताकि इलाके के किसान, मजदूर, गरीब यह सोच सकें कि एम. एल. एज. वहां जाकर 35 से बढ़ाकर 51 रुपया का भत्ता लेते हैं, हमारी राहत के लिए भी सोचते हैं। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करता हूं कि यह जो संशोधन विधेयक यहां पर लाया गया है इसे प्रवर समिति को सौंपा जाये जो इसकी सारी गलतियों को ठीक करके इस संशोधन को अगले सेशन में सदन के सामने पेश कर सकें।

समितियों का गठन

समितियों के सदस्यों के मनोनयन की घोषणा

श्री उपाध्यक्ष : मैं प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के अन्तर्गत निम्नलिखित समितियों के सदस्यों एवं सभापतियों के नामों की घोषणा करता हूं जो इस प्रकार है :—

याचिका समिति

सभापति श्री शंकरलाल

सदस्य " शिवनारायण

(श्री उपाध्यक्ष)

श्री रामकुमार (सपोटरा)
,, हाजी जान मोहम्मद
,, चतुरभुज
,, गोपीलाल
,, श्रीनिवास शारदा
,, शंकरसिंह रावत
,, भैरूलाल
,, हनुमानसहाय व्यास
,, रामेश्वरलाल सैनी
,, लूणाराम
,, गोपालसिंह

श्री रावतराम
,, जगमोहनसिंह
सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव
श्री मनोहरलाल
,, रामानन्द अग्रवाल

विशेषाधिकार समिति

सभापति श्री श्रीराम गोटेवाला
सदस्य ,, भोपालसिंह
,, रामलाल (बाड़ी)
,, हुकमसिंह
,, अब्दुल हादी
,, प्रतापसिंह
,, रामेश्वरलाल (नावां)
,, गिर्राज प्रसाद तिवाड़ी
,, नानालाल
,, सुन्दरलाल
,, रामसिंह विश्नोई
,, योगेन्द्रनाथ हांडा

अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति

सभापति श्री शोभाराम
सदस्य ,, मनोहर कोठारी
,, भंवरलाल भदादा
,, शीशराम ओला
,, वीरबल
,, सज्जनसिंह
,, सुखलाल सैंणचा

पुस्तकालय समिति

सभापति श्री मीठालाल
सदस्य ,, मोहम्मद उस्मान
,, मानसिंह
,, रामसिंह कुड़ी
,, भरतलाल

अनुसूचित जन-जाति कल्याण समिति

सभापति श्री भीखा भाई
सदस्य ,, रामचन्द्र (शेखपुरा)
,, रामचन्द्र रोत
,, हरलाल मीणा
,, भूराराम (93)
,, रामगोपाल (123)
,, देवीलाल मीणा
,, लालाराम
,, महेन्द्र कुमार
,, अलखाराम
,, जयनारायण रोत
,, लक्ष्मीनारायण
,, हरिकिशन

अनुसूचित जाति कल्याण समिति

सभापति श्री दिनेश डांगी
सदस्य ,, उम्मेदीलाल
,, चुन्नीलाल इंदलिया
,, जेठमल बरबड़
,, बिरदाराम

(श्री उपाध्यक्ष)

श्री जैसाराम
,, बेगाराम
,, भूरालाल [शाहपुरा (92)]
,, रामगोपाल सिसौदिया
,, नत्थासिंह
,, गणेशलाल
,, झाबरमल सून्डा
,, मालाराम

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति

सभापति श्री गंगाराम चौधरी
सदस्य ,, रणजीतसिंह
,, शंकरलाल जाट
,, जवाहरमल
श्रीमती भगवती देवी
,, समुन्द्र कंवर
श्री चेतराम
,, मोहनराज
,, करणसिंह
,, किशन मोटवानी
,, बनवारीलाल (धौलपुर)
,, भोमाराम चौधरी
,, रामजीलाल

नियम समिति

पदेन सभापति माननीय रामकिशोर व्यास
सदस्य श्री नारायणसिंह मसूदा
,, रामचन्द्र चौधरी
,, बी० एन० जोशी
,, माणकचन्द सोगानी
,, सम्पतराम
,, यशवन्तसिंह नाहर
,, फूलचन्द जैन
,, शांतिलाल कोठारी
,, गिरधारीलाल व्यास

श्री पुखराज कालानी
,, बद्रीप्रसाद गुप्ता
,, गोरधनसिंह
,, नारायणसिंह दांता

गृह समिति

सभापति श्री जनार्दनसिंह गहलोत
सदस्य ,, रमेशचन्द्र सैनिक
,, भीमराज चौधरी
,, ललितसिंह
,, मनफूलराम
,, हरिश्चन्द्र पल्लीवाल
,, रामलाल (मेड़ता)
,, विशम्भर दयाल बोहरा
,, बृजेन्द्रपालसिंह

सामान्य कार्यों से संबंधित समिति

सभापति श्री पुखराज कालानी
सदस्य ,, सहदेव शर्मा
,, भगराज चौधरी
,, जयनारायण रौत
,, विट्ठल भाई
,, केशरीमल
,, हरिसिंह (बेगूं)

राजस्थान सरकारी मतालबा वसूली (संशोधन) विधेयक, 1976 को जनमत जानने हेतु परिचालित करने, प्रवर समिति के सुपुर्द करने के प्रस्तावों पर अग्रेतर विचार

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री मोहनराज : मेरा संशोधन था आबकारी विधेयक में।

श्री उपाध्यक्ष : यह पी० डी० आर० एक्ट चल रहा है।

श्री चंदनमल बंद (वित्त मंत्री) : इस एक्ट के सिलसिले में माननीय सदस्यों ने सुझाव दिये हैं कि प्रवर समिति को सुपुर्द कर दिया जाए या जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाए। मेरा निवेदन है कि यह बिलकुल निर्दोष एक्ट है। न मालूम माननीय सदस्यों ने कितनी बातें सोच लीं। इसमें केवल इतना है कि यदि किसी विभागीय अथोरिटी द्वारा सर्टीफिकेट दे दिया जाए कि अमुक आदमी में यह रकम बाकी है तो इस कानून द्वारा वसूल करने का संविधान पहले ही है। माननीय सदस्यों को पीड़ा हो रही थी कि वसूल करने में न मालूम क्या क्या जयादतियां होंगी, वसूल करने के लिए जो तरीके अपनाने हैं वे वर्तमान कानून में हैं। यह नया संशोधन कानून केवल उन पर लागू होता है जो लोग सरकारी बकाया देने में डिफालटर्स होते हैं, मान लीजिए कर्जा दिया हुआ है तो उसमें कितनी किश्तें निर्धारित हैं वह तो पहले से ही है, उसमें कोई फेर बदल नहीं है लेकिन यदि उसमें कुछ गड़बड़ी होती है, उसके लिए अधिकारी सर्टीफिकेट देता है कि हमने सब तरीके अपना लिए हैं और वसूली नहीं हो रही है तो पी० डी० आर० में वसूली की जाए। अब तक प्रावधान यह था कि एक ही किश्त में वसूल होता था, उसमें किश्तें बांधने का कोई प्रावधान नहीं था। अब केवल इतना किया जा रहा है कि जिलाधीशों को हम अधिकार दे रहे हैं कि जो आज तक एक मुश्त लेने का प्रावधान था उसको तीन साल में किश्तों में लेंगे। हम कहते हैं तीन साल में दे सकता है, मर्जी आए जितनी किश्तों में दे सकता है तो मैं समझता हूं, आज किसानों की बात करते हैं कि अत्याचार हो जाएगा, यह होगा वह होगा, वह प्रश्न नहीं उठता है। हम कहते हैं कि यदि कलेक्टर समझता है कि एक मुश्त में नहीं लिया जा सकता तो उसके बजाय तीन साल में चाहे कितनी भी किश्तें बांधकर वसूल करे। आप कहते हैं कि इसमें करोड़पतियों व उद्योगपतियों को फायदा हो जाएगा। दूसरी तरफ कहते हैं कि यह अधिकार तहसीलदार और कर्मचारियों को दे दें। कलेक्टर तो बड़ा अधिकारी है, वह सोचेगा किससे वसूल हो सकता है, किससे नहीं। जिससे नहीं हो सकता, उससे किश्तें बांधेगा। लेकिन तहसीलदार जो बिल्कुल नीचे का अधिकारी है, उसको डिस्क्रिशनरी पावर कैसे दे दें? इसलिए जानबूझकर हमने कलेक्टर को अधिकार दिया है जिससे पैसेवाला, पूंजीपति, उद्योगपति फायदा नहीं उठायें बल्कि गरीब लोग फायदा उठायें। लाडनूं से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि बिना पैसे बकाया हुए, सर्टीफिकेट्स दे दिए जाते हैं। ऐसा सर्टीफिकेट दे दिया जाए तो उसके लिए सिविल कोर्ट में कन्टेस्ट करने का अधिकार प्राप्त है। उसके बारे में मेरा संशोधन नहीं है। मेरा संशोधन निर्दोष है कि आज तक जो रकम एक मुश्त वसूल की जाती, वह तीन साल में चाहे जिलाधीश जितनी भी किश्तें बांधे वसूल की जाएंगी। यह स्वागत योग्य चीज है। माननीय सदस्य जिन्होंने आलोचना की वे इसका स्वागत करते और एक मत से पास करते तो ठीक रहता।

दूसरी बात जो कही गई है वह है 61 प्रतिशत की व्याज जगह 13 प्रतिशत यह

(श्री चन्दनमल बैद)

ब्याज उससे लिया जाएगा जो डिफाल्टर है बाकी जो समय पर पैसा दे रहे हैं उनसे वही ब्याज लिया जाएगा जो कर्जे की शर्तों के अनुसार देय है। उनसे ज्यादा नहीं लेना है। जिन्होंने समय पर पेमेंट नहीं किया है उनसे ज्यादा ब्याज लेना है, बाजार रेट से लेना है। बहुत से लोग मानते हैं कि हमें सरकारी पैसा मिल गया क्योंकि बाजार रेट 15 प्रतिशत है, सरकारी पैसा रख लो, 15 पर्सेन्ट कमाओ और सरकार को 6 प्रतिशत देना है, तो 9 प्रतिशत का कमीशन बीच में खाते रहो। इस चीज को रोकने के लिए यह प्रावधान किया गया है कि अगर डिफाल्टर है तो सर्टीफिकेट जारी होने की तारीख से 13 प्रतिशत ब्याज लिया जा सकता है। यह वाजिब है। माननीय सदस्य इस बात के लिए जोर देते रहे हैं कि सरकारी रकमों की वसूली जोर शोर से की जाए। कर्जा लेने वाले को मालूम है कि सरकार 6 प्रतिशत पर देगी, बाजार में 15 प्रतिशत ब्याज है, 9 प्रतिशत का अन्तर है, क्यों मैं सरकारी रकम चुकाऊं? इसलिए जरूरी है कि बाजार की रेट रखें ताकि लोगों पर दबाव पड़े कि अब सरकारी पैसा रखने से फायदा नहीं। इसलिए मैं माननीय सदस्यों के संशोधनों को मानने में असमर्थ हूं। मेरा निवेदन है कि विधेयक को विचारार्थ लिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : क्या आप अपना संशोधन प्रस्ताव वापिस लेते हैं?

श्री दीपकंर : मैं वापिस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि माननीय सदस्य को अपना संशोधन वापिस लेने की इजाजत दी जाए?

(स्वीकृत)

इजाजत दी गई।

श्री दीपकंर : मैं संशोधन प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रतीराम यादव।

श्री रती राम यादव : मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि माननीय सदस्य को अपना संशोधन वापिस लेने की इजाजत दी जाए?

(स्वीकृत)

इजाजत दी गई।

श्री रतीराम यादव : मैं संशोधन प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

विधेयक पर विचार

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान सरकारी मतालबा वसूली (संशोधन) विधेयक, 1976 को विचारार्थ लिया जाए।

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

खंड 2

श्री रतीराम यादव। Do you press it?

श्री रतीराम यादव : जी हां।

श्री चंदनमल बैद : मैं जवाब दे चुका हूं।

श्री रतीराम यादव : मेरा संशोधन क्लॉज 2 के अंदर है

In the proposed new section

(श्री रतीराम यादव)
13-A sought to be inserted, the following proviso be added after the existing proviso, namely:—

"Provided further that, if the person from whom recovery is to be made, is a small or marginal farmer, village artisan or agricultural labourer or a person whose average annual income is less than five thousand rupees the instalments granted may be spread over a period of five years."

उपाध्यक्षजी, मैंने यह संशोधन इसलिए मूव किया है, जैसे मैंने पहले भी निवेदन किया था कि इस बिल के अंदर यह प्रावधान नहीं है कि जिलाधीश किस आधार पर किश्तें तय करेगा। सब कुछ उसकी मर्जी पर छोड़ दिया गया है, और जैसा मैंने निवेदन किया कि जिलाधीश पर जब हम छोड़ देते हैं तो कलेक्टर जिस विचारधारा का होगा, निश्चित रूप से वैसे करेगा। मुझे खतरा है। यदि वह गरीबों का पक्षपाती है, हमदर्द है तो गरीबों के पक्ष में इन्सटालमेंट्स तय करेगा। अगर वह पूंजीवादी विचारधारा का है तो बड़े लोग हैं जिनकी बड़ी आमदनी है, उनको रियायत गा। इसलिए हम इस खतरे को रखें क्यों? हम पहले ही इस बिल में इस तरह का प्रावधान कर दें जिससे यह खतरा आए ही नहीं। जिलाधीश के सामने निश्चित तौर से यह दिशा रहनी चाहिए कि मुझे किश्तें कौनसी केटेगरी के लिए निर्धारित करनी है। डिफाल्टर कमजोर वर्ग से है अथवा बड़ा मिल-ओनर या लैंडलार्ड है या भूतपूर्व महाराजा है। इसलिए मैंने जो संशोधन रखा है, इसका अध्ययन आवश्यक है, और मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि वह गंभीरता से इसकी अहमियत से महसूस करें और संशोधन विधेयक में इसको स्थान दें।

श्री चंदनमल बैद : जैसे मैं निवेदन कर चुका हूं, यह प्रोवीजन उन लोगों के लिए है जो सरकारी मतालबा देने में डिफाल्टर्स हैं। आलरेडी सरकारी कर्जा देने में या दूसरी सुविधायें देने में हम पहले ही सोच लेते हैं कि अगर स्माल फार्मर है या आर्टीजन है तो पहले ही ब्याज की दर कम होती है, उसका खयाल रखा जाता है। यह तो उन लोगों पर है जो सरकारी मतालबा नहीं देते हैं। इसलिए उन पर 13 प्रतिशत ब्याज लगाते हैं और साथ ही साथ केवल तीन साल की किश्तें बांधने का अधिकार जिलाधीश को दिया है। इसलिए यह गरीब लोगों पर, अच्छे आदमियों पर लागू ही नहीं होता है। अतः माननीय सदस्य का भ्रम निर्मूल है। इसलिए उनका संशोधन मानने में मेरी मजबूरी है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खंड दो में जो संशोधन प्रस्ताव तिजारा से आने वाले माननीय सदस्य ने रखा है, उसको स्वीकार किया जाए।

(अस्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खंड 2 को स्वीकार किया जाए।

(स्वीकृत)

(श्री उपाध्यक्ष)

खंड 2 स्वीकार किया गया।

खंड 3

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : यह तो वही है।

श्री रतीराम यादव : दोनों का एकसा संशोधन है, इसलिए मैं ही रख रहा हूं।

मेरा संशोधन यह है कि:—

In sub-clause (ii) of clause (a) sought to be substituted in section 14, replace the word "nine" for the word "thirteen".

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने यह संशोधन इसलिए रखा है कि अभी मंत्रीजी ने जो पहले बहस का उत्तर दिया था तो उन्होंने यह फरमाया था कि हमने केवल डिफाल्टर्स के लिए यह रेट रखी है और जो डिफाल्टर्स नहीं है उन पर तो हमने वही रेट रखी है 6। पर्सेंट . . .

श्री चंदनमल बंद : मैंने यह नहीं कहा। उनके लिए वही रेट है जो उनके कर्जे में शामिल हो, चाहे 3 हो, चाहे 9 हो, जो भी ओरिजनल रेट है। इससे इसका कोई संबंध नहीं है। जो डिफाल्टर्स नहीं हैं उनके लिए कह रहा हूं।

श्री रतीराम यादव : इसलिए मेरा निवेदन है कि जो दूसरे लोन्स है, कोआपरेटिव लोन या हाउसिंग फाइनेन्स सोसायटी लोन है अथवा दूसरे एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी के किसी तरह के लोन्स हैं उनमें चाहे रेट बहुत नीची है, मेरा निवेदन है कि यह रेट भी उसी तरह से केटेगोराइज्ड होना चाहिए कि जो गरीब तबके के लोग हैं, वे डिफाल्टर बनते हैं, उनकी परिस्थितियां क्या हैं इस गहराई में हमको जाना पड़ेगा। मजबूरी के अंदर डिफाल्टर्स बनते हैं अथवा जानबूझकर। जहां उच्च आमदनी के लोग जानबूझकर डिफाल्टर्स बनते हैं जैसे आपने कहा ब्याज दर मार्केट में ऊंची है और सरकारी पैसे की कम है, इसलिए इसको बचाने के लिए जो डिफाल्टर्स बनते हैं, यह नीयत तो बड़े लोगों की हो सकती है, लेकिन जिनको थोड़ा थोड़ा कर्जा मिलता है, ऐसे लोग इस तरह की नीयत बनाकर डिफाल्टर्स नहीं होते हैं। प्रेक्टीकल में भी यही देखने में आता है। इसलिए आप इसमें इन्कम के हिसाब से कटेगरी बनाकर प्रावधान करें कि वह कमजोर वर्ग के लिए ब्याज दर कम होनी चाहिए और बड़े लोगों के लिए आपने जो प्रावधान रखा है, बेशक हो, लेकिन लो इन्कम वालों का 9 प्रतिशत से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तभी हमारे 20 सूत्री कार्यक्रम का उद्देश्य है और समाजवादी समाज के निर्माण की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, वह लक्ष्य पूरा कर पायेंगे।

श्री चंदनमल बंद : एक तरफ हम इस बात की दलील दे रहे हैं कि गरीब किसान, मार्जिनल फार्मर्स और आर्टीजन्स को परेशानी नहीं होनी चाहिए दूसरी तरफ कहते हैं कि एक एन्क्वायरी और होनी चाहिए जो तय करे कि कौन मार्जिनल फार्मर्स हैं, किसकी आमदनी 5,000 से ज्यादा है, किसकी कम है। तहसीलदार के यहां एन्क्वारी शुरू हो जो डिफाल्टर है उसकी आमदनी 5,000) से कम है या नहीं, इसकी जांच की जाय, फिर रिवीजन हो, अपील हो....

श्री रतीराम यादव : इन्क्वायरी की जरूरत नहीं है।

श्री चन्दनमल बैद : मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूं कि डिफाल्टर्स पर लागू है, जो समय पर पैसा वापस करते हैं उन पर लागू नहीं होता है। इसलिए संशोधन मानने में मेरी मजबूरी है।

श्री उपाध्यक्ष : Do you want to withdraw?

श्री रतीराम यादव : No.

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खंड 3 में तिजारा से आने वाले माननीय सदस्य का संशोधन स्वीकार किया जाए?

(अस्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया।

प्रश्न यह है कि खंड 3 को स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड 3 स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खंड 1, अधिनियमन सूत्र, नाम एवं प्रस्तावना आदि को स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खंड 1, अधिनियमन सूत्र, नाम एवं प्रस्तावना आदि को स्वीकार किया गया।

श्री चन्दनमल बैद : मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान सरकारी मतालबा वसूली (संशोधन) विधेयक, 1976 को पारित किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान सरकारी मतालबा वसूली (संशोधन) विधेयक, 1976 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

राजस्थान आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1976

श्री चंदनमल बैद : मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1976 को विचारार्थ लिया जाए।

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का प्रस्ताव

श्री उपाध्यक्ष : श्री दीपंकर।

[निम्नांकित प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया : "राजस्थान आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1976 को एक सप्ताह/एक माह के लिये जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाये।"]

श्री दीपंकर : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो संशोधन रखा है उसकी मंशा जिस तरह से सरकार की है कि लोग कम मात्रा में शराब पीयें, गैर तरीके से शराब न बने और उसके साथ ही साथ ऐसा धंधा करने वालों को दंडित कर सकें। इस भावना से रखा है परन्तु निश्चित दायरे से बचकर इसके लिए और व्यवस्था बढ़ाई जानी चाहिए थी। उधर, मैं समझता हूं, मंत्री महोदय का ध्यान नहीं गया।

(श्री दीपंकर)

इसलिए मैं प्रस्ताव करता हूं कि इसे जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाए और इसमें विशेष बहस की गुंजाइश नहीं। जो 1950 का मूल कानून है, उसमें धारा 30 (क) के अन्तर्गत जो संशोधन स्थापित कर रहे हैं उसमें ब्याज की दर में कहीं 1 कहीं 1॥ पर्सेन्ट वृद्धि कर रहे हैं। उसके साथ साथ में जो बकाया राशि है उसमें ब्याज बढ़ाने का प्रावधान है और दण्ड के लिए भी प्रावधान है। यह अप्रासंगिक मंत्री महोदय को जरूर लग सकता है, लेकिन जब संशोधन करने जा रहे हैं और उसकी मन्शा यह है कि जो भी वर्तमान विधेयक है उसमें जो कमियां हैं उन्हें और थोड़ा कड़ाई से बनाकर लागू किया जाए तो शराब जैसी चीज बनाने में जो लोग लगे हुए हैं, बहुत सी हमारी जातियां और परिवार हैं जो वर्षों से धंधा करते हैं, सजा भी भुगतते हैं, फिर वापस बनाते हैं। जो किताबें भी लिखी गई हैं शराब के नशे में, रुबाइयात बनाई गई हैं उसकी सभी दाद देते हैं। बच्चन ने जो मधुशाला लिखी है उसको कोई आदमी पढ़े तो एक लाइन को जरूर दाद देंगे "मंदिर मस्जिद सिर फुटवाते, मेल कराती मधुशाला", तो मधुशालाएं उस समय भी थीं, शराब का प्रयोग आज से नहीं प्राचीनकाल से होता आ रहा है, अब इसका नाम जरूर बदल दिया गया है, परन्तु प्राचीनकाल से यह समाज में चलता आया है, ऋषि-मुनियों के समय में इसको सोमरस कहते थे और आयुर्वेद में जो आसव का वर्णन है, द्राक्षासव और कई तरह से जो आसव बनाये जाते हैं, इसी प्रकार से ऋषि कन्याओं का प्रयोग अतिथि सत्कार के लिये किया जाता था। इसलिए शराब का प्रयोग तो किसी न किसी रूप में परम्परागत समय से चला आ रहा है। इसमें आप सुधार करना चाहते हैं, इसके लिये तो आप बधाई के पात्र हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। परन्तु जो अवैध शराब बनती है वह बन्द होनी चाहिए इससे समाज का एक बहुत बड़ा अंग ग्रसित है। इससे आपकी आमदनी तो जा रही है, लेकिन इससे समाज को बहुत बड़ा रोग लग रहा है इसको दूर किया जाना चाहिए। कुछ लोगों ने गांधीवाद के नाम पर इसका सहारा लिया है, गोकुलभाई भट्ट जैसे व्यक्ति जिनके घर में ही शराब पीना बन्द नहीं हुआ और बाहर वे आन्दोलन कर रहे हैं। मैं भी यह मानता हूं कि आप सारे राजस्थान में एकदम शराबबन्दी नहीं कर सकते हैं। जब तक इसका देशव्यापी चिन्तन नहीं होगा, देश के स्तर पर इस बारे में नहीं सोचा जायगा तब तक शराब बन्द नहीं हो सकती है। जिन जिलों में आपने लागू किया उनके नजदीक के जिलों में हम देखते हैं कि शराब की बिक्री बढ़ती जा रही है। उसके साथ ही हम देखते हैं कि हर गांव में और खेत खेत में अवैध शराब बनती है और इसका प्रयोग होता है, इसमें कई तरह की रद्दी चीजों का प्रयोग किया जाता है जिससे लोगों का जीवन संकट में पड़ता है। इसलिए जिस प्रकार से स्वास्थ्य मंत्रीजी खाने-पीने की चीजों में मिलावट परमिट नहीं कर सकते हैं उसी प्रकार से आपको भी इसका कोई इलाज करना चाहिए।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसलिए यह जरूरी है कि आप इसमें जो व्यवस्था करने जा रहे हैं उससे और

(श्री दीपंकर)

अधिक कड़ी व्यवस्था कीजिये, अवैध शराब बनाने की जो व्यवस्था है उसकी रोकथाम करने के लिये आपको कड़ी से कड़ी कार्यवाही करने की व्यस्था करनी चाहिए।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

जिस प्रकार से और चीजों में मिलावट करने से जीवन को खतरा हो जाता है उसी प्रकार से अवैध शराब भी जल्दी में बनाई जाती है, इसलिए कि उसकी जल्दी से जल्दी बिक्री हो जाय, न मालूम उसमें कितनी और कैसी चीजें डालकर उसको बनाते हैं, आपके विभाग के कर्मचारी उनको पेश भी कर देते हैं, कितनी जगह अवैध शराब बनती है यह उनको मालूम भी रहता है, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए कड़ी से कड़ी सजा की व्यवस्था होनी चाहिए, जो आपने कड़ी कार्यवाही की व्यवस्था की है उससे भी अधिक कड़ी होनी चाहिए। जिस तरह से स्वास्थ्य मन्त्रीजी ने मिलावट करने वालों के लिये बीस साल की सजा की व्यवस्था की है तो आप भी इतना कर दीजिये ताकि अवैध शराब बनना बिलकुल बन्द हो जाय और पीने वाले कोई और अच्छी चीज पायें। आज हम देखते हैं कि गली गली में अवैध शराब बन रही है, लोग छिपाकर ले जाते हैं, इनसे उनका स्वास्थ्य गिरता है और कई तरह के नुकसान होते हैं जिससे वे अकाल ही मृत्यु के मुंह में चले जाते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री दीपंकर : इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अवैध शराब की बिक्री को रोकने की कोशिश की जानी चाहिए।

दूसरा मेरा निवेदन यह है कि थोरा विस्की जो आपके विभाग के लोग पकड़ते हैं, ऐसा देखा गया है कि वे लोग खुद इसको पीते हैं। इसलिए यह कोशिश होनी चाहिए कि जो लोग उसको पकड़ते हैं वे इसको नहीं पीयें। जिन विभाग के लोगों से आप उनको पकड़वाना चाहते हैं कम से कम वे तो नहीं पीयें। ऐसा देखा गया है कि जिस विभाग के लोगों के सहयोग से शराब पकड़ी जाती है वे भी इसको पीते हैं, जो ड्यूटी पर होते हैं, वे ही इसको पीते हैं तो फिर आप दूसरों को कैसे रोक सकते हो? इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपके यहां पर कायदा यह है कि दो पैसे की पार्टी उसको पकड़ने के लिये जाती है, उनको आप भेजते हो जिसमें मिलट्रीमैन भी होते हैं उनका सहयोग लेते हैं, और पुलिस के आदमी भी होते हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : यह सब्जेक्ट मैटर नहीं है।

श्री दीपंकर : उसी की समस्या के बारे में ध्यान दिला रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने तो खुलासा करने की बात कही थी, आप बन्द करने की बात कह रहे हैं।

श्री दीपंकर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अधिक समय नहीं लेता हुआ मन्त्री महोदय से यही निवेदन करना चाहता हूं कि कड़ी से कड़ी दण्ड की व्यवस्था की

(श्री दीपंकर)

जानी चाहिए। उसके साथ ही मैं जो शराब बन्दी के सिलसिले में संशोधन लाने का है, दो प्रतिशत और डेढ़ प्रतिशत से आपका क्या मतलब है? दूसरी तरफ ठेकेदारों के अन्दर आपकी कितनी रकम बकाया पड़ी हुई है, उसके लिये अदालतों के अन्दर मुकद्दमे चल रहे हैं वकीलों में पैसे खर्च किये जा रहे हैं। जो बकाया है उसकी वसूली में आप किसी तरह की सख्ती नहीं बरत रहे हैं। लाखों रुपया की बकाया पड़ी है। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी इस वक्त यह होना चाहिए कि ठेकेदारों से जो बकाया है उसकी वसूली की तरफ ध्यान दिया जाय और यह कोशिश की जाय जिससे ठेकेदार लोग इस पैसे को खा नहीं सकें। एक समय ठेकेदार लोग हावी थे, आप इनको सुधारना चाहते हैं लेकिन ये नफे में चल नहीं सकते,

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

आपके जो बकाया निकलते हैं, आपने उसके लिये एरिया बांट रखा है,

श्री उपाध्यक्ष : यह तो बहुत लम्बा सब्जेक्ट है, समय सीमित है।

श्री दीपंकर : इतना ही मैं निवेदन करने जा रहा हूं कि आप इसको कम दर पर वसूल करने की व्यवस्था रखें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गिरधारीलाल भार्गव।

(अनुपस्थित)

श्री अजीतसिंह!

(अनुपस्थित)

श्री मोहम्मद गफ्फार अली!

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे तो सिर्फ यह निवेदन करना है कि....

श्री उपाध्यक्ष : आप जैसे पाक आदमी गन्दे सब्जेक्ट पर क्यों बोल रहे हैं?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : हमारे ऋषि मुनि भी बहुत पाक थे।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : मैं तो एक शेर अर्ज करना चाहता हूं और वह यह है, गालिब का शेर है—

"मय से गर्ज नियामत किस रू स्याह को, इक गुन बेखुदी मुझे दिन रात चाहिए।"

कहने का मतलब यह है कि आदमी जब ज्यादा परेशान हो जाता है, तो गम को गलत करने के लिये शराब पीता है।

मेरा यह निवेदन है, निवेदन नहीं सुझाव पेश करना चाहता हूं कि जिस एरिया में मन्दिर, और गुरद्वारे वगैरह हों उस एरिया में शराब की दुकान नहीं होनी चाहिए। जहां बस्ती होती है, जिस एरिया में शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग रहते हैं, या जहां पर कंजरों की बस्तियां हैं वे लोग अपने दुःख को भुलाने के लिये शराब पीते हैं लेकिन आज तक किसी भी गरीब को इससे कोई फायदा नहीं हुआ बल्कि वे स्वयं मिट गये। मैं आपको बताना चाहता हूं सेठी कालोनी में जहां प्राइवेट बस स्टेन्ड है, अभी हाल ही में मन्दिर और गुरद्वारे के दरमियान में देशी शराब की दुकान कायम कर दी गई है। मैंने कलेक्टर साहब को जाकर दरख्वास्त दी। उन्होंने एस.डी.ओ. को भेजा। एस.डी.ओ.

(८५)

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

ने नाप की। प्रॉहिबिटेड डिस्टेंन्स है उसके अन्दर है यह उस पर लिख दिया लेकिन आज तक कार्यवाही नहीं हो रही है। मेरा निवेदन यह है कि सक्षम वर्ग है, ऐसे लोग हैं जो एफोर्ड कर सकते हैं पीना, जहां वित्त मंत्री का मकान है, वहां शराब का ठेका लगाया जाय ताकि गरीब लोग प्रभावित नहीं हों, गरीब लोग नहीं पीयें और मालदार तबके के लिए ज्यादा सुविधा बढ़ा सकें। ऐसी जगह जैसे रेगरों की कोठी है, कोलियों की कोठी है, कोलियों का घेरा है, गिरे-पड़े मुसलमान तबके के लोग रहते हैं वहां दुकान कायम नहीं होनी चाहिए। मेरा यह निवेदन है कि इसके बारे में ठण्डे दिल से सोचना चाहिए, यह आपकी पॉलिसी है जिसको गांधी जी ने निर्धारित किया, उसका मकसद कुछ और है। उसका यह मकसद जरूर है कि ऐसी जगह दुकान न लगाई जाय जहां गरीब लोग बसते हैं। मेरा प्रॉहिबिशन में विश्वास नहीं है। प्रॉहिबिशन कामयाब नहीं हो सकता। मैं इस पाइन्ट आफ व्यू का हूं कि प्रॉहिबिशन कामयाब नहीं हो सकता। इसलिए यह दुकानें ऐसे स्थान पर न हों जो मजहबी प्लेसेज के पास हों, या ऐसी जगह न हों जहां गरीब रहते हैं।

दूसरी चीज निवेदन की है वह अमेंडमेन्ट के रूप में की है। आपने जो पनिशमेंट बढ़ाया है वह असल में सराहनीय कदम है और आपको यह बढ़ाना चाहिए था। आपने मिनिमम पनिशमेंट रखा है, यह डैटरेंट रहेगा, उससे लोग डरेंगे और यह जुर्म करने की हिम्मत नहीं करेंगे। लेकिन आपने आगे जुर्माने का रखा है, जो एरिअर बाकी है उसके लिए जुर्माने का प्रोविजन रख दिया है, काम्पीटेंट आँथोरिटी ने जहां कम कर दिया वहां कम लिया जा सकता है। मैं निवेदन करता हूं, यह डिलीट होना चाहिए और कॉरस्पोंडिंग सेक्शन से डिलीट होना चाहिए कि रकम कम होगी। एरिअर का बाकी है वह पूरा का पूरा वसूल होना चाहिए। संक्षेप में निवेदन यह है कि शराब पीने पर आप पाबन्दी लगायें, न लगायें यह राज्य सरकार का काम है, मैं प्रॉहिबिशन को प्रैक्टिकल चीज नहीं मानता। लेकिन उसके साथ यह जरूर निवेदन करूंगा कि वित्त मंत्री को इन गरीबों की तरफ तवज्जह करना चाहिए। आप एक कमेटी का निर्माण करें जिसमें माननीय सदस्य मोहनराजजी को मेम्बर बना दिया जाय। वह केसेज और जो पार्टी आना चाहे, वह उसके पास आवें। उसको एडवाइजरी करेक्टर पर कर दीजिये। दूसरे मन्दिर, मस्जिद, गुरुद्वारे

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

के करीब, ऐसी जगह जहां गरीब बसते हैं वहां दुकानें न रखें ताकि उनको राहत मिल सके। यह आपके अधिकारी हैं वह तस्लीम कर लें। यही सुझाव मैं रखना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मीठालाल मीणा।

(अनुपस्थित)

श्री मूलचन्द सामरिया।

(अनुपस्थित)

श्री झाबरमल सूण्डा।

(अनुपस्थित)

(श्री उपाध्यक्ष)

श्री विजयसिंह राठौड़ !

(अनुपस्थित)

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा !

विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द करने का प्रस्ताव

[निम्नांकित प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया :

"राजस्थान आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1976 की एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट कर दिया जाये जो अपना प्रतिवेदन एक सप्ताह/एक माह में प्रस्तुत करे) समिति के सदस्यों की नामावली बाद में प्रस्तुत कर दी जायेगी।"]

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा !

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : उपाध्यक्ष महोदय,......

श्री चन्दनमल बैद : कड़क के।

श्री उपाध्यक्ष : अब आप फर्मायें। आप क्या बोलेंगे ?

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : मैं शेर अर्ज करूंगा।

श्री चन्दनमल बैद : बाघ कीजिये।

श्री ओंकारलाल चौहान : मुकर्ररा इरशाद।

श्री उपाध्यक्ष : दीपंकरजी ने फर्मा-दिया कि यह ऐसा विषय है कि शेर याद आ जाता है।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : शेर उनके बारे में है जो अपने आपको सूफी कहते हैं अर्ज किया है :

"वह जो कभी पीते न थे शराब खुद

एक्साइज मिनिस्टर बैठे हैं।

एक दिन धोकर पी गये फर्श मयखाने की।"

श्री ओंकारलाल चौहान : मुकर्ररा इरशाद।

श्री चन्दनमल बैद : खूब पिलायी, खूब पिलायी।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : आप मयखाने गये थे।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : इस कानून में केवल शराब हो ऐसी बात नहीं है। गांजा है, चरस है, शिवजी की बूटी भांग है, सारी एक्साइजेबल चीजें हैं।

श्री बिरदाराम : अमल।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : अमल बाकायदा मौजूद है।

उन सब चीजों पर एक्साइज है। रेवेन्यू जिनसे जनरेट होती है। उन सारी चीजों की रिकवरी के सम्बन्ध में मामलात मौजूद हैं और इसमें इल्लीसिट डिस्टीलेशन को लिया है और इसमें ज्यादा स्टिन्जेन्ट बनाया गया है। सबसे बड़ी बात तो यह है सभापति महोदय,....

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय,....

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा (सूरतगढ़) : रनिंग डिस्टीलरी के सम्बन्ध में दो साल था, वह बढ़ा कर तीन साल का आफेन्स कर दिया है। रनिंग डिस्टीलरी का केस पहले कम्पाउन्डेबल नहीं है, बेलेबल नहीं है। अब केस बदस्तूर नान-कम्पाउन्डेबल है, नान-बेलेबल है और काग्निजेबल है। रनिंग डिस्टीलरी पकड़ पाते हैं तो आफेन्स बढ़ा कर तीन साल हो गया है। ताड़ी उसमें शामिल हो गई है। ताड़ी का सेपरेटली यूज शराब बनाने के लिये नहीं होता। सिर्फ चीरा लगा कर पेड़ के साथ हांडी टांग देते हैं। ताड़ी पेड़ से टिपल करती है और धूप लगते ही उसमें एलकोहोलिक कन्टेन्ट हो जाता है। रनिंग डिस्टीलरी का मामला बड़ा कॉम्प्लीकेटेड है। रनिंग डिस्टीलरी के सम्बन्ध में भी जितने केसेज हैं उनको आप स्टडी करें तो वह पूरी डिस्टीलरी नहीं है। रनिंग डिस्टीलरी आपने बरामद की, टूंटी बरामद कर ली, कोठी बरामद कर ली, अलग अलग बरामद कर ली, एक जगह रन कर रही है वह बरामद कर ली। इसमें काम्प्लीकेशन्स और करप्शन बराबर चला आता है। कम्प्लीट डिस्टीलरी बनाने के लिए इन चीजों को बरामद किया। गरीब कम्युनिटी के लोग बना कर बेचते हैं, लेकिन इसका रेकेटिंग लार्ज स्केल पर चलता है। जो जयपुर टाउन में चलता है रेकेटिंग, उसका जिक्र इस सदन में कई बार आया है। यह भी बताऊं कि एक एरिया ऐसा है जिसमें एक लार्ज स्केल पर इल्लीसिट डिस्टीलेशन किया गया है और कम्पीट किया गया है सरकारी लिकर से है सरकारी लिकर की सेल को उसने बीट डाउन किया है। रेगरों की बस्ती के केसेज हुए, उसके बावजूद इन बड़े बड़े टाउन्स में रेकेटिंग के तौर पर डिस्टीलेशन का मामला चल रहा है। रेकेटिंग को बन्द करने के पाइन्ट आफ व्यू से मैं एक्साइज मिनिस्टर का एप्रीसियेशन करूंगा। रनिंग डिस्टीलरी पकड़े, उसके लिए तीन साल का आफेन्स रखते हैं, वह आप सात साल का रखें तो दिक्कत की बात नहीं थी। लार्ज स्केल पर डिस्टीलरी हैं और पायजनस डिस्टीलेशन होता है। मिट्टी के तेल की एलकोहोल में कन्वर्ट करते हैं। स्प्रिट, रा स्प्रिट सेल हो रही है, हास्पिटल के अन्दर काम आती है एज एन्टीसेप्टिक, रा स्प्रिट रंग रोगन में काम आती है। इस सारी स्प्रिट का एलकोहोल कन्वर्शन के अन्दर यूटीलाइजेशन होता है। रा स्प्रिट का जितना कन्जम्पशन होता है, रा स्प्रिट सेल होती है–इस स्प्रिट की जो सप्लाई होती है उसको डिस्टीलरी के कन्जम्पशन के प्रपोर्शन में देखें तो मालूम होगा कि स्प्रिट का बहुत बड़ा स्टॉक इसलिए परचेज किया जाता है कि स्प्रिट को एल्कोहल में कन्वर्ट किया जाता है। मैं नहीं समझता कि बहुत बड़ा रेकेट जो चल रहा है, और सदन के अन्दर रेकेट के केसेज आये हैं, ऐसी स्थिति में एक्साइज डिपार्टमेंट इस बात का गौरव प्राप्त करें कि सारे राजस्थान और राजस्थान शहरों के अन्दर, और विशेष तौर पर गुजरात बोर्डर पर, जहां कि प्रोहिबिशन है, वहां इस किस्म के रेकेट पकड़े हैं। वहां

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

हेवी पेमेन्ट करके आपके ऑफिसर्स को हेवी डिस्टीलेशन का रेकेट चला रहे हैं और आपकी डिस्टीलरी से जितनी सेल है, उससे कम्पीट करते हैं। पुअर कम्युनिटी हैं वह इल्लीसिट डिस्टीलेशन करती हैं। महुए से आदिवासी करते हैं। कुछ कम्युनिटी राब से करती हैं। इस प्रकार यह कम्युनिटी मोलेसेज, गुड़ से, राब से डिस्टीलेशन करती है। लेकिन उनका न तो हेवी डिस्टीलेशन होता है न आपके मार्केट से कम्पीट करते हैं, न जो लिकर आप प्रोवाइड करते हैं उससे कम्पीट करते हैं। थोड़ी बहुत उनका सेल होती है, बंधा हुआ माहवारी पैसा आता है। आपके एक्साइज इन्सपेक्टर जाकर उस डिस्टीलेशन को पकड़ते हैं और नाली डाल कर, टूंटी डाल कर उस डिस्टीलेशन को वह कम्प्लीट कर देते हैं। आपने अब उस आफेन्स को नान-कम्पाउन्डेबल बनाया है, और नान-बेलेबल बनाया है और दो साल की जगह तीन साल की सजा रख दी है। रनिंग डिस्टीलरी है, आपने उन लोगों को पकड़ लिया, मुझे ऐतराज नहीं। मैं विशेष रूप से चाहूंगा कि यह पुराना तरीका है, इस किस्म से डिस्टीलेशन करने का कार्य है, वह बिल्कुल बन्द किया जाय।

इसके अतिरिक्त इसके अन्दर यह प्रावधान भी है कि कोई नकली बोटलिंग करता है, सील करता है, लेबलिंग करता है तो उसको भी चैक किया जाय। इस सदन के अन्दर कई दफा इस मसले को रखा है कि जो अंग्रेजी शराब भी बनाते हैं, गंगानगर डिस्टीलरी के अन्दर बनाते हैं, उपाध्यक्ष महोदय, नकली कार्क्स होते हैं, बोटल होती है और लेबल बाकायदा प्रिन्ट होते हैं। और उनका बहुत हेवी रेकेटिंग होता है, मामूली रेकेटिंग नहीं होता है। यह अपने आप में बहुत बड़ा रेकेट है। गवर्नमेंट आफ इंडिया की जो कमेटी बनी, उसने यह स्वीकार किया है कि जो इम्पोर्टेड वाइन्स हैं जैसे स्कॉच व्हिस्की है, या दूसरी इम्पोर्टेड व्हिस्की हैं (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) उनके अन्दर भी अडल्ट्रेशन है। जो मिलिट्री को स्टाक सप्लाई होता है, उसके अन्दर भी हेवी अडल्ट्रेशन है। सारा का सारा बोटलिंग है वह फर्जी है, लेबल हैं, कवर्स हैं वह सारे फर्जी होते हैं। इस किस्म का धंधा गंगानगर में लम्बे स्केल पर चलता है। इस किस्म के कार्क्स और लेबल प्रिन्ट होते हैं। मैं समझता हूं कि इल्लीसिट डिस्टीलेशन की बहुत सी बातें हैं उनके सम्बन्ध में स्ट्रिन्जेन्ट प्रोविजन्स रखें आपको इस कानून को ज्यादा स्ट्रिक्ट बनाना चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, आज जो यह लोग अवैध शराब बनाते हैं वह लोग इल्लीगल बोटलिंग भी करते हैं, उसी तरह के कॉर्क लगा देते हैं और फिर बाजार में उस अवैध शराब को लाते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, यह इस प्रकार का इल्लीसिट शराब बनाना और फिर इल्लीगल लीकर की बोटलिंग करना उससे भी ज्यादा ऑफेन्स है। आपको चाहिये कि इसके लिये और सख्त सजा का प्रावधान इसमें रखना चाहिये। ताकि लोगों में यह अवैध शराब बनाकर बेचने की प्रवृत्ति है वह समाप्त हो।

(श्री नानाराम के फ्लोर क्रॉस करने पर)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, इस तरह से फ्लोर क्रॉस करना उचित नहीं है। It is not according to rules.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : इससे भी ज्यादा आज जो एक्साइजेबल गुड्स हैं जिसमें गांजा, चरस, वगैरह इसका बहुत भारी स्मगिलग होता है।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया समाप्त करिये।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं अभी समाप्त कर रहा हूं। उपाध्यक्ष महोदय, आज हमारे राजस्थान में चरस और गांजे का बहुत भारी मात्रा में स्मगिलग होता है इसके लिये भी आपको स्ट्रिक्ट कानून बनाना चाहिये। आज हमारे यहां पर इतने चन्डूखाने चलते हैं कि जिसका हमारे एक्साइज मिनिस्टर को मालूम ही नहीं है। यह ठीक है कि अभी तक आपने इस ओर विशेष ध्यान नहीं दिया पर अब आपको इस ओर ध्यान देने की जरूरत है। उपाध्यक्ष महोदय, आज कन्स्ट्रेक्टेड ओपियम कई चन्डूखाने में मिलता है सैकड़ों की संख्या में पढ़े-लिखे लोग इसको पीने लग गये हैं यह ठीक है कि आप इसको एक्साइज से ताल्लुक नहीं मान कर हैल्थ मिनिस्टर साहब के डिपार्टमेंट से ताल्लुक मान लें लेकिन ऐसी आज बाजार में इतनी तरह तरह की नशीली गोलियां निकली हैं जिनको लेने से बहुत भारी नशा आ जाता है। यह गोलियां बारबूचूरेट्स की गोलियां हैं चाहे आप इसका एक्साइज डिपार्टमेंट से ताल्लुक नहीं समझें पर इन गोलियों में बहुत बड़ी मात्रा में इनटॉक्सीकेशन होता है। इसी प्रकार आज ऐसे बहुत से इन्टॉक्जीकेन्ट्स हैं जैसे एल०एस०डी० यह बहुत ही नशीली चीजे हैं हालांकि यह भी एक्साइज डिपार्टमेन्ट के ज्युरिस्डिक्शन में नहीं आतीं लेकिन इसका बहुत भारी मात्रा में स्मग्लिग होता है और खास तौर से यह बाड़मेर वगैरह वगैरह का इलाका है जिसमें पाकिस्तान से यह एल० एस० डी० की गोलियां बहुत ही ज्यादा मात्रा में स्मगल्ड होकर आती हैं। आज इन गोलियों का प्रचलन हमारी हाई सोसाइटीज में, डाक्टर्स में, इन्जीनियर्स और मैडिकल स्टूडेन्ट्स में और दूसरे स्टूडेन्ट्स में तथा युवकों में बहुत अधिक मात्रा में ली जाती हैं। इसी प्रकार एक और चीज है मैन्ड्रैक्स की गोलियां जो कि आपके एक्साई-जेबल गुड्स में तो नहीं आता हैं। हैल्थ मिनिस्टर साहब का ताल्लुक है उनको इसके बारे में शीघ्र ही कार्यवाही करनी चाहिये। बारबूचूरेट्स, एल०एस०डी० और मैन्ड्रैक्स की गोलियां बहुत अधिक मात्रा में हमारे यहां के हाई सोसाइटीज में प्रचलित हैं। उसके लिए आपने कोई कानूनी प्रोविजन नहीं रखा है। इसके लिये राज्य सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके अलावा मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि आज आपने स्माल और लार्ज डिस्टीलरीज, जो कि इल्लीगल है, के लिये जो पैनल्टी एक पर्सेन्ट की रखी है उसके लिये आपको चाहिये कि पैनेल्टी की स्लेब और अधिक रखें इसको आप इन्क्रीज करें। अगर आप इसको इन्क्रीज करते तो मैं आपका स्वागत करता, मुझे कोई ऐतराज भी नहीं होता। इसी प्रकार जो लोग ताड़ी

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

पीते हैं वह भी हमारे समाज का एक बहुत बड़ा इविल है। आज जिस प्रकार के आपकी डिस्टीलरी में जो शराब बनती है उसमें भी ज्यादा शराब यह इल्लीगल बनाने वाले हैं। हालांकि आपने पीनल प्रोविजन रखे हैं लेकिन आपको आपके क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में संशोधन करने की आवश्यकता रहेगी कि स्माल इल्लीगल डिस्टीलरीज के लिये क्या सजा होनी चाहिये। बस मुझे यही निवेदन करना है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री बनवारी लाल !

(अनुपस्थित)

श्री श्रीराम गोटेवाला !

(अनुपस्थित)

श्री वृद्धिचन्द्र जैन !

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर): उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन में राजस्थान आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1976 पर बहस चल रही है। राजस्थान आबकारी (संशोधन) विधेयक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय, इसके लिये मैंने संशोधन प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत किया है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस संबंध में, मैं यह कहना चाहता हूं कि हालांकि हमारी राज्य सरकार ने कानून में संशोधन किये, कुछ प्रगति भी की है, लेकिन मेरा यह निवेदन है कि इस कानून को और भी सख्त बनाया जाय। आपने इस जुर्म को नॉन-कम्पाउन्डेबल और नॉनबेलेबल ऑफेन्स किया है, लेकिन इसमें जो आपने सजा के प्रोविजन्स रखे हैं उसमें आपने दो वर्ष से तीन वर्ष की सजा का प्रावधान रखा है। मेरी अर्ज इसमें यह थी कि इसको आपने और बढ़ाना चाहिये था। इस कानून को और ज्यादा सख्त बनाना चाहिये था। आज जो राजस्थान एक्साईज एक्ट उसमें ऐसा प्रावधान है कि वह उन डिस्ट्रिक्ट में लागू नहीं होता है जहां प्रोहीबीशन नहीं है। और जहां पर प्रोहीबीशन है वहां पर दूसरे प्रॉविजन्स एक्ट के लागू होते हैं। तो मेरा निवेदन है कि इसमें ऐसे प्रॉविजन्स रखे जायें कि जो लोग मैन्यूफैक्चरिंग करते हैं शराब का उनके लिये और जिनके पास पजेशन फॉर सेल हो उनको ऑफेन्स माना जाय। अब अगर कोई व्यक्ति शराब पीता हुआ कहीं पर भी कोई पब्लिक प्लेस पर कोई इम्पॉर्टेन्ट जगह पर शराब पीता हुआ मिलता है तो उस ऑफेन्स के अन्तर्गत वह व्यक्ति इस ऑफेन्स का क्रिमिनल होगा या नहीं, यह इसमें नहीं आया। और वह नॉन-कम्पाउन्डेबल केस होगा या नहीं, यह इसमें कवर नहीं होता है। उसको कवर करना चाहिये। इसलिये मेरा यह निवेदन है, उपाध्यक्ष महोदय, आपको इस कानून को और कठोर बनाना चाहिये। इसके प्रॉविजन्स को और स्ट्रींजेन्ट बनाया जाना चाहिये। इस विधेयक को इसलिये प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाय ताकि इसमें जो खामियां हैं उनको हटाया जा सके। हम इस कानून को ब्रोड बेस करना चाहते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, आज अफीम, गान्जा, चरस वगैरह का बहुत ज्यादा प्रचलन हो रहा है। आज इसका बहुत ज्यादा मात्रा में स्मगलिंग भी होता है। उपाध्यक्ष महोदय, आज अफीम तो पैदा होता है कोटा में, लेकिन इसका मैन्यूफैक्चरिंग हमारे यहां पर बाड़मेर के इलाके में बहुत ज्यादा होता है हालांकि राज्य सरकार इस ओर कदम

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)
उठाने जा रही है पर यह कदम जो राज्य सरकार उठा रही है उसको और भी ज्यादा सख्ती से कदम उठाने की जरूरत है। पर आज जो अवैध शराब बनती है, अवैध अफीम बनायी जाती है और जो लोग इस प्रकार का अवैध काम करते हैं उनके खिलाफ में सख्त से सख्त अगर राज्य सरकार कदम उठाये तो उचित रहेगा। बस मुझे इतना ही निवेदन करना है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मोहनराज !

(अनुपस्थित)

श्री मोहरसिंह !

(अनुपस्थित)

माननीय मंत्रीजी !

श्री चन्दनमल बैद (वित्त मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, शराब का विषय ही ऐसा विषय है कि जरासा छिड़ जाय तो लोग रस लेने लगते हैं। उनके रस लेने से मुझे कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन विधान सभा के माननीय सदस्य और सारी जनता की मांग है उसको देखते हुए और 20 सूत्री आर्थिक प्रोग्राम के अनुसार भी इसमें संशोधन करने आवश्यक थे और वे सारे संशोधन इसके द्वारा किये गये हैं। इसमें इतना ही प्रावधान किया गया है कि आर्थिक अपराध करने वाले, नाजायज शराब जो बनाते हैं और बेचते हैं, प्रोहिबिटेड और नॉन-प्रोहिबिटेड एरिया में, उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाय, उनको रोका जाय, जिससे आबकारी की आमदनी भी बढ़े और जो गलत काम करने वाले हैं उनको पूरी सजा भी मिले। इस तरह के प्रावधान करने के लिये यह संशोधन बिल लाया गया है।

विधान सभा के माननीय सदस्यों ने इस सदन में भी कहा है कि शराब के सम्बन्ध के अपराध बेलेबल नहीं होने चाहिये, पुलिस के कॉग्नीजेबल होने चाहिये, वारन्ट केसेज होने चाहिये, उनकी समरी ट्रायल होनी चाहिये। इस दृष्टि से ये सब इसमें प्रावधान रखे गये हैं कि जो लोग नाजायज शराब बनाते हों, शराब बेचते हों नाजायज तरीके से, उनको ज्यादा मजबूती से डील किया जा सके उनको ज्यादा से ज्यादा कड़ी सजा दी जा सके। एक केस पकड़ा जाता तो तीन-चार साल तक उसका फैसला नहीं होता था। फाइनल नहीं होता था। जमानत हो जाती थी। इसलिये इसमें समरी ट्रायल का प्रोविजन रखा गया है। वारन्ट केसेज और कॉग्नीजेबल केसेज बना दिया गया है। सजा भी इसमें बढ़ा दी गयी है। अधिक से अधिक 3 साल की सजा रखी है। लेकिन कम से कम सजा 6 महीने की तो देना ही पड़ेगी। इसलिये कि इस प्रकार के जुर्म करने वालों को यह नसीहत मिले कि ऐसे जुर्म करेंगे तो कड़ी सजा मिलेगी।

इस तरह के जुर्म कम होने से राज्य की आमदनी भी बढ़ सकती है। माननीय सदस्यों ने इस सदन में ही चिन्ता प्रकट की है उससे मैं सहमत हूं। आज भी जो लोग नाजायज शराब निकालते हैं, हालांकि उनको पूरी कोशिश करते हैं रोकने की, लेकिन इसमें इतने किसी टेक्नीकल नो-हाउ की आवश्यकता नहीं होती है

(श्री चन्दनमल बैद)

मामूली आदमी भी कर लेता है, इसलिये सब गांवों में इसको रोक पाना भी संभव नहीं लगता है इसलिए यह उचित समझा कि ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा दी जाय। इसके लिये स्पेशल कोर्ट्स बनायी जायें। क्रिमिनल प्रोसिजर कोड में भी संशोधन होगा और जो वह राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के ही किया जा सकता है, वह भी हम ड्राफ्ट कर रहे हैं कि इन आर्थिक अपराधों के लिये ट्रायल कोर्ट्स बनायें। सदन की भावनाओं के अनुरूप ही इसको लाया गया है। इसलिये माननीय सदस्यों से जिन्होंने प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं मेरा अनुरोध है कि वे उनको वापिस लें ताकि इसको विचारार्थ लिया जा सके।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1976 को जनमत जानने के लिये प्रसारित किया जाय ?

(अस्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि राजस्थान आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1976 को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय ?

(अस्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया।

(विराम)

विधेयक पर विचार

प्रश्न यह है कि राजस्थान आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1976 को विचारार्थ लिया जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली।

(अनुपस्थित)

खण्ड 2 से 6

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से लेकर 6 तक स्वीकार किये जायं ?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 लगायत 6 स्वीकृत किये गये।

(विराम)

खण्ड 7

प्रश्न यह है कि खण्ड 7 स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड 7 स्वीकार किया गया।

(विराम)

खण्ड 8

प्रश्न यह है कि खण्ड 8 स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड 8 स्वीकार किया गया।

(विराम)

(श्री उपाध्यक्ष)

खण्ड 9

प्रश्न यह है कि खण्ड 9 स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड 9 स्वीकार किया गया ।

खण्ड 10

माननीय मंत्रीजी ।

श्री चन्दनमल बैद : मामूली सा संशोधन है इसमें। प्रिन्टिग की मिस्टेक है। 'ओर' शब्द है उसकी जगह 'फोर' होना चाहिये । मैंने इसको उचित समझा कि ध्यान में लाया जाय और इसको सदन में ही दुरुस्त कर लिया जाय वैसे यह किया जा सकता था । अमेन्डमेन्ट इस प्रकार है :—

"In the further proviso proposed to be inserted in sub-section (1) of section 70 of the Principal Act, for the expression "possession or sale", the expression "or possession for sale" shall be substituted."

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड 10 में प्रभारी मंत्रीजी ने जो संशोधन प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि खण्ड 10 मय संशोधन के स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड 10 मय संशोधन के स्वीकृत किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये जायें ?

(स्वीकृत)

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये गये ।

श्री चन्दनमल बैद : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1976 को मय संशोधन के पारित किया जाय ?

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1976 को मय संशोधन के पारित किया जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक मय संशोधन के पारित किया गया।

राजस्थान यात्री एवं माल कराधान (संशोधन) विधेयक, 1976

माननीय परिवहन मंत्रीजी ।

श्री मोहनलाल छंगाणी (परिवहन मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यात्री एवं माल कराधान (संशोधन) विधेयक, 1976 को विचारार्थ लिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री दीपंकर !

(अनुपस्थित)

श्री विजयसिंह !

(अनुपस्थित)

श्री गिरधारीलाल भार्गव !

(अनुपस्थित)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा !

(अनुपस्थित)

श्री श्रीराम गोटेवाला !

(अनुपस्थित)

श्री मोहम्मद गफ्फार अली !

(अनुपस्थित)

श्री केशरीमल !

विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द करने का प्रस्ताव

[निम्नांकित प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया : "राजस्थान यात्री और माल कराधान (संशोधन) विधेयक, 1976 को एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन क्रमशः तीन दिन में प्रस्तुत करें (समिति के सदस्यों की नामावली बाद में प्रस्तुत करदी जायेगी)।"]

श्री केशरीमल (ब्यावर) : माननीय उपाध्यक्षजी, मुझे यह निवेदन करना है कि यह देखना आवश्यक है कि कौनसे वेहिकल्स हैं, पब्लिक कैरियर्स हैं उनसे टैक्स वसूल करने के लिए शक्ति प्रदान करना आवश्यक है। खास तौर से गाड़ियां ऐसी चलती हैं जो खुद के नाम से हैं, पैसेन्जर और माल ढोती हैं। उनको भी देखने की जरूरत है। उन पर कड़ी नजर रख कर उनको भी इसके दायरे में लायें इससे न सिर्फ टैक्स का फायदा होगा और इस तरह के तरीके भी रुक सकेंगे। इस बात को भी ध्यान में रखना होगा कि जहां पैसे लेना-देना आवश्यक है वहां इस तरह की व्यवस्था की जाय। खास तौर से जयपुर शहर में टेम्पोज हैं, स्कूटर गाड़ियां हैं, इस तरह से चलती हैं जिससे सवारियों को बड़ी कठिनाइयां हैं। वे इस तरीके से पैसा वसूल करते हैं कि उनको नियमित करना जरूरी है। जिससे सवारियां को तकलीफ न हो। माननीय मंत्रीजी इसमें आगे जाकर व्यवस्था करेंगे। चाहे स्कूटर हो या गाड़ियां हों। ये लोग चलाते हैं तो मीटर वगैरा का कोई भी सिस्टम हो, वह रखना चाहिये। रिक्शा को तो बदलना ही चाहिये। यह सिस्टम बन्द होना चाहिये। या तो इन्जिन लगा दें। बन्द तो किये नहीं जा सकते। इन्सान बेरोजगार हो जावेंगे। इसमें यन्त्र लगाने के लिये सुविधाएं प्रदान की जायें और बैंक से कर्जा दिलाकर व्यवस्था करायी जाय। मैं यह भी निवेदन करूंगा कि अभी जो रोडवेज में प्राईवेट बसेज लगाई गई हैं उनको ऐसा लगाया जा रहा है कि जो अच्छी बसें नहीं हैं जिससे कि ज्यादा आमदनी हो उन प्राइवेट बसेज को ज्यादा आमदनी वाले रूट पर लगाया जा रहा है और कॉर्पोरेशन की गाड़ियां ऐसी जगह चल रही हैं जहां फायदा नहीं होता है और दिखाया यह जाता है कि प्राइवेट गाड़ियों से ज्यादा फायदा नहीं है। मैं चाहूंगा कि इसके ऊपर अच्छी तरह से गौर किया जाये। जो गाड़ियां कॉर्पोरेशन ने अनुबन्धित की हैं, वह ठीक नहीं हैं।

(श्री केशरीमल)

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

हमारी गाड़ियां यदि चलें तो ज्यादा फायदा होगा। यह षड्यंत्र चल रहा है और इसको रोका जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि आपके डिपार्टमेंट में काम करने वाले जितने मजदूर हैं उनके सामने बड़ा संकट आपने खड़ा कर रखा है। उनको एल०पी०सी० नहीं मिलेगी, टी०ए०, डी० ए० के मामलों को लम्बे समय तक टाला जाता है। इस तरह से कई तरह के मामले ऐसे मजदूरों के पेश हुए हैं और उनकी परेशानी लगातार बढ़ रही है। मेरा निवेदन है कि आपने नियम बना रखे हैं और आप प्रावधान भी रखते हैं फिर क्यों नहीं उनको राहत दी जाती इसके लिए व्यवस्था करना बहुत आवश्यक है और कहीं कहीं तो कई महीनों तक वेतन नहीं मिलता और वह बिना वेतन के कई महीनों काम करते हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कई तो ऐसे लोग हैं जैसे ड्राइवर्स वगैरह वह काम कर रहे हैं और उनको रोज की मजदूरी का 7 रुपये, 8 रुपये दिये जाते हैं और यदि वह ओवरटाइम काम करते हैं तो भी इतना ही पैसा दिया जाता है यानें उनको कोई ओवरटाइम का पैसा नहीं दिया जाता। तो ऐसी बहुत सी खामियां हैं जिनकी तरफ मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री मोहरसिंह !

(अनुपस्थित)

श्री अजीतसिंह !

(अनुपस्थित)

श्री मूलचन्द सामरिया !

(अनुपस्थित)

मन्त्री महोदय !

श्री मोहनलाल छंगाणी (यातायात मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, यह अमेन्डमेन्ट्स साधारण से हैं। माननीय केशरीमलजी ने कहा प्राइवेट बसेज का और टैक्सेज का तो मैं अलग से देखूंगा लेकिन यह तो प्राइवेट कैरियर की गुड्स टैक्स लागू हो जाय क्योंकि कई कारखाने वालों के पास और दूसरे व्यापारियों के पास प्राइवेट कैरियर्स हैं वह पूरे के पूरे टैक्स को बचा लेते हैं इसलिए उनको टैक्सेज के नेट में लाया जाये और टैक्स, पेनल्टी काम्प्रेहेन्सिव नहीं है उसमें लगाया जाये और डिटेन और सीज करने के पावर्स नहीं हैं वह लगाये जायं-ऐसे साधारण से अमेन्डमेन्ट्स हैं जिनको मैं लाया हूं जिससे कि गुड्स एक्ट काफी काम्प्रीहेन्सिव हो जाये और जो भी डिफाल्टर्स हैं उनके ऊपर यह लागू कर सकें। इसलिए यह अमेन्डमेंट लाया गया है। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य इसको स्वीकार करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : क्या माननीय सदस्य अपना संशोधन प्रस्ताव वापिस लेना चाहते हैं ?

श्री केशरीमल : जी हां।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि माननीय सदस्य को उनको संशोधन प्रस्ताव वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

(श्री उपाध्यक्ष)

संशोधन वापिस लेने की अनुमति प्रदान की गई।

श्री केशरीमल : मैं अपना संशोधन प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

विधेयक पर विचार

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान यात्री एवं माल कराधान (संशोधन) विधेयक, 1976 को विचारार्थ लिया जाये ?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

श्री मोहनलाल छंगाणी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान यात्री एवं माल कराधान (संशोधन विधेयक, 1976 को पारित किया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान यात्री एवं माल कराधान (संशोधन) विधेयक, 1976 को पारित किया जाये।

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

राजस्थान मद्य निषेध (संशोधन) विधेयक, 1976

श्री चन्दनमल बैद : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान मद्य निषेध (संशोधन) विधेयक, 1976 को विचारार्थ लिया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री वृद्धिचन्द्र जैन।

विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द करने का प्रस्ताव

[निम्नांकित प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया:

"राजस्थान मद्य निषेध (संशोधन) विधेयक, 1976 को एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट कर दिया जाये जो अपना प्रतिवेदन एक माह में प्रस्तुत करे (समिति के सदस्यों की नामावली बाद में प्रस्तुत कर दी जायेगी)।"]

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर): उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान मद्य निषेध (संशोधन) विधेयक, 1976 एक प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाये, इस संबंध में मैंने संशोधित प्रस्ताव रखा है। मैं वित्त मंत्रीजी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इस प्रकार का कानून में प्रावधान रखा है कि जिसका बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ेगा। इस कानून के लिए यह आवश्यक था कि जुर्म को नॉन-बेलेबल बनाया जाय। इसमें यह स्पष्ट नहीं है कि जुर्म नॉन-कम्पाउन्डेबल होगा या नहीं। प्रॉहिबीशन एक्ट मैंने अभी पढ़ा नहीं है। मेरे पास में कापी नहीं आई है। अगर उसमें यह प्रॉविजन है नॉन-कम्पाउन्डेबल का तब तो कुछ नहीं कहना चाहता हूं। अगर नॉन-कम्पाउन्डेवल नहीं है तो एक्साइज एक्ट में जैसे प्रॉवीजन्स बनाये गये हैं वैसे ही इसमें भी इस आफेन्स को नॉन-कम्पाउन्डेबल बनाना आवश्यक है।

जिन जिलों में शराबबंदी की गयी है उनमें जब तक शराबबंदी का क्रियान्वन सफल तरीके से नहीं होगा तब तक इसका बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है।

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

मैं मेरे जिले के लिए कह रहा हूं कि वहां शराबबंदी हुई और शराबबंदी होने पर अवैध शराब की बिक्री और बढ़ी और यहां तक स्थिति हुई कि एक तरफ तो राज्य सरकार की आय में कमी हुई और दूसरी तरफ अवैध शराब की बिक्री बढ़ी, और वह कम कीमत पर होने के कारण शराब पीने वालों की संख्या बढ़ी। तो जब तक कानून सख्त नहीं बनता है तब तक डेटरेन्ट एक्शन नहीं लिया जायेगा। और इसलिए अभी जो कानून बनाया गया है जिसमें यह ऑफेन्स नॉन-ब्रेलेबल है मैं वित्त मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि अगर यह नॉन-कम्पाउन्डेबल नहीं है तो उसको भी नॉन-कम्पाउन्डेबल बना दिया जाये। तो इसके होने से अवश्य ही अवैध शराब की जो बिक्री हो रही है उसमें कमी आयेगी। यह अवश्य है कि शराबबंदी के लिए जब तक समाजसेवी संस्थायें कार्य नहीं करेंगी कार्यकर्ता विशेष दिलचस्पी लेकर कार्य नहीं करेंगे तब तक कितने भी कानून बनायें शराबबंदी नहीं हो सकती और इस विचार को महात्मा गांधी भी रखते थे। तो इसके लिए सामाजिक सुधार करने की आवश्यकता है, सामाजिक क्रांति करने की आवश्यकता है और वह कार्यकर्ता ही कर सकते हैं।

मैं इस संबंध में यह भी बताना चाहता हूं कि जो कदम कुछ जिलों में उठाये हैं राज्य सरकार ने पहले दो जिलों में यह जल्दी में उठाये थे चूरू और नागौर में तो और जिलों में भी यह कदम सरकार ने उठाये और मैं जानना चाहता हूं कि शराबबंदी कब तक कम्पलीट हो जायेगी ? कब तक कम्पलीट प्रॉहिबीशन हो जायेगा और इसके लिए क्या फेज प्रोग्राम बनाया है, यह भी प्रस्तुत होना चाहिए ताकि यह मालूम पड़े कि इस वर्ष यह कार्यक्रम लिये जायेंगे और दूसरे वर्षों में यह कार्यक्रम लिये जायगे और फिर हम कम्पलीट प्रॉहिबीशन करेंगे। जब गुजरात और तामिलनाडु में कम्प्लीट प्रॉहिबीशन हो गया तो राजस्थान में भी कम्पलीट प्रॉहिबीशन हो सकता है और हम शराबबंदी के बारे में कदम उठायें गे तो जो बीस सूत्री आर्थिक कार्यक्रम हमने हाथ में उठाया है इसके भी क्रियान्वयन में हमें मदद मिलेगी क्योंकि जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, गरीब वर्ग के लोग हैं वे भी बहुत शराब पीते हैं और उस शराब को पीने के कारण उनकी आर्थिक स्थिति पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। इसलिए आवश्यक है कि इस शराबबन्दी को, कम्प्लीट प्रॉहिबीशन के कार्यक्रम को पूर्णरूपेण क्रियान्वन किया जावे। मैं इस सम्बन्ध में महात्मा गांधी के विचार और हमारे धार्मिक विचार भी कुछ समक्ष रखना चाहता हूं ताकि यह स्पष्ट हो जावे कि इस शराब के कारण कितना नुकसान होता है। महात्मा गांधी जी ने यह कहा था :

"मैं शराबखोरी को चोरी और शायद व्यभिचार से भी अधिक निन्दनीय समझता हूं। क्या वह अक्सर दोनों की जननी नहीं ?" और मोहम्मडन रिलीजन में शराब के विरोध में बहुत स्पष्ट चीज कही है और मैं आपको कह रहा हूं जो उन्होंने कहा है :

"अल्लाह ने लानत फरमाई है शराब

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)
पर, पीने और पिलाने वालों पर और खरीदने वालों पर और किसी भी प्रकार के सहयोग देने वाले पर।"

अब किसी प्रकार का सहयोग देने वालों में कानून बनाने वाले अगर कानून प्रोहिबिशन का नहीं बनाते हैं तो वह भी इसके अपराधी साबित होते हैं.....

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : बशर्ते कि वे मुसलमान हों तभी गुनहगार होंगे।

श्री चन्दनमल बैद : इसी वास्ते मैं मुसलमान नहीं बना।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : जैन धर्म वाले भी शराब नहीं पीते हैं फिर आप कैसे जैनी हैं?

श्री चन्दनमल बैद : मैं शराब नहीं पीता हूं यह मैं माननीय सदस्य को बता देता हूं।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : शराब को प्रोत्साहन तो देते हैं।

श्री चन्दनमल बैद : मैं शराब को प्रोत्साहन भी नहीं देता हूं बल्कि इसको रोकने के लिए बहुत सख्ती से कार्यवाही करता हूं, इसके लिए माननीय सदस्य को दाद देना चाहिए, बधाई देनी चाहिए और पक्का जैनी करार देना चाहिए।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : वित्त मंत्रीजी तो शराब बन्दी के पक्ष में हैं। अच्छा कदम उठा रहे हैं परन्तु इनकी भी विवशता है, इनकी भी कठिनाइयां हैं। तो यह कठिनाईयां हम जानते हैं।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : शराब पीने वालों की तादाद में जैनियों को तो देखा नहीं, यह मैं अर्ज करना चाहता था।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : मैं यह कह रहा हूं कि मोहम्मडन रिलीजन में और महात्मा गांधीजी ने भी यह कहा था कि यह जो सच्चा हिन्दू है वह सच्चा मुसलमान भी है और वह सच्चा ईसाई भी है। तो आप यह समझें कि जो अल्लाह ने आपके मोहम्मद ने जो बात कही है और जो सही बात सही है, वह हिन्दू रिलीजन पर भी लागू होती है, ईसाई धर्म पर भी लागू होती है और इन सब धर्मों में इसका, शराब का विरोध किया है। मैं आशा करता हूं कि वित्त मंत्रीजी जो शराबबन्दी चाहते हैं, हृदय से चाहते हैं, इस सम्बन्ध में और भी ठोस कदम उठायेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय वित्त मंत्रीजी।

श्री चन्दनमल बैद : उपाध्यक्ष महोदय, वर्तमान राजस्थान मद्य निषेध कानून में जो संशोधन एक विधेयक के रूप में मैंने पेश किये हैं वह जो अभी आबकारी कानून में संशोधन पेश किया था उन्हीं के अनुरूप है। राजस्थान के 8 जिलों में और 6 तहसीलों में जो नशाबन्दी है, वहां पर नशाबन्दी कानून लागू है और बाकी जिलों में आबकारी कानून लागू है। इस वास्ते आबकारी कानून में संशोधन करके तो इन जिलों में जो आर्थिक अपराध होते हैं शराब से सम्बन्धित या शराब की एक्साईज के संबंध में उनको कड़ाई से रोकने का प्रावधान किया गया है। लेकिन नशाबन्दी वाले 8 जिलों में और 6 तहसीलों में, जहां कि नशाबन्दी कानून लागू है वहां पर नशाबन्दी

(श्री चन्दनमल बैद)

कानून में संशोधन कर जो वहां शराब की एक्साईज के आर्थिक अपराध होते हैं उनको रोकने का प्रावधान किया जा रहा है। इस वास्ते उस संशोधन के अनुरूप ही यह मैं संशोधान लाया हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने अपनी नेक नियत साबित कर दी है। जिन जिलों में, तहसीलों में नशाबन्दी कायम है उन जिलों में शराब बनाने पर, शराब बेचने पर या शराब रखने पर जो सजा दो साल की थी उसको तीन साल कर रहे हैं। उन जिलों में ऐसे अपराध करने वाले लोगों के जो अपराध हैं उनको नॉन-बेलेबल कर रहे हैं। साथ ही साथ ऐसा करने से पहले जो कम्पाउण्डेबल था उसको नॉन-कम्पाउण्डेबल कर रहे हैं जिससे उन पर समझौता नहीं किया जा सके। ऐसे केसेज में समरी ट्रायल के द्वारा फैसला कराने का प्रावधान भी कर रहे हैं। भारत सरकार से भी अनुमति प्राप्त कर रहे हैं ऐसी स्पेशल कोर्ट्स कायम करने की अनुमति दी जाय ताकि उनके द्वारा तुरन्त केसेज फैसल करवाये जा सकें। तो राज्य सरकार ने अपनी नेक नियति साबित कर दी है कि हम चाहते हैं कि नशाबन्दी कायम रहे। हम चाहते हैं कि जिन जिलों में और जिन तहसीलों में नशाबन्दी लागू है उसका कड़ाई से पालन किया जावे, कड़ाई से अमल से किया जावे। लेकिन सार्वजनिक कार्यकर्ता जो कि नशाबन्दी के पक्ष में बोलते हैं उनको अपनी नेक नियति, उनको अपना महत्व और अपने परिश्रम को साबित करना है। केवल यह कह देना कि सरकार शराबबन्दी कर दे, केवल यह कह देना कि शराब की बिक्री जो सरकारी ठेकों द्वारा होती है, वह रोक दी जाय, यही काफी नहीं है, क्योंकि इस बात को हमने देखा है कि हजारों केसेज, नाजायज शराब बनाने के, नाजायज शराब बेचने के, नाजायज शराब रखने के, जिन एरियाज में नशाबन्दी है उन एरियाज में आज हम पकड़ रहे हैं और उनकी सजा कड़ी करके हम भी कोशिश कर रहे हैं कि जो ऐसे लोग बराबर अपराध करते हैं वह बारबार अपराध करने से रुक जायें। एक बार पहली मर्तबा में एक समझौता कर दिया जाता था, सजा कम होती थी, अब उनके लिए कम से कम छः महीने की सजा होगी। उपाध्यक्ष महोदय, इस बात का प्रावधान किया गया है और इन अपराधों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। यह सब कर रहे हैं कि जिन इलाकों में शराबबन्दी है वहां पर नाजायज शराब बनाने के, नाजायज शराब रखने के, नाजायज शराब बेचने के जो अपराध हैं वह जोरों से रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो सार्वजनिक कार्यकर्ता हैं, जो मांग करते हैं कि राज्य सरकार नशाबन्दी सारे राजस्थान में लागू करे, उनका भी कुछ दायित्व और कर्त्तव्य है। वे आगे आयें और इन इलाकों में काम करें और इन बुराइयों को सामाजिक रूप में दूर करने का प्रयत्न करें। जब तक सामाजिक कार्यकर्ता आगे बढ़ कर इन बुराइयों को दूर करने में सरकार की मदद नहीं करेंगे, केवल सरकार के शराबबन्दी कर देने से यह बुराई दूर होने वाली नहीं है। सरकार ने अपनी नेक नियति साबित कर दी है, यह साबित कर दिया है कि सरकार यह बुराई दूर करना चाहती है, अब सार्वजनिक कार्यकर्ताओं पर है कि वे आगे आकर अपना दायित्व साबित करें।

इन शब्दों के साथ माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस

(श्री चन्दनमल बैद)

विधेयक को विचारार्थ लिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष : क्या माननीय सदस्य अपना संशोधन प्रस्ताव वापिस लेना चाहेंगे ।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : वापिस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि माननीय सदस्य को अपना संशोधन प्रस्ताव वापिस लेने की अनुमति दी जाय ?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई ।

श्री वृद्धिचन्द जैन : वापिस लेता हूं ।

विधेयक पर विचार

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान मद्य निषेध (संशोधन) विधेयक, 1976 को विचारार्थ लिया जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया ।

श्री चन्दनमल बैद : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान मद्य निषेध (संशोधन) विधेयक, 1976 को पारित किया जाय ?

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान मद्य निषेध (संशोधन) विधेयक, 1976 को पारित किया जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया ।

सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है ।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म० पू० 3.27 बजे अनिश्चित काल के लिए स्थगित की गई ।

परिशिष्ट 1

(तारांकित प्रश्न संख्या 634 की सूची)

भूतपूर्व महाराजा, बीकानेर, श्री करनीसिंह एवं उनके परिवारजनों द्वारा सीलिंग कानून के अन्तर्गत भरे गये रिटर्न्स की सूची:–

क्र० सं०	नाम घोषणाकर्ता	रिटर्न्स भरने की सूचना		परिवाद में हुई कार्यवाही का विवरण
		पुराना कानून	नया कानून	
1.	श्री नरेन्द्र पुत्र श्री करनीसिंह	दि० 10-8-70	दि० 8-5-74	मिसल नं० 1110।74।29-6-74, उप-जिलाधीश, गंगानगर की अदालत से निर्णित हुई है इसमें कोई भूमि अधिग्रहण होनी नहीं पाई गई।
2.	श्रीमती सुशीलाकुमारी पत्नी श्री करनीसिंह एवं करनीसिंह पुत्र श्री सादुलसिंह	...	दि० 8-5-74	मिसल नं० 1116।74।28-6-74, उप-जिलाधीश, गंगानगर की अदालत से निर्णित हुई है उसमें कोई भूमि अधिग्रहण होनी नहीं पाई गई। (फैसला दोनों के नाम से है)।
3.	कुमारी राजश्री पुत्री श्री करनीसिंह	दि० 10-8-70	दि० 8-5-74	मिसल नं० 1114।74।18-11-74 को उप-जिलाधीश, गंगानगर की अदालत से निर्णित हुई इसमें कोई भूमि अधिग्रहण होनी नहीं पाई गई।
4.	हेमन्त कुमारी पत्नी श्री पृथ्वीसिंह	...	दि० 10-7-74	मिसल नं० 1118।74।12-1-76 को उप-जिलाधीश, गंगानगर की अदालत से निर्णित हुई इसमें कोई भूमि अधिग्रहण होनी नहीं पाई गई।
5.	मधुलिका कुमारी पुत्री श्री करनीसिंह	दि० 10-8-70	दि० 2-4-74	मिसल नं० 1175।30-4-75, सहायक जिलाधीश, गंगानगर की अदालत से निर्णित हुई कोई भूमि अधिग्रहण नहीं की गई।
6.	राजमाता सुदर्शना कुमारीजी	...	दि० 3-4-74	मिसल नं० 396।75।19-11-75, सहायक जिलाधीश, गंगानगर की अदालत से निर्णित हुई जिसमें 3 बीघा 8 बिस्वा भूमि अधिग्रहण की गई।

101

परिशिष्ट-2

(ता० प्र० सं० 636 का ब्योरा)

गिलूंड ग्राम की रेगस कृषि सहकारी समिति की सदस्याएं थीं:—

1. मु० धन्नी, बेवा गोपी भाट, निवासी गिलूंड
2. मु० राजी, बेवा कालू रेगर, निवासी गिलूंड

इसमें से मु० धनी को 5 बीघा भूमि प्रावटंन की गई। मु० राजी की प्रायु 60 वर्ष होकर काफी वृद्धावस्था में होने से काश्त करने में प्रसमर्थ होने के कारण उसके प्रार्थना-पत्र पर विचार नहीं किया गया। परन्त मु० राजी के परिवार के निम्न सदस्यों को भूमि का प्रावंटन कर दिया गया :—

1.	श्री नारायण पुत्र मु० राजी	सहकारी समिति की भूमि में से 5 बीघा
		दूसरी सरकारी भूमि 3 बीघा 14 बिस्वा
2.	श्री हेमा पुत्र राजी	2 बीघा
3.	श्री भैरू पुत्र नारायण	5 बीघा
		15 बीघा 14 बिस्वा

(102)

परिशिष्ट 3

(ता० प्र० सं० 639 की सूची)

जिलेवार सहकारी समितियों की सूची

1.	अजमेर	1348
2.	अलवर	1057
3.	भरतपुर	1235
4.	जयपुर	2534
5.	सीकर	622
6.	झुंझुनू	578
7.	सवाई माधोपुर	765
8.	टोंक	454
9.	कोटा	825
10.	बूंदी	286
11.	झालावाड़	371
12.	गंगानगर	1056
13.	बीकानेर	591
14.	चूरू	557
15.	उदयपुर	1183
16.	बांसवाड़ा	410
17.	डूंगरपुर	333
18.	भीलवाड़ा	734
19.	चित्तौड़गढ़	628
20.	जोधपुर	1233
21.	नागौर	266
22.	पाली	894
23.	जालोर	412
24.	सिरोही	278
25.	बाड़मेर	505
26.	जैसलमेर	266
		20151

परिशिष्ट 4

(ता० प्र० सं० 641 की सूची)

जयपुर जिले में बनी अनुसूचित जनजाति की गृह निर्माण सहकारी समितियों की पंचायत समितिवाईज संख्या :—

क्र०सं०	नाम पंचायत समिति	संख्या समिति
1.	शाहपुरा	10
2.	बस्सी	13
3.	सागर	10
4.	विराटनगर	5
5.	कोटखावदा	9
6.	सांगानेर	11
7.	दौसा	17
8.	चाकसू	14
9.	फागी	9
10.	जमवारामगढ़	16
11.	गोविन्दगढ़	8
12.	लालसोट	8
13.	आमेर	11
14.	बांदीकुई	8
15.	कोटपुतली	9
16.	दूदू	7
17.	जयपुर शहर	37
18.	सिकराय	2
	कुल ..	204

(104)

सूची जयपुर जिले में गृह निर्माण सहकारी समितियों को दिये गये ऋण की एवम् भवन निर्माण बाबत

क्र०सं०	नाम समिति	ऋण जो दिया गया	भवन निर्माण की स्थिति: भवन जो पूर्ण हो गये	भवन निर्माण की स्थिति: भवन जिनका निर्माण चल रहा है
1	2	3	4	5
1.	वाटिका गृह निर्माण सहकारी समिति लि०	92000	23	—
2.	नवभारत गृह० नि०स०स०लि०	116000	29	—
3.	चावंड का मंड ,,	120000	30	—
4.	लालासर ,,	100000	25	—
5.	लाखना ,,	84000	21	—
6.	सिरसी ,,	84000	21	—
7.	विराटनगर ,,	196000	49	—
8.	तूंगा ,,	296000	74	—
9.	रिक्सा ,,	50800	—	18
10.	मनोहरपुर ,,	284000	71	—
11.	रायसर ,,	78400	—	28
12.	दलपतपुरा ,,	92000	23	—
13.	बस्सी ,,	51200	—	20
14.	जीरोता आदर्श ,,	72800	—	26
15.	मैसावा आदर्श ,,	84000	—	30
16.	ढाणी बोराज ,,	56000	—	20
17.	लबाड अनुसूचित जनजाति ,,	184000	46	—
18.	रूपवास मोडल ,,	123200	—	47
19.	भीलवाड़ी ,,	176000	44	—
20.	बासड़ी खुर्द आदर्श ,,	8800	—	22
21.	जयसिंहपुरा गृह ,,	86800	—	31
22.	जलालपुर ,,	74400	—	62
23.	मंडावरी ,,	17600	—	44
24.	जटवाडा ,,	17200	—	43
25.	रूपवास ,,	172000	43	—
26.	आकोदा ,,	50400	—	18
27.	निमेड ,,	7200	—	18

Page No 105

[redacted]

105

1	2		3	4	5
28.	धौली	नि० स० स० लि०	53200	—	25
29.	शाली	,,	28800	—	24
30.	अचरौल	,,	26400	—	22
31.	वाटिका	,,	49200	—	41
32.	बिशनगढ़ आदर्श	,,	26400	—	22
33.	सिरसी	,,	22600	—	34
34.	प्रागपुरा	,,	54000	—	45
35.	मोहना	,,	24400	—	27
36.	पूतन	,,	18000	—	15
37.	इन्द्रानगर	,,	312000	78	—
38.	बृजपुरा	,,	58800	—	21
39.	धानोता	,,	22800	—	16
40.	देवन आदर्श	,,	35800	—	30
41.	पुरुषोत्तमपुरा	,,	37200	—	31
42.	देवका हरमाडा	,,	10400	—	20
43.	महादेवपुरा	,,	7600	—	19
44.	अनंतपुरा विमनपुरा	,,	36000	—	33
45.	गोरेट	,,	8400	—	21
46.	पंचार	,,	9600	—	24
47.	शिवदासपुरा	,,	12400	—	32
48.	मोहनपुरा	,,	26000	—	22
49.	मानपुरकलां	,,	9600	—	24
50.	भांडारेज	,,	9600	—	24
51.	मानपुरडूंगरी	,,	6800	—	17
52.	रामनगर	,,	12800	—	32
53.	गोनेर	,,	43200	—	36
54.	विजयपुरा	,,	21600	—	18
55.	सिरसिली	,,	8000	—	20
56.	गोवर्धन	,,	24000	—	50
57.	शाहपुरा आदर्श	,,	42000	—	35
58.	हरमाडा	,,	22000	—	19
59.	तामड़िया	,,	6400	—	19

(106)

1	2		3	4	5
60.	राजनोता	नि० स० स० लि०	8800	—	22
61.	श्री दयालभवन	,,	15000	—	39
62.	हसनपुरा 'बी'	,,	268000	67	—
63.	हसनपुरा 'ए'	,,	40400	—	117
64.	मदरामपुरा	,,	103000	—	47
65.	सीकर हाउस	,,	3600	—	9
66.	शान्तिनगर	,,	12400	—	31
67.	बलाईबस्ती	,,	17600	—	16
68.	संतोषनगर	,,	16000	40	—
		कुल..	4588400	684	1540

परिशिष्ट 5

(स्थगित तारांकित प्रश्न संख्या 394 की सूची)

सूची 'घ'

क्षेत्र जो वन विभाग को हस्तान्तरित हुआ

जिले का नाम	नाम वन मण्डल	क्षेत्र जो वन विभाग को हस्तान्तरित किया गया (हैक्टरों में)
1	2	3
1. गंगानगर	1. हनुमानगढ़	2500
	2. सूरतगढ़	5275
	3. छतरगढ़	7445
		15220
2. जोधपुर	जोधपुर	4365
3. बाड़मेर	,,	16063
4. नागौर	,,	812
5. जालोर	,,	3560
6. पाली	,,	500
7. बीकानेर	बीकानेर	13924
8. चूरू	,,	7307
	योग...	61751

परिशिष्ट 6

समयाभाव के कारण सदन में न लिये गये तारांकित प्रश्नोत्तर

अभेड़ा तालाब (कोटा) में क्रोकोडाइल फार्म स्थापित करने की योजना

643. **श्री भुवनेश चतुर्वेदी** (कोटा): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि कोटा में अमेड़ा तालाब में क्रोकोडाइल एवं गेबियल फार्म स्थापित करने की योजना राज्य सरकार के विचाराधीन है? कृपया उक्त योजना की क्रियान्विति अवधि व लागत बतलाने की कृपा करें?

(2) क्या उक्त योजना को रावतभाटा से कोटा चम्बल नदी प्रवाह तक विस्तार किया जा सकता है?

(3) क्या केन्द्रीय सरकार ने उक्त योजना की स्वीकृति प्रदान कर दी है?

उत्तर

(1) जी हां। इस योजना की क्रियान्विति अवधि पांच वर्ष एवं लागत 27.52 लाख रुपये प्रस्तावित है।

(2) जवाहर सागर के लिए पृथक से ऐक अन्य योजना केन्द्रीय सरकार को भेजी गई है।

(3) जी नहीं।

पंचायत समितियों के कृषि फार्म

644. **श्री लूणाराम** (डूंगरगढ़): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समितियों के कृषि फार्म अलाभकारी बतला कर वापिस राजस्व विभाग को सुपुर्द किये गये? ऐसे फार्मों की सूची मय आज तक उन पर स्थायी एवं अस्थायी कार्यों पर पंचायत समितियों द्वारा खर्च की गई राशियों के विवरण के सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या यह सही नहीं है कि बजाय राजस्व विभाग के यह फार्म कृषि एवं पशुपालन विभाग को दिये जाकर उन विभागों के विशेषज्ञों द्वारा सम्बन्धित क्षेत्रों के जलवायु के अनुसार स्थानीय उपज देने वाली फसलों व घास आदि पर अनुसंधान करवाया जाता है? यदि हां, तो क्या सरकार अब भी ऐसी ही नीति अपनाना चाहती है?

उत्तर

(1) पंचायत समितियों के जो कृषि फार्म अलाभकारी रहे हैं, उन्हें राज्य सरकार के निर्णयानुसार राजस्व एवं कृषि विभाग, जहां से पंचायत समितियों को प्राप्त हुए थे, वापस लौटा दिये हैं अथवा लौटाये जा रहे हैं। अब तक 9 फार्म कृषि विभाग को एवं 6 फार्म राजस्व विभाग को लौटाये जा चुके हैं जिनकी सूची संलग्न है। स्थाई एवं अस्थाई कार्यों पर पंचायत समितियों द्वारा खर्च की गई राशि की सूचना एकत्रित की जा रही है।

(2) जैसा कि प्रश्न 1 के उत्तर में बताया गया है कि ये फार्म राज्य सरकार के निर्णयानुसार उन्हीं विभागों को लौटाये गये हैं या लौटाये जा रहे हैं जहां से ये पंचायत समितियों को प्राप्त हुए थे। ये फार्म अब किस कार्य में लिये जाते हैं यह देखना अब सम्बन्धित विभागों का काम है।

कृषि फार्मों की सूची

क्र० सं०	जिले व पंचायत समिति का नाम	एजेन्सी का नाम जिनसे कृषि फार्म प्राप्त हुए				फार्म जो लौटाये गये	
		कृषि विभाग	राजस्व विभाग	पी० डब्ल्यू० डी०	पंचायत समिति स्वयं का	कृषि विभाग	राजस्व विभाग
1	2	3	4	5	6	7	8
	श्री गंगानगर						
1.	रायसिंहनगर	1	—	—	—	1	—
2.	श्रीकरणपुर	1	—	—	—	1	—
	जिला अलवर						
3.	लक्ष्मणगढ़	1	—	—	—	—	—
4.	कठूमर	—	1	—	—	—	—
5.	मंडावर	1	—	—	—	—	—
6.	उमरैन	2	—	—	1	—	—
	जिला सिरोही						
7.	सिरोही	1	—	—	—	1	—
	जिला सवाई माधोपुर						
8.	बौंली	1	—	—	—	1	—
	जिला भरतपुर						
9.	डीग	—	1	—	—	—	1
10.	रूपवास	—	—	1	—	—	—
11.	नगरपहाड़ी	—	—	—	1	—	—
12.	कुम्हेर	—	—	—	1	—	—
	जिला टोंक						
13.	देवली	—	1	—	—	—	1
14.	टोडारायसिंह	(विवरण प्राप्त नहीं है)					
	जिला कोटा						
15.	लाडपुरा	1	—	—	—	—	—
16.	अन्ता	1	—	—	—	—	—
	जिला पाली						
17.	रानी स्टेशन	—	1	—	—	—	—

Page No 110

(110)

1	2	3	4	5	6	7	8
जिला बूंदी							
18.	हिन्डोली	—	—	—	1	—	—
जिला नागौर							
19.	डेगाना	1	—	—	—	1	—
20.	रियां	1	—	—	—	—	—
21.	मेड़ता	—	—	—	1	—	—
जिला जालोर							
22.	आहोर	1	—	—	—	1	—
23.	रानीवाड़ा	—	—	—	1	—	—
जिला सीकर							
24.	फतेहपुर	(रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है)					
25.	नीम का थाना	—	—	—	1	—	—
26.	खण्डेला	—	—	—	1	—	—
जिला चूरू							
27.	चूरू	1	—	—	—	1	—
28.	डूंगरगढ़	—	1	—	—	—	1
जिला बाड़मेर							
29.	गुडामालानी	1	—	—	—	—	—
30.	सिणधरी	1	—	—	—	—	—
जिला डूंगरपुर							
31.	सिमलवाड़ा	1	1	—	—	—	1
32.	डूंगरपुर	—	1	—	—	—	1
जिला अजमेर							
33.	केकड़ी	—	1	—	—	—	1
34.	मसूदा	—	—	—	1	—	—
जिला जोधपुर							
35.	बिलाड़ा	—	1	—	—	—	

1	2	3	4	5	6	7	8
जिला उदयपुर							
36.	आमेट	1	—	—	—	1	—
37.	मावली	1	—	—	—	1	—
जिला भीलवाड़ा							
38.	शाहपुरा	—	1	—	—	—	—
39.	सुवाना	—	1	—	—	—	—
40.	धासिन्द	—	1	—	1	—	—
41.	हुरड़ा	1	—	—	—	—	—
42.	बनेड़ा	—	1	—	—	—	—
43.	जहांजपुर	1	—	—	—	—	—
44.	कोटड़ी	—	1	—	—	—	—
45.	सहाड़ा	(रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है)					
46.	रायपुर	—	—	—	1	—	—
जिला जयपुर							
47.	बस्सी	1	—	—	—	—	—
	योग..	22	14	1	11	9	6

राजस्थान वन श्रमिक सहकारी संघ, जयपुर के अध्यक्ष

645. श्री **किशन मोटवानी** (अजमेर पश्चिम): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि श्री ब्रह्मदत्त शर्मा, 1966 से 1971 तक राजस्थान वन श्रमिक सहकारी संघ लि०, जयपुर के अध्यक्ष थे ?

(2) क्या यह सही है कि इन्होंने अपने पद का फायदा उठाकर उक्त संघ की हजारों रुपयों की राशि प्रति वर्ष श्री बदनसिंह का झूठा खाता खुलवाकर रकम उठाते रहे व अपनी निजी खेती करवाते रहे ?

(3) यदि हां, तो श्री बदनसिंह के नाम पर प्रति वर्ष कितनी रकम संघ से उठाते रहे ? वार्षिक विवरण सदन की मेज पर रखा जावे ।

(4) उक्त रकम खर्च करना दुरुपयोग है या सदुपयोग ? यदि दुरुपयोग है, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है अथवा की जा रही है ?

(5) क्या यह भी सही है कि श्री ब्रह्मदत्त शर्मा के विरुद्ध राजस्थान वन श्रमिक सहकारी संघ के बोर्ड के सदस्यों की जांच समिति तारीख 31-3-71 को गठित हुई थी ? यदि हां, तो इस जांच समिति ने कौन कौनसी अनियमितताएं बताई हैं ? इस रिपोर्ट के आधार पर कब क्या कार्यवाही की गई ? रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(6) क्या यह सही है कि राजस्थान वन श्रमिक सहकारी संघ के पंजीकृत उप-नियमों में अध्यक्ष को खर्च करने का कोई अधिकार नहीं है ? यदि हां, तो श्री ब्रह्मदत्त शर्मा द्वारा संघ के अध्यक्ष की हैसियत से जो लाखों रुपये अनाधिकृत खर्च किये गये उसकी वसूली की क्या कार्यवाही की गई है ?

(स्थगित किया गया)

टोंक जिले में भूदान के पट्टे वाली भूमि

646. श्री **राजेन्द्रसिंह** (उनियारा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि टोंक जिले में भूदान के पट्टे वाली भूमि को सरकार द्वारा चरागाह एवं सिवाय चक घोषित किया हुआ है ?

(2) क्या इस प्रकार के मामले प्रशासन के सामने लाए गए हैं ? यदि हां, तो सरकार इन पर कब तक निर्णय ले लेगी ?

(स्थगित किया गया)

धन्नादास की बगीची गृह निर्माण सहकारी समिति लि०, जयपुर

647. श्री **उम्मेदीलाल** (हिण्डौन) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि धन्नादास की बगीची गृह निर्माण सहकारी समिति लि०, जयपुर के विरुद्ध राजस्थान सहकारी समितियां अधिनियम, 1963 की धारा

(श्री उम्मेदी लाल)

75 के तहत समिति की प्रबन्ध कार्यकारिणी के उपाध्यक्ष एवं अन्य तीन सदस्यों ने एक वाद दायर किया था ? जिसका निर्णय प्रार्थियों के पक्ष में हुआ था। किन्तु उक्त वाद के निर्णय को अभी तक भी क्रियान्वित नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या यह सत्य है कि उक्त समिति के 41 सदस्यों का ऋण सन् 1973 में स्वीकार किया गया था ? यदि हां, तो उसे अभी तक सदस्यों को नहीं दिये जाने का क्या कारण है ?

(3) क्या यह सत्य है कि उक्त समिति की प्रबंध कार्यकारिणी के चुनाव गत तीन वर्षों से नहीं करवाये जा रहे हैं जबकि समिति के सदस्य इसके लिए बार-बार प्रार्थना कर रहे हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) क्या यह सत्य है कि उक्त समिति की प्रबंध कार्यकारिणी गत तीन वर्षों से समिति के सदस्यों को समिति की आय व व्यय का लेखा जोखा भी नहीं दिया है और न ही तीन वर्ष से सदस्यों की कोई मीटिंग ही बुलवाई गई है यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

(5) क्या यह सत्य है कि पंच निर्णय के अनुसार समिति के सचिव व अध्यक्ष समिति के पदाधिकारी नहीं रह सकते ? यदि हां, तो सहायक पंजीयक, सहकारी समिति ने इन्हें अभी तक क्यों नहीं हटाया है ?

उत्तर

(1) धन्नादास की बगीची गृह निर्माण सहकारी समिति लि०, जयपुर की कार्यकारिणी के सर्वश्री गणेशदत्त शर्मा, अध्यक्ष हरसहाय, बन्दू खां एवं जगदीशचन्द्र अरोड़ा सदस्यान ने राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम, 1965 की धारा 75 के अन्तर्गत एक वाद दायर किया था जिसका निर्णय भी प्रार्थियों के पक्ष में हुआ था। उस वाद के निर्णय को क्रियान्वित करने के आदेश जारी हो चुके हैं।

(2) समिति के 41 सदस्यों को 1973 में ऋण स्वीकृत किया गया था परन्तु ऋण सम्बन्धी आवश्यक पत्रादि में कमी होने तथा समिति का साइट प्लान समय पर तैयार नहीं होने के कारण ऋण नहीं दिया गया। इसके उपरान्त दिनांक 10-10-75 को शीर्ष वित्त समिति के संचालक मंडल ने अपनी बैठक में निर्णय लिया है कि केवल उन्हीं समितियों को भविष्य में ऋण दिया जाय जिनको कि प्रथम किस्त दी जा चुकी है क्योंकि भारतीय जीवन बीमा निगम से पर्याप्त धनराशि नहीं उपलब्ध हो रही है। अतः इस समिति को ऋण नहीं मिल सका।

(3) समिति स्तर पर प्रबन्धकारिणी के चुनाव गत तीन वर्षों तक नहीं करवाये गये हैं। सदस्यों द्वारा चुनाव के लिये दी गई प्रार्थना के आधार पर विभाग द्वारा चुनाव अधिकारी की नियुक्ति करदी गई है। 30 जून, 76 के बाद सरकार द्वारा चुनावों पर लगाई गई पाबन्दी हटाने पर चुनाव कार्यवाही करादी जावेगी।

(सहकारिता मन्त्री) . .

(4) समिति के कार्यवाही रजिस्टर में समिति की कार्यकारिणी द्वारा समय समय पर समिति के आय व्यय का लेखा जोखा सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत किया जाना अंकित है जिसमें पंजीयन दिनांक से 1-2-76 तक कार्यकारिणी की 39 बैठक बुलाये जाने का वर्णन है तथा आलोच्य वर्ष में 4 बार साधारण सभा आमन्त्रित करना भी अंकित पाया गया है।

(5) पंच निर्णय में सचिव, अध्यक्ष को हटाये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।

कोटा एवं झालावाड़ वन मंडल के अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें

648. श्री जगमोहनसिंह (छबड़ा), श्री रामचरण (अटरू), श्री शिवनारायण (बारां) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि कोटा सर्किल एवं झालावाड़ वन मण्डल के वनाधिकारी ने स्वयं श्री काजी नूर मोहम्मद व श्री लक्ष्मी चौरासीया के नाम से वर्ष 74-75 में पत्ता तेंदू की यूनिटें खरीदीं? यदि नहीं, तो इनके द्वारा समय-समय पर जमा कराई गई रकम कब व कहां से प्राप्त हुई, का पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि किसी वन मण्डल में लगे हुए सहायक वन संरक्षक को कोई रकम कार्य एवं चुकारे आदि के लिए एडवांस नहीं दी जाती?

(3) क्या यह सही है कि सहायक वन संरक्षक, झालावाड़ को वर्ष 74-75 में भारी तादाद में एडवांस रकम पत्ता तेंदू कार्य करवाने के लिये दी गयी? रकम का ब्यौरा व उसके खर्चे की विगत सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि इस वर्ष भी 20,000 (बीस हजार) रुपया एडवांस में वन अधिकारी, झालावाड़ द्वारा रेन्जर, असनावर को माह दिसम्बर में पत्ता तेंदू की यूनिट खरीदने के लिए जमानत हेतु दी गई? उक्त एडवांस का औचित्य व खर्चे की विगत बताई जावे।

(5) क्या यह सही है कि उपरोक्त तथ्यों से उक्त वनाधिकारियों द्वारा राज्य सेवा में होते हुए निजी तौर से राजकीय द्रव्य का दुरुपयोग अन्य व्यक्तियों के नाम से स्वयं के व्यापार में किया गया? यदि हां, तो सरकार इस विषय में क्या कार्यवाही कर रही है।

(6) क्या यह सही है कि पत्ता तेंदू व्यापार में वनाधिकारियों की रकम लगी हुई को वसूल करने हेतु सहायक वन संरक्षक, झालावाड़ राज्य सरकार से स्थानान्तर हो जाने के बाद भी बिना अवकाश झालावाड़ ही रह रहे हैं? यदि हां, तो राज्य सरकार के आदेश की अवहेलना के लिए उनके विरुद्ध राज्य सरकार क्या कदम उठाने जा रही है?

उत्तर

(1) बताये गये आरोप की सत्यता के बारे में सरकार को कोई जानकारी नहीं है अलबत्ता श्री काजी नूर मोहम्मद द्वारा वर्ष 1974-75 में बारां वन मण्डल की

(वन मन्त्री)
निम्न तेंदू पत्ता इकाइयां क्रय की गई थीं :—

वर्ष	नाम क्रेता	इकाई संख्या	वन मण्डल
1974	काजी नूर मोहम्मद	17 कडैयाहाट	बारां
		20 हिंगलोट	बारां

उनके द्वारा खरीदी गई इकाईयों के संबंध में समय-समय पर जमा कराई गई रकम का ब्यौरा संलग्न सूची (क) में अंकित है। वर्ष 1975-76 के लिए श्री लक्ष्मीचन्द चौरासिया ने झालावाड़ मण्डल की इकाई संख्या 68 (मोलक्या) क्रय की जिसके पेटे वित्तीय वर्ष 1974-75 में दिनांक 16-12-74 को 3,500/– रुपये जमा हुये। इन क्रेताओं द्वारा जमा रकम कहां से और कब प्राप्त की गई उसकी जानकारी सरकार को नहीं है।

(2) जी नहीं।

(3) एडवान्स में दी गई राशि व उसके खर्च का ब्यौरा संलग्न सूची (ख) में अंकित है।

(4) मण्डल वन अधिकारी, झालावाड़ द्वारा माह दिसम्बर, 1975 में रुपये 20,000/– का एडवान्स रेंजर, असनावर को दिया गया था। यह राशि मजदूरों को चुकारा एडवान्स देने हेतु बताकर क्षेत्रीय द्वारा मांग की गई थी। इस एडवान्स खर्च का ब्यौरा संलग्न सूची (ग) में अंकित है।

(5) इस आरोप की सत्यता के संबंध में कोई जानकारी सरकार को नहीं है। पत्ता तेंदू सम्बन्धी विभिन्न प्रकरणों की जांच राज्य सरकार द्वारा कराई जा रही है।

(6) इसकी जानकारी राज्य सरकार को नहीं है। अलबत्ता सहायक वन संरक्षक स्थानान्तरण आदेश जारी होने पर 60 दिन के अवकाश पर प्रस्थान कर गये। इस अवधि की समाप्ति पर अधिकारी द्वारा अवकाश वृद्धि के लिए निवेदन किया गया जिसे अस्वीकार किया जाकर उन्हें अपने नवीन पद का कार्यभार जयपुर में संभालने के निर्देश दिये गये हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई):

ग्राम पंचायत, बगरू के निलम्बित सरपंच

649. **श्री मालाराम** (नीम का थाना): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) ग्राम पंचायत बगरू, पंचायत समिति, सांगानेर के निलम्बित सरपंच, श्री जगदीश प्रसाद नन्दवाना को कौनसी तारीख से किन-किन तथ्यों के आधार पर पुनः बहाल किया गया है? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि राज्य सरकार ने गबन, राजस्व, प्राकृतिक उपज राजकीय प्राथमिक शाला के भवन में घोटालों आदि के मामलों से इसे मुक्त कर दिया गया है? यदि मुक्त नहीं किया, तो ऐसे भ्रष्ट सरपंच को राज्य सरकार ने पुनः बहाल किस आधार पर किया?

(श्री मालाराम)

(3) क्या यह भी सही है कि उपरोक्त मामलों की जांच इस आपातकालीन स्थिति में सही ढंग से हुई है ? यदि नहीं हुई है, तो क्या पुनः जांच सी० बी० आई० से कराई जावेगी और क्या इन्हें पुनः निलम्बित किया जावेगा ?

उत्तर

(1) श्री जगदीश प्रसाद नन्दवाना, सरपंच, ग्राम पंचायत, बगरू को उप-जिलाधीश, जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट के आधार पर पूर्णतया: दोषी नहीं पाये जाने पर दिनांक 12-2-76 के आदेश द्वारा बहाल किया गया।

(2) जी नहीं। इस मामले की पुलिस द्वारा जांच की जा रही है। जहां तक सरपंच को पुनः बहाल किये जाने का प्रश्न है उन्हें अनुसूचित जाति एवं जनजाति वाले व्यक्तियों को समय पर भूखण्ड आवंटन के पट्टे नहीं दिये जाने के आरोप में राज्य सरकार द्वारा निलम्बित किया गया था और उप-जिलाधीश, जयपुर की जांच रिपोर्ट के आधार पर बहाल कर दिया गया।

(3) राजस्व संबंधित शिकायत में आवंटन अनियमित पाये जाने पर आवंटन निरस्त किये जाने की कार्यवाही जिलाधीश द्वारा की जा रही है। जिलाधीश द्वारा शेष मामलों में सरपंच के विरुद्ध पुलिस में एफ०आई०आर० दर्ज कराई जा चुकी है जिस की तफतीश जारी है। अतः सी० बी० आई० से जांच कराये जाने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है। पुलिस की जांच के बाद ही सरपंच के विरुद्ध अग्रिम कार्यवाही किया जाना संभव होगा।

जयपुर जिले के विचाराधीन मुकद्दमें

650. **श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा (फागी):** क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जयपुर जिले में विभिन्न स्तर पर कितने मुकद्दमे विचाराधीन हैं ? तहसीलों एवं परगना अधिकारियों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि बहुत से मुकद्दमे कई सालों से विचाराधीन हैं ?

(3) क्या राज्य सरकार इन मुकद्दमों को शीघ्र निपटाने के संबंध में कोई विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जयपुर जिले में विभिन्न स्तर पर राजस्व के 18,039 मुकद्दमात विचाराधीन हैं।

न्यायालयवाइज सूची (परिशिष्ट (क) एवं (ख) संलग्न है।

(2) जी हां।

(3) जी हां, समय समय पर इस दिशा में निर्देश दिये जाते हैं।

परिशिष्ट 'क'

सूची राजस्व मुकद्दमात 1-1-76 को शेष रहे

क्र० सं०	नाम न्यायालय	तादाद मुकद्दमा जो शेष है	एक साल से कम अवधि के	एक साल से अधिक अवधि के	दो साल से अधिक अवधि के	तीन साल से अधिक अवधि के
1.	कलेक्टर, जयपुर	488	340	133	9	6
2.	अतिरिक्त कलेक्टर, जयपुर	841	565	262	10	
3.	उप-जिलाधीश, जयपुर	670	524	146	—	—
4.	उप-जिलाधीश, आमेर	481	435	25	14	7
5.	उप-जिलाधीश, दौसा	917	329	252	158	178
6.	उप-जिलाधीश, सांभर	945	269	182	148	346
7.	उप-जिलाधीश, कोटपुतली	564	386	35	74	69
8.	सहायक जिलाधीश नं० 1, जयपुर	196	89	67	26	14
9.	सहायक जिलाधीश नं० 2, जयपुर	613	233	160	57	163
10.	सहायक जिलाधीश नं० 3, जयपुर	142	96	46	—	—
11.	सहायक जिलाधीश, बांदीकुई	433	766	80	70	117
12.	सहायक जिलाधीश, विराटनगर	132	49	11	29	43
	योग ..	6422	3481	1399	595	947

परिशिष्ट 'ख'

सूची राजस्व मुकद्दमात 1-1-76 को शेष रहे

क्र० सं०	नाम न्यायालय	तादाद मुकद्दमात जो शेष है	एक साल से कम अवधि के	विचाराधीन मुकद्दमों की तफसील: एक साल से अधिक अवधि के	दो साल से अधिक अवधि के	तीन साल से अधिक अवधि के
1.	तहसील जयपुर	1132	953	166	12	1
2.	तहसील सांगानेर	637	637	—	—	—
3.	तहसील बस्सी	191	137	12	24	18
4.	तहसील चाकसू	535	553	—	—	—
5.	तहसील ग्रामेर	852	750	69	15	18
6.	तहसील जमवारामगढ़	1765	625	972	122	46
7.	तहसील विराटनगर	48	34	13	1	—
8.	तहसील कोटपुतली	530	530	—	—	—
9.	तहसील दौसा	1063	866	30	167	—
10.	तहसील सिकराय	199	199	—	—	—
11.	तहसील लालसोट	3044	3044	—	—	—
12.	तहसील बसवा	946	922	3	21	—
13.	तहसील फागी	178	173	5	—	—
14.	तहसील दूदू	342	338	4	—	—
15.	तहसील सांभर	137	110	16	7	4
	योग ..	11617	8971	1290	369	87

ग्राम पंचायत चांदूर के सरपंच के विरुद्ध कार्यवाही

651. **श्री मगराज चौधरी** (रानीवाड़ा): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जालोर जिले की ग्राम पंचायत चांदूर के सरपंच, श्री दलपतसिंह कत्ल के एक मुकद्दमे में मुलजिम हैं और सैशन्स कोर्ट, जालोर में ट्रायल पेश कर रहे हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त सरपंच के विरुद्ध अनेक प्रकार की गम्भीर शिकायतें होने के कारण वहां के ग्रामवासियों ने उसको पद से हटाने हेतु एक ज्ञापन मंत्री महोदय को काफी अर्से पहले दिया था ?

(3) यदि हां, तो अब तक उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

उत्तर

(1) जी हां। जुडिशियल मजिस्ट्रेट, भीनमाल की अदालत में केस चल रहा है ।

(2) जी हां ।

(3) सरपंच को निलंबित किया जा चुका है ।

बंगला देश से आये शरणार्थियों को रोजगार की व्यवस्था

652. **श्री अजीतसिंह (टोंक)** : क्या पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या बंगला देश से आये शरणार्थियों को जो कि देवली केम्प में रखे गए उन्हें भारत की नागरिकता प्रदान कर दी गई है ? यदि हां, तो कितनों को ?

(2) क्या इन्हें अब टोंक शहर में बसाया जा रहा है ? यदि हां, तो कितने परिवारों को ?

(3) क्या इन्हें कोई रोजगार देने पर भी विचार चल रहा है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) जी अभी नहीं । मगर मामला राज्य सरकार व भारत सरकार के विचाराधीन है ।

(2) जी हां । 50 विस्थापित परिवारों को ।

(3) प्रश्न के भाग दो के विस्थापित परिवार टोंक में बसाये जायेंगे । उन्हें भारत सरकार के आदेशों के मुताबिक अपनी इच्छानुसार निजी व्यवसाय चलाने को 5,000) रु० प्रति परिवार ऋण के रूप में दिया जायेगा ताकि वे अपनी-अपनी जीविका हेतु उपयुक्त व्यापार करके अपना जीवन निर्वाह कर सकें ।

नगर विकास न्यास द्वारा आवंटित भू-खण्डों पर अनधिकृत निर्माण के मामले

653. **सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव** (आमेर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) आपातकालीन स्थिति के दौरान नगर विकास न्यास द्वारा आवंटित भू-खण्डों पर अनधिकृत निर्माण के कितने मामले राज्य सरकार को प्राप्त हुए हैं एवं कितनों पर जुर्माना किया जा चुका है और कितने

(सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव)
मामले अभी निपटाने शेष हैं ? अलग अलग योजना वाइज बताने की कृपा करें ।

(2) क्या यह सही है कि आवंटित भू-खण्डों में अनधिकृत निर्माण के जुर्माने की राशि सब श्रेणियों के प्लाटों पर समान हैं ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार यह उचित समझती है कि बड़े बड़े लोगों को बहुत बड़े 2 आवंटित भू-खण्डों पर और बहुत छोटे 2 आवंटित भू-खण्डों के जुर्माने की राशि एक समान रहे ? यदि नहीं, तो क्या राज्य सरकार इस जुर्माने की राशि को श्रेणीवाइज करने का विचार रखती है ?

(3) क्या यह भी सही है कि एक हजार रुपया जुर्माना अधिकतम सीमा रखी गई है चाहे कितने ही बड़े भू-खण्ड पर अनधिकृत निर्माण करा लिया हो और चाहे छोटे प्लाटों पर अनधिकृत निर्माण हुआ हो ?

(4) जयपुर शहर में नगर विकास न्यास द्वारा आवंटित सबसे बड़ा भू-खण्ड कितने वर्ग गज का है और सबसे छोटा आवंटित भू-खण्ड कितने वर्ग गज का है ?

(स्थगित किया गया)

स्थगित बीगोड़ी की रकम

654. **श्री दीपंकर** (लाडनूं) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि डीडवाना सब-डिवीजन, जिला नागौर के गांव पांडोराई आदि को अकाल में घोषित करने को सिफारिश डीडवाना के तहसीलदार और एस० डी० एम० ने राज्य सरकार को की है ? अगर हां, तो इन गांवों में पैनल्टी ब्याज सहित चार साल की रकमें एक साथ कैसे वसूल की गई हैं जबकि अकाल के दिनों की स्थगित बीगोड़ी की रकम कई गांवों में असल रूप में ही ली गई हैं ?

(2) स्थगित बीगोड़ी की रकम अकाल के समय में ही ब्याज सहित अदा की जाय, क्या ऐसा कोई आदेश पटवारियों के नाम राज्य सरकार का था ? अगर हां, तो इसके क्या कारण हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

उत्तर

(1) तहसील लाडनूं के जिन 50 ग्रामों व डीडवाना तहसील के जिन 57 गांवों को अकालग्रस्त घोषित करने की सिफारिश की गई है, उनमें ग्राम पांडोराई शामिल नहीं है । प्रस्तावित ग्रामों में भू-राजस्व की वसूली स्थगित है । लगान, तकावी आदि की वसूली हेतु प्रक्रिया निर्धारित है और उसी के अनुसार वसूली हुई है । स्वेच्छा से यदि कोई काश्तकार अपनी देनदारी से बरी होना चाहता है तो उससे वसूली करली जाती है । लगान पर स्थगन अवधि का ब्याज वसूल नहीं किया जाता है परन्तु पुरानी बकाया पर ब्याज देय है ।

शहरों में पटरियों पर बैठने वालों व स्टॉल वालों को प्लाटों का आवंटन

655. **श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता** (बानसूर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जयपुर, अलवर, कोटा, अजमेर व अन्य शहरों में पटरियों पर बैठने वालों व स्टॉल वालों को हटा कर राज्य

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)
सरकार द्वारा दुकान बनाने के लिये दिये गये प्लाटों की क्या कीमत वसूल की गई है ?

(2) क्या यह सही है कि जयपुर में 120 रुपये प्रति गज के हिसाब से व अलवर में 550/-रु० गज के हिसाब से दुकानों के लिये अलॉट किये प्लॉटों की कीमत वसूल की गई है व की जा रही है ? यदि हां, तो क्या यह उचित है और इसका क्या कारण है ?

(स्थगित किया गया)

महावीर नगर की कृषि भूमि

656. श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) बाड़मेर नगरपालिका की सीमा से लगती हुई महावीर नगर के समीप व उसी से लगती हुई ग्राम बाड़मेर आगोर की सीमा में किन-किन व्यक्तियों ने सन् 1973 से लगायत आज तक कितनी-कितनी कृषि भूमि खरीद की है ? सूची मय प्रत्येक की खरीद की राशि का विवरण दर्शाते हुए सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) उक्त खरीददारों ने कितनी-कितनी भूमि किस किस राशि में कृषि उपज मण्डी को बेची है ? संपूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(3) क्या यह सही है कि उक्त व्यक्तियों द्वारा खरीदी गई कृषि भूमि को राज्य सरकार या उनके प्रतिनिधि द्वारा आबादी में परिवर्तित किया गया है या परिवर्तन करने के बारे में कदम उठाये जा रहे हैं ?

(4) क्या बाड़मेर कृषि उपज मण्डी के पदाधिकारियों और सदस्यों ने कृषि उपज मण्डी के लिये खातेदारों की भूमि अवाप्त करने और उसे आबादी में परिवर्तन कराने के लिये कोई आवेदन-पत्र दिया ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ? कारण प्रस्तुत करते हुए विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(5) क्या यह सही है कि यदि खातेदारों से कृषि उपज मण्डी को बहुत ही कम कीमत उक्त भूमि की देनी पड़ती और बहुत ही लाभ होता और यह कदम नियमों के अनुरूप भी होता ?

(6) क्या यह सही है कि उक्त खरीददारों ने काश्तकारों से जमीन खरीद कर अनुचित लाभ उठाने के लिये कृषि उपज मण्डी के पदाधिकारियों की साज़िश से ऊंची कीमत पर बेची ?

(7) क्या यह सही है कि कृषि उपज मण्डी के लिये खरीद की गयी भूमि के पास ही महावीर नगर की जमीन बाड़मेर नगरपालिका ने काश्तकारों से राज्य सरकार के माध्यम से अवाप्त करके 35/-रुपये प्रति बीघा जमीन के हिसाब से प्राप्त की है जबकि बाड़मेर कृषि उपज मण्डी के लिये खरीद की गई जमीन एक हजार रुपये प्रति बीघा से भी अधिक कीमत पर खरीदी गई है ?

(8) क्या राज्य सरकार उक्त अनुचित कार्यवाही को रोकने अथवा निरस्त करने के लिये कोई कदम उठा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(राजस्व मंत्री)

उत्तर

(1) बाड़मेर नगरपालिका की सीमा से लगती हुई महावीर कालोनी के समीप बाड़मेर आगोर की सीमा में जिन जिन व्यक्तियों ने सन् 73 से आज तक जितनी कृषि भूमि खातेदारों से खरीद की है। उसकी सूची खरीद की राशि दर्शाते हुए संलग्न है।

(2) उक्त खरीददारों में से केवल श्री लक्ष्मणदान एवं रामचन्द्र पुत्रान पदमदान ने 3 बी० 4 बिस्वा भूमि रु० 350) प्रति बीघा की दर से रु० 1120) में कृषि उपज मण्डी, बाड़मेर को बेची है।

(3) जी नहीं।

(4) जी नहीं। कोई आवेदन-पत्र नहीं दिया। इसका कारण राज्य सरकार को ज्ञात नहीं है।

(5) अवाप्ति की कार्यवाही के परिणामस्वरूप क्या मुआवजा देना पड़ता, यह कह सकना संभव नहीं है।

(6) इस प्रकार के बेचानों का सर्वे कराया जाकर बेचानकर्ता के खिलाफ कार्यवाही हेतु जिलाधीश द्वारा तहसीलदार को आदेश दिया गया है।

(7) जी नहीं, नगरपालिका ने कृषि उपज मण्डी की भूमि के पास महावीर नगर में काश्तकारों से निजी समझौते के द्वारा 35) प्रति बीघा की दर से भूमि क्रय की थी। कृषि उपज मण्डी ने 350) रु० प्रति बीघा की दर से भूमि क्रय की है।

(8) जो बेचान नियमों के विरुद्ध किए गये पाये जावेंगे, उनमें बेचानकर्ता के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु जिलाधीश ने तहसीलदार को आदेश दे दिए हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

पाली नगर परिषद् द्वारा वार्डों में सफाई हेतु की गई व्यवस्था

657. श्री शंकरलाल (पाली): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) पाली नगरपरिषद् द्वारा अलग अलग वार्डों में सफाई हेतु क्या व्यवस्था की गई है और उस व्यवस्था की जांच व देख-रेख का उत्तरदायित्व किसका है ?

(2) क्या यह सही है कि गत तीन माह से व्यवस्था इतनी बिगड़ गई है कि शहर के वार्डों में गन्दगी के कारण कई बीमारियां फैलने की शिकायत स्वास्थ्य विभाग द्वारा की गई है ?

(3) इसकी समुचित व्यवस्था करने के क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

उत्तर

(1) पाली नगरपालिका द्वारा अलग, अलग वार्डों, मोहल्लों व बाजारों में प्रतिदिन दो बार सफाई करवाई जाती है। इस व्यवस्था की देखरेख वार्ड जमादारों व सैनेट्री इन्सपेक्टर द्वारा की जाती है।

(2) यह सही नहीं है कि पाली शहर में जितनी सफाई व्यवस्था बिगड़ गई है,

(स्वायत्त शासन मंत्री)

जिससे बीमारियां फैली हों, स्वास्थ्य विभाग द्वारा पाली शहर में गन्दगी के कारण कोई बीमारी फैलने की शिकायत नगरपालिका को प्राप्त नहीं हुई है। इस समय टेलीफोन विभाग द्वारा नगर के बड़े भाग में नये केबल डालने का कार्य करवाया जा रहा है, जिस कारण सड़कों को क्षति पहुंची है और सफाई के कार्य में आंशिक रूप से शिकायत पैदा हो गई है।

(3) नगरपालिका द्वारा सफाई कार्य में और प्रगति लाने के लिये विशेष उपाय किये जा रहे हैं। सुपरवाइजरी स्टॉफ, सफाई स्टॉफ तथा वाहनों में बढ़ोतरी की जा रही है और नगर में सफाई अभियान शीघ्र आरंभ किया जा रहा है। एण्टी लाखा योजना के अन्तर्गत पालिका ने स्वास्थ्य विभाग को 10,000/- रुपये की राशि भी दी है।

राजस्थान नहर क्षेत्र की आरक्षित भूमि का नोहर के भूमिहीनों को आवंटन

658. **श्री ज्ञानसिंह** (भादरा): क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) नोहर, भादरा तहसीलों की भाखरा नहर परियोजना में कितनी आराजी राज भूमि पड़ी है?

(2) क्या सरकार इस आराजी राज भूमि को इस क्षेत्र के भूमिहीनों को स्थायी आवंटन का इरादा रखती है? अगर इरादा रखती है, तो कब तक स्थायी आवंटन का कार्य शुरू कर दिया जायेगा?

(3) क्या सरकार द्वारा भाखरा क्षेत्र के भूमिहीनों के लिए राजस्थान नहर क्षेत्र में भूमि आरक्षण की जाती है? यदि हां, तो कितनी भूमि का आरक्षण किया गया है?

(4) इस आरक्षित भूमि को भाखरा के भूमिहीनों को कब तक आवन्टित कर दी जावेगी?

उत्तर

(1) नोहर, भाखरा तहसीलों की भाखरा नहर परियोजना में क्रमश: 4947 बीघा 12 बिस्वा एवं 6135 बीघा 14 बिस्वा भूमि आराजी राज है।

(2) जी हां। शीघ्र ही आवंटन की कार्यवाही की जा रही है।

(8) जी हां। सन् 1974 के नियमों के तहत 2305 एकड़ भूमि का आरक्षण किया गया।

(4) उक्त आरक्षित भूमि में से 2450 एकड़ भूमि का 269 घोषित भाखरा भूमिहीनों को माह फरवरी, 76 के अन्त तक आवंटन कर दिया गया है। अब कोई भाखरा भूमिहीनों के प्रार्थना-पत्र विचाराधीन नहीं हैं।

चूरू जिला आयोजना समिति के प्रस्ताव

659. **श्री मोहरसिंह** (सादुलपुर): क्या नगर-आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि विभिन्न जिलों के विकास हेतु वार्षिक योजनाएं केवल

(श्री मोहरसिंह)

जिला आयोजना समिति के प्रस्तावों के अनुसार ही स्वीकृत की जाती हैं ?

(2) अगर हां, तो चूरू जिला आयोजना समिति से कितने प्रस्ताव विगत साल किन किन योजनाओं के बाबत कौन कौनसी तारीखों की मीटिंगों में पास होकर आपके पास आये? कृपया तरीख व योजनावाइज विस्तृत सूचना सदन के पटल पर रखें ।

(3) इस सिलसिले में कृपया जिला आयोजना समिति के सदस्यों की सूची तथा जिला आयोजना समिति की विभिन्न मीटिंगों में उनकी हाजरी की तारीखवाइज जानकारी सदन की मेज पर रखें ?

(4) इस सिलसिले में किसी पंचायत समिति द्वारा उससे सम्बन्धित क्षेत्र के विकास हेतु सीधे भेजे गए प्रस्तावों का भी क्या प्रान्तीय आयोग के सामने कुछ महत्व है ?

(5) अगर हां, तो क्या राजगढ़ (जिला चूरू) पंचायत समिति द्वारा भेजे गए प्रस्तावों को आप इस साल असली रूप दिलवा सकेंगे ?

(6) क्या सम्बन्धित विधायक के द्वारा सम्बन्धित मन्त्रियों को लिखे गए पत्रों को भी इस सम्बन्ध में कोई मान्यता दी जाती है ?

(7) अगर हां, तो बार बार लिखे जाने के बावजूद भी राजगढ़ (सादुलपुर), जिला चूरू क्षेत्र को विकास सम्बन्धित कार्यों से वंचित कैसे रखा गया है ?

उत्तर

(1) जी नहीं। वार्षिक योजना बनाने के लिए जिला आयोजना समिति का कोई प्रावधान नहीं है । वार्षिक योजना विभिन्न विभागाध्यक्षों व प्रशासनिक अध्यक्षों से विचार-विमर्श करन के पश्चात् तैयार की जाती है ?

(2) प्रश्न एक का उत्तर नाकारात्मक होने के कारण प्रश्न ही नहीं उठता । जिला आयोजना समिति का सीमित कार्यक्षेत्र अथवा न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के बारे में सुझाव देना है । विगत वर्ष 1974-75 में इस समिति की कोई बैठक नहीं हुई । यद्यपि इसका गठन 5 फरवरी, 1974 को किया गया है ।

(3) चूंकि विगत वर्ष 1974-75 में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम हेतु गठित समिति की कोई बैठक ही नहीं बुलाई गई । अतः बैठकों का विवरण देने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

(4 से 7) विधायकों या पंचायत समिति से कोई सीधे सुझाव यदि प्राप्त होते हैं तो वे सम्बन्धित विभागों को उचित कार्यवाही हेतु भिजवा दिये जाते हैं । वार्षिक योजना को राज्य के वित्तीय साधनों एवं क्षेत्रवार प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए अंतिम रूप दिया जाता है ।

जालोर जिले में पास-बुकों का वितरण

660. **श्री रघुनाथ विश्नोई** (सांचौर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि जालोर जिले

(श्री रघुनाथ विश्नोई) में सब-खातेदारों एवं गैर–खातेदारों को पास-बुकें नहीं दी गई है ? अगर हां, तो क्यों ?

(2) क्या यह सत्य है कि जालोर जिले में खातेदारों के अनुसार पूरी पास-बुकें नहीं भेजी गई थीं ? अगर हां, तो क्यों ?

(3) क्या यह सत्य है कि बाकी रहे खातेदारों को भी पास-बुकें वितरण करने की सरकार की नीति है ? अगर हां, तो बाकी काश्तकारों को वितरण कब तक कर दी जावेंगी ?

(4) जालोर जिले में तहसीलवार कितनी कितनी पास-बुकें वितरण करनी शेष हैं ? शेष पास-बुकें कब तक वितरित कर दी जावेंगी ?

उत्तर

(1) जालोर में कुल खातेदार एवं गैर-खातेदार के खातों की संख्या 1,03,462 है जिन में से कुल 98,069 की पास-बुकें वितरण की जा चुकी हैं। अब 7,446 को पास-बुकें वितरण किया जाना शेष है। ये पास-बुकें काश्तकारों द्वारा प्राप्त नहीं की गई हैं जिसके कारण वितरण किया जाना शेष है।

(2) जालोर जिले में कुल खातेदारों एवं गैर-खातेदारों के खातों की संख्या 1,03,462 है तथा इस जिले में कुल 1,04,300 पास-बुकें खातों से अधिक पास-बुकें प्राप्त हुई हैं।

(3) जी हां। उन बाकी रहे खातेदारों को पास-बुकें अप्रेल, 76 तक वितरण कर दी जावेंगी।

(4) जालोर जिले में तहसीलवार निम्न प्रकार पास-बुकें काश्तकारों को वितरण किया जाना शेष है:—

1. तहसील जालोर	3580
2. तहसील आहोर	2912
3. तहसील भीनमाल	—
4. तहसील सांचोर ..	954
कुल ..	7446

इन शेष रहे काश्तकारों को भी पास-बुकें माह अप्रेल, 76 तक वितरण कर दी जावेंगी।

———

केन्द्रीय सहकारी बैंकों को सुदृढ़ बनाने हेतु सहायता

661. **श्री रामसिंह कुड़ी** (जायल) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) पुनर्स्थापन योजना के अन्तर्गत किन किन केन्द्रीय सहकारी बैंकों को सुदृढ़ बनाने हेतु वर्ष 1974-75 में कितनी कितनी सहायता किस किस तारीख को दी गई ?

(2) पुनर्स्थापन योजना के अन्तर्गत वर्ष 1975-76 में किन किन केन्द्रीय सहकारी बैंकों को सुदृढ़ बनाने हेतु कितनी कितनी राशि सहायता की कब तक दे दी जायेगी ?

उत्तर

(1) पुनर्स्थापन योजना के अन्तर्गत वर्ष 1974-75 में निम्नलिखित केन्द्रीय सहकारी बैंकों को सुदृढ़ बनाने हेतु उनके नाम के आगे अंकित सहायता दी गई:—

क्र० सं०	नाम केन्द्रीय सहकारी बैंक	सहायता राशि जो दी गई	स्वीकृति दिनांक
1	2	3	4
1.	अजमेर सेन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक लि०, अजमेर	2,29,700/-	17-5-75
2.	बांसवाड़ा सेन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक लि०, बांसवाड़ा	1,70,200/-	"
3.	भीलवाड़ा सेन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक लि०, भीलवाड़ा	3,40,000/-	"
4.	जोधपुर सेन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक लि०, जोधपुर	5,71,000/-	"
5.	पाली सेन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक लि०, पाली	4,94,000/-	"
6.	उदयपुर सेन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक लि०, उदयपुर	2,29,800/-	"
7.	डूंगरपुर सेन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक लि०, डूंगरपुर . ..	1,61,150/-	26-3-75

Page No 127

(127)

1	2	3	4
8.	जयपुर सेन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक लि०, जयपुर	7,82,870/–	26-3-75
9.	झुंझुनूं सेन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक लि०, झुंझुनूं	3,64,480/–	,,
10.	सीकर सेन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक लि०, सीकर	1,56,250/–	,,

(2) पुनर्स्थापन योजना के अन्तर्गत वर्ष 1975-76 में निम्नलिखित केन्द्रीय सहकारी बैंकों को सुदृढ़ बनाने हेतु उनके नाम के आगे अंकित राशि चालू वित्तीय वर्ष में स्वीकृत करदी गई है:—

क्र० सं०	नाम केन्द्रीय सहकारी बैंक	सहायता राशि जो चालू वित्तीय वर्ष में स्वीकृत की गई
1.	बीकानेर सेन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक लि०, बीकानेर	1,87,300/–
2.	चूरू सेन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक लि०, चूरू ..	1,21,900/–
3.	सिरोही सेन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक लि०, सिरोही ..	83,309/–
4.	जालोर सेन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक लि०, जालोर ..	1,20,000/–

किसानों के घरू कार्य में आने वाली लकड़ी

662. श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरापाटन) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि किसानों के घरू कार्य में आने वाली लकड़ी जो उन्हीं के खेतों से ली जाती है उसके हल कुली गाड़ी आदि में लगाने के लिये मशीन तक ले जाने के लिये अथवा कारीगर तक ले जाने के लिये भी ट्रान्जिट पास जारी कराना अनिवार्य है तथा वह भी असिस्टेन्ट कन्जरवेटर ऑफ फोरेस्ट, झालावाड़ से जारी कराना पड़ेगा ?

(2) क्या यह सही है कि जिले में ऐसा केवल एक ही अधिकारी होने पर 50-50 मील से छोटे कार्य के लिये आना होगा जो कितना कठिन है ? क्या सरकार किसानों को इस प्रयोजन हेतु पास सरलता से मिल सके उस पर विचार करेगी ?

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान फोरेस्ट (प्रोड्यूस ट्रांजिट) रूल्स, 1957 के अन्तर्गत ट्रांजिट पास प्राप्त करना अनिवार्य है।

(2) जी हां। किसानों की दिक्कतों को दृष्टिगत रखते हुए, इस प्रक्रिया को सरल किये जाने का निर्णय लिया जा चुका है व आदेश प्रचलित किये जा रहे हैं।

बून्दी जिले में भू-आवंटन अभियान के अन्तर्गत भूमि का आवंटन

663. श्री रमेशचन्द्र सैनिक (हिण्डोली) : श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय (बूंदी), श्री नन्दलाल बैरवा (पाटन) :

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) बूंदी जिले में भू-आवन्टन अभियान कब से कब तक चलाया गया था ?

(2) उक्त आवन्टन अभियान के अन्तर्गत कुल कितनी भूमि आवंटित हुई ? ब्यौरा तहसीलवार सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) उक्त जिले में निम्न वर्गों के प्रार्थियों को कितनी भूमि दी गई :—

(क) अनुसूचित जाति के प्रार्थी कितने और कितनी कितनी भूमि दी ?

(ख) अनुसूचित जन जाति के प्रार्थी कितने और कितनी कितनी भूमि दी ?

(ग) सैनिकों के प्रार्थी कितने और कितनी कितनी भूमि दी ?

(घ) सवर्णों के प्रार्थी कितने और कितनी कितनी भूमि दी ?

(च) सरकारी कर्मचारियों को कितने और कितनी कितनी भूमि दी ?

कृपया तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सत्य है कि कई किसानों ने भूमि का कब्जा लेने से इन्कार किया है? यदि हां, तो निम्न कारणों से कितने व्यक्तियों ने अधिकार ग्रहण नहीं किया :—

(क) कमाण्ड व नॉन कमाण्ड के कारण

(श्री रमेशचन्द्र सैनिक)

(ख) खराब जमीन के कारण

(ग) प्रभावी मालिकों के भय से

(घ) सीलिंग के विवादों के कारण

कृपया तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) बूंदी जिले में आवंटन अभियान दिनांक 7-11-75 से 5-1-76 तक चलाया गया था।

(2) तहसीलवार ब्यौरा सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(3) तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(4) यह सत्य है कि इस जिले की तहसील हिण्डोली में 1139 व्यक्तियों ने भूमि पर कब्जा लेने से इन्कार किया है।

(क) 684 व्यक्ति

(ख) 439 व्यक्ति

(ग) --

(घ) 16 व्यक्ति

तहसील हिण्डोली में सीलिंग कानून के अंतर्गत अधिग्रहीत भूमि पर 27 व्यक्तियों के स्थगन आदेश होने के कारण आवंटित भूमि पर कब्जा नहीं दिया गया है।

मानचित्र भूमि आवंटन के अभियान के अन्तर्गत आवंटन की गई भूमि

दिनांक 7-11-75 से जिला बूंदी

क्र०सं०	नाम तहसील	भूमि आवंटन अभियान चलाने की तिथि	अनुसूचित जाति		जनजाति		सैनिक		स्वर्ण जाति		सरकारी कर्मचारी		योग	
			संख्या	क्षेत्र०	संख्या	क्षेत्र०	सं०	क्षेत्र०	सं०	क्षेत्र०	सं०	क्षेत्र०	संख्या	क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	बूंदी	7-11-75 से 31-12-75	419	1479	671	2068	—	—	471	1541	—	—	1561	5088
2.	के० पाटन	7-11-75 से 27-12-75	377	1229	563	2118	—	—	739	2386	—	—	1679	5733
3.	नैनवा	7-11-75 से 16-12-75	702	1869	176	464	3	13	873	2263	—	—	1754	4609
4.	हिण्डोली	7-11-75 से 5-1-76	1377	3120	787	1672	62	195	1454	2813	3	10	3683	7310
		कुल योग ..	2875	7697	2197	6322	65	208	3537	9003	3	10	8677	23240

नोट :—तहसील हिण्डोली में 55 सैनिक तथा 3 राज्य कर्मचारी अनुसूचित जाति एवं जनजाति के होने से क्रम संख्या 4, 5, 6 एवं 7 में भी सम्मिलित है ।

ग्राम नाड़ा की प्राथमिक शाला

664. **श्री नारायणसिंह चौधरी** (दांतारामगढ़) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम नाड़ा, पंचायत समिति दांतारामगढ़ में जो प्राथमिक शाला चल रही थी वह बन्द कर दी गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) उक्त शाला कितने साल से चल रही थी और इसमें छात्रों की संख्या क्या थी ? तथा ग्राम की आबादी क्या है ? छात्रों की संख्या की सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

उत्तर

(1) जी नहीं । ग्राम नाड़ा, पंचायत समिति दांतारामगढ़ प्राथमिक शाला नहीं चल रही थी बल्कि ब्रांच शाला चल रही थी जो छात्रों की संख्या कम होने के कारण बंद कर दी गई ।

(2) ग्राम नाड़ा में ब्रांच शाला वर्ष 1971 में चल रही थी और इसमें छात्रों की सं० 27 थी, लेकिन औसत उपस्थिति 19 छात्र की रही । ग्राम की आबादी 474 है ।

कॉमर्शियल कोओपरेटिव बैंक लि., अजमेर

665. श्री **भीमसेन** (लूणकरणसर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) कॉमर्शियल कोऑपरेटिव बैंक लि., अजमेर में कुल कितनी राशि का एवं किसके द्वारा गबन किया गया ?

(2) उपरोक्त बैंक के गबन एवं सत्ता के दुरुपयोग की जिम्मेदारी किन किन व्यक्तियों की थी तथा उनके विरुद्ध कितनी कितनी राशि की जिम्मेदारी निर्धारित की गई ?

(3) उक्त बैंक के पंजीयन के पश्चात् सहकारी विभाग के किस किस अधिकारी ने निरीक्षण किया था ? उन्होंने बैंक का सालाना ऑडिट समय पर होता था या नहीं, इस सम्बन्ध में क्या सावधानी बरती ?

(4) बैंक को कब लिक्वीडेशन में लाया गया तथा अब तक कौन कौन व्यक्ति कब कब लिक्वीडेटर रहे तथा उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को निभाने हेतु क्या क्या कदम उठाये तथा विभागीय अधिकारियों ने लिक्वीडेटेड के कमीशन्स एण्ड ओमीशन्स के सम्बन्ध में किस किस अधिकारी ने क्या क्या कार्यवाही की ?

(5) क्या यह सही है कि उक्त बैंक के पंजीयन से लेकर आज तक सहकारी विभाग के सहायक पंजीयक तथा उनके सहायकों तथा ऊपर के अधिकारियों ने इस बैंक के कार्यकलापों एवं अन्य कार्यवाहियों के प्रति उदासीनता ही बरती है ?

(6) उक्त बैंक के कुल कितने डिपोजिटर्स की कुल कितनी राशि का गबन हुआ है तथा उक्त राशि की दोषी व्यक्तियों से वसूली के सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

(7) क्या यह सही है कि उक्त बैंक के पंजीयन पश्चात् उसके कार्यकलापों के संचालन एवं देखरेख की सम्पूर्ण जिम्मेदारी पंजीयक, सहकारी विभाग की थी तथा

(श्री भीमसेन)

उन्होंने अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन में गफलत बरती है ?

(8) उक्त बैंक के बायलॉज की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(स्थगित किया गया)

जिलास्तरीय सहकारी समितियों में कमजोर वर्ग का मनोनयन

666. **श्री नारायणसिंह** (मसूदा) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

सहकारी अधिनियम के कुछ दिनों पूर्व संशोधन कर जिलास्तरीय सहकारी समितियों में कमजोर वर्ग के 3 संचालक मनोनीत करने का प्रावधान किया गया है उसकी अनुपालना किस किस जिले में अब तक नहीं हुई और इसका क्या कारण है ?

उत्तर

जी हां। पांच जिलों में अनुपालना हो चुकी है। बाकी जिलों में अनुपालना की जा रही है।

मनोनयन के लिए सम्बन्धित अधिकारियों से नाम प्राप्त किये जा रहे हैं।

कंवर नगर बस्ती का गन्दा नाला

667. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** (हवामहल, जयपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि चौकड़ी सरहद, जयपुर में कंवर नगर बस्ती में गन्दे पानी का खुला नाला है जो बहुत गन्दगी एवं बदबू पैदा करता है ? नाले के सहारे ही हरिजनों के क्वार्टर्स हैं। इससे मच्छर मक्खियां पैदा होते हैं जो बीमारियां पैदा करने के कारण भी सदा जन जीवन के लिए खतरा बना रहता है।

(2) यदि हां, तो इस नाले की गन्दगी और बदबू तथा अस्वस्थ्यकर स्थिति से बचाने की क्या योजना है और कब तक ?

(3) क्या यह भी सही है कि कंवर नगर में छोटी गटर लाइन होने के कारण यह बस्ती बुरी तरह सड़ती है और वर्षा में स्थान स्थान पर गन्दा पानी इकट्ठा हो जाता है जिसके कारण पानी एवं गन्दगी जन जीवन के लिए खतरा बनी हुई है ? इस दशा में सुधार के लिए परिषद् की क्या योजना है और कब तक ?

उत्तर

(1) चौकड़ी सरहद कंवरनगर बस्ती में एक गन्दा नाला है, जो खुला हुआ है। परिषद् द्वारा समय समय पर इस नाले का कीचड़ निकलवाकर सफाई करवाई जाती है व डी० डी० टी० पाउडर नाले के आस पास डाला जाता है जिससे मच्छर मक्खियां पैदा न हों।

(2) नगर परिषद् द्वारा नाले को पक्का कराये जाने की योजना है, जिसके तखमीने आदि बनाये जा रहे हैं। यह कार्य वर्ष 1976-77 में हाथ में लिये जाने की सम्भावना है।

(3) जयपुर नगर में बड़ी गटर लाइन डालने का कार्य जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा करवाया जा रहा है। कंवर नगर क्षेत्र को सम्मिलित करते हुये बड़ी गटर लाइन ब्रह्मपुरी से होती हुई मोती कटला बाजार में मिलाये जाने की सम्भावना है। यह कार्य भी जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा ही करवाया जावेगा।

ग्राम सेवा सहकारी समिति, कतोपुर (जिला अलवर) के कोषाध्यक्ष

668. **श्री रतीराम यादव** (तिजारा) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा

(श्री रतीराम यादव)
करेंगे: —

(1) क्या यह सही है कि ग्राम सेवा सहकारी समिति, कतोपुर, तहसील किशनगढ बास, जिला अलवर के कोषाध्यक्ष, श्री बने सिंह यादव के विरुद्ध 1,300/– रुपयों के घोटाले का केस ट्रिब्यूनल तक पहुंचा था और ट्रिब्यूनल ने रोकड़ बही आदि की जांच करने के लिये इस केस को श्री चुन्नी लाल, सहायक रजिस्ट्रार, स.स., अलवर के पास वापिस भेजा था ? यदि हां, तो जांच का क्या परिणाम निकला ? रिपोर्ट सदन की मेज पर रखी जावे। यदि अभी तक जांच नहीं हुई तो क्यों नहीं ?

(2) क्या यह भी सही है कि इसी सहकारी समिति के अध्यक्ष, श्री इन्द्राज व कोषाध्यक्ष, श्री बनेसिंह यादव के विरुद्ध घोटाले एवं भ्रष्टाचार की पुनः शिकायत होने पर ऋण निरीक्षक, कोटकासिम को इस समिति का प्रशासक नियुक्त किया गया था ? यदि हां, तो समिति के इन उपरोक्त पदाधिकारियों ने प्रशासक को समिति का रिकार्ड क्यों नहीं संभलाया और जांच क्यों नहीं हो सकी ?

(3) क्या यह भी सही है कि इसी समिति के अध्यक्ष, श्री इन्द्राज तथा कोषाध्यक्ष, श्री बनेसिंह यादव के घोटालों के सम्बन्ध में रजिस्ट्रार, स.स., राजस्थान, जयपुर को भी शिकायत प्राप्त हुई और उन्होंने अविलम्ब जांच के लिए सहायक रजिस्ट्रार, अलवर श्री प्रेमराज जैन को नियुक्त किया था ? यदि हां, तो जांच का क्या परिणाम निकला ? यदि जांच नहीं हुई, तो उसके क्या कारण रहे ?

उत्तर

(1) यह सही है कि समिति के कुछ सदस्यों द्वारा सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, अलवर के निर्णय के विरुद्ध अपील राजस्थान सहकारी न्यायाधिकरण में प्रस्तुत की गई थी तथा ट्रिब्यूनल ने वापिस इस केस को सहायक रजिस्ट्रार, अलवर के पास रिमाण्ड किया था। सहायक रजिस्टार, अलवर द्वारा इस केस में निर्णय दे दिया गया है। निर्णय की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) यह सही नहीं है कि समिति के अध्यक्ष व कोषाध्यक्ष के विरुद्ध घोटाले एवं भ्रष्टाचार की शिकायत होने के कारण समिति में प्रशासक की नियुक्ति प्रबन्ध कारिणी समिति द्वारा समिति के ऋण वसूली में रुचि नहीं लेने के कारणों से की गई थी। प्रशासक को समिति का चार्ज प्राप्त नहीं हुआ क्योंकि राजस्थान हाई कोर्ट में रिट याचिका प्रस्तुत करदी गई थी जिस पर हाई कोर्ट से निर्देश प्राप्त हुये कि समिति में नियमित रूप से चुनाव दिनांक 8-9-75 तक करा दिये जावे। तदनुसार चुनाव करा दिये गये हैं एवं वर्तमान में निर्वाचित प्रबन्धकारिणी समिति कार्य कर रही है।

(3) यह सही है कि इस समिति के अध्यक्ष व कोषाध्यक्ष के विरुद्ध रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, राजस्थान, जयपुर को शिकायत प्राप्त हुए थी व इस शिकायत की जांच हेतु सहायक रजिस्ट्रार, अलवर को आदेश भी दिये गये थे। शिकायत की जांच हो चुकी है व जांच रिपोर्ट भी प्राप्त हो चुकी है जिसके अनुसार शिकायत सही साबित नहीं हुई।

(134)

न्यायालय अतिरिक्त सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, अलवर

क्रमांक : पद०सीला।उत्तर दिनांक

निर्णय दिनांक 29-3-76

श्री भानु पुत्र कन्हैया व अन्य वादी

बनाम

श्री मोहर सिंह, श्री बनेसिंह व अन्य प्रतिवादी

वाद बाबत कर्जा सोसायटी ग्राम सेवा सहकारी समिति, शेरपुर (कतोपुर), तहसील किशनगढ़ बास, जिला अलवर।

आवाज लगवाई गई। वादी एवं प्रतिवादी में से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। दिनांक 19-2-76 को वादी सर्वश्री मन्तुराम सुल्तान, ईश्वर सिंह, बन्सी, कन्हैया, सूरजभान ने लिखित प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया था कि धारा 75 के अन्तर्गत विचाराधीन वाद को ये आगे नहीं चलाना चाहते हैं, उन्होंने प्रतिवादीगण से राजीनामा कर लिया है। जो रकम प्रतिवादीगण ने बकाया निकाल रखी है उसे स्वीकार करते हैं तथा बकाया राशि एवं दिनांक 30-4-76 तक चुकाने का वचन देते हैं। अन्य वादी तारीख पेशियों पर हाजिर नहीं हो रहे हैं जिससे प्रतीत होता है कि उनकी वाद को चलाने में कोई रुचि नहीं है। उक्त कारणों से वाद को खारिज किया जाता है। दोनों पक्ष (अपना खर्च स्वयं वहन करेंगे। अधिशासी अधिकारी, दी अलवर सेन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक लि०), अलवर को लिखा जाये कि वादीगण के विरुद्ध अवधिपार ऋण की वसूली हेतु सहकारी अधिनियम की धारा 74 के अन्तर्गत तुरन्त कार्यवाही करे।

उक्त निर्णय आज दिनांक 29-3-76 को खुली अदालत में सुनाया गया।

ह० अतिरिक्त सहायक रजिस्टार,
सहकारी समितियां, अलवर।

स्थगित प्रश्न

दिनांक 26-3-76

नागानी सरपंच (तहसील रेवदर) द्वारा कृषि भूमि पर कब्जा

413: श्री जेठमल आर्य (रेवदर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि रेवदर तहसील में भूतपूर्व जागीरदार, श्री बेरीलाल सिंह, सरपंच, नागानी के पास सेटलमेन्ट के समय बहुत थोड़ी जमीन थी और बाद में गरीब काश्तकारों की जमीन हड़प करके अपनी कृषि भूमि बढ़ाते रहे ? यदि हां, तो श्री बेरीलाल सिंह व उनके कुटुम्बियों के नाम सेटलमेन्ट के समय कितनी कितनी जमीन थी और आज उनके कब्जे में कितनी कितनी भूमि है ? विस्तृत सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह भी सही है कि भूतपूर्व डी० आई० जी०, गुमानसिंह भाटी ने अनुसूचित जनजाति के लोगों की जमीन अपने रिश्तेदारों के नाम ज़बरन दबा रखी है ? यदि हां, तो कितनी कितनी भूमि इस परिवार ने बेमानी दबा रखी है ? और इसकी जांच करके कब तक खाली करवा दी जावेगी ? तथा किस 2 का कितनी 2 जमीन पर कब्जा है ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या यह सही है कि नागानी सरपंच श्री बेरीलाल सिंह ने गरीब काश्तकारों की जमीनें गलत ढंग से अपने नाम कर ली थी जिसकी पूर्ण जांच श्री रूपसिंह माथुर, कलेक्टर, जिला सिरोही द्वारा हो चुकी है ? यदि हां, तो उस केस को क्यों दबा रखा है ? तथा किस किस को, कितनी कितनी जमीन अपने नाम कराई थी ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) यह सही है कि श्री बेरीलालसिंह, सरपंच, नागानी के खाते में बन्दोबस्त के अनुसार 51 बीघा 2 बिस्वा भूमि थी । बाद में, इन लोगों ने स्थानीय काश्तकारों से एवं अन्य रूप में ग्राम नागानी एवं हणुमातिया में 415 बीघा 3 बिस्वा भूमि और ले । नामवार विवरण की सूची 'क' सदन के मेज पर रख दी गई है ।

(2) श्री गुमान सिंह भाटी ने अनुसूचित जाति के दस भांवियों की भूमि श्री छतरा भांबी एवं श्री रूपा भांबी के नाम से खरीदी थी एवं इस पर वे स्वयं काबिज हैं । यह हस्तांतरण बेनामी पाया जाने से इसके बारे में जिलाधीश ने तहसीलदार, रेवदर को आदेश दे दिए हैं कि वे श्री भाटी के खिलाफ राजस्थान टिनेंसी एक्ट, 1955 की धारा 175 के तहत सहायक जिलाधीश के न्यायालय में दावा पेश करें । इसके अलावा, श्री समिया ढेढ़ की 10 बीघा 16 बिस्वा भूमि को चार साल पूर्व 7500) रुपये में श्री स्वरूपसिंह एवं अनूप ने खरीदी थी । यह भूमि अब इन लोगों के काश्त में ही है । खरीददार श्री भाटी के भतीजे हैं । बेचान का रजिस्ट्रेशन तक हुआ है । इस मामले का विवरण अभी भी संलग्न सूची 'ख' में अंकित है । इस मामले में भी दावा करने हेतु तहसीलदार, रेवदर को जिलाधीश ने आदेश दे दिये हैं ।

(3) यह सही है कि नागानी सरपंच, श्री बेरीलाल सिंह के मामले की जांच तत्कालीन जिलाधीश, श्री रूपचन्द माथुर ने की थी । परन्तु यह सही नहीं है कि मामले को दबा कर रखा गया है ।

राज्य सरकार ने दिनांक 5-3-73 को इस मामले में आदेश जिलाधीश को दे दिए थे । दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है ।

सूची 'छ'

श्री बैरीसालसिंह एवं उनके परिवार के सदस्यों के नाम बंदोबस्त के समक्ष व उनके बाद जमीन खरीद के तथा आवंटित। नियमन हुई उसका विवरण

क्र.सं.	परिवार के सदस्यों का नाम	बंदोबस्त के अनुसार खातेदार		योग	खरीदशुदा अथवा आवंटित/नियमन भूमि का विवरण		योग	विशेष विवरण
		नागानी	हड़मातिया		नागानी	हड़मातिया		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	श्री मोतीसिंह पुत्र गजेसिंह	381)1 92111)3	—	131)4	—	—	—	—
2.	श्री सरदारसिंह पुत्र बैरीसालसिंह	38111)2	—	38111)2	67)2	671) 2811)3	1341)4 2811)3	27111)4 जमीन बेची गई
3.	श्री हनवंतसिंह पुत्र बैरीसालसिंह	88111)3	—	88111)3	261)	861)3	11211)3	261) नियमन 88111)3 जमीन बेची गई
4.	श्री बैरीसालसिंह पुत्र मोतीसिंह	51)2	—	51)2	51)	1311)1	6411)1	—
5.	श्री अमरसिंह पुत्र बैरीसालसिंह	—	—	—	81)4	19111)2	281)1	81)4 आवंटन
6.	श्री विक्रमसिंह पुत्र बैरीसालसिंह	—	—	—	1711)2	—	1711)2	115 हिस्सा खाता नं० 67
7.	श्री हरनारायणसिंह पुत्र ,,	—	—	—	—	28111)4	28111)4	—
	योग ..	310)1	—	310)1	1701)3	244111)	415)3	

सूची 'ख'

श्री गुमानसिंह भाटी एवं उनके भतीजों द्वारा ग्राम गुलाबगंज, तहसील रेवदर, जिला सिरोही में अनुसूचित जाति के सदस्यों की भूमि खरीदी, उसकी सूची

क्रम सं०	नाम बेचने वाले का	नाम खरीददार मय जाति	रकबा	कीमत	विशेष विवरण
1.	दस भांबी (अनुसूचित जाति), गुलाबगंज	श्री छतरा पुत्र अर्जुन भांबी निवासी पींथला व श्री रूपा पुत्र सेमा भांबी निवासी हासु, जिला जैसलमेर।	26।।।)1	12,500)	
2.	श्री समीया वल्द पोमा (अनुसूचित जाति), गुलाबगंज	श्री सरूपसिंह अनोपसिंह पि० अभयसिंह, जिला जैसलमेर।	10।।।)1	7,500)	इसका बेचान रजिस्ट्रेशन अभी नहीं हुआ है।

(138)

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 29-3-76)

नाहरी का नाका, जयपुर में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण

463. श्री गणेशलाल (गंगरार): क्या नगर विकास न्यास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि नाहरी का नाका, जयपुर में पानी की टंकी के पास एक शिव मंदिर की आड़ में कुछ व्यक्तियों ने सरकारी जमीन का अतिक्रमण कर रखा है और इस सम्बन्ध में शिकायतों की जांच करने के लिये अध्यक्ष, नगर विकास न्यास, जयपुर ने श्री मांगीराम, अतिक्रमण निरोध अधिकारी (प्रथम), नगर विकास न्यास को आदेश दिये थे ? यदि हां, तो क्या यह जांच पूर्ण हो गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) प्रश्न के भाग एक में वर्णित जांच किन किन आरोपों के विषय में थी और प्रत्येक आरोप के संबंध में क्या क्या निष्कर्ष निकला ?

(3) क्या प्रश्न के भाग एक में वर्णित स्थान पर राज्य सरकार जन हित में एक सर्किल का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने जा रही है ? यदि हां, तो क्या अवैधनिर्माणकर्ता इस सर्किल को न बनाये जाने की मांग कर रहे हैं ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार इस अनुचित मांग को सार्वजनिक अहित में भी स्वीकार कर लेगी ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) प्रश्न के भाग तीन में वर्णित स्थान पर सर्किल के निर्माण कार्य का यदि सरकार विचार रखती है तो यह कार्य कब तक आरम्भ किया जावेगा ?

उत्तर

(1) जी हां। जांच हो चुकी है।

(2) प्रतिलिपि सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी गई है।

(3) जी हां। इस स्थान पर ट्रैफिक रोटरी का निर्माण किया जाएगा। सार्वजनिक हित के विरुद्ध कोई मांग स्वीकार नहीं की जावेगी।

(4) नाहरी का नाका में विकास कार्य प्रारम्भ हो गया है तथा यह कार्य भी यथाशीघ्र प्रारम्भ कर दिया जावेगा।

(139)

कार्यालय अतिक्रमण निरोधक अधिकारी, (प्रथम), नगर विकास न्यास, जयपुर

क्रमांक : 23514 जयपुर, दिनांक 20-8-75

श्रीमान् अध्यक्ष महोदय (जिलाधीश),
नगर विकास न्यास, जयपुर ।

विषय:—परि० वि० श्री हरिनारायण सैनी, स्टेनो, विकास एवं पंचायत विभाग एवं कर्मचारीगण, नगर विकास न्यास, जयपुर ।

महोदय,

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि नाहरी का नाका, जयपुर में टंकी के पास एक सार्वजनिक शिव मंदिर स्थापित है, जिसके बाउण्डरी वाल पर पूर्व की तरफ 10 पुख्ता दुकानें एवं 10 थड़ियां लकड़ी की लगी हुई हैं, उनका किराया ग्राम सेवक समाज द्वारा वसूल किया जाता है ।

उस सिलसिले में मंदिर की इन दुकानों तथा थड़ियों के बनने से वहां पर आपसी झगड़े काफी संख्या में हैं । तीन थड़ियों के लिये तीन व्यक्तियों द्वारा अदालत से शीघ्र आदेश भी प्राप्त हैं । कुछ लोगों के केस अदालत में चालान पेश किये थे, जिन पर सिर्फ जुर्माना ही हुआ है ।

इस केस की अलग से फाइल बनी हुई है जो काफी अर्से से चल रही है । अतिक्रमण हटाने के लिये जी० ओ० एस० डी० साहब के कार्यालय में है । इस समय इस शाखा में इसकी कोई पत्रावली नहीं है ।

वैसे मौके पर जानकारी के अनुसार वहां पर आपसी विरोध है । एक पक्ष दूसरे पक्ष के खिलाफ केस दायर करते रहते हैं । पूर्ण जानकारी स्पष्ट फाइल से हो रही है ।

भवदीय,
मोंगीलाल
अतिक्रमण निरोधक अधिकारी (प्रथम),
नगर विकास न्यास, जयपुर ।

Page No 140

(140)

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 29-3-76)

जालोर जिले में ऋण का वितरण

480. **श्री बिरदाराम फुलवारिया (जालोर)** : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जालोर जिले में गरीब काश्तकार व उद्योग धन्धे वालों को सरकार द्वारा किस किस को कितना ऋण वितरण किया गया ? क्षेत्रवाइज नाम, जाति, ग्राम सहित बताने की कृपा करें ।

(2) जिले में ऋण के लिये अभी कितने लोगों की मांग है ?

(3) इस वर्ष जालोर जिले में सरकार द्वारा कितना ऋण वितरण करने का प्रावधान है ?

(स्थगित किया गया)

परिशिष्ट 7

(अतारांकित प्रश्न संख्या 354 की सूची)

राजस्थान सरकार

राजस्थान पंचायत एवं स्वायत्त शासन अधीनस्थ सेवा आयोग, जयपुर

क्रमांक: 20776-79 दिनांक: 1-8-75

आयोग द्वारा विज्ञापन संख्या 44(1973) के अन्तर्गत प्रशिक्षण हेतु चयन किए हुए कुछ ग्राम सेवक पद के लिए प्रत्याशियों की योग्यतानुसार सूची:—

जिला नागौर

क्र०सं०	नाम प्रत्याशी/पिता का नाम व पूरा पता	विशेष विवरण
1	2	3
1.	श्री नाथूराम डूकीया आ० श्री मोहनराम डूकिया, गांव जायल, पो० तहसील जायल, जिला नागौर ।	
2.	श्री प्रभुराम चौधरी आ० श्री घासीराम, गांव बीचाका, पो० बीचाका वाया छोटी खाटू, जिला नागौर ।	
3.	श्री रामदेव घायल आ० श्री झूमरराम घायल, ग्राम टांगला, पो० बुगरड़ा, त० जायल, जिला नागौर ।	
4.	श्री भंवरलाल फिडोदा आ० श्री रामजीवण फिडोदा द्वारा श्री नृसिंहलाल तिवाड़ी, ब्रह्मपुरी, नागौर ।	
5.	श्री अशोक कुमार आ० श्री नवलराम व्यास, काभागेट डीग, त० डीग, जिला भरतपुर ।	
6.	श्री ओमप्रकाश शर्मा आ० श्री मोतीलाल शर्मा, भूतपूर्व सैनिक गार्ड, रेल्वे क्वार्टर्स टी० आई० प्रथम, तहसील मेड़ता, ग्रा० व पो० मेड़ता रोड, जिला नागौर ।	
7.	श्री कालूराम जाजोरिया आ० श्री चन्दाराम जाजोरिया, अनुसूचित जाति, ग्राम बस्सी नागान, पो० पवार, त० फुलेरा, जिला जयपुर ।	

(152)

1	2	3
8.	श्री मनोहरलाल वर्मा आ० श्री कंचनलाल मीना अनुसूचित जाति, ग्रा० जोंल, पो० डोरावली, त० टोडाभीम, जिला सवाई माधोपुर ।	

रिजर्व सूची

9.	श्री जगाराम जाट आ० श्री बुधाराम, ग्रा० सुखवाली, पो० गुड़ा भगवानदास, त० व जिला नागौर ।	
10.	श्री धाराराम बैड़ा आ० श्री लाखाराम बैड़ा, ग्रा० गवालू, पो० गवालू, तहसील व जिला नागौर।	
11.	श्री जीवणराम तेतरवाला आ० श्री चन्द्राराम तेतरवाला, मु० पो० सुदरासन वाया अनकोली, तहसील डीडवाना, जिला नागौर ।	
12.	श्री भगवानसिंह यादव आ० श्री किशोरीलाल यादव, ग्राम माजरी, त० किशनगढ़, पो० कुतबपुर, जिला अलवर ।	

परिशिष्ट 8

(अतारांकित प्रश्न संख्या 357 की सूची)

जयपुर जिले में पंचायत समितिवार आवासीय भू-खण्डों की संख्या

क्र० सं०	नाम पंचायत	आवासीय भू-खण्डों की संख्या
1.	बांदीकुई	1525
2.	कोटपुतली	775
3.	बस्सी	541
4.	लालसोट	525
5.	सिकराय	347
6.	दूदू	1233
7.	गोविन्दगढ़	1076
8.	सांभरलेक	1252
9.	शाहपुरा	1408
10.	सांगानेर	756
11.	दौसा	1314
12.	चाकसू	2324
13.	विराटनगर	544
14.	आमेर	1962
15.	झोटवाड़ा	511
16.	जमवारामगढ़	1277
17.	फागी	602
	योग..	10972

परिशिष्ट 9

(अतारांकित प्रश्न संख्या 370 की सूची)

भू-सीलिंग कानून के अंतर्गत जमीन प्राप्त, आवंटित की और कब्जे दिये की जिलेवार सूचना
(संख्या एकड़ों में) (संख्या)

क्र० सं०	नाम जिला	जमीन प्राप्त की	आवंटित की	कब्जा दी	भूमिहीनों को आवंटित भूमि का कब्जा			विवरण
					अनु० जाति	जन जाति	भू० पू० सैनिक	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	अजमेर	5797	4273	4273	694	105	19	
2.	अलवर	276	150	150	20	—	12	
3.	बांसवाड़ा	1442	1291	1291	270	10	—	
4.	बाड़मेर	49086	9693	9693	178	116	23	
5.	भरतपुर	1877	677	677	132	15	—	
6.	भीलवाड़ा	20290	6292	3458	482	213	9	रेखांकित सूचना केवल आवंटन की है।
					—	—	—	
7.	बीकानेर	92862	48374	48374	771	—	5	
8.	चित्तौड़गढ़	5031	1312	1312	95	133	2	
9.	बूंदी	14370	847	847	98	59	—	
10.	चूरू	1691	1691	1691	19	—	1	अनु० जाति व जन जाति दोनों शामिल हैं
11.	डूंगरपुर	1742	845	845	61	340	—	
12.	गंगानगर	5157	1704	1704	21	62	—	
13.	जयपुर	17210	3773	3773	541	77	6	
14.	जैसलमेर	71064	180	—	—	—	—	

15.	जालोर	22634	6955	5503	338	127	12
16.	झालावाड़	874	317	317	51	23	1
17.	झुंझुनूं	933	353	353	87	8	14
18.	जोधपुर	29216	5564	अप्राप्त	170	14	60
19.	कोटा	10345	1475	729	117	7	8
20.	नागौर	2016	1338	1338	114	—	10
21.	पाली	19825	977	951	33	13	1
22.	सवाई माधोपुर	7194	1784	1784	246	82	—
23.	सीकर	1299	793	793	116	30	4
24.	सिरोही	7173	4858	3243	403	205	14
25.	टोंक	10505	221	149	19	—	1
26.	उदयपुर	6742	2128	2128	98	660	—

परिशिष्ट 10

(अतारांकित प्रश्न संख्या 371 की सूची)

जनगणना 1971 के अनुसार राजस्थान के दस सबसे कम आबादी वाले जिलों की सूची

1.	जैसलमेर	1,66,761
2.	सिरोही	4,23,815
3.	बूंदी	4,49,021
4.	डूंगरपुर	5,30,258
5.	बीकानेर	5,73,149
6.	झालावाड़	6,22,001
7.	टोंक	6,25,830
8.	बांसवाड़ा	6,54,586
9.	जालोर	6,67,950
10.	बाड़मेर	7,74,805

परिशिष्ट 11

(स्थगित अतारांकित प्रश्न संख्या 126 की सूची)

नाम	रसीद नम्बर व दिनांक	राशि
1. श्री कन्हैयालाल पुत्र श्री कजोड़मल बोहरा, लालसोट	6/2-2-74	505.00
2. ;; नारायणलाल पुत्र श्री कजोड़मल, लालसोट	7/2-2-74	505.00
3. ;, कन्हैयालाल रामस्वरूप सुनार, लालसोट	11/3-2-74	505.00
4. ,, बृजमोहन वल्द श्यामलाल सुनार, लालसोट	12/3-2-64	505.00
5. ,; रामधन पुत्र श्री हरगोबिन्द सुनार, लालसोट	13/3-2-74	505.00
6. श्रीमती कमला देवी पत्नी श्री घनश्याम बोहरा, साकिन लालसोट ।	14/3-2-74	1010.00
7. श्री हरजी वल्द श्री गूजरमल सुनार, लालसोट	15/4-2-74	505.00
8. ,; जगदम्बा प्रसाद, रामदयाल वल्द हरभजन सुनार, लालसोट	16/4-2-74	505.00
9. ;, बृजमोहन पुत्र श्यामलाल सुनार, लालसोट	17/4-2-74	505.00
10. ,, रामचरण वल्द रामेश्वर लखेरा, लालसोट	18/4-2-74	505.00
11. ;; वृद्धिचन्द वल्द कन्हैयालाल सुनार, लालसोट	15/2-2-74	505.00
12. ,, गिरधारीलाल पुत्र श्री रामजीलाल बोहरा, लालसोट	20/4-2-74	505.00
13. ,, नवल वल्द श्यामलाल, मुर्दावा से डूलाई	21/4-4-74	505.00
14. ,, मोहनलाल वल्द रामजीलाल बोहरा, लालसोट	22/4-2-74	505.00
15. ,, सरवणलाल वल्द मथुरालाल तिवाड़ी, बिलोनाकलां	23/4-2-74	505.00
16. ;, रामेश्वरलाला वल्द रामसहाय सुनार, बिलोना कलां	24/4-2-74	505.00
17. ,, लल्लुप्रसाद बजरंगलाल वल्द श्यामलाल सुनार, लालसोट	25/5-2-74	1010.00
उपरोक्त क्रम संख्या 1 से 17 तक में वर्णित व्यक्तियों की राशि पंचायत की रोकड़ बही में जमा है ।		
18. ,, विष्णुकुमार वल्द शंकरलाल पुरोहित	1/9-2-74	505.00
19. श्रीमती बायादेवी बेवा बजरंगनलाल शर्मा, नगामच राजोली	2/9-2-74	405.00
20. श्री घनश्याम वल्द रेवड़मल गोवरया, चांदसेन	3/9-2-74	505.00

उपरोक्त क्रम संख्या 18 से 20 में वर्णित व्यक्तियों की राशि पंचायत की रोकड़ बही में जमा नहीं है । तथा रसीदें जिस बुक से जारी की हैं वह रसीद बुक भी पंचायत के रिकार्ड की नहीं है ।

(148)

शुद्धि-पत्र

शनिवार, दिनांक 3 अप्रैल, 1976

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
28	ऊपर से 5	वृर्दाशत	प्रर्दाशत
38	ऊपर से 8	मोहर सिंह	श्री मोहरसिंह
51	प्रथम	वे	व
51	ऊपर से 4	अत्रिकृत	अनधिकृत
54	ऊपर से 10	सामा	सीमा
57	ऊपर से 5	यह है	यह सही है
75	ऊपर से 3	और कब	तो कब
90	नीचे से 5	श्री राम गोटेवाला	श्री श्रीराम गोटेवाला
99	ऊपर से 9	(सादुसपुर)	(सादुलपुर)